

भारत के
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
वर्ष 2023—24 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार
वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या—1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय—I विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	5
सरकारी लेखे की संरचना एवं बजटीय प्रक्रिया	1.3	5
राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.4	11
लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद घाटे/बकाया देनदारियाँ	1.5	16
अध्याय—II राज्य के वित्त		
परिचय	2.1	19
2022–23 की तुलना में राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन	2.2	19
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.3	20
राज्य के संसाधन	2.4	21
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.5	39
लोक लेखा	2.6	59
लोक दायित्व प्रबंधन	2.7	65
नकद शेष राशि का प्रबंधन	2.8	78
निष्कर्ष	2.9	81
अनुशंसाएँ	2.10	82
अध्याय—III बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	83
विनियोग लेखे	3.2	86
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता	3.3	87
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता	3.4	92
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.5	98
अनुदान संख्या—03 “भवन निर्माण विभाग”	3.5.1	98
अनुदान संख्या—21 “शिक्षा विभाग”	3.5.2	102
विशिष्ट बजट की समीक्षा	3.6	107
जेंडर बजट की समीक्षा	3.6.1	107

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
बाल कल्याण बजट की समीक्षा	3.6.2	109
हरित बजट की समीक्षा	3.6.3	110
निष्कर्ष	3.7	112
अनुशंसाएँ	3.8	112
अध्याय-IV लेखे की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार		
राज्य सरकार के ऋण (गैर-बजट उधारी) को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.1	115
ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना	4.2	116
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा अंतरण	4.3	116
स्थानीय जमा निधि	4.4	117
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.5	119
सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र	4.6	121
व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता	4.7	122
लघु शीर्ष "800" का अनुचित प्रयोग	4.8	124
मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष	4.9	126
विभागीय संव्यवहारों का असमाशोधन	4.10	129
नकद शेष का समाशोधन	4.11	130
लोक लेखे के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	4.12	130
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.13	130
एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता जिनके लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है	4.14	131
स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	4.15	132
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.16	133
अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय का असमायोजन	4.17	134
चेक एवं विपत्र	4.18	134
एकल नोडल लेखांकन (एस0एन0ए0)	4.19	135
निष्कर्ष	4.20	136
अनुशंसाएँ	4.21	137

विषय सूची

परिशिष्ट			
क्रम सं०	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1.1	139
1.2	बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश	1.3.2	140
2.1	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	2.3	141
2.2	ऋण की नकारात्मक शेष राशि	2.5.3.3	145
3.1	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक)	3.3.2	147
3.2	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.3.3	148
3.3	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन	3.3.3	149
3.4	बड़ी बचत वाले अनुदान/विनियोजन (₹ 100 करोड़ और अधिक)	3.3.4	150
3.5	₹ 500 करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत बचत वाले अनुदान/विनियोग	3.3.4	152
3.6	2019-20 से 2023-24 के दौरान सतत बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदान (₹ 500 करोड़ और उससे अधिक)	3.3.4	153
3.7	2023-24 में ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक निधियों के अभ्यर्पण का विवरण	3.3.4	154
3.8	अनुदानों/विनियोगों का शत-प्रतिशत अनुपयोगी रहना (₹ 100 करोड़ और अधिक)	3.4.1	155
3.9	मार्च 2024 माह में सघन व्यय	3.4.4	156
3.10	शत-प्रतिशत व्यय मार्च 2024 में किया जाना (प्रत्येक मामले में ₹ दस करोड़ और उससे अधिक)	3.4.4	157
4.1	प्रतिकूल शेषों की विवरणी	4.12	158
4.2	एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता, जिनके लेखे मार्च 2024 तक बकाया थे	4.14	159
4.3	निकायों/प्राधिकरणों की सूची, जिनके वित्त विवरणी उपलब्ध नहीं कराए गए थे	4.15	162
	संकेताक्षरों की शब्दावली		165

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन बिहार राज्य के वित्त पर संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने एवं राज्य विधायिका को वित्तीय आँकड़ों पर आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण के आगत को उपलब्ध कराने का प्रयोजन रखता है। यह प्रतिवेदन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2022, पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन (एफ0सी0), सरकारी कार्यों के प्रबंधन हेतु नियमों एवं संहिताओं तथा बजट अनुमान 2023–24 द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के विरुद्ध वित्तीय प्रदर्शन का भी विश्लेषण करता है। प्रतिवेदन चार अध्यायों में संरचित है।

अध्याय I वित्त लेखों की लेखापरीक्षा और बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति (31 मार्च 2024) के आकलन के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

अध्याय II सरकार के घाटे के प्रबंधन, राजस्व और पूँजीगत व्यय में रुझान, आकस्मिक मुद्दों, प्रतिबद्ध और अनिवार्य व्यय, सब्सिडी, ऋण, निवेश और उधार प्रतिरूप में गहन जानकारी प्रदान करता है। यह वर्ष 2023–24 के लिए बिहार सरकार के वित्त का लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले वर्षों से संबंधित राज्य के वित्त लेखों में निहित विवरण और वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय III बजटीय नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण और इसके लेखांकन की जाँच करता है। यह विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन के ढंग का वर्णन करता है।

अध्याय IV चालू वर्ष के दौरान लेखाओं की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों का वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में राज्य सरकार के लेखाओं की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के निमोलेप का यह प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 के लिए राज्य के वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखे की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहारों और राज्य वित्त से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामलों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु एवं महत्वपूर्ण आँकड़ें और पहलुओं को संक्षिप्त परिदृश्य के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजटीय उद्देश्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ, राजस्व और व्यय अनुमान, विविधताओं के कारणों और उसके प्रभाव आदि पर प्रकाश डालता है।

वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0), 10.32 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ 2019–20 में ₹ 5,81,855 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 8,54,429 करोड़ हो गया। राज्य का व्यय 2019–20 में ₹ 1,38,987 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 2,29,103.05 करोड़ हो गया।

वर्ष 2022–23 की तुलना में जी0एस0डी0पी0 में 14.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 11.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2022–23 में 23.14 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 22.63 प्रतिशत रह गया। इस अवधि में कर राजस्व में 16.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा राज्य के स्व–कर राजस्व में वर्ष 2022–23 की तुलना में 9.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम) 2022–23 में ₹ 2,17,552.81 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 2,29,103.05 करोड़ हो गया, अर्थात् 5.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें से, राजस्व व्यय में वर्ष 2022–23 से 3.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। राज्य ने पिछले वर्ष के दौरान ₹ 11,288.20 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में इस वर्ष ₹ 2,833.06 करोड़ का राजस्व अधिशेष प्राप्त किया है। राजकोषीय घाटा 2022–23 में ₹ 44,823.30 करोड़ से घटकर 2023–24 में ₹ 35,659.88 करोड़ हो गया।

प्राप्ति – व्यय

राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं यथा राज्य का स्व–कर राजस्व, गैर–कर राजस्व, करों में राज्यांश का अंतरण, सहायता अनुदान एवं केंद्र सरकार से हस्तांतरण तथा गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व मदों पर व्यय के साथ–साथ पूँजीगत व्यय (परिसंपत्तियों का सृजन, ऋण और अग्रिम, निवेश आदि) भी शामिल है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 8.41 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से 2019–20 में ₹ 1,24,233 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 1,93,347 करोड़ हो गई। केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी ₹ 50,198 करोड़ (79.17 प्रतिशत) 2019–20 (₹ 63,406 करोड़) से बढ़कर 2023–24 (₹ 1,13,604 करोड़) हो गई। इस अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ भी ₹ 29,175 करोड़ से बढ़कर ₹ 60,314 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2019–20 में 21.71 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 13.51 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार को वर्ष 2023–24 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी0एस0एस0) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 17,961.52 करोड़ प्राप्त हुए।

राज्यों द्वारा सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों के ब्याज भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा-तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच राजस्व व्यय ₹ 1,26,017 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 21.66 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 1,90,514.17 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 22.30 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान कुल व्यय में इसका हिस्सा लगातार 83.16 से 90.67 प्रतिशत तक रहा।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की अधिकता के कारण राज्य को ₹ 2,833.06 करोड़ का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ।

राज्य सरकार ने पूँजीगत मदों पर ₹ 36,453 करोड़ का व्यय किया, जो वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय का 15.91 प्रतिशत और कुल उधारियों का 22.40 प्रतिशत था। उधार ली गई शेष धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से, पूँजी सृजन/विकास गतिविधियों के बजाय वर्तमान उपभोग को पूरा करने और उधारों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

राज्य को कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा हुआ। राज्य का राजकोषीय घाटा 2019-20 में ₹ 14,723.93 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 2.53 प्रतिशत) से बढ़कर 2023-24 में ₹ 35,659.88 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 4.17 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत, प्रतिबद्ध व्यय का परिमाण सबसे बड़ा है। प्रतिबद्ध व्यय, संसाधनों पर सबसे पहले भारित होते हैं और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन पर व्यय शामिल होते हैं। ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय 2019-20 (38.47 प्रतिशत) तथा 2023-24 (36.89 प्रतिशत) के दौरान राजस्व व्यय का 34.30 से 38.66 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय 2019-20 में ₹ 48,477.72 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 70,282.32 करोड़ हो गया।

गैर-प्रतिबद्ध व्यय का प्रमुख भाग के रूप में सब्सिडी

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, सब्सिडी में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, जो 2019-20 में ₹ 7,121.27 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 16,244.61 करोड़ हो गई, अर्थात् 2019-20 में कुल राजस्व व्यय 5.65 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 8.53 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान कुल सब्सिडी में विद्युत सब्सिडी का हिस्सा सर्वाधिक, 72.92 प्रतिशत से 82.77 प्रतिशत तक था।

गैर-बजट उधारी

राज्य सरकार ने लोक क्षेत्र के उपक्रम (बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड) के माध्यम से 2023-24 के दौरान ₹ 53.48 करोड़ की गैर-बजट उधारी ली। यह राज्य की समेकित निधि से बाहर रहा, तथापि पुनर्भुगतान एवं प्रतिपूर्ति राज्य के बजट के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।

गारंटियों के कारण आकस्मिक देनदारियाँ

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, सरकार ने ₹ 28,040.96 करोड़ के ब्याज सहित उधार के सापेक्ष गारंटी दी। विगत पाँच वर्षों के दौरान, आकस्मिक देनदारियाँ राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 4.41 प्रतिशत से 15.79 प्रतिशत और जी0एस0डी0पी0 का 0.94 प्रतिशत से 3.87 प्रतिशत तक था।

राजकोषीय स्थायित्व

राजकोषीय स्थायित्व की जाँच, वृहत राजकोषीय मापदंडों जैसे घाटे, ऋण एवं देयताओं का स्तर, गैर-बजट उधारी प्रतिबद्धताओं, गारंटियों, सब्सिडियों आदि के संदर्भ में की जाती है। जहाँ तक राजस्व और व्यय के असंतुलन का सवाल है, प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है, जिसमें वेतन, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि तथा अन्य अनम्य व्यय जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण आदि शामिल थे।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी0एफ0आर0बी0एम0) की अपेक्षाएँ और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम कुछ सीमाएँ निर्धारित करता है, जिनके अधीन ही जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के सापेक्ष राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण होना चाहिए। वर्ष 2023–24 में, राज्य ने 2018–19 के बाद राजस्व अधिशेष प्राप्त किया; राजकोषीय घाटा अधिकतम 3.50 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 4.17 प्रतिशत था जबकि कुल बकाया देनदारी 40.40 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 38.94 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, यदि गैर-बजट उधारी की मात्रा को ऋण के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है, तो सरकार की कुल देनदारियाँ (लोक ऋण और लोक लेखे देनदारियों सहित) जी0एस0डी0पी0 का 38.95 प्रतिशत थी।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, बिहार सरकार का लोक ऋण 2019–20 से 2023–24 के बीच बकाया लोक ऋण 17.30 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। बिहार का लोक ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात 2019–20 में 25.47 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 32.78 प्रतिशत हो गया, जो ऋण स्थिरीकरण में जोखिम को दर्शाता है।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि में बिहार प्राथमिक घाटे वाला राज्य रहा है। डोमार गैप (जी-आर) 2021–22 से 2023–24 की अवधि के दौरान सकारात्मक रहा जबकि 2019–20 और 2020–21 के दौरान यह नकारात्मक था। कोविड-19 की अवधि के बाद, पिछले तीन वर्षों में डोमार गैप (जी-आर) ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्ज की है। डोमार मॉडल के तहत ऋण स्थिरता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की राजकोषीय देनदारियों ने 2019–20 एवं 2020–21 को छोड़कर ऋण स्थिरता (जी-आर > 0) की शर्त को पूरा किया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 के दौरान, हालांकि डोमार गैप (जी-आर के रूप में व्यक्त) सकारात्मक था, और इसका मूल्य भी पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा, प्राथमिक घाटा स्थिर नहीं था और 2022–23 में पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक बढ़ गया, हालांकि 2023–24 में इसमें सुधार हुआ। इसके अलावा, लोक ऋण प्राप्तियों के एक बड़े हिस्से का उपयोग ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था, जो 2019–2024 की अवधि के दौरान 68.82 प्रतिशत और 75.77 प्रतिशत के बीच था।

बजट कार्यकुशलता

समग्र व्यय उत्पादकता (बजट अनुमान के सापेक्ष व्यय)

बजटीय आशय और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट कार्यकुशलता की जाँच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम, आधिक्य और बचत दोनों के संदर्भ में, मूलरूप से अनुमोदित राशि को किस सीमा तक दर्शाता है।

बजट अनुमानों (ब0अ0) की तुलना में परिणाम में विचलन राजस्व खंड में (–) 4.65 प्रतिशत और पूँजीगत खंड में (+) 15.73 प्रतिशत था।

व्यय संरचना की उत्पादकता (पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष व्यय)

बजट कार्यकुशलता यह भी दर्शाती है कि क्रियान्वयन के दौरान बजट अनुमानों (ब0अ0) एवं बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना की भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है। यह पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0) और वास्तविक व्यय के बीच अंतर की सीमा को मापता है।

पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में परिणाम में विचलन, राजस्व खण्ड में (–) 20.74 प्रतिशत और पूँजीगत खण्ड में (–) 3.68 प्रतिशत था।

अनावश्यक/अधिकाई अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2023–24 के दौरान 13 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत 13 मामलों (प्रत्येक मामले में 100 करोड़ रुपये से अधिक) में ₹ 11,042.66 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

अधिकाई व्यय

बजट प्रावधान से ₹ 39.47 करोड़ का अधिकाई व्यय मुख्यतः पथ निर्माण विभाग (₹ 39.43 करोड़) में हुआ। अधिकाई व्यय बजट प्रावधानों के प्रतिकूल है और इसके विनियमन की आवश्यकता है।

बढ़ा-चढ़ा कर बनाया हुआ बजट/केंद्र प्रायोजित योजनाओं में बड़ी बचत

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल बचत की राशि ₹ 65,512.05 करोड़ में से केवल केंद्र प्रायोजित योजनाओं से ही ₹ 31,663.68 करोड़ की बचत थी, जो कुल बचत का 48.33 प्रतिशत होता है। इन योजनाओं के लिए कुल बजट प्रावधान, राज्य के कुल बजट का 24 प्रतिशत था।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन से पता चलता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और मूल बजट के बीच विचलन केवल (–) 0.45 प्रतिशत था, वास्तविक व्यय और कुल बजट के बीच विचलन (–) 20.08 प्रतिशत था। विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और उससे भी अधिक तक विचलन थे। इसके अलावा, कई मामलों में, यह भी पाया गया कि जहाँ व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था वहाँ पूरक अनुदान दिए गए थे।

लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन

लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन उन मदों, संव्यवहारों और घटनाओं को समाहित करता है जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों तथा उन लेखांकन अभिलेख या समायोजन अभिलेख की प्राप्ति में देशी से संबंधित मुद्दों से संबंधित है, जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखे और वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दों, जैसे सरकारी लेखे के बाहर निधि का पड़े रहना, देनदारियों का निर्वहन न करना, आँकड़ों के अंतराल और संव्यवहार के गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डालता है।

भारत सरकार के लेखा मानकों (आई0जी0ए0एस0) का अनुपालन

भारत सरकार के लेखा मानकों की आवश्यकता के संदर्भ में, राज्य सरकार ने आई0जी0ए0एस0–1: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति, आई0जी0ए0एस0–2: सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) का लेखांकन एवं वर्गीकरण, आई0जी0ए0एस0–3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम, का अनुपालन नहीं किया।

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खातों का संचालन

सरकार ने ₹ 1.54 करोड़ के संयुक्त शेष वाले चार पी0डी0 खातों को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) में स्थानांतरित नहीं किया है।

एकल नोडल एजेंसी (एस0एन0ए0) को निधि

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एस0एन0ए0) की प्रणाली प्रारंभ की है।

सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार, 2023–24 में कुल अंतरित राशि ₹ 31,145.19 करोड़ में से राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 18,231.24 करोड़ प्राप्त हुए। हालाँकि, पी0एफ0एम0एस0 प्रतिवेदन के अनुसार, ₹ 30,847.49 करोड़ की कुल प्राप्ति में से राज्य सरकार ने केंद्रीय हिस्से का ₹ 18,173.89 करोड़ और राज्य हिस्से का ₹ 12,673.60 करोड़ एस0एन0ए0 को अंतरित किया। सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार, सहायता अनुदान विपत्रों के माध्यम से ₹ 22,470.94 करोड़ अंतरित किए गए। वास्तविक व्यय के विस्तृत अभिश्रव और सहायक अभिलेख एस0एन0ए0 से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में अप्राप्त थे।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू0सी0)

निर्धारित समयावधि के अंदर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 70,877.61 करोड़ के 49,649 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार को प्राप्त नहीं हुए थे।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में, इस बात की कोई आश्वासन नहीं है कि वितरित की गई धनराशि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया है। इसके अलावा, यू0सी0 के लंबित रहने से धन के गबन, दुरुपयोग और विचलन का जोखिम बना रहता है।

सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्रों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्र

सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्रों के माध्यम से आहरित अग्रिम राशि के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 9,205.76 करोड़ के 22,130 ए0सी0 विपत्र के विरुद्ध डी0सी0 विपत्र जमा किए जाने हेतु लंबित थे। निर्धारित अवधि के अंदर डी0सी0 विपत्र जमा न करने से वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन होता है तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है।

प्रचलित नियमों और सांहित्यिक प्रावधानों का अनुपालन, लेखांकन एवं वित्तीय प्रतिवेदन में नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। अवज्ञा और विचलन, लेखांकन एवं वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अनुदान के विरुद्ध, यू0सी0 समय पर जमा न करना, ए0सी0 विपत्र के विरुद्ध, डी0सी0 विपत्र जमा न करना और एस0एन0ए0 से व्यय के ब्यौरे की अनुपलब्धता ने लेखे की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

અધ્યાય–I

વિહંગાવલોકન

यह अध्याय वित्त लेखे की लेखापरीक्षा के आधार पर राजकोषीय संग्रहों में प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण और 31 मार्च 2024 तक बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ राज्य है। यह पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है। यह उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है।

यह भौगोलिक आकार (94,163 वर्ग किमी) के मामले में भारत का बारहवाँ सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या (12.86 करोड़) के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं। राज्य का जनसंख्या घनत्व 1,366 प्रति वर्ग किमी है, जो राष्ट्रीय औसत (426 प्रति वर्ग किमी) से अधिक है। राज्य की साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) है। अखिल भारतीय औसत (परिशिष्ट 1.1) की तुलना में इसका गरीबी स्तर सबसे अधिक है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय (₹ 66,828) पड़ोसी राज्यों की तुलना में जैसे झारखंड (₹ 1,15,960), पश्चिम बंगाल (₹ 1,71,184) और उत्तर प्रदेश (₹ 1,07,468) से बहुत कम है। वर्ष 2023–2024 में जी0एस0डी0पी0 की वर्तमान मूल्यों पर (एम0ओ0एस0पी0आई0 के अनुसार) तेरहवाँ सबसे बड़ा राज्य है।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय की अवधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

वर्तमान मूल्यों (आधार वर्ष: 2011–12) पर राज्य के जी0एस0डी0पी0 और भारत की जी0डी0पी0 की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में दर्शायी गई हैं।

तालिका 1.1: जी0डी0पी0 की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की प्रवृत्ति (वर्तमान मूल्यों पर)
(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
भारत					
जी0डी0पी0 (2011–12 श्रृंखला)	2,01,03,593	1,98,54,096	2,35,97,399	2,69,49,646	2,95,35,667
सकल मूल्य वर्धित (जी0वी0ए0)	1,83,81,117	1,82,10,997	2,16,35,584	2,46,59,041	2,67,62,147
विगत वर्ष की तुलना में जी0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.37	(–) 1.24	18.85	14.21	9.60
विगत वर्ष की तुलना में जी0वी0ए0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.02	(–) 0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,32,341	1,27,244	1,50,906	1,69,496	1,84,205
बिहार					
जी0एस0डी0पी0 (2011–12 श्रृंखला)	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी0एस0वी0ए0)	5,59,805	5,52,327	6,41,107	7,42,817	8,49,750
विगत वर्ष की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.20	(–) 2.41	14.02	15.30	14.47

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
विगत वर्ष की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.69	(-) 1.34	16.07	15.86	14.40
जी0एस0डी0पी0 का जी0डी0पी0 से प्रतिशत	2.89	2.86	2.74	2.77	2.89
प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 (₹ में)	48,263	46,412	52,144	59,244	66,828

(स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार)
जी0वी0ए0-सकल मूल्य वर्धित, जी0एस0वी0ए0-सकल राज्य मूल्य वर्धित


वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान वर्तमान मूल्यों पर जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 को जी0वी0ए0/जी0एस0वी0ए0 में संशोधन के आधार पर संशोधित किया गया था। वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए जी0डी0पी0/जी0एस0डी0पी0 के संदर्भ में विभिन्न मापदंडों के प्रतिशत अनुपात/उत्प्लावकता को तदनुसार संशोधित किया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (12.80 प्रतिशत) प्रति व्यक्ति जी0डी0पी0 वृद्धि दर (8.68 प्रतिशत) से अधिक थी। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान, प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 में 38.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन यह प्रति व्यक्ति जी0डी0पी0 की वृद्धि 39.19 प्रतिशत से कम थी।

सकल मूल्य वर्धित (जी0वी0ए0) का उपयोग भारत सरकार द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है क्योंकि जी0वी0ए0 को जी0डी0पी0 की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जी0डी0पी0 जिसमें निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल निश्चित पूंजी निर्माण या निवेश पर व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न खर्चों का योग भी हो सकता है, जो अर्थव्यवस्था में माँग की स्थिति को अनिवार्य रूप से दर्शाता है। इनके परिणामस्वरूप जी0डी0पी0, वास्तविक उत्पादन की स्थिति से भिन्न हो सकती है। इसलिए एक नीति निर्माता के दृष्टिकोण से बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप करने हेतु जी0वी0ए0 और जी0एस0वी0ए0 आँकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए जी0एस0डी0पी0 और जी0एस0वी0ए0 की प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में बताई गई है।

चार्ट 1.1: जी0एस0डी0पी0 बनाम जी0एस0वी0ए0 की वृद्धि दर (2019-20 से 2023-24)
(प्रतिशत में)



(स्रोत: एम0ओ0एस0पी0आई0, भारत सरकार)

जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है:

- i कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण, 2020-21 में जी0एस0डी0पी0 और जी0एस0वी0ए0 दोनों की वृद्धि दर नकारात्मक थी।
- ii वर्ष 2021-22 के दौरान, जी0एस0वी0ए0 ने उच्चतम वृद्धि दर (द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर के कारण) दर्ज की।
- iii वर्ष 2022-23 के दौरान जी0एस0डी0पी0 ने उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की।
- iv वर्ष 2023-24 में जी0एस0वी0ए0 की वृद्धि दर 1.46 प्रतिशत अंक से (मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र में धीमी वृद्धि दर के कारण) धीमी हो गई। इस वर्ष के दौरान, जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर 0.83 प्रतिशत अंक (विगत वर्ष की तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर के कारण) से थोड़ी कम थी, हालांकि, इसकी वृद्धि दर 2023-24 के दौरान जी0डी0पी0 की वृद्धि दर से बहुत अधिक थी।


1.1.2 क्षेत्रवार संरचना

आर्थिक गतिविधियों को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक प्रकृति की अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ मुख्य रूप से कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे-वानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन और खनन। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण और बुनियादी ढाँचा, विद्युत, गैस की आपूर्ति आदि शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में सेवा संबंधी सभी कार्यकलाप शामिल हैं। 2023-24 के दौरान जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रवार योगदान को क्रमशः चार्ट 1.2 और 1.3 में दर्शाया गया है।


चार्ट 1.2: क्षेत्र-वार जी0डी0पी0

(प्रतिशत में)



चार्ट 1.3: क्षेत्र-वार जी0एस0डी0पी0

(प्रतिशत में)



(स्रोत: 01.08.2024 तक एम0ओ0एस0पी0आई0, भारत सरकार के आँकड़े और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, बिहार सरकार)


*उत्पाद पर शुद्ध कर = उत्पाद पर करों से घटाए गए उत्पाद पर सब्सिडी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, जी0एस0डी0पी0 में जी0डी0पी0 की तुलना में तृतीयक और प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 7.48 और 6.45 प्रतिशत अंक से अधिक था। तथापि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग एवं विनिर्माण) का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान की तुलना में 5.09 प्रतिशत अंक से कम था। इसके अलावा, बिहार में उत्पादों पर शुद्ध कर भारत की तुलना में बहुत कम थी।

चार्ट 1.4 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत विकास दर की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 1.4: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत वृद्धि का प्रवृत्ति विश्लेषण

(प्रतिशत में)




(स्रोत: एम0ओ0एस0पी0आई0, भारत सरकार)

चार्ट 1.4 वैश्विक महामारी के कारण 2020–21 में सभी क्षेत्रों में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि, 2021–22 के दौरान, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने पर्याप्त सुधार दिखाए और विगत पाँच वर्षों के दौरान अपनी उच्चतम वृद्धि दर्ज की। 2023–24 के दौरान, फसलों (कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के अंतर्गत) में 12.03 प्रतिशत, पशुधन में 9.28 प्रतिशत और वानिकी एवं सिल्ली निर्माण में 10.29 प्रतिशत की वृद्धि के कारण केवल प्राथमिक क्षेत्र ने 10.66 प्रतिशत की वृद्धि दर दिखाई। हालांकि, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने 2022–23 की तुलना में धीमी विकास दर दर्ज की।

जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2019–20 एवं 2023–24 की जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन चार्ट 1.5 में दिखाए गए हैं।

चार्ट 1.5: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन (2019–20 और 2023–24)
(प्रतिशत में)



(स्रोत: एम0ओ0एस0पी0आई0, भारत सरकार)

वर्ष 2023–24 में भी, तृतीयक क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता बना रहा।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि०म०ले०प०) का प्रतिवेदन, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना है, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस०एफ०ए०आर०) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत तैयार और प्रस्तुत की जाती है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले ऐसे खातों को रखने के लिए जिम्मेदार कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रदान किए गए वाउचर, चालान और प्रारंभिक और सहायक लेखों और भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) से प्राप्त विवरणों से, सालाना राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आँकड़ों का गठन करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: अनुमानों के साथ साथ राजकोषीय मापदंडों और आवंटन की प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागों/प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आँकड़ें (लेखांकन के साथ-साथ एम०आई०एस०);
- जी०एस०डी०पी० आँकड़ें और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी आँकड़ें; और
- भारत के नि०म०ले०प० के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन;

चौदहवें और पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग, छठे राज्य वित्त आयोग, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी०एफ०आर०बी०एम०) अधिनियम, 2006, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों की अनुशंसा के आलोक में इसका विश्लेषण किया गया है। 07.08.2024 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन के दौरान बिहार सरकार के वित्त विभाग के साथ विषय क्षेत्र कार्यप्रणाली, मानदंड और बाध्यता पर चर्चा की गई।

1.3 सरकारी लेखे की संरचना और बजटीय प्रक्रियाएँ

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोश को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि शामिल है। इस निधि से कोई भी धन विधि के अनुसार और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारत व्यय) पर एक प्रभार है और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत का संविधान के अनुच्छेद 267(2))

राज्य विधायिका द्वारा विधि सम्मत स्थापित यह निधि अग्रिम प्रकृति की है और इसे राज्यपाल के अधिकार में रखा गया है ताकि राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकार को लंबित रखते हुए अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि प्रदान की जा सके। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की संचित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष पर व्यय को नामे करके की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखे (भारत का संविधान के अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक निधि जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा में लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (ये दोनों अस्थायी शीर्ष है, अंतिम लेखांकन लंबित) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा में शामिल होते हैं। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज

भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज बनाता है। इसके अलावा, बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्ययों से अलग रखना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) पर किए गए खर्चों से संबंधित होते हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिम की वसूली;

पूँजीगत व्यय में भूमि के अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और अन्य पक्षों को ऋण और अग्रिम पर व्यय शामिल होते हैं।


वर्तमान में, सरकार के पास एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यकारी और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
सी0जी0ए0 द्वारा मुख्य और लघु शीर्ष सूची में मानकीकृत	कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2 अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु-शीर्ष (3 अंकीय)

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उप-शीर्ष (2 अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	विषय-शीर्ष वेतन, लघु कार्य, आदि (2 अंकीय)

कार्यकारी वर्गीकरण के द्वारा विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के विषय को समझा जाता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। 4-अंकीय मुख्य शीर्षों में निहित पहले अंक के आधार पर आर्थिक वर्गीकरण का पता चलता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए हैं। आर्थिक वर्गीकरण भी कुछ विषय शीर्षों की एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ विषय शीर्षों के वितरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" विषय शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" विषय शीर्ष पूँजीगत व्यय है। विषय शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखे की संरचना



लोक ऋण एवं सार्वजनिक दायित्व

इस प्रतिवेदन में, 'लोक ऋण' को बाजार उधारी, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन0एस0एस0एफ0) को जारी विशेष प्रतिभूतियों, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि को शामिल करने के लिए लिया गया है। इस उद्देश्य के लिए, मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 – लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा, "सार्वजनिक दायित्व" "लघु बचत, भविष्य निधि, आदि" से संबंधित मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के तहत लेनदेन को शामिल करने के लिए लिया गया है, लोक लेखा के अंतर्गत "आरक्षित

निधियाँ” और “जमा एवं अग्रिम” ऐसे हैं जिनसे सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए उत्तरदायी होती है या भुगतान की गई राशि की वसूली का दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत “प्रेषण” और “उचंचत” से संबंधित लेन-देन में कोषागारों और मुद्रा तिजोरियों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखा सर्किलों के बीच हस्तांतरण जैसे लेनदेन को समायोजन शीर्षों में शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, “सार्वजनिक दायित्व” को मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के तहत “लघु बचत, भविष्य निधि, आदि”, “आरक्षित निधि” और “जमा और अग्रिम” के साथ-साथ प्रमुख शीर्षों 6003 और 6004 के तहत लेन-देन को शामिल करने के लिए लिया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत कराते हैं। अनुच्छेद 203 के अनुसार, राज्य विधानमंडल को अनुदानों/विनियोगों हेतु मांगों के रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, अनुच्छेद 204 के तहत समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोजन हेतु विनियोग विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

राज्य बजट संहिता, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी में मार्गदर्शन करती है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य सरकार की अन्य बजटीय क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय III में वर्णित है।

1.3.1 वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

तालिका 1.2 वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा वर्ष 2022-23 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का तुलनात्मक विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.2: वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	घटक	2022-23 (वास्तविक)	2023-24		वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक का जी०एस०डी०पी० से प्रतिशतता
			(बजट अनुमान)	(वास्तविक)		
1	कर राजस्व	1,39,527.58	1,52,437.31	1,61,965.18	106.25	18.96
	(i) स्व-कर राजस्व	44,017.73	49,700.05	48,360.69	97.31	5.66
	(ii) संघीय करों का अंश	95,509.85	1,02,737.26	1,13,604.49	110.58	13.30
2	गैर-कर राजस्व	4,134.90	6,511.74	5,257.05	80.73	0.62
3	सहायता अनुदान और अंशदान	29,025.54	53,377.92	26,125.00	48.94	3.06
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,72,688.02	2,12,326.97	1,93,347.23	91.06	22.63
5	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	41.49	431.91	95.94	22.21	0.01
6	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	—	0.00	—	—
7	निवल उधारी एवं अन्य दायित्व (अ)	44,823.30	25,567.83	35,659.88	139.47	4.17

क्र० सं०	घटक	2022-23 (वास्तविक)	2023-24		वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक का जी०एस०टी०पी० से प्रतिशतता
			(बजट अनुमान)	(वास्तविक)		
8	निवल पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	44,864.79	25,999.74	35,755.82	137.52	4.18
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	2,17,552.81	2,38,326.71	2,29,103.05	96.13	26.81
10	राजस्व व्यय (ब)	1,83,976.22	2,07,848.00	1,90,514.17	91.66	22.30
11	ब्याज भुगतान	15,183.54	18,354.44	17,605.80	95.92	2.06
12	पूँजीगत व्यय	31,519.82	29,257.31	36,453.02	124.59	4.27
13	ऋण एवं अग्रिम	2,056.77	1,221.40	2,135.86	174.87	0.25
14	कुल व्यय (10+12+13)	2,17,552.81	2,38,326.71	2,29,103.05	96.13	26.81
15	राजस्व आधिक्य(+)/घाटा (-) (4-10)	(-) 11,288.20	4,478.97	2,833.06	63.25	0.33
16	राजकोषीय घाटा {14-(4+5+6)}	44,823.30	25,567.83	35,659.88	139.47	4.17
17	प्राथमिक घाटा (16-11)	29,639.76	7,213.39	18,054.08	250.29	2.11

(स्रोत: 2023-24 के लिए बिहार सरकार के वित्त लेखे एवं बजट का सारांश 2023-24)

₹1 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

(अ) उधार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आरंभिक और अंतिम नकद शेष।

(ब) राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान व्यय शामिल है।

यह देखा गया कि:

- 2023-24 के लिए राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 2022-23 के वास्तविक से 22.95 प्रतिशत अधिक था। इस बीच, बिहार सरकार ने अपने संशोधित अनुमान में राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,14,494.26 करोड़) को मूल अनुमान का 1.02 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। हालाँकि, वास्तविक प्राप्तियाँ मूल अनुमान से 8.94 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 9.86 प्रतिशत कम थीं, जबकि राजस्व प्राप्तियों में संघीय करो का अंश (58.76 प्रतिशत) का प्रमुख योगदान था।
- विगत वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 11.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियों के संग्रह में सी०जी०एस०टी० (27.75 प्रतिशत), एस०जी०एस०टी० (19.08 प्रतिशत), निगम कर (6.49 प्रतिशत), निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (25.97 प्रतिशत), आय और व्यय पर अन्य कर (14.99 प्रतिशत), केंद्रीय करों के हिस्से के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क (27.89 प्रतिशत) में वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, स्व-कर राजस्व के तहत भू-राजस्व (60.91 प्रतिशत) और वाहन पर करों (14.39 प्रतिशत) में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा ब्याज प्राप्तियों के तहत अन्य प्राप्तियों (73.16 प्रतिशत), लोक सेवा आयोग (353.08 प्रतिशत), विविध सामान्य सेवा के तहत गारंटी शुल्क का ₹ 36.05 करोड़, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (14.11 प्रतिशत) राज्य के गैर-कर राजस्व के तहत प्रमुख घटक थे जिसके परिणामस्वरूप राज्य की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 20,659.21 करोड़ की वृद्धि हुई।
- 2023-24 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय में 3.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसकी राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 11.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप राज्य ने 2018-19 के बाद ₹ 2,833.06 करोड़ का राजस्व आधिक्य दर्ज किया। प्राप्तियों और व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: प्राप्तियों और व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्तियों में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2019–20	1,24,233	1,26,017	101.44	29,175	12,304	42.17
2020–21	1,28,168	1,39,493	108.84	36,736	18,209	49.57
2021–22	1,58,798	1,59,220	100.27	40,473	23,678	58.50
2022–23	1,72,688	1,83,976	106.54	48,325	31,520	65.22
2023–24	1,93,347	1,90,514	98.53	60,314	36,453	60.44

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.3 से यह देखा जा सकता है कि:

- i. राजस्व के रूप में प्राप्त प्रत्येक ₹ 100 के विरुद्ध ₹ 98.53 राजस्व व्यय के रूप में व्यय किया गया था।
- ii. वर्ष 2023–24 के दौरान, पूँजीगत व्यय में 15.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 3.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2023–24 में, पूँजीगत प्राप्तियों का 60.44 प्रतिशत पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया था। साथ ही, पूँजीगत व्यय और पूँजीगत प्राप्तियों का अनुपात 2022–23 के 65.22 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष के दौरान 60.44 प्रतिशत हो गया।
- iii. पूँजीगत प्राप्तियों में 24.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूँजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 15.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूँजीगत प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पूर्व से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए उपयोग किया गया था, जो 2022–23 में 29.72 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 38.16 प्रतिशत हो गया।
- iv. वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय में वृद्धि की धीमी गति ने राज्य को राजस्व आधिक्य बनाने में मदद की और अंततः राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक कम करने में मदद की।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का संक्षिप्त परिदृश्य

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से बनाई गई परिसंपत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट 1.2** विगत वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2024 तक ऐसी देनदारियों और परिसंपत्तियों का सार दर्शाता है। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधियाँ शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति तालिका 1.4 में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देनदारियों का संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

nsunkj; k					ifj l ářřk k				
		2022-23	2023-24	çřř'kr of) @deh			2022-23	2023-24	çřř'kr of) @deh
l eřđř fufek									
क	आंतरिक ऋण	2,08,098.10	2,36,205.16	13.51	क	सकल पूँजीगत व्यय	2,90,886.03	3,27,339.05	12.53
ख	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	34,747.63	43,878.73	26.28	ख	ऋण और अग्रिम	25,209.64	27,249.57	8.09
vkdifledrk fufek		350-00	350-00						
ykd yřřk									
क	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,396.88	9,141.12	−2.72	क	अग्रिम	249.96	249.96	0.00
ख	जमा	38,437.96	39,666.57	3.20	ख	धन—प्रेषण	1,125.96	1,128.33	0.21
ग	आरक्षित निधि	9,654.72	12,343.98	27.85	ग	उचंत तथा विविध	14,416.78	5,611.89	−61.07
घ	उचंत तथा विविध शेष	171.31	206.63	20.62	रोकड शेष (निर्धारित निधियों में निवेश सहित)	22,903.95	36,982.18	61.47	
च	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01	74.01	0.00					
छ	सरकारी लेखा पर आधिक्य	53,861.71	56,694.77	5.26					
dgy		3 54 792-32	3 98 560-98	12-34	dgy		3 54 792-32	3 98 560-98	12-34

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य की देनदारियों में विगत वर्ष की तुलना में 12.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2023–24 के दौरान, आंतरिक ऋण ने कुल बकाया देनदारियों में 59.26 प्रतिशत का योगदान दिया। आंतरिक ऋण के तहत शुद्ध देनदारियों में विगत वर्ष की तुलना में 13.51 प्रतिशत (₹ 28,107.06 करोड़) की वृद्धि हुई।

1.4 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व से अधिक राशि खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को नियंत्रित करते हैं।

घाटे को उधार लेकर पूरा किया जाता है जिससे सरकारी ऋण बढ़ता है। घाटे और ऋण की अवधारणाएँ दोनों निकट रूप से संबंधित हैं। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण में वृद्धि करता है। यदि सरकार साल–दर–साल उधार लेना जारी रखती है तो इससे ऋण का संचय होता है और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान करते हैं।

बिहार सरकार द्वारा बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमत्ता सुनिश्चित कर राजस्व घाटे को समाप्त करना, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करना, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करना तथा मध्यावधि की रूपरेखा में पारदर्शिता लाना है। इस संदर्भ में यह अधिनियम घाटे और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य को निर्धारित करता है।

1.4.1 प्रमुख राजकोषीय मापदंडों और उपलब्धियों पर बी0एफ0आर0बी0एम0 लक्ष्य

पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य को 2023–24 के लिए जी0एस0डी0पी0 अनुपात में ऋण को 40.40 प्रतिशत तक बनाए रखना था। वित्त आयोग ने 2023–24 के दौरान जी0एस0डी0पी0 के तीन प्रतिशत के अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त उधार (3.5 प्रतिशत तक) लेने की अनुमति दी, जो ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों की शर्तों के अधीन है।

राज्य सरकार ने बी०एफ०आर०बी०एम० (संशोधन) अधिनियम, 2022 के माध्यम से पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय लक्ष्यों को संशोधित किया। इस संशोधन के माध्यम से, वर्ष 2023–24 के लिए राजकोषीय घाटे की लक्ष्य सीमा को जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें जी०एस०डी०पी० का 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त उधार भी शामिल था, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त के अधीन था। बी०एफ०आर०बी०एम० (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत निर्धारित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन तालिका 1.5 (क) में दिखाया गया है।

तालिका 1.5 (क): बी०एफ०आर०बी०एम० (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	बी०एफ०आर०बी०एम० में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व आधिक्य	-1,784.13	-11,325.11	-422.38	-11,288.20	2,833.06
		×	×	×	×	✓
राजकोषीय घाटा (-) आधिक्य (+) (जी०एस०डी०पी० के प्रतिशतता के रूप में)	के अधीन 2019–20 के लिए 3.50 प्रतिशत, 2020–21 के लिए 5.00 प्रतिशत, 2021–22 के लिए 4.50 [#] प्रतिशत, 2022–23 के लिए 4.00 प्रतिशत एवं 2023–24 के लिए 3.50 प्रतिशत	-14,723.93 (2.53)	-29,827.25 (5.25)	-25,551.26 (3.95)	-44,823.30 (6.01)	-35,659.88 (4.17)
		✓	×	✓	×	×
कुल बकाया देनदारियों का जी०एस०डी०पी० से अनुपात (प्रतिशत में)	के अधीन 2019–20 के लिए 25.00 प्रतिशत, 2020–21 के लिए 40.20 प्रतिशत, 2021–22 के लिए 40.20 प्रतिशत, 2022–23 के लिए 40.80 प्रतिशत एवं 2023–24 के लिए 40.40 प्रतिशत	33.24	40.01	39.78	39.30	38.94
		×	✓	✓	✓	✓

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम)

[#] भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों और शर्तों के साथ ऊर्जा क्षेत्र के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने सहित

बी०एफ०आर०बी०एम० (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से संशोधित राजकोषीय रोडमैप पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के समान था।

तालिका 1.5 (क) से देखा जा सकता है कि:

- i चालू वर्ष के दौरान, राज्य में ₹ 2,833.06 करोड़ का राजस्व आधिक्य देखा गया। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में कम वृद्धि ने राज्य को राजस्व आधिक्य सृजित करने में सक्षम बनाया।
- ii कमी दर्ज होने के बावजूद, राज्य का राजकोषीय घाटा बी०एफ०आर०बी०एम० और पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक घाटे से ऊपर रहा।
- iii बकाया देनदारियों का जी०एस०डी०पी० से अनुपात, वर्ष 2019–20 को छोड़कर पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर था।

पन्द्रहवें वित्त आयोग 2023–24 के दौरान जी०एस०डी०पी० के संदर्भ में राज्य के बजट में अनुमानित राजकोषीय लक्ष्य और प्रमुख राजकोषीय संग्रह के संबंध में उनकी उपलब्धियाँ तालिका 1.5 (ख) में दी गई हैं।

तालिका 1.5 (ख): वर्ष 2023–24 के लिए प्रमुख राजकोषीय संग्रह के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियाँ

(प्रतिशत में)

राजकोषीय चर	पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में लक्ष्य	वास्तविकी	वास्तविक से भिन्नता	
				पन्द्रहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	बजट में लक्ष्य से
राजस्व आधिक्य/जी0एस0डी0पी0	1.20	0.52	0.33	0.87	0.19
राजकोषीय घाटा/जी0एस0डी0पी0	3.5 [#]	2.98	4.17	(-) 0.67	(-) 1.19
कुल बकाया देयता/जी0एस0डी0पी0	40.40	37.81	38.94	1.46	(-) 1.13

(स्रोत: पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, वर्ष 2023–24 का बजट दस्तावेज और वित्त लेखा)

नोट: घाटे के आँकड़ें माइनस में दिखाए गए हैं; [#]0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सहित

हालांकि 2023–24 में राजस्व आधिक्य दर्ज किया गया था, लेकिन राज्य पन्द्रहवे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। यद्यपि कुल बकाया देयता-जी0एस0डी0पी0 अनुपात वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों के भीतर था, लेकिन यह राज्य के 37.81 प्रतिशत के बजट लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका।

वित्त लेखों के अनुसार जी0एस0डी0पी0 की तुलना में कुल बकाया देनदारियों का अनुपात 38.94 प्रतिशत है। तथापि, ₹ 53.48 करोड़ के गैर-बजट उधारों को शामिल करने के बाद प्रभावी अनुपात (38.95 प्रतिशत) लेखापरीक्षा द्वारा तय किया गया है (तालिका 1.8)। यह अभी भी वित्त आयोग के 40.40 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे है।

1.4.2 मध्यावधि राजकोषीय योजना

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम0टी0एफ0पी0) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना, वर्तमान वर्ष के लिए संबंधित वास्तविकी के साथ, नीचे तालिका 1.6 में दी गई है:

तालिका 1.6: 2023–24 के लिए एम0टी0एफ0पी0 में वास्तविक बनाम प्रक्षेपण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजकोषीय चर	एम0टी0एफ0पी0 के अनुसार अनुमान	वास्तविकी (2023–24)	परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	स्व-कर राजस्व	49,700.05	48,360.69	(-) 2.69
2	गैर-कर राजस्व	6,511.74	5,257.05	(-) 19.27
3	संघीय करों का अंश	1,02,737.26	1,13,604.49	10.58
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	53,377.92	26,125.00	(-) 51.06
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	2,12,326.97	1,93,347.23	(-) 8.94
6	राजस्व व्यय	2,07,848.00	1,90,514.17	(-) 8.34
7	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5–6)	4,478.97	2,833.06	(-) 36.75
8	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 25,567.83	(-) 35,659.88	39.47
9	जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	2.98	4.17	(-) 1.19
10	देयता-जी0एस0डी0पी0 अनुपात (प्रतिशत)	37.81	38.94	(-) 1.13
11	मौजूदा कीमतों पर जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.24	14.47	(-) 0.77

(स्रोत: वर्ष 2023–24 के लिए वित्त लेखे और बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम)

तालिका 1.6 से देखा जा सकता है कि:


चालू वर्ष के दौरान, राज्य में ₹ 2,833 करोड़ का राजस्व अधिशेष देखा गया। एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्यों में संघीय करों के अंश को छोड़कर प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसमें अनुमानित आँकड़ों से 10.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजस्व अधिशेष का मुख्य कारण भारत सरकार से राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत अंतरणों में वृद्धि के साथ-साथ विगत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में कम वृद्धि

थी। राज्य सरकार विगत वर्षों (2019–20, 2020–21, 2021–22 और 2022–23) में भी अधिकांश राजकोषीय चर में अपने एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

1.4.3 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति

तीन मुख्य राजकोषीय मानदण्डों अर्थात् (i) राजस्व अधिशेष/घाटा (ii) राजकोषीय घाटा और (iii) प्राथमिक घाटा, सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने में मदद करता है। ये घाटें सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने में सहायता करने के लिए तैयार की जाती हैं। राजकोषीय मापदंडों की प्रवृत्ति को चार्ट 1.6 में दिखाई गई हैं।

चार्ट 1.6: घाटे के मानकों की प्रवृत्ति




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि चार्ट 1.6 से देखा जा सकता है, राजस्व आधिक्य को छोड़कर सभी राजकोषीय संकेतक/मापदंड नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होने के बावजूद दोनों ने विगत वर्ष की तुलना में सुधार दर्शाया है।

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष घाटे के मापदंडों में प्रवृत्ति चार्ट 1.7 में देखी जा सकती है।

चार्ट 1.7: जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0)


जैसा कि चार्ट 1.7 से देखा जा सकता है, विगत पांच वर्षों के दौरान, सभी तीन मापदंडों ने 2023–24 में राजस्व अधिशेष को छोड़कर जी0एस0डी0पी0 के संबंध में नकारात्मक प्रवृत्ति को दिखाया है।

1.4.4 वित्तीय देनदारियाँ और जी0एस0डी0पी0

राजकोषीय घाटे को आमतौर पर राज्य द्वारा उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है जिससे सरकारी ऋण बढ़ जाता है। यदि सरकार वर्ष-दर-वर्ष उधार लेना जारी रखेगी तो इससे ऋण का संचय हो जाएगा। सरकारी ऋण मुख्य रूप से आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, अर्थोपाय अग्रिम आदि), भारत सरकार से ऋण और अग्रिम और लोक लेखा पर प्राप्तियों (लघु बचत, भविष्य निधि, आदि) से बना है।

चार्ट 1.8 राजकोषीय देनदारियों के घटक और जी0एस0डी0पी0 में प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 1.8: वित्तीय देनदारियों और जी0एस0डी0पी0 में प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2023–24 के दौरान, आंतरिक ऋण में 13.51 प्रतिशत (₹ 28,107.05 करोड़) की वृद्धि और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में 26.28 प्रतिशत (₹ 9,131.11 करोड़) की वृद्धि के कारण विगत वर्ष की तुलना में राजकोषीय देनदारियों में 13.44 प्रतिशत (₹ 39,433.73 करोड़) की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर वर्ष 2019–20 से राजकोषीय देनदारी में 72.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य के अपने राजस्व के स्रोतों/नए स्रोतों का पता लगाकर देयता वहन करने की इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है।

1.4.5 भारत सरकार द्वारा निर्धारित उधार की सीमा के सापेक्ष राज्य सरकार का प्रदर्शन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है, कि कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है “यदि राज्य को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया ऋण का कोई हिस्सा/या गारंटी अभी भी बकाया है”।

हालाँकि, बिहार में, बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2022 में और पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुसार तैयार जी0एस0डी0पी0 अनुपात की कुल बकाया देनदारियाँ 40.40 प्रतिशत थीं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये राज्य की शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) जीएसडीपी का 3.0 प्रतिशत (एमओएसपीआई द्वारा प्रकाशित जीएसडीपी के आँकड़े और पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति के आधार पर) निर्धारित की गई थी। 3.0 प्रतिशत के एनबीसी के अलावा, राज्य जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत के अतिरिक्त उधार के लिए भी पात्र था, जो ऊर्जा क्षेत्र में अपने प्रदर्शन से जुड़ा था। इस प्रकार, राज्य की उधार सीमा ₹ 30,062.48 करोड़ (राज्य के अनुमानित जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत) के भीतर होनी थी, जिसमें ₹ 4,294.64 करोड़ (अनुमानित जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत) की अतिरिक्त सीमा शामिल थी।

हालाँकि, वित्त लेखे 2023–24 के **विवरण 6** के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य सरकार की उधार और अन्य देनदारियों का विवरण, वृद्धिशील उधार और अन्य देनदारियाँ ₹ 39,433.73 करोड़ (जीएसडीपी का 4.62 प्रतिशत) थीं, जो कि ₹ 30,062.48 करोड़ (₹ 8,58,928 करोड़ के अनुमानित जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत) की उधार सीमा से अधिक थी। राज्य ने 38.94 प्रतिशत (बकाया कुल देयता 2023–24/जीएसडीपी 2023–24) हासिल किया, जो पन्द्रहवें वित्त आयोग सीमा के भीतर था।

1.5 लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद घाटे/बकाया देनदारियाँ

राजस्व अनुभाग के कुछ वित्तीय लेनदेन को व्यय के पूँजीगत अनुभाग के तहत या इसके विपरीत गलत तरीके से दर्ज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और पूँजीगत लेखा शीर्षों के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण हुआ है। निम्नलिखित खण्ड ऐसे चिन्हित वित्तीय संव्यवहार का वर्णन करता है।

1.5.1 लेखापरीक्षा के बाद-घाटा

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में और इसके विपरीत गलत वर्गीकरण घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिबद्ध देयताओं के स्थगन अर्थात् समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अल्प अंशदान, निक्षेप और मोचन निधि आदि, भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करते हैं। ऐसी अनियमितताओं का प्रभाव **तालिका 1.7** में देखा जा सकता है।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा

विवरणी	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (कम बताया गया (+)/ अधिक बताया गया (-)) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (कम बताया गया (+)/ अधिक बताया गया (-)) (₹ करोड़ में)	कंडिका संदर्भ
राजस्व के बजाय पूँजी अनुभाग के तहत व्यय की बुकिंग के कारण गलत वर्गीकरण	22.53	—	2.5.3.5
व्यय को पूँजी के बजाय राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बुक करने के कारण गलत वर्गीकरण	(-) 0.21	—	2.5.3.5
राज्य वर्गीकरण प्रतिपूर्ति निधि में ब्याज का कम भुगतान	(-) 9.59	9.59	4.2
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर ब्याज का कम भुगतान	(-) 99.45	99.45	4.2
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पर ब्याज का कम भुगतान	(-) 46.76	46.76	4.2

विवरणी	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (कम बताया गया (+)/ अधिक बताया गया (-)) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (कम बताया गया (+)/ अधिक बताया गया (-)) (₹ करोड़ में)	कंडिका संदर्भ
एन0पी0एस0 में नियोक्ता के हिस्से का कम योगदान	(-) 51.11	51.11	2.5.2.3
भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर का अंतरण न होना	(-) 223.78	223.78	2.6.2.5
अन्य उपकरों का गैर-हस्तांतरण (सड़क सुरक्षा उपकर)	(-) 164.35	164.35	2.6.2.5
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना पर अधिक भुगतान	11.51	(-) 11.51	4.2
एन0एम0ई0टी0 निधि में कम अंतरण	(-) 62.00	62.00	2.6.2.5
भूमि उपकर का गैर-हस्तांतरण	(-) 1.49	1.49	2.6.2.5
गैर बजट उधारी का प्रकटीकरण नहीं करना	(-) 53.48	53.48	4.1
कुल	(-) 678.18	700.50	

(स्रोत: वित्त लेखा और लेखापरीक्षा विश्लेषण)

ऊपर दी गई तालिका से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य का राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा, जो क्रमशः ₹ 2,833.06 करोड़ और ₹ 35,659.88 करोड़ दिखाया गया है, वास्तव में क्रमशः ₹ 2,154.88 करोड़ और ₹ 36,360.38 करोड़ होगा। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के बाद राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा क्रमशः जी0एस0डी0पी0 का 0.25 प्रतिशत और 4.26 प्रतिशत था, जो कि पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित लक्ष्यों से कम था।

1.5.2 लेखापरीक्षा के बाद-कुल बकाया देनदारियाँ

कुल बकाया देनदारियों में आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा पर देयताएँ शामिल हैं।

2023-24 के दौरान, सड़क निर्माण विभाग के तहत एक इकाई अर्थात बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 53.48 करोड़ का गैर-बजट उधार (ओ0बी0बी0) लिया था। सरकार ने इस ऋण के लिए गारंटी प्रदान की है।

चूंकि ये उधारी सीधे सरकार के उधारियों का हिस्सा नहीं थी, इसलिए इसे वित्त लेखे के लोक ऋण में शामिल नहीं किया गया था और इसलिए इन्हें राज्य के राजकोषीय घाटे की गणना में शामिल नहीं किया गया। गैर-बजट उधारी के कारण, लोक ऋण के साथ-साथ राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-24 के लिए उस सीमा तक कम है। (गैर-बजट उधारी को इस प्रतिवेदन के कंडिका 4.1 में विस्तृत रूप से दिया गया है।)

देनदारियों की घटकवार प्रवृत्ति तालिका 1.8 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.8: देनदारियों की घटकवार प्रवृत्तियों की तुलना

वित्त लेखों के अनुसार उधार और अन्य देनदारियाँ	कुल राशि		प्रतिशत विचलन
	2022-23	2023-24	
आंतरिक ऋण (अ)	2,08,098.10	2,36,205.15	13.51
बाजार ऋण	1,84,275.11	2,14,418.05	16.36
बॉण्ड	1,962.07	1,728.88	(-) 11.88
वित्तीय संस्थान से ऋण	9,776.22	9,861.87	0.88

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखों के अनुसार उधार और अन्य देनदारियाँ	कुल राशि		प्रतिशत विचलन
	2022-23	2023-24	
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	12,077.26	10,188.90	(-) 15.64
अन्य ऋण	7.45	7.45	0.00
केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (ब)	34,747.63	43,878.74	26.28
गैर-योजना ऋण	0.58	0.58	0.00
राज्य परियोजना योजना के लिए ऋण	191.29	191.29	0.00
केंद्रीय परियोजना योजनाओं के लिए ऋण	1.01	1.01	0.00
केंद्र प्रायोजित परियोजना के लिए ऋण	0.53	0.53	0.00
अर्थोपाय अग्रिम	42.96	42.96	0.00
1984-85 से पहले के ऋण	3.91	3.91	0.00
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	33.10	30.30	(-) 8.46
विधानमंडल योजनाओं के साथ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अन्य ऋण	34,474.25	43,608.16	26.49
लोक लेखा पर देनदारियाँ (स)	50,461.44	52,657.01	4.35
लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	9,396.88	9,141.12	(-) 2.72
ब्याज सहित आरक्षित निधि	2,626.60	3,849.32	46.55
ब्याज सहित जमाराशियाँ	257.63	9.72	(-) 96.23
ब्याज रहित जमाराशियाँ	38,180.33	39,656.85	3.87
कुल (द)=(अ+ब+स)	2,93,307.17	3,32,740.90	13.44
समग्र दायित्व पर प्रभाव (कम करके बताया गया) (ई)	686.77	53.48	.
बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (पथ निर्माण विभाग)	686.77	53.48	
कुल (ई)	686.77	53.48	(-) 92.21
कुल योग (द)+(ई)	2,93,993.94	3,32,794.38	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

₹ 53.48 करोड़ के गैर-बजट उधारी के कारण राज्य की निवल उधार सीमा (एन0बी0सी0) को दरकिनार करने का भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे उधार का राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे जैसे महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव पड़ेगा।

राज्य के गैर-बजट उधारी को ध्यान में रखते हुए, मार्च 2024 के अंत में कुल बकाया देनदारियाँ ₹ 3,32,740.90 करोड़ के मुकाबले ₹ 3,32,794.38 करोड़ हो गई, जो जी0एस0डी0पी0 का 38.95 प्रतिशत था। इसके कारण, जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया देनदारियों को 0.01 प्रतिशत अंक कम बताया गया था।

अध्याय-II

राज्य का वित्त

2.1 परिचय

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, यह राज्य के वित्त लेखे और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विगत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, 2019-20 से 2023-24 तक के पाँच वर्ष की अवधि में राज्य के वित्त की समग्र प्रवृत्ति, राज्य की ऋण स्थिरता एवं प्रमुख लोक लेखा लेन-देनों का विश्लेषण करता है।

2.2 2022-23 की तुलना में राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के प्रमुख राजकोषीय संग्रह में बड़े बदलावों को तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: 2022-23 की तुलना में 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<div>✓ राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 11.96 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ राज्य के स्व-कर प्राप्तियों में 9.87 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ स्व-गैरकर प्राप्तियों में 27.14 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में 18.95 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 9.99 प्रतिशत की कमी।</div>
राजस्व व्यय	<div>✓ राजस्व व्यय में 3.55 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.69 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.80 प्रतिशत की कमी।</div> <div>✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 21.40 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 218.18 प्रतिशत की कमी।</div>
पूँजीगत प्राप्तियाँ	<div>✓ ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 24.72 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 131.24 प्रतिशत की वृद्धि।</div>
पूँजीगत व्यय	<div>✓ पूँजीगत व्यय में 15.65 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 74.03 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 17.31 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 6.68 प्रतिशत की वृद्धि।</div>
ऋणों एवं अग्रिमों	<div>✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 3.85 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 131.24 प्रतिशत की वृद्धि।</div>
लोक ऋण	<div>✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 24.72 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ लोक ऋण की अदायगी में 60.12 प्रतिशत की वृद्धि।</div>
लोक लेखा	<div>✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 7.01 प्रतिशत की वृद्धि।</div> <div>✓ लोक लेखे के संवितरण में 8.93 प्रतिशत की वृद्धि।</div>
नकद शेष	<div>✓ विगत वर्ष की तुलना में 2023-24 में नकद शेष में ₹ 79.22 करोड़ (9.83 प्रतिशत) की कमी।</div>

(स्रोत: वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे)

2.3 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

विगत वर्ष के साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना तालिका 2.2 में दी गई है।

तालिका 2.2: 2022–23 और 2023–24 में निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण		2022–23	2023–24	वृद्धि / कमी	वृद्धि / कमी प्रतिशतता में
स्रोत	आरंभिक नकद शेष	29,479	22,904	(-) 6,575	(-) 22
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,72,688	1,93,347	20,659	12
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	41	96	55	134
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	33,932	37,238	3,306	10
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	4,316	12,500	8,184	190
	कुल	2,40,456	2,66,085	25,629	11
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,83,976	1,90,514	6,538	4
	पूँजीगत व्यय	31,520	36,453	4,933	16
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	2,056	2,136	80	4
	अंतिम नकद शेष	22,904	36,982	14,078	61
	कुल	2,40,456	2,66,085	25,629	11

(स्रोत: वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे)

वर्ष 2023–24 में, निधियों का अनुप्रयोग¹ (₹ 2,29,103 करोड़) निधियों के स्रोतों² (₹ 1,93,443 करोड़) से अधिक था, जो इंगित करता है कि सरकार उपलब्ध निधियों के माध्यम से अपने व्यय को पूरा करने में असमर्थ था। इस अंतर को कम करने के लिए, राज्य को 2023–24 में लोक ऋण के माध्यम से अपनी प्राप्ति में विगत वर्ष की तुलना में 24.72 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 48,283.52 करोड़ से ₹ 60,217.54 करोड़) करनी पड़ी। चालू वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष में राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों का समग्र वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट 2.1 में दिया गया है।


चार्ट 2.1 वर्ष 2023–24 में राज्य की समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण दर्शाता है।

चार्ट 2.1 संसाधनों / अनुप्रयोगों की संरचना

संसाधनों की संरचना

संसाधनों का अनुप्रयोग

(प्रतिशत में)



(स्रोत: वर्ष 2023–24 के लिए वित्त लेखे)

1 निधि का अनुप्रयोग : राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण
2 निधि के स्रोत : राजस्व प्राप्ति + ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली

संसाधनों के अनुप्रयोग का 9.12 प्रतिशत लोक ऋण के पुनर्भुगतान का हिस्सा था और विगत वर्ष के हिस्से (6.19 प्रतिशत) से अधिक था। दूसरी ओर संसाधनों की स्रोत में लोक ऋण का हिस्सा (23.74 प्रतिशत) भी विगत वर्ष के हिस्से (21.85 प्रतिशत) से अधिक था। विगत वर्ष के हिस्से (19.92 प्रतिशत) से कर राजस्व का हिस्सा (19.07 प्रतिशत) थोड़ा कम हो गया, जबकि गैर-कर राजस्व (2.07 प्रतिशत) विगत वर्ष के 1.87 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक हो गया। विगत वर्ष (43.21 प्रतिशत) की तुलना में केंद्रीय कर हस्तांतरण की हिस्सेदारी (44.78 प्रतिशत) भी बढ़ी है। सहायता अनुदान (10.30 प्रतिशत) का योगदान विगत वर्ष (13.13 प्रतिशत) से कम हो गया है। केन्द्रीय कर अंतरण का उच्चतर हिस्सा और राज्य के संसाधनों में लोक ऋण प्राप्तियों का उच्चतर हिस्सा यह संकेत देता है कि केन्द्रीय अंतरणों और ऋण पर निर्भरता को कम करने के लिए स्व-राजस्व को पर्याप्त स्तर तक बढ़ाया जाना है।

संसाधनों के अनुप्रयोग में सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा विगत वर्ष के 79.34 प्रतिशत से घटकर 75.58 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, समग्र संवितरण में पूँजीगत व्यय का हिस्सा विगत वर्ष के 13.59 प्रतिशत से बढ़कर 14.46 प्रतिशत हो गया।

2.4 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों (ऋण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ, जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार), और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती हैं।


इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास निधि के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है।

2.4.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह खण्ड समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रस्तुत करता है। पूँजीगत और राजस्व प्राप्तियों के अलावा लोक लेखे में उपलब्ध निधियों (इससे किए गए निवल संवितरण) का उपयोग भी सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए करती है।

चार्ट 2.2: 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे)

2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ और निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ राज्य की कुल प्राप्तियों का क्रमशः 72.64 प्रतिशत, 22.66 प्रतिशत और 4.70 प्रतिशत थीं। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का योगदान विगत वर्ष 76.64 प्रतिशत से घटकर 72.64 प्रतिशत हो गया। पूँजीगत प्राप्तियाँ विगत वर्ष 21.45 प्रतिशत से बढ़कर 22.66 प्रतिशत हो गया। निवल लोक लेखा प्राप्तियों की हिस्सेदारी ने विगत वर्ष की तुलना में कुल प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई, अर्थात् 2022-23 में 1.91 प्रतिशत से बढ़कर 4.70 प्रतिशत हो गई।

2.4.2 राजस्व प्राप्तियाँ

जीएसटीडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियाँ (आर0 आर0)	1,24,233	1,28,168	1,58,798	1,72,688	1,93,347
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 5.74	3.17	23.90	8.75	11.96
स्व-कर राजस्व	30,158	30,342	34,855	44,018	48,361
गैर-कर राजस्व	3,700	6,201	3,984	4,135	5,257
कुल स्व-राजस्व (स्व-कर राजस्व + गैर-कर राजस्व)	33,858	36,543	38,839	48,153	53,618
सहायता अनुदान	26,969	31,764	28,606	29,025	26,125
संघीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	63,406	59,861	91,353	95,510	1,13,604
स्व-राजस्व का वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.95	7.93	6.28	23.98	11.35
सहायता अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.40	17.78	(-) 9.94	1.46	(-) 9.99
स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.55	0.61	14.87	26.29	9.87

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला)	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.20	(-) 2.41	14.02	15.30	14.47
आरओ/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	21.35	22.57	24.53	23.14	22.63
उत्प्लावकता अनुपात ³					
जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता ⁴	*	*	1.70	0.57	0.83
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता	0.09	*	0.45	1.57	0.78
जीएसडीपी के सापेक्ष स्व-कर राजस्व उत्प्लावकता	0.25	*	1.06	1.72	0.68

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एमओएसपीआई)

* घटक में नकारात्मक वृद्धि के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकी

जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, जीएसडीपी के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2023-24 में बढ़कर 0.83 हो गया। जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता भी 2019-20 में 0.09 से बढ़कर 2023-24 में 0.78 हो गया। इसी तरह, जीएसडीपी के सापेक्ष स्व-कर राजस्व उत्प्लावकता भी 2019-20 के 0.25 से बढ़कर 2023-24 में 0.68 हो गया, हालाँकि, यह विगत वर्ष की तुलना में कम हो गया।

आगे:

- i. बजट अनुमान (₹ 1,02,737.26 करोड़) से अधिक केन्द्रीय करों के अंतरण के कारण राज्य की राजस्व वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में ₹ 10,867.23 करोड़ अधिक थी जिससे राजस्व उत्प्लावकता विगत वर्ष में 0.57 से बढ़कर 0.83 हो गया। सहायता अनुदान को छोड़कर, विगत वर्ष की तुलना में राजस्व के प्रत्येक घटक में ₹ 2,900 करोड़ की कमी आई। विगत वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में कमी के बावजूद, जीएसडीपी की तुलना में राजस्व उत्प्लावकता बढ़ गया।
- ii. राज्य की स्व-राजस्व प्राप्तियाँ (ओओआर) ₹ 53,618 करोड़ थीं, जो पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान (₹ 41,957 करोड़) से ₹ 11,661 करोड़ अधिक थीं। यह छठे राज्य वित्त आयोग के अनुमान (₹ 44,391 करोड़) से भी ₹ 9,227 करोड़ अधिक हो गया। हालाँकि राज्य का ओओआर बजट अनुमान ₹ 56,211.79 करोड़ से ₹ 2,594 करोड़ कम था।
- iii. राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 72.27 प्रतिशत सहायता अनुदान के साथ केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियाँ थीं, जो विगत वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक (72.12 प्रतिशत) थी। राज्य का 70 प्रतिशत से अधिक राजस्व केंद्र से आता है, जो दर्शाता है कि राज्य राजस्व प्राप्तियों के लिए भारत सरकार पर बहुत अधिक निर्भर है।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान में 9.99 प्रतिशत की कमी आई और यह बजट अनुमानों का केवल 48.94 प्रतिशत था। साथ ही, 2019-20 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सहायता अनुदान में 3.13 प्रतिशत की कमी आई।


राजस्व प्राप्तियों का मासिक प्रवाह (घटक-वार) चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

³ उत्प्लावकता अनुपात, आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की लोच में प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है।

⁴ राजस्व उत्प्लावकता, जीएसडीपी की वृद्धि दर के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के वृद्धि दर को इंगित करता है।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों का मासिक प्रवाह (घटक-वार)

(₹ करोड़ में)




(स्रोत: वर्ष 2023-24 के बिहार सरकार के मासिक सिविल लेखे)

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,93,347 करोड़ थीं, जिसमें 'संघीय करों की हिस्सेदारी' का सबसे बड़ा योगदान था। केंद्रीय करों की निवल आय मुख्य रूप से अगस्त 2023 (27.40 प्रतिशत) और मार्च 2024 (33.84 प्रतिशत) के महीनों में प्राप्त हुई। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान का बड़ा हिस्सा मार्च 2024 (50.77 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार, इन महीनों में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का पर्याप्त प्रवाह था और शेष वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ नाममात्र की थीं। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि के साथ-साथ, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष इसकी हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि के साथ-साथ जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष इसके हिस्सेदारी की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)




(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे और बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण/सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्तियाँ चार्ट 2.5 में दर्शायी गई हैं।

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं:

- राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक संघीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा (58.76 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान (13.51 प्रतिशत) थे। राज्य के स्व-राजस्व, जो राजस्व प्राप्तियों का 27.73 प्रतिशत है, विगत वर्ष के हिस्से (27.88 प्रतिशत) से मामूली कम हो गयी।
- विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 11.96 प्रतिशत (₹ 20,659.21 करोड़) की वृद्धि हुई। राज्य के संघीय करों एवं शुल्कों के हिस्से, स्व-कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के योगदान में क्रमशः 18.95 प्रतिशत (₹ 18,094.64 करोड़), 9.87 प्रतिशत (₹ 4,342.96 करोड़) और 27.14 प्रतिशत (₹ 1,122.15 करोड़) की वृद्धि हुई, हालाँकि भारत सरकार से सहायता अनुदान में 9.99 प्रतिशत (₹ 2,900.54 करोड़) की कमी आई।

2.4.2.1 राज्य के स्व-संसाधन

अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्व-संसाधनों के संदर्भ में किया जा सकता है जिसमें उसके स्व-कर और गैर-कर स्रोतों से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक राज्य जी0एस0टी0 (एस0जी0एस0टी0), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, बिजली पर कर एवं शुल्क, माल और यात्रियों पर कर आदि हैं। गैर-कर राजस्व के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियाँ जैसे सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों और अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियाँ और नकद शेष का निवेश, इक्विटी निवेशों से लाभांश और लाभ, खनिज, वन और वन्यजीव जैसे अभिरक्षक के रूप में धारित परिसंपत्तियों के उपयोग की अनुमति देने के लिए रॉयल्टी शुल्क अथवा सरकारी तंत्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए ऐसी अन्य सेवाएँ और प्रयोक्ता प्रभार शामिल हैं। 2019-24 की अवधि के दौरान स्व-कर/गैर-कर राजस्व के संग्रह का विवरण बाद के कंडिका में विस्तृत है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का स्व-कर राजस्व ₹ 36,557 करोड़ और गैर-कर राजस्व ₹ 5,400 करोड़ का अनुमान लगाया। छठे राज्य वित्त आयोग ने इस अवधि के लिए कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के रूप में क्रमशः ₹ 38,017 करोड़ ₹ 6,374 करोड़ का अनुमान लगाया।

2019-24 की अवधि के दौरान स्व-कर/गैर-कर राजस्व के संग्रह का विवरण बाद के कंडिका में विस्तृत रूप से किया गया है।


अ. स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक राज्य जी0एस0टी0 (एस0जी0एस0टी0), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, विद्युत पर कर एवं शुल्क, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं।

2023-24 के दौरान, राज्य का स्व-कर राजस्व ₹ 48,360.69 करोड़ था। 2019-24 की अवधि के दौरान, यह 2019-20 में (₹ 30,158 करोड़) 60.36 प्रतिशत से (₹ 18,203 करोड़) बढ़कर 2023-24 में ₹ 48,360.69 करोड़ हो गया।

राज्य के कुल राजस्व में स्व-कर राजस्व की प्रतिशत हिस्सेदारी की प्रवृत्ति चार्ट 2.6 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.6: 2019-24 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष स्व-कर राजस्व की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत पाँच वर्षों में कुल राजस्व प्राप्तियों में स्व-कर राजस्व का हिस्सा 21.95 प्रतिशत से 25.49 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान स्व-कर राजस्व की हिस्सेदारी घटती प्रवृत्ति पर थी। 2022-23 में, यह प्रवृत्ति सकारात्मक हो गई। हालाँकि, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्व-कर राजस्व में 0.48 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है।

राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक-वार विवरण और प्रवृत्ति तालिका 2.4 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.4: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्क लाईन	प्रवृत्ति
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,121	6,032	6,872	9,881	9,371		
एस0जी0एस0टी	15,801	16,050	19,264	23,243	27,677		
राज्य उत्पाद	-4	-4	-1	1	1		
मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क	4,661	4,206	5,224	6,451	6,348		
वाहनों पर कर	2,713	2,268	2,475	2,936	3,358		
भू-राजस्व	275	302	284	361	580		
माल और यात्रियों पर कर	23	6	0	1	-1		
अन्य कर *	568	1,482	737	1,144	1,027		
कुल	30,158	30,342	34,855	44,018	48,361		

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


* अन्य करों में पेशे, व्यापार, बुलावा और रोजगार पर कर, बिजली पर कर और शुल्क और वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क शामिल हैं।

तालिका 2.4 से यह देखा जा सकता है कि:

- i. 2020–21 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर घटती प्रवृत्ति में थे। उसके बाद, उन्होंने 2022–23 तक बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई, लेकिन विगत वर्ष की तुलना में 'केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम' और 'राज्य बिक्री कर अधिनियम के तहत प्राप्तियों' में क्रमशः ₹ 5.29 करोड़ और ₹ 714.48 करोड़ की कमी के कारण चालू वर्ष में 5.16 प्रतिशत की गिरावट आई। जुलाई 2017 से सभी माल और यात्रियों पर कर, बिक्री, व्यापार आदि पर आंशिक कर को जी0एस0टी0 में शामिल कर लिया गया।
- ii. 'एस0जी0एस0टी0' का संग्रह साल-दर-साल बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है और 2019–20 से 2023–24 तक 75.17 प्रतिशत बढ़ गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 'कर' (लघु शीर्ष 101) के तहत 13.48 प्रतिशत अधिक प्राप्तियों के कारण इसमें 19.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 'आई0जी0एस0टी0-कर घटकों का एस0जी0एस0टी0 में अंतरण' 129.17 प्रतिशत और 'एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस-यूटिलाइजेशन' विगत वर्ष की तुलना में 9.56 प्रतिशत बढ़ा।
- iii. अप्रैल 2016 से राज्य में लगाई गई शराबबंदी राज्य उत्पाद शुल्क के माध्यम से अर्जित राजस्व नगण्य है। चालू वर्ष के दौरान केवल ₹ 1.15 करोड़ प्राप्त हुए जो विगत वर्ष की तुलना में 3.94 प्रतिशत कम है।
- iv. विगत वर्ष की तुलना में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 1.60 प्रतिशत की कमी आई, जिसका मुख्य कारण स्टाम्प की बिक्री में ₹ 78.81 करोड़ की कमी थी।
- v. वाहनों पर करों में ₹ 422 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण 'राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम' के तहत प्राप्तियों में ₹ 347.06 करोड़ की वृद्धि है। वाहनों पर करों में ₹ 188.12 करोड़ का 'सड़क सुरक्षा उपकर' भी शामिल है।
- vi. विगत वर्षों से 'भू-राजस्व' के तहत निधि संग्रह में 60.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण उपशीर्ष 'भूमि पर दरें और उपकर', भू-राजस्व/कर, पूर्व-जमींदारी संपदाओं के प्रबंधन की प्राप्तियों और सरकारी सम्पदाओं की बिक्री से प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 90 करोड़, ₹ 35.22 करोड़, ₹ 56.73 करोड़ और ₹ 29.13 करोड़ की वृद्धि होना है।
- vii. अन्य करों में ₹ 117 करोड़ (10.23 प्रतिशत) की कमी आई, जिसका मुख्य कारण 'विद्युत की खपत और बिक्री पर कर' में ₹ 146.40 करोड़ की कमी तथा 'राज्य को आवंटित निवल प्राप्तियों के हिस्से' में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 17.96 करोड़ की कमी आना है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जी0एस0डी0पी0 में राज्य के स्व-कर राजस्व का कुल हिस्सा 5.66 प्रतिशत था। यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में स्व-कर राजस्व में ₹ 4,343 करोड़ की वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी ₹ 49,700 करोड़ के बजट लक्ष्य से ₹ 1,339 करोड़ पीछे है। हालाँकि, स्व-कर राजस्व ने पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

वर्ष 2019-24 के दौरान, राज्य के स्व-कर राजस्व और उसकी वृद्धि दर चार्ट 2.7 में दिखाई गई है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। यह 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर', 'स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क' और 'अन्य करों' स्व-कर राजस्व के घटकों के तहत संग्रह में क्रमशः ₹ 510 करोड़, ₹ 103 करोड़ और ₹ 117 करोड़ की कमी के कारण था। वर्ष 2019-20 की तुलना में 2023-24 में स्व-कर राजस्व की समग्र वृद्धि दर में 60.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चूँकि विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के स्व-कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक राज्य का वस्तु एवं सेवा कर था, इसलिए 2023-24 के बजट अनुमानों और 2022-23 के वास्तविक के मुकाबले 2023-24 में एस0जी0एस0टी0 के घटकों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलनात्मक प्रवृत्ति तालिका 2.5 में दिखायी गयी है।

तालिका 2.5: बिहार की राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

एस0जी0एस0टी0	2022-23 के लिए वास्तविक	2023-24 के लिए बजट अनुमान	2023-24 के लिए वास्तविक	2022-23 से अधिक विचलन (प्रतिशत में)	2023-24 के वास्तविक आँकड़ों में बजट अनुमान के साथ भिन्नता (प्रतिशत में)
कर	7,423.21	14,770.00	8,423.88	13.48	57.03
ब्याज	64.23	50.00	63.87	(-) 0.57	127.74
जुर्माना	27.89	50.00	17.05	(-) 38.87	34.10
शुल्क	27.88	21.00	30.11	8.00	143.38
एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन	12,437.32	0.00	13,625.80	9.56	—
आई0जी0एस0टी0 का विभाजन—एस0जी0एस0टी0 के कर घटक का हस्तांतरण	2,551.17	16,220.00	5,846.57	129.17	36.05
आई0जी0एस0टी0 का विभाजन—एस0जी0एस0टी0 के ब्याज घटक में अंतरण	4.08	0.00	4.63	13.62	—
आई0जी0एस0टी0 से अग्रिम विभाजन	707.07	0.00	(-) 334.80	(-) 147.35	—
अन्य लघु शीर्षों को हस्तांतरण की प्रतीक्षा में रसीदें	(-) 1.10	0.00	0.01	100.69	—
अन्य रसीदें	1.18	0.00	0.48	(-) 59.27	—
कुल	23,242.93	31,111.00	27,677.60	19.08	88.96

(स्रोत: वित्त लेखे और बिहार सरकार का बजट)

हालाँकि विगत वर्ष की तुलना में एस0जी0एस0टी0 में ₹ 4,434.67 करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन यह ₹ 31,111 करोड़ के बजट अनुमान से कम था। एस0जी0एस0टी0 के प्रमुख घटक 'एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन' के लिए, बजट अनुमानों में

कोई अनुमान तैयार नहीं किया गया। इन अनुमानों को तैयार न होने के कारणों का जवाब वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्रतीक्षित है।

जी0एस0टी0 प्राप्तियाँ

2023–24 के दौरान, राज्य जी0एस0टी0 का संग्रह 2022–23 में ₹ 23,242.93 करोड़ की तुलना में ₹ 27,677.60 करोड़ था, जिसमें ₹ 4,434.67 करोड़ (19.08 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, राज्य को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी0जी0एस0टी0) के तहत राज्य को सौंपी गई निवल आय के हिस्से के रूप में ₹ 34,477.56 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार 2023–24 में जी0एस0टी0 के तहत कुल प्राप्तियाँ ₹ 62,155.16 करोड़ थीं। राज्य को 2023–24 के दौरान जी0एस0टी0 के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 398.19 करोड़ का गैर-ऋण मुआवजा प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा के लिए जी0एस0टी0एन0 (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) पर अखिल भारतीय आँकड़ों तक पहुँच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय की जानकारी 04 नवंबर 2020 को दी गई। बिहार में, जी0एस0टी0 बैक-एंड प्रणाली प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पहुँच प्रदान की गई है। जुलाई 2017 से जून 2022 तक की अवधि से संबंधित जी0एस0टी0 (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 7(3)(बी) के तहत राज्य द्वारा एकत्र किए गए वास्तविक राजस्व का प्रमाणीकरण पूरा कर लिया गया है।

बकाया राजस्व एवं बकायों का आकलन का विश्लेषण

राजस्व संग्रहण में बकाया राशि सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली दर्शाती है। इसी प्रकार, मूल्यांकन की बकाया राशि संभावित राजस्व को दर्शाती है जो बिहार सरकार के संबंधित विभाग द्वारा विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध है। दोनों राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं। राज्य में सात⁵ प्रमुख कर संग्रह विभाग थे। इन सात विभागों में से केवल चार ने राजस्व के बकाए से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी और तीन ने बकायों का आकलन से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी। इसके अतिरिक्त, दो विभागों यथा खान एवं भूतत्व और ऊर्जा विभाग ने आँकड़े प्रदान नहीं किए।

अर्जित करने वाले सात प्रमुख राजस्व विभागों में से चार विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार राजस्व के बकाया का विवरण तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31.03.2023 तक कुल बकाया राशि	31.03.2024 तक कुल बकाया राशि	पाँच साल से अधिक समय से बकाया राशि
1	वैट/बिक्री व्यापार/जी0एस0टी0 आदि;	वाणिज्यिक कर	2,624.05	3,135.79	उपलब्ध नहीं
2	भू-राजस्व	राजस्व और भूमि सुधार	302.47	311.86	
3	पंजीकरण	मुद्रांक और पंजीकरण	266.42	284.66	
4	राज्य उत्पाद		58.92	58.59	
5	वहन पर कर	परिवहन	183.39	192.95	
कुल			3,435.25	3,983.85	

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

राजस्व के बकायों के लिए देखे गए विभिन्न कारणों में भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलियों का कम प्रमाणीकरण, न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोकी गई वसूलियाँ, करदाताओं/व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण वसूली न होना आदि शामिल थे।

⁵ वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (पंजीकरण), मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (उत्पाद शुल्क), खान एवं भूतत्व विभाग, ऊर्जा विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

बकायों का आकलन

अंतिम रूप दिए गए मामले और अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। राज्य कर विभागों द्वारा प्रस्तुत बकायों का आकलन का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: बकायों का आकलन

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	विभाग	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान नए मामले जोड़े गए	मूल्यांकन हेतु लंबित मामलों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत
1	वाणिज्यिक कर	26,861	522	27,383	1,455	25,928	5.31
2	परिवहन	31,699	1,647	33,346	1,328	32,018	3.98
3	पंजीकरण	1,977	1,010	2,987	655	2,332	21.93

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

विभागों द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन का विवरण

कर संग्रहण विभागों द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामलों का ब्यौरा तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: पता लगाए गए कर का अपवंचन

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष	31.03.2023 तक लंबित मामले	2023-24 के दौरान पहचान किए गए मामले	कुल	ऐसे मामले जिनमें मूल्यांकन/ जांच पूरी हो गई हो तथा अर्थदंड सहित अतिरिक्त मांग की गई हो		31.03.2024 तक अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित मामले
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	0005 और 0006	128	3,479	3,607	3,529	413.48	76
2	0030	2,051	906	2,957	1,863	11	1,896
3	0039	193	0	193	110	4.28	155

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

प्रतिदाय के लंबित मामले

धन वापसी के मामलों के निपटान में तत्परता, विभाग के कार्य निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। सात कर संग्रह विभागों में से दो ने प्रतिदाय के लंबित मामले के आँकड़े (राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रदान किए गए 'शून्य' आँकड़े सहित) प्रदान किये।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रतिवेदित, प्रतिदाय के लंबित मामलों का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: प्रतिदाय के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	विवरण	जी०एसटी०		बिक्री कर/वैट	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	103	3.74	355	73.52
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,448	337.47	163	58.73
3	वर्ष के दौरान दिया गया प्रतिदाय	471	133.60	120	41.56
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत की गई प्रतिदाय	941	179.87	85	57.20
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	139	27.74	313	33.49
कुल		3,102	682.42	1,036	264.50

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

संपूर्ण आँकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा समग्र रूप से राज्य के लंबित प्रतिदाय मामलों की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं कर सकी।

ब. गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व (एन0टी0आर0) के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियाँ जैसे सरकार द्वारा दिए गए बकाया या अन्य ऐसी सेवाओं के ऋणों और अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियाँ और नकद शेष का निवेश, इक्विटी निवेशों से लाभांश और लाभ, जैसे अभिरक्षक के रूप में धारित परिसंपत्तियों खनिज, वन और वन्यजीव के उपयोग की अनुमति देने के लिए रॉयल्टी शुल्क अथवा सरकार के तंत्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभार शामिल हैं।

2019-24 के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व के घटकों में प्रवृत्ति तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: राज्य के गैर-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पाक लाईन	प्रवृत्ति
ब्याज प्राप्तियाँ	1,416.48	3,241.97	722.47	642.03	897.00		
लाभांश और लाभ	1.62	603.01	6.54	1.49	9.51		
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	2,281.50	2,356.40	3,255.33	3,491.38	4,350.53		
(ए) मुख्य और मध्यम सिंचाई	24.32	40.13	40.64	83.06	71.64		
(बी) सड़क परिवहन	0.20	0.11	0.18	0.19	0.18		
(सी) शहरी विकास	4.80	0.15	1.08	3.47	-		
(डी) शिक्षा	17.13	11.50	509.13	5.83	3.94		
(इ) गैर-लौह खनन	1,572.07	1,708.93	1,766.14	2,729.73	3,114.79		
(एफ) अन्य या विविध।	662.98	595.58	938.16	669.10	1,159.98		
कुल	3,699.60	6,201.38	3,984.34	4,134.90	5,257.04		

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि:

- विगत वर्ष की तुलना में 2023-24 में एन0टी0आर0 में 27.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह राजस्व प्राप्तियों का 2.72 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 में जी0एस0डी0पी0 में राज्य के गैर-कर राजस्व की हिस्सेदारी केवल 0.62 प्रतिशत थी। आगे, वर्ष 2023-24 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के तहत एन0टी0आर0 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए।
- 2023-24 के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में गैर-कर राजस्व में ₹ 1,122.14 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः 'ब्याज प्राप्तियों', 'लाभांश और लाभ' तथा अन्य गैर-कर प्राप्तियों अर्थात 'गैर-लौह खनन' और 'अन्य या विविध' घटकों से प्राप्तियों क्रमशः ₹ 254.97 करोड़, ₹ 8.02 करोड़, ₹ 385.06 करोड़ और ₹ 490.88 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 2020-21 के दौरान 'ब्याज प्राप्तियाँ और लाभांश और लाभों' में उल्लेखनीय वृद्धि क्रमशः ₹ 2,600 करोड़ की समेकित निक्षेप निधि पर अर्जित ब्याज के मोचन और एस0पी0एस0ई0 के संचित लाभ से ₹ 603.01 करोड़ का लाभांश जारी करने के कारण हुई।
- खनन विभाग के अंतर्गत गैर-लौह खनन से राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 385.06 करोड़ की वृद्धि हुई और यह राज्य के गैर-कर राजस्व में उच्चतम प्रतिशत हिस्सेदारी (59.25 प्रतिशत) रही।

यद्यपि, राजस्व प्राप्तियों और जी0एस0डी0पी0 में गैर-कर राजस्व का हिस्सा अधिक नहीं है, इन्हें नए स्रोतों का पता लगाकर तथा शुल्क, प्रयोक्ता प्रभारों आदि को युक्तिसंगत बनाकर और बढ़ाकर मौजूदा संसाधनों को सुदृढ़ कर बढ़ाया जा सकता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य की गैर-कर राजस्व और इसके वृद्धि दर को चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.8: गैर-कर राजस्व एवं वृद्धि दर



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


जैसा कि चार्ट 2.8 से देखा जा सकता है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-कर राजस्व ने सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की, जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 27.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2020-21 में घातीय वृद्धि, समेकित निक्षेप निधि में अर्जित ब्याज के मोचन और एस0पी0एस0ई0 के संचित लाभ से लाभांश जारी करने के कारण थी। हालाँकि 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व में 42.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन चालू वर्ष में इसने जी0एस0डी0पी0 में केवल 0.62 प्रतिशत का योगदान दिया।

2.4.2.2 केंद्र से अंतरण

केंद्र से निधियों का अंतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार दो तरीकों से राज्यों को निधियों का अंतरण करती है (i) केंद्रीय करों का अंतरण और (ii) सहायता अनुदान।

केंद्र सरकार से राज्य को निधियों के अंतरण की तुलना में इसकी राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति चार्ट 2.9 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.9: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले अंतरण राज्य की राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि **चार्ट 2.9** से देखा जा सकता है, विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कुल केंद्रीय हस्तांतरण का योगदान 71 प्रतिशत से अधिक था, जिसमें से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी राज्य की राजस्व प्राप्ति में सबसे बड़ा योगदान रहा है जो वर्ष 2019–24 के दौरान 46.71 प्रतिशत से 58.76 प्रतिशत तक रहा है। यद्यपि, राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान की हिस्सेदारी में 2020–21 के बाद गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, लेकिन राज्य ने वर्ष 2023–24 में ₹ 2,833.06 करोड़ का राजस्व अधिशेष देखा है।

केंद्रीय करों का अंतरण

पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से की तुलना में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए वास्तविक अंतरणों को **तालिका 2.11** में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.11: केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग का अनुमान (आपस में हिस्सा)	अनुमानित कर हिस्सा	वित्त आयोग के प्रतिवेदन में अनुमानित हस्तांतरण	वास्तविक हस्तांतरण	अंतर की राशि	प्रतिशत कमी / अधिशेष
1	2	3	4	5	6(4-5)	7
2019–20	सेवा कर सहित विभाज्य करों की शुद्ध प्राप्तियों का 9.787 प्रतिशत (चौदहवें वित्त आयोग)	10,34,745	1,01,270	63,406	37,864	(-) 37.39
2020–21	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 10.061 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग)	8,55,176	86,039	59,861	26,178	(-) 30.43
2021–22	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 10.058 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग)	6,58,591	66,241	91,353	25,112	37.91
2022–23		7,32,628	73,688	95,510	21,822	29.61
2023–24		8,24,385	82,917	1,13,604	30,687	37.01

(स्रोत: वित्त आयोग का प्रतिवेदन और संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 2.11** से देखा जा सकता है, वर्ष 2023–24 के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में वास्तविक कर हस्तांतरण 37.01 प्रतिशत अधिक था। वास्तविक हस्तांतरण 2021–22 से 2023–24 की अवधि के लिए अनुमानित से अधिक रहा है। वर्ष 2023–24 में, विगत वर्ष की तुलना में राज्य को केंद्र सरकार से 18.94 प्रतिशत अधिक अंतरण प्राप्त हुआ। 2019–20 से 2023–24 तक हस्तांतरण में 79.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य को केन्द्रीय करों में वित्त आयोग के साथ-साथ अपने स्वयं के बजट अनुमान (₹ 1,02,737.26 करोड़) में ₹ 10,867.23 करोड़ की अधिक हिस्सेदारी प्राप्त हुई।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान विभिन्न घटकों के तहत केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी को **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: केंद्रीय कर का अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्क लाईन	प्रवृत्ति
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी0जी0एस0टी0)	17,992.97	17,788.67	25,442.20	26,989.02	34,477.56		
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई0जी0एस0टी0)	0	0	0	0	0		
निगम कर	21,618.94	18,062.14	27,178.50	32,019.47	34,099.01		
निगम कर के अलावा आय पर कर	16,939.90	18,517.49	26,661.32	31,262.19	39,379.86		
सीमा शुल्क	4,019.07	3,179.93	6,775.97	3,754.66	3,981.12		
संघीय उत्पाद शुल्क	2,794.34	2,012.03	3,868.86	1,178.03	1,506.54		
सेवा कर	0.00	258.09	1,326.22	149.28	21.16		
अन्य कर #	41.11	43.06	99.55	157.20	139.24		
केंद्रीय कर अंतरण	63,406.33	59,861.41	91,352.62	95,509.85	1,13,604.49		
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	-13.85	-5.59	52.61	4.55	18.95		
राजस्व प्राप्ति में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	51.04	46.71	57.53	55.31	58.76		

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
अन्य करों में धन पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क शामिल हैं।

2023-24 के दौरान, केंद्रीय करों के हस्तांतरण में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 18,094.64 करोड़ की काफी वृद्धि हुई, जो विगत पाँच वर्षों में सबसे अधिक है और 2019-20 से ₹ 50,198 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 के लिये केंद्रीय कर हस्तांतरण में 'निगम कर के अलावा अन्य आय' पर करों में हिस्सा सबसे अधिक (34.66 प्रतिशत) था, इसके बाद 'सी0जी0एस0टी0 का हिस्सा' था। 2023-24 के दौरान कुल केंद्रीय कर हस्तांतरण में 'सी0जी0एस0टी0', 'निगम कर' और 'निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर' का हिस्सा 95.03 प्रतिशत था।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों पर सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) प्राप्त करता है। विगत पाँच वर्षों के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान और उनके देय घटकों का विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	(-) 40.27	(-) 33.57	0.00	(-) 374.48	(-) 167.08
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान (सी0एस0ए0)	15,302.04	16,609.56	17,832.91	22,237.18	17,961.52
वित्त आयोग अनुदान	7,343.61	8,850.00	7,077.56	6,732.65	7,662.52
विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	4,363.24	6,337.89	3,695.36	430.19	668.05
कुल	26,968.62	31,763.88	28,605.83	29,025.54	26,125.00
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	9.40	17.78	(-) 9.94	1.47	(-) 9.99
राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की प्रतिशतता	21.71	24.78	18.01	16.81	13.51

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित (ii) आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए और (iii) केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रीय हिस्से के लिए।

तालिका 2.13 से यह देखा जा सकता है कि 2023–24 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 2,900.54 करोड़ की कमी आई, जिसका मुख्य कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान में कमी (19.23 प्रतिशत) है। साथ ही, राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का प्रतिशत विगत पाँच वर्षों के दौरान सबसे कम था।

इसके अलावा, 2022–23 और 2023–24 के दौरान 1601–02–900 (एच0ओ0ए0) के तहत भारत सरकार से प्राप्त ₹ 374.48 करोड़ और ₹ 167.08 करोड़ का सहायता अनुदान वापस कर दिया गया। इसका विवरण **तालिका 2.14** में दिया गया है।

तालिका 2.14: भारत की समेकित निधि में सहायता अनुदान की वापसी

क्र.सं.	लघु शीर्ष का विवरण (1601–02–900) संबंधित मंत्रालय	राशि (₹ करोड़ में)	
		2022–23	2023–24
1	कृषि मंत्रालय, पशु दुग्ध एवं मत्स्य संसाधन विभाग	93.93	0.00
2	कौशल विकास मंत्रालय, उद्यमिता, युवा मामले और खेल युवा मामलों के विभाग	2.00	0.00
3	कृषि मंत्रालय कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग	79.25	22.15
4	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	0.00	0.10
5	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	66.83	1.27
6	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2.09	143.38
7	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	4.30	0.00
8	विधि और न्याय मंत्रालय	0.00	0.18
9	शहरी मंत्रालय	126.09	0.00
कुल		374.48	167.08

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 2.14** से देखा जा सकता है, 2023–24 के दौरान, लौटाए गए सहायता अनुदान का 99 प्रतिशत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (₹ 143.38 करोड़) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (₹ 22.15 करोड़), भारत सरकार से संबंधित था। ये सहायता अनुदान राज्य को वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2020–21 के दौरान प्राप्त हुए थे और समाज कल्याण विभाग और कृषि विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए जारी किए गए थे। इसी तरह, 2022–23 के दौरान भी भारत सरकार को ₹ 374.48 करोड़ की राशि वापस कर दी गई थी।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्राप्त ₹ 17,961.52 करोड़ का अनुदान में प्रमुख राशि का विवरण निम्नानुसार है:

- ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य प्रणाली हेतु लचीले पूल’ के अंतर्गत ₹ 950.94 करोड़ (विगत वर्ष की तुलना में 147.84 प्रतिशत की वृद्धि)।
- ‘ग्राम उद्यमिता ‘स्टार्ट–अप’ कार्यक्रम के लिए अनुदान के अंतर्गत ₹ 1,150.07 करोड़ (विगत वर्ष की तुलना में 31,678.77 प्रतिशत की वृद्धि)।
- 100 स्मार्ट शहरों के मिशन (पी0एफ0एम0एस0 कोड 9478) के लिए ₹ 566.23 करोड़ (विगत वर्ष की तुलना में 188.90 प्रतिशत की वृद्धि)।
- आंगनबाड़ी सेवा योजना के लिए ₹ 145.71 करोड़ का अनुदान (विगत वर्ष की तुलना में 648.09 प्रतिशत की वृद्धि)
- समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) के लिए ₹ 3,334.59 करोड़ का अनुदान (विगत वर्ष की तुलना में 130.74 प्रतिशत की वृद्धि)

vi. अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना हेतु ₹ 3,027.96 करोड़ का अनुदान (विगत वर्ष की तुलना में 46.22 प्रतिशत की कमी)
समग्र शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) हेतु अनुदान के तहत कोई राशि प्राप्त नहीं हुई, जबकि विगत वर्ष ₹ 1,358.84 करोड़ प्राप्त हुए थे।

एकल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी0एफ0एम0एस0/एफ0सी0डी0/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी0एस0एस0) के तहत धन जारी करने और एस0एन0ए0 द्वारा निगरानी के साथ-साथ निधि के उपयोग की प्रक्रिया को अधिसूचित किया था। प्रत्येक सी0एस0एस0 के लिए, एस0एन0ए0 की स्थापना राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय संचालित करने के लिए प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ की जाती है। इस प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को संबंधित राज्य नोडल एजेंसी के लेखे में अंतरित करना होता है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार को अपने कोषागार खाते में केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 18,231.24 करोड़ प्राप्त हुए।

पी0एफ0एम0एस0 प्रतिवेदन (31 मार्च 2024 तक) के अनुसार, सरकार ने सी0एस0एस0 के लिए ₹ 31,145.19 करोड़ एस0एन0ए0 को अंतरित किए जिसमें केंद्रीय हिस्सा सम्मिलित था एवं अनुपातिक राज्य के हिस्सा की राशि ₹ 10,865.60 करोड़ थी। ₹ 31,145.19 करोड़ के कुल हस्तांतरण में से, केवल ₹ 29,130.11 करोड़ खर्च किए गए, और अगस्त 2024 तक एस0एन0ए0के बैंक खातों में ₹ 14,738.14 करोड़ (विगत वर्षों की शेष राशि सहित) खर्च नहीं किए गये। एस0एन0ए0 से महालेखाकार (लेखा एवं हक0) के कार्यालय में वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे। एस0एन0ए0 के संबंध में विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय-IV के कंडिका 4.19 में दिया गया है।

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य को स्थानीय निकायों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, क्षेत्र विशिष्ट अनुदानों, राज्य विशिष्ट अनुदानों और राजस्व घाटा अनुदान के लिए अनुदान प्रदान किया। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदानों तथा राज्य द्वारा उसके सापेक्ष जारी की गई वास्तविक राशि का विवरण तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15: सहायता अनुदान की अनुशंसित और वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान दिया गया	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तविक अंतरण			राज्य द्वारा अंतरण		
	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
स्थानीय निकाय (पी0आर0आई0)	3,709.00	3,842.00	3,884.00	3,709.00	3,842.00	3,852.41	3,709.00	3,842.00	3,852.41
शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान	1,827.00	1,892.00	2,001.00	836.25	1,552.35	2,256.50	836.25	1,785.00	1,051.50
स्वास्थ्य के लिए अनुदान	1,133.10	1,133.10	1,189.59	1,116.31	0.00	0.00	1,116.31	0.00	0.00
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि*	1,416.00	1,487.00	1,561.00	1,416.00	1,338.30	1,553.60	1,416.00	1,487.00	1,561.00
कुल	8,085.10	8,354.10	8,635.59	7,077.56	6,732.65	7,662.51	7,077.56	7,114.00	6,464.91

(स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन और वित्त लेखे)

* राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि शामिल

राज्य को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों का पूरा हिस्सा नहीं प्राप्त हो सका, जिसका मुख्य कारण अनिवार्य मानदण्डों को प्राप्त न करना था। वित्त विभाग, बिहार सरकार, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने ₹ 6,464.91 करोड़ का अनुदान जारी किया, जो पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा भारत सरकार को अनुशंसित राशि से 25.14 प्रतिशत कम था। शहरी स्थानीय

निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को जारी अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश से क्रमशः 47.45 प्रतिशत और 0.81 प्रतिशत कम थे। पंद्रहवें वित्त आयोग की ₹ 1,189.59 करोड़ के सिफारिश के विरुद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत ये अनुदान 'प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढाँचे के लिए सहायता', 'ब्लॉक स्तरीय लोक स्वास्थ्य इकाइयों', 'शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एच0डब्ल्यू0सी0)', 'भवन-रहित उप केंद्रों, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0', 'ग्रामीण पी0एच0सी0 और 'उप केंद्रों' को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में परिवर्तित करना था।

कुल मिलाकर राज्य ने भारत सरकार से ₹ 7,662.51 करोड़ के सापेक्ष ₹ 6,464.91 करोड़ जारी किए, जो भारत सरकार द्वारा वास्तविक राशि से 15.63 प्रतिशत कम था।

उपरोक्त अनुदानों के अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने कुछ राज्य विशिष्ट अनुदानों जैसे सांख्यिकी, न्यायपालिका और पी0एम0जी0एस0वाई0 के रख-रखाव में सुधार के लिए अनुदान, राज्य के लिए कृषि सुधारों, आत्मनिर्भरता, निर्यात और संवहनीयता के लिए प्रोत्साहन राशि की सिफारिश की थी, लेकिन वर्ष के दौरान ऐसा कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

वित्त विभाग, बिहार सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण/जवाब की प्रतीक्षा की जा रही थी (31 दिसंबर 2024 तक)।

2.4.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों और उनके घटकों का विवरण तालिका 2.16 में दिया गया है।

तालिका 2.16: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना और वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

पूँजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूँजीगत प्राप्तियाँ	29,175	36,735	40,473	48,325	60,314
ऋण और अग्रिमों की वसूली	30	820	28	41.41	96
लोक ऋण प्राप्तियाँ (अ) + (ब)	29,145	35,915	40,445	48,284	60,218
आंतरिक ऋण (अ)	27,866	29,412	30,918	38,129	49,546
वृद्धि दर	72.72	5.55	5.12	23.32	29.94
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (ब)	1,279	6,503*	9,527*	10,155	10,672
वृद्धि दर	(-) 50	408.44	46.50	6.59	5.10
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (लोक ऋण) (प्रतिशत)	56	23.23	12.61	19.38	24.72
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 98	2,633.33	(-) 96.59	48.18	131.38
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का जी0एस0डी0पी0 (2011-12 सीरीज)	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.20	(-) 2.41	14.02	15.30	14.47
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	42	25.91	10.18	19.40	24.81

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

* भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम में क्रमशः वर्ष 2020-21 और 2021-22 में जी0एस0डी0 मुआवजे की कमी के बदले बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल था, जिसमें राज्य को कोई पुनर्भुगतान दायित्व नहीं था।

जैसा कि 2023-24 के दौरान तालिका 2.16 से देखा जा सकता है, पूँजीगत प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों (₹ 2,53,660.71 करोड़) का 23.78 प्रतिशत थी और 2019-20 से इसमें 106.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत पाँच वर्षों के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों में 24.46 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई।

राज्य ने खुले बाजार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ₹ 49,546 करोड़ उधार लिए और भारत सरकार से ₹ 10,672 करोड़ का ऋण लिया। 2023–24 में, खुले बाजार से उधार लेने और भारत सरकार से ऋण की मात्रा में 2019–20 से क्रमशः 77.80 प्रतिशत और 734.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों तथा आंतरिक ऋण में वृद्धि के कारण हुई। पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्तियों का हिस्सा 99.84 प्रतिशत था। ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए क्रमशः 19.38 प्रतिशत और 24.72 प्रतिशत की दर से बढ़ी।

चालू वर्ष में, आंतरिक ऋण (₹ 49,546 करोड़) ने पूँजीगत प्राप्तियों और भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों में 82.15 प्रतिशत का योगदान दिया और विगत वर्ष की तुलना में 29.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 'विशेष सहायता' के तहत ₹ 8,814.80 करोड़ और 'ब्लॉक ऋण (मुख्य शीर्ष 6004 उप शीर्ष 09 के तहत)' के तहत ₹ 1,856.99 करोड़ की राशि प्रमुख घटक थे।

ऋणों और अग्रिमों की वसूली के रूप में गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ बढ़कर ₹ 96 करोड़ हो गईं। इसमें से 24.17 प्रतिशत (₹ 23.20 करोड़) सरकारी कर्मचारियों से ऋणों की वसूली के कारण था। विगत वर्ष की तरह, 'सरकारी कर्मचारियों से संवितरण के विरुद्ध वसूली' गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का उच्चतम प्रतिशत है।

वर्ष 2023–24 में ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से अधिक है। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान, ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 27.19 प्रतिशत थी, जबकि जी0एस0डी0पी0 की औसत वृद्धि 10.32 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों में 24.81 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत व्यय में 15.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.4 संसाधन के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों का संग्रहण सरकार का सामाजिक कार्यक्रमों और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा लोक निवेश के लिए स्थायी वित्त पोषण सुनिश्चित करने की अनुमति देता है।

संसाधन के संग्रहण में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके स्व संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें स्व-कर राजस्व और गैर-कर राजस्व शामिल हैं, जैसा कि तालिका 2.17 में दिखाया गया है।

तालिका 2.17: 2023–24 में अनुमानों की तुलना में कर और गैर-कर प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)

	बजट आकलन	पंद्रहवें वित्त आयोग अनुमान	छठे राज्य वित्त आयोग अनुमान	वास्तविक	वास्तविकी की प्रतिशत भिन्नता		
					बजट अनुमान	पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुमान	छठे राज्य वित्त आयोग का अनुमान
स्व-कर राजस्व	49,700.05	36,557	38,017	48,360.69	(-) 2.69	32.29	27.21
स्व गैर-कर राजस्व	6,511.74	5,400	6,374	5,257.05	(-) 19.27	(-) 2.65	(-) 17.52

(स्रोत: बिहार सरकार के बजट दस्तावेज, पंद्रहवें वित्त आयोग रिपोर्ट, छठे राज्य वित्त आयोग और वित्त लेखे)

चालू वर्ष के दौरान, स्व-कर राजस्व संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के अनुमानों से बेहतर और बजट अनुमानों के करीब था। हालाँकि स्व-गैर कर राजस्व के वास्तविक आँकड़े पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के अनुमानों के साथ-साथ वर्ष के दौरान बजट अनुमानों से कम थे।

2.5 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय जिम्मेदारी कानून के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी निहित होती है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत बुनियादी ढाँचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में निर्देशित व्यय की कीमत पर नहीं है।

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण जरूरी है क्योंकि उन्हें प्रमुख व्यय जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। व्यय राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत होनी चाहिए। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का उद्देश्य, राजस्व व्यय से अधिक राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ाकर बचत करना होना चाहिए।

2.5.1 व्यय की वृद्धि एवं घटक

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत, देखभाल और कामकाजी खर्चों पर शुल्क, जो परिसंपत्तियों को परिचालन अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं साथ ही स्थापना और प्रशासनिक व्ययों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी खर्च, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किये जाएंगे।

पूँजीगत व्यय: किसी परियोजना के प्रथम निर्माण के लिए सभी शुल्कों के साथ-साथ कार्य के मध्यवर्ती रख-रखाव के लिए शुल्क, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत स्वीकृत ऐसे अतिरिक्त परिवर्धन और सुधार के लिए भी शुल्क को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ऋण और अग्रिम: सरकार द्वारा लोक क्षेत्र के उपक्रमों (पी0एस0यू0) और अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम।

समग्र व्यय और इसके घटकों की प्रवृत्तियों तथा जी0एस0डी0पी0 में उनका प्रतिशत तालिका 2.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: कुल व्यय एवं इनके घटक

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
कुल व्यय (टी0ई0)	1,38,987	1,58,816	1,84,377	2,17,552.81	2,29,103.05
राजस्व व्यय (आर0ई0)	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976.22	1,90,514.17
पूँजीगत व्यय (सी0ई0)	12,304	18,209	23,678	31,519.82	36,453.02
ऋण और अग्रिम	666	1,114	1,479	2,056.77	2,135.86
जी0एस0डी0पी0	5,81,855	5,67,814	6,74,394	7,46,417	8,54,429
जी0एस0डी0पी0 की प्रतिशतता के रूप में					
टी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	23.89	27.97	28.48	29.15	26.81
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0	21.66	24.57	24.59	24.65	22.30
सी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	2.11	3.21	3.66	4.22	4.27
ऋण और अग्रिम / जी0एस0डी0पी0	0.11	0.20	0.23	0.28	0.25


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि तालिका 2.18 से देखा जा सकता है, विगत पाँच वर्षों (2019–24) में राज्य के कुल व्यय में 64.84 प्रतिशत (₹ 1,38,987 करोड़ से ₹ 2,29,103.05 करोड़) की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 5.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में, कुल व्यय, राजस्व व्यय और ऋण और अग्रिम विगत वर्ष की तुलना में कम हुए। जबकि पूँजीगत व्यय में मामूली वृद्धि हुई है।

चार्ट 2.10 कुल व्यय में घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 2.10: कुल व्यय में घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि चार्ट 2.10 से देखा जा सकता है, विगत पाँच वर्षों में, पूँजीगत व्यय ने वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित की। यह राज्य के कुल व्यय का नौ प्रतिशत (2019–20) से बढ़कर 16 प्रतिशत (2023–24) हो गया। राजस्व व्यय ने राज्य के कुल व्यय के 91 प्रतिशत (2019–20) से 83 प्रतिशत (2023–24) होने की घटती प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय में निम्नलिखित पर व्यय शामिल है: (i) ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाएँ, (ii) सामाजिक सेवाएँ (iii) आर्थिक सेवाएँ और (iv) अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान, ऋण और अग्रिम तथा अंतर्राज्यीय समझौता शामिल हैं)।

आर्थिक वर्गीकरण और गतिविधियों द्वारा व्यय के संदर्भ में व्यय की संरचना में परिवर्तन तालिका 2.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
सामान्य सेवाएँ	44,016 (31.67)	47,626 (29.99)	52,447 (28.45)	59,284 (27.25)	64,882 (28.32)
सामाजिक सेवाएँ	60,619 (43.61)	70,139 (44.16)	81,268 (44.08)	94,316 (43.35)	90,226 (39.38)
आर्थिक सेवाएँ	33,684 (24.24)	39,935 (25.15)	49,183 (26.68)	61,896 (28.45)	71,860 (31.37)
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और ऋण एवं अग्रिम)	668 (0.48)	1,116 (0.70)	1,479 (0.80)	2,057 (0.95)	2,136 (0.93)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

(कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े कुल व्यय की तुलना में इन क्षेत्रों पर व्यय के प्रतिशत को दर्शाते हैं)

तालिका 2.19 दर्शाती है कि:


- 2022–23 की तुलना में, आर्थिक और सामान्य सेवाओं पर व्यय में मामूली (प्रतिशत-वार) वृद्धि हुई, जबकि 2023–24 के दौरान सामाजिक सेवाओं और अन्य के मामले में इसमें कमी आई।

- ii. सामान्य सेवाओं में, राज्य ने 'ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी' के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए समेकित निक्षेप निधि में योगदान को स्थगित करके 'ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग' पर अपने व्यय को कम कर दिया, जिसने राजकोषीय घाटे को उस हद तक प्रभावित किया। 2023-24 के दौरान, राज्य ने समेकित निक्षेप निधि में ₹ 1,466.57 करोड़ का योगदान दिया, जो विगत वर्ष की तुलना में 13.86 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, 'न्याय प्रशासन', 'भू-राजस्व', 'पुलिस' और 'पेंशन' और 'अन्य सेवानिवृत्ति लाभों' के तहत व्यय में भी विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 11.50 प्रतिशत, 29.63 प्रतिशत, 17.13 प्रतिशत और 5.12 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
- iii. सामाजिक सेवाओं में 'आवास' के तहत 94.05 प्रतिशत, 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण' के तहत 65.96 प्रतिशत और 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' के तहत 24.07 प्रतिशत की कमी देखी गई।
- iv. आर्थिक सेवाओं में विगत वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम' में 28.07 प्रतिशत, 'बाढ़ नियंत्रण और जल-निकासी' के तहत 28.05 प्रतिशत, 'सड़क और पुल' के तहत 35.48 प्रतिशत और 'ग्रामीण रोजगार' के मामले में 102.16 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

कार्य के अनुसार व्यय की संरचना का विवरण चार्ट 2.11 में देखा जा सकता है।

चार्ट 2.11: 2023-24 के दौरान कार्य के अनुसार व्यय की संरचना

(प्रतिशत में)



(स्रोत: वित्त लेख 2023-24)

सामाजिक सेवाओं पर व्यय विगत वर्ष की तरह कुल व्यय का उच्चतम प्रतिशत था, हालाँकि 2022-23 की तुलना में इसमें पाँच प्रतिशत अंक से गिरावट आई है। सामान्य सेवाओं में व्यय में विगत वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अलावा, 2022-23 की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर व्यय में तीन प्रतिशत अंकों से वृद्धि की गई।

राज्य का घटकवार बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए बजटीय प्रावधानों के विरुद्ध किए गए घटक-वार व्यय का विवरण तालिका 2.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: घटक-वार बजटीय प्रावधान और किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बजट की प्रतिशतता	कुल व्यय की प्रतिशतता	कुल बजट के सापेक्ष व्यय का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
स्थापना और प्रतिबद्ध	1,61,855.67	19,017.35	1,80,873.02	1,54,360.50	55.44	59.21	85.34
राज्य की योजनाएँ	37,941.34	25,674.70	63,616.04	57,439.07	19.50	22.03	90.29
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए केंद्रीय हिस्सा	44,712.64	3,397.08	48,109.72	21,501.41	14.75	8.25	44.69
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राज्यांश	14,613.02	15,791.29	30,404.31	25,370.19	9.32	9.73	83.44
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ	29.73	64.30	94.03	88.67	0.03	0.03	94.30
ई0ए0पी0 – बाह्य संपोषित परियोजनाएँ	2,733.00	400.00	3,133.00	1,958.23	0.96	0.75	62.50
कुल	2,61,885.40	64,344.72	3,26,230.12	2,60,718.07	100.00	100.00	79.92

(स्रोत: बिहार सरकार के विनियोग लेखे और बजट दस्तावेज)

जैसा कि तालिका 2.20 में देखा जा सकता है, राज्य का कुल व्यय इसके मूल बजट तक नहीं पहुँचा और यह इसके कुल बजट का 79.92 प्रतिशत था। इसके बावजूद, ₹ 64,344.72 करोड़ के अनुपूरक बजट प्रावधान किए गए। राज्य के कुल व्यय में से 59.21 प्रतिशत स्थापना और प्रतिबद्ध (ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन और ऋण पुर्नभुगतान) घटक पर खर्च किया गया और 17.98 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च किया गया।

राज्य का कार्य-वार बजट और व्यय

कार्यवार बजटीय प्रावधानों और किए गए व्यय का विवरण तालिका 2.21 में दिखाया गया है।

तालिका 2.21: कार्यवार बजटीय प्रावधान और किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

कार्यक्षेत्र	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविकी की प्रतिशतता	बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक का प्रतिशत
सामान्य सेवाएँ	74,331.84	64,882.21	25.74	87.29
सामाजिक सेवाएँ	99,878.49	90,225.55	35.79	90.34
आर्थिक सेवाएँ	62,688.34	71,859.55	28.51	114.63
लोक ऋण	23,558.69	22,979.38	9.12	97.54
ऋण और अग्रिम	1,221.40	2,135.86	0.85	174.87
सहायता अनुदान और योगदान	6.64	(-) 0.13	0.00	(-) 1.96
कुल	2,61,685.40	2,520,82.42	100.00	

(स्रोत: बिहार सरकार के वित्त लेखे और बजट दस्तावेज)

तालिका 2.21 से पता चलता है कि सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, लोक ऋण और सहायता अनुदान पर किया गया वास्तविक व्यय कम था तथा आर्थिक सेवाओं और ऋणों एवं अग्रिमों पर व्यय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों से अधिक था।

2.5.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और विगत दायित्व का भुगतान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की बुनियादी ढाँचे और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूँजीगत कार्यों के संचालन और रखरखाव पर व्यय, सब्सिडी और स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनओजीओ) और अन्य को हस्तांतरण शामिल हैं। इस व्यय को विभिन्न कार्यात्मक श्रेणियों जैसे सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं में भी वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय भौतिक बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधन विकास के लिए किया जाता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय राजकोषीय सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं और राज्य के अव्यवों पर किया जाता है।

राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ तालिका 2.22 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.22: राजस्व व्यय-मूलभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (टी0ई0)	1,38,987	1,58,816.02	1,84,376.51	2,17,552.81	2,29,103.05
राजस्व व्यय (आर0ई0)	1,26,017	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22	1,90,514.17
जी0एस0डी0पी0	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
आर0ई0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.90	10.69	14.14	15.55	3.55
आर0आर0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 5.74	3.17	23.90	8.75	11.96
जी0एस0डी0पी0की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.20	(-) 2.41	14.02	15.30	14.47
आर0ई0 का टी0ई0 से प्रतिशतता	90.67	87.83	86.36	84.57	83.16
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	21.66	24.57	24.59	24.65	22.30
आर0ई0 का आर0आर0 से प्रतिशतता	101.44	108.84	100.27	106.54	98.53
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
जी0एस0डी0पी0 (अनुपात) के साथ	0.09	-	1.01	1.02	0.25
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात) के साथ	(-) 0.16	3.38	0.59	1.78	0.30

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2020-21 के लिए उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई है क्योंकि जी0एस0डी0पी0 वृद्धि नकारात्मक थी।


तालिका 2.22 से पता चलता है कि:

- i. राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.16 प्रतिशत था और पूँजीगत व्यय के लिए केवल 16.84 प्रतिशत निधि शेष थी जो विगत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 3.55 प्रतिशत (₹ 6,537.95 करोड़) की वृद्धि हुई।
- ii. वित्त लेखे के अनुसार, राजस्व शीर्ष के तहत शामिल किए गए कुछ व्यय को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व व्यय अधिक था (कंडिका 2.5.3.5)।
- iii. वर्ष 2023-24 के दौरान, जी0एस0डी0पी0 के साथ राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात विगत वर्ष की तुलना में 1.48 प्रतिशत अंक से कम था।
- iv. वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता 'एक' से कम थी, जो राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की तेज गति से वृद्धि को दर्शाता है।

राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)



(स्रोत: वित्त लेख 2023-24)

राजस्व व्यय का प्रमुख हिस्सा सहायता अनुदान (41 प्रतिशत) और प्रतिबद्ध व्यय (38 प्रतिशत) अर्थात वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान था।

2.5.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

चालू वर्ष और विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण अंतर तालिका 2.23 में दिए गए हैं।

तालिका 2.23: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन
(₹ करोड़ में)

लेखा के मुख्य शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि (+) / कमी (-)	प्रतिशत वृद्धि / कमी
2029-भू-राजस्व	867.83	1,124.98	257.15	29.63
2049-ब्याज भुगतान	15,183.54	17,605.80	2,422.26	15.95
2055-पुलिस	9,235.61	10,817.90	1,582.29	17.13
2217-नगर विकास	5000.80	8,788.40	3,787.60	75.74
2801-ऊर्जा	12,701.36	13,940.41	1,239.06	9.76
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	23,107.87	24,290.92	1,183.05	5.12
2216-आवास	12,574.94	747.93	(-) 11,827.01	(-) 94.05
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	9,840.79	7,472.04	(-) 2,368.75	(-) 24.07
2215- जलापूर्ति और स्वच्छता	2,551.72	7,691.58	5,139.86	201.43
2505-ग्रामीण रोजगार	1,573.11	3,180.26	1,607.15	102.16
2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण।	2,864.94	975.10	(-) 1,889.84	(-) 65.96
2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8,422.46	9,846.24	1,423.78	16.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.23 दर्शाता है कि:

अ. निम्नलिखित के तहत व्यय में कमी आई थी:

(i) मुख्य शीर्ष 'आवास' के अंतर्गत 'ग्रामीण आवास में' 'इंदिरा आवास योजना', 'अनुसूचित जातियों' के लिए 'विशेष घटक योजना' और 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' में क्रमश 95.74 प्रतिशत, 91.57 प्रतिशत और 84.80 प्रतिशत (ii) मुख्य शीर्ष 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' के तहत अन्य पुनर्वास योजना 31.85 प्रतिशत वृद्धों, अशक्तों एवं निराश्रितों के कल्याण में 34.99 प्रतिशत, 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' 53.10 प्रतिशत और 'पेंशन' में 49.03 प्रतिशत (iii) मुख्य शीर्ष 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण' के तहत 'ग्राम पंचायतों (अनुसूचित जातियों) को सहायता' 53.73 प्रतिशत और 'ग्राम पंचायतों (पिछड़े वर्ग) को सहायता' 35.14 प्रतिशत और 'शिक्षा' में 23.01 प्रतिशत की कमी हुई है।

ब. निम्नलिखित के तहत व्यय में वृद्धि हुई थी:

(i) मुख्य शीर्ष 'जलापूर्ति और स्वच्छता' के अंतर्गत 'स्वच्छता सेवाओं' में 413.03 प्रतिशत, 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में 517.29 प्रतिशत, 'ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों' में 81.46 प्रतिशत, 'स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं' आदि में 12,517.08 प्रतिशत और 'नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को' सहायता में 1,713.56 प्रतिशत (ii) मुख्य शीर्ष 'ग्रामीण रोजगार' के तहत 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' में 97.82 प्रतिशत (iii) मुख्य शीर्ष 'शहरी विकास' के अंतर्गत 'निर्माण' में 109.91 प्रतिशत 'स्थानीय निकायों', निगमों, शहरी कल्याण प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता में 247.25 प्रतिशत की वृद्धि और 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में 8,129.44 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

2.5.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन पर व्यय और पेंशन शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला अधिकार है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति से सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन रहता है।

प्रतिबद्ध व्यय और उसके घटकों का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)					
प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
वेतन	20,375.92	21,802.11	23,524.52	24,816.02	28,385.60
पेंशन	17,110.38	19,635.15	20,257.58	23,107.87	24,290.92
ब्याज भुगतान	10,991.42	12,484.04	13,821.93	15,183.54	17,605.80
कुल	48,477.72	53,921.30	57,604.03	63,107.43	70,282.32
राजस्व प्राप्तियों (आर0आर0) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन	16.40	17.01	14.81	14.37	14.68
पेंशन	13.77	15.32	12.76	13.38	12.56
ब्याज भुगतान	8.85	9.74	8.70	8.79	9.11
कुल	39.02	42.07	36.28	36.54	36.35

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व व्यय (आर0ई0) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन	16.17	15.63	14.77	13.49	14.90
पेंशन	13.58	14.08	12.72	12.56	12.75
ब्याज भुगतान	8.72	8.95	8.68	8.25	9.24
कुल	38.47	38.66	36.18	34.30	36.89

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 2022-23 में 34.30 प्रतिशत से लेकर 2020-21 में 38.66 प्रतिशत तक था। राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात विगत वर्ष की तुलना में 2023-24 में (मामूली रूप से 0.19 प्रतिशत अंक) घटकर 36.35 प्रतिशत हो गया। 2019-20 और 2023-24 के बीच प्रतिबद्ध व्यय में 44.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2019-24 की अवधि के दौरान 'वेतन' प्रतिबद्ध व्यय का प्रमुख घटक रहा है, इसके बाद 'पेंशन' आता है। इसके अतिरिक्त, सभी तीन घटक अर्थात् वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में 2019-20 की तुलना में 2023-24 में क्रमशः 39.31 प्रतिशत, 41.97 प्रतिशत और 60.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ब्याज भुगतान लोक ऋण और सरकार की अन्य ब्याज-सहित देनदारियों पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रदान करते हैं, जिसमें बीमा एवं पेंशन निधि, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा शामिल हैं। इसमें कर्ज कम करने या बचाव पर होने वाला खर्च भी शामिल है।

वर्ष के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में कुल प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 7,174.89 करोड़ (11.37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान (9.11 प्रतिशत) बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2022 में निर्धारित राजस्व प्राप्तियों के 8.64 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर था, लेकिन पंद्रहवें वित्त आयोग (₹ 16,724 करोड़) के अनुमान से कम था। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों पर व्यय 2019-20 में जी0एस0डी0पी0 का 8.33 प्रतिशत था और 2023-24 में घटकर 8.23 प्रतिशत हो गया। 2020-21 के दौरान, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष में प्रतिबद्ध व्यय 9.50 प्रतिशत था, जो विगत पाँच वर्षों के दौरान सबसे अधिक था।

राज्य सरकार के 2023-24 के बजट दस्तावेज के अनुसार, "लोक ऋण का पुनर्भुगतान" राज्य का एक प्रतिबद्ध व्यय है। लोक ऋण का पुनर्भुगतान पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत व्यय के घटकों में से एक है। इसलिए, इस प्रतिवेदन में, लोक ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय की गणना की गई है।

पूर्व में वेतन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन से राज्य की पेंशन और वेतन भुगतानों में वृद्धि हुई है जिससे राज्य का राजस्व व्यय प्रभावित हुआ है।

वर्ष के दौरान, राज्य ने प्रतिबद्ध व्यय को एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्यों के भीतर बनाए रखा है। प्रतिबद्ध व्यय मदों के लिए बजट के बड़े हिस्से का आवंटन पूँजीगत व्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं के लिए राज्य के लचीलेपन को सीमित करता है।

2.5.2.3: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न चुकाई गई देनदारियाँ

01 सितंबर 2005 को या उसके बाद नियुक्त किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0), एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी0सी0पी0एस0) के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के तहत, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है और राज्य सरकार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर योगदान देती है। संपूर्ण राशि (कर्मचारी का अंशदान और नियोक्ता का अंशदान) नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0)/न्यासी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को अंतरित किया जाना है।

2023–24 के दौरान, एन0पी0एस0 के लिए हस्तांतरित कुल राशि ₹ 3,402.09 करोड़ थी (कर्मचारी का योगदान 10 प्रतिशत की दर से ₹ 1,387.46 करोड़ और सरकार का योगदान 14 प्रतिशत की दर से ₹ 1,984.79 करोड़ और सरकार द्वारा ₹ 29.84 करोड़ का ब्याज)। सरकार के अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के खंड –II के **विवरणी संख्या–15** में मुख्य शीर्ष 2071 और 2049 के अंतर्गत उपलब्ध है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342–117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत लोक लेखे में ₹ 3,402.09 करोड़ हस्तांतरित किए। एन0पी0एस0 में सरकार का अंशदान ₹ 42.35 करोड़ (सरकार का वास्तविक अंशदान ₹ 1,984.79 करोड़ घटाव सरकार का अपेक्षित अंशदान ₹ 1,942.44 करोड़) से अधिक हो गया। निधि में आरंभिक शेष ₹ 258.15 करोड़ था। सरकार ने 31 मार्च 2024 को ₹ 10.24 करोड़ जिसे अभी तक एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित नहीं किया गया था (₹ 3,660.24 करोड़ घटाव ₹ 3,650.00 करोड़) की शेष राशि को छोड़कर एन0एस0डी0एल0 को ₹ 3,650.00 करोड़ हस्तांतरित किए हैं। 2020–21 से पहले, नियोक्ता और कर्मचारियों के योगदान को मुख्य शीर्ष 8011–106 में जमा किया गया था। 31 मार्च 2024 तक, इस मद के तहत अंतिम शेष ₹ 40.87 करोड़ था जिसे अभी तक एन0एस0डी0एल0 को अंतरित किया जाना था। ₹ 51.11 करोड़ (₹ 10.24 करोड़ + ₹ 40.87 करोड़) के अंतरण न किए जाने के परिणामस्वरूप नकदी शेष और राजस्व अधिशेष का अतिकथन हुआ और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक कम करके बताया गया है।

कर्मचारियों के हिस्से से प्राप्तियों, सरकार के योगदान, अर्जित ब्याज और पेंशन निधि में निवेश का विवरण **तालिका 2.25** में दिया गया है।

तालिका 2.25: डी0सी0पी0एस0 के तहत योगदान और निवेश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर्मचारियों का योगदान	सरकार का अंशदान	कुल	पेंशन निधि में अंतरण	कम (–)/अधिक(+) अंतरण
2015–16	314.72	309.44	624.16	609.72	(–) 14.44
2016–17	381.55	382.64	764.19	741.68	(–) 22.51
2017–18	462.64	472.36	935.00	937.33	2.33
2018–19	573.74	567.54	1,141.28	1,081.26	(–) 60.02
2019–20	688.65	816.58	1,505.23	1,302.58	(–) 202.65
2020–21	802.00	1,099.76	1,901.76	1,976.83	75.07
2021–22	934.55	1,311.04	2,245.59	2,302.76	57.17
2022–23	1,106.56	1,543.25	2,649.81	2,609.30	(–) 40.51
2023–24	1,387.46	1,984.79	3,372.25	3,650.00	277.75

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

एन0एस0डी0एल0 को अल्प अंशदान/निधियों का अंतरण कर्मचारियों की पेंशन आय को प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार के अंशदान को जारी करने और पेंशन निधि में इसके अंतरण में विलंब के कारण राज्य सरकार को सामान्य भविष्य निधि के लागू दर पर परिहार्य ब्याज का सामना करना पड़ा जिससे भविष्य में देनदारी और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक सृजित हो रही है।

2.5.2.4 सब्सिडी

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी अप्रत्यक्ष रूप में, वस्तु रूप में या कर रियायतों के रूप में हो सकती है।

सब्सिडियों पर व्यय की प्रवृत्तियाँ **तालिका 2.26** में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.26: 2019–24 के दौरान विभागवार सब्सिडियाँ

(₹ करोड़ में)

विभाग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्क लाईन	प्रवृत्ति
कृषि	518.17	164.30	219.58	496.76	497.77		
ऊर्जा	5,193.00	6,759.96	8,180.82	12,223.00	13,160.81		
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	618.13	578.77	720.56	629.93	822.24		
उद्योग	316.78	234.47	787.07	1,040.42	1,267.08		
परिवहन	177.17	122.57	89.01	96.18	26.15		
पशु एवं मत्स्य संसाधन	116.00	99.67	100.71	163.37	307.39		
अन्य	182.02	207.68	158.27	178.13	163.17		
सब्सिडी	7,121.27	8,167.42	10,256.02	14,827.79	16,244.61		
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	5.73	6.37	6.46	8.59	8.40		
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	5.65	5.86	6.44	8.06	8.53		

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि तालिका 2.26 से देखा जा सकता है, वर्ष 2023–24 के लिए सब्सिडी राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.40 प्रतिशत, राज्य के स्व-राजस्व का 30.30 प्रतिशत और जी0एस0डी0पी0 का 1.90 प्रतिशत थी। यह विगत वर्ष की तुलना में 9.70 प्रतिशत अधिक है।

81.02 प्रतिशत सब्सिडी ऊर्जा क्षेत्र को दी गई। विगत पाँच वर्षों (2019–24) के विश्लेषण से पता चलता है कि 2023–24 के दौरान दी गई सब्सिडी की राशि इस अवधि के दौरान सबसे अधिक थी। विगत पाँच वर्षों के दौरान सब्सिडी की राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। ऊर्जा क्षेत्र को दी जा रही अधिकतम सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए, तालिका 2.27 इस क्षेत्र को प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.27: 2019–2024 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र को प्रदान की गई सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

इकाईयों के नाम	वर्ष				
	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0)	0.00	0.00	100.00	145.00	46.81
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0)	0.00	0.00	80.86	0.00	0.00
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0)	5,193.00	6,759.96	7,999.96	12,078.00	13,114.00
कुल	5,193.00	6,759.96	8,180.82	12,223.00	13,160.81

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2022–23 के लिए दोनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रमाणित लेखों के अनुसार, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) ने ₹ 423.79 करोड़ का लाभ दर्ज किया जबकि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) को ₹ 243.01 करोड़ का घाटा हुआ।

2.5.2.5 स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य को अनुदान एवं ऋण के रूप में प्रदान की गई सहायता तालिका 2.28 में दिखाई गई है।

तालिका 2.28: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगरपालिकाएँ	1,533.24	4,785.08	5,386.53	4,990.73	6,952.16
पंचायती राज संस्थाएँ	9,971.64	12,899.38	13,268.40	14,474.20	16,754.97
कुल (अ)	11,504.88	17,684.46	18,654.93	19,464.93	23,707.13
(ब) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि)	3,925.89	3,716.00	3,684.25	4,331.84	4,120.34
विकास प्राधिकरण	5,839.49	999.15	1,693.64	1,388.63	1,267.63
अन्य संस्थान	25,311.28	32,529.37	40,982.19	54,755.48	48,505.38
कुल (ब)	35,076.66	37,244.52	46,360.08	60,475.95	53,893.35
कुल (अ+ब)	46,581.54	54,928.98	65,015.01	79,940.88	77,600.48
वेतन पर सहायता अनुदान	19,666.33	17,788.65	23,813.12	28,092.73	26,627.08
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	11,356.25	10,358.01	14,103.44	31,828.81	19,145.79
गैर-वेतन के लिए सहायता अनुदान	25,678.83	29,577.30	33,307.40	2,009.34	31,827.60
वस्तु के रूप में दिया गया सहायता अनुदान	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी				
राजस्व व्यय	1,26,016.66	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22	1,90,514.17
राजस्व प्राप्तियाँ	1,24,233	1,28,168	1,58,798	1,72,688	1,93,347
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	36.96	39.38	40.83	43.45	40.73
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायता	37.50	42.86	41.57	46.29	40.14

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

स्थानीय निकायों (एल0बी0) और अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता में विगत वर्ष की तुलना में 2.93 प्रतिशत की कमी आई है। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में यह विगत वर्ष के राजस्व व्यय के 43.45 प्रतिशत से घटकर 40.73 प्रतिशत हो गया। यह सहायता राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 40.14 प्रतिशत थी और यह विगत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 6.15 प्रतिशत अंक से कम हो गई।

छठे राज्य वित्त आयोग (एस0एफ0सी0)

राज्य सरकार ने 2020-25 के लिए छठे राज्य वित्त आयोग का गठन (फरवरी 2019) किया। आयोग को संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार से राज्य के स्थानीय निकायों को राजकोषीय अंतरण की योजना बनानी थी। राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को करों और अनुदानों के अंतरण की न्यूनतम सीमा की सिफारिश की। इस प्रकार, यदि करों और अनुदानों के अंतरण का परिकलित मान न्यूनतम सीमा से कम हो जाता है, तो राज्य सरकार को स्थानीय निकायों को कम से कम न्यूनतम सीमा राशि अंतरित करनी होगी।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने 2021-22 से 2024-25 तक की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों के प्रावधान के लिए 65:35 फॉर्मूला अपनाया। वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल प्रावधान ₹ 5,520 करोड़ (अंतरण ₹ 3,156 करोड़ और अनुदान: ₹ 2,364 करोड़), ₹ 3,588 करोड़ (65 प्रतिशत) पंचायती राज संस्थाओं के लिये और ₹ 1,932 करोड़ (35 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों के लिए थे।

अंतरण

राज्य सरकार को छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर 2021–22 से 2024–25 तक की अवधि के लिए विभाज्य कोष (विगत वर्ष का राज्य का निवल स्व-कर राजस्व) के 10 प्रतिशत की दर से स्थानीय निकायों के अंतरण हेतु विनियोजित करना था। निधियों का अंतरण तालिका 2.29 में देखा जा सकता है।

तालिका 2.29: 2023–24 के लिए करों का विभाज्य पूल

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुमानित	वास्तविक (टी-1)
राज्य स्व-कर राजस्व (अ)	38,017	44,018
संग्रह करने की लागत 2.52 प्रतिशत की दर से (ब)	958	1,109
निवल राज्य स्व-कर राजस्व (अ-ब)	37,059	42,909
हस्तांतरण (एस0ओ0एन0टी0आर0 का 10 प्रतिशत)	3,706	4,291

(स्रोत: एस0एफ0सी0 प्रतिवेदन एवं वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे)

हालाँकि, राज्य ने अनुशंसित ₹ 4,291 करोड़ की तुलना में केवल ₹ 3,156 करोड़ (अंतरण) प्रदान किए।

अनुदान

छठे राज्य वित्त आयोग ने 2021–25 की अवधि के दौरान वार्षिक अनुदान की राशि की गणना विगत वर्ष के निवल राजस्व (राज्य की समेकित निधि) के 2.50 प्रतिशत की दर से करने की सिफारिश की। अनुदान का 50 प्रतिशत सीधे स्थानीय निकायों को और शेष 50 प्रतिशत विभिन्न विभागों द्वारा उन योजनाओं पर व्यय किया जाना था जिनका उद्देश्य स्थानीय निकायों का विकास करना है। 2023–24 के दौरान, ₹ 5,439 करोड़ (₹ 2,17,552.81 करोड़ X 2.50 प्रतिशत) के अनुदान का प्रावधान किया जाना था, जैसा कि तालिका 2.30 में उल्लेख किया गया है।

तालिका 2.30: 2023–24 में स्थानीय निकायों को अनुदान

(₹ करोड़ में)

अनुदान	एस0एफ0सी0 द्वारा अनुमानित राशि	राशि जिसका प्रावधान किया जाना था	प्रावधान की गई राशि
स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष (50 प्रतिशत)	2,363.50	2,719.50	1,182.00
विभागों द्वारा व्यय (50 प्रतिशत)	2,363.50	2,719.50	1,182.00
कुल	4,727.00	5,439.00	2,364.00

(स्रोत: एस0एफ0सी0 प्रतिवेदन एवं वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने प्रावधान की जाने वाली राशि के विरुद्ध केवल ₹ 2,364 करोड़ (43.46 प्रतिशत) का प्रावधान किया।

स्थानीय निकाय को निधियाँ जारी करने में विलंब : 2023–24 के दौरान, प्रत्येक मद के लिए विमुक्ति आदेश दो किस्तों में जारी किए जाने थे, अर्थात्; 30 जून 2023 तक 50 प्रतिशत की पहली किस्त और 31 अक्टूबर 2023 तक 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त। नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयोग के दिशानिर्देशों के विपरीत, 37 दिनों से 187 दिनों के विलंब से आदेश जारी किए गए थे।


पंचायती राज विभाग ने अवलोकन को स्वीकार करते हुए जवाब दिया कि प्रक्रिया का पालन करने में लगने वाले समय के कारण अनुदान विमुक्त करने में विलंब हुआ।

2.5.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी स्थायी बुनियादी ढाँचे की परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय है। राज्य में पूँजीगत व्यय बजटीय सहायता

और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/गैर-बजट से पूरा किया जा रहा था। इसमें कंपनियों/निगमों में राज्य द्वारा किया गया निवेश भी शामिल है। विगत पाँच वर्षों में राज्य में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 2.13 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.13: राज्य में पूँजीगत व्यय



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.13 से, यह देखा जा सकता है कि:

- 2023-24 के दौरान, कैपेक्स बजट अनुमानों और राज्य सरकार के मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी, 2023 (₹ 29,257.31 करोड़) में किए गए अनुमान से 24.59 प्रतिशत अधिक था।
- विगत पाँच वर्षों के दौरान जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 2.11 प्रतिशत से 4.27 प्रतिशत के बीच रहा।
- वित्त लेखे के अनुसार, पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किए गए कुछ व्यय को गलत वर्गीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कैपेक्स का उस सीमा तक अतिशयोक्ति हुई (कंडिका 2.5.3.5)।

विगत पाँच वर्षों (2019-24) के दौरान, कैपेक्स का एक बड़ा हिस्सा राज्य के लोक लेखे में रखा गया है। 2023-24 के दौरान, कैपेक्स का ₹ 11,072 करोड़ (कुल कैपेक्स का 30.37 प्रतिशत) लोक लेखे में अंतरित किया गया। विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय IV के कंडिका 4.4 में शामिल है।

2.5.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में, चालू वर्ष के दौरान, राज्य के कैपेक्स के संबंध में विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तनों को तालिका 2.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.31: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान कैपेक्स

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/ कमी (-)	प्रतिशत वृद्धि(+) /कमी (-)
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	2,426.48	2175.00	(-) 251.48	(-) 10.36
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	6,218.08	7,083.98	865.90	13.93
4059-लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,596.44	3,270.68	1,674.23	104.87
4801-उर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,078.71	1,782.31	(-) 1,296.40	(-) 42.11
4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	1,392.24	419.90	(-) 972.34	(-) 69.40
4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,207.61	2,852.38	1,644.77	136.20
4215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	1,310.02	1,002.63	(-) 307.39	(-) 23.46
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,315.54	2,987.77	1,672.23	127.11
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	983.93	2,202.41	1,218.48	123.84
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,067.39	1,442.51	375.11	35.14

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि तालिका 2.31 से देखा जा सकता है:

(अ) निम्नलिखित के तहत व्यय में वृद्धि हुई थी:

(i) मुख्य शीर्ष 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' में मुख्य रूप से 'इंजीनियरिंग कॉलेज भवनों (निश्चय) और सरकारी भवन निर्माण और सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों पर व्यय में वृद्धि के कारण (ii) मुख्य शीर्ष लोक कार्य में मुख्य रूप से 'ब्लॉकों के भवनों (ग्रामीण विकास विभाग), स्टेडियम और खेल संरचना और सांस्कृतिक संरचना' पर व्यय में वृद्धि के कारण और (iii) मुख्य शीर्ष 'मुख्य सिंचाई' में मुख्य रूप से 'सिंचाई सृजन' परियोजना (कार्य) (नावार्ड सहायता प्राप्त बाढ़ नियंत्रण परियोजना (कार्य)) और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन के अन्तर्गत एवं जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम पर व्यय में वृद्धि के कारण।

(ब) निम्नलिखित के तहत व्यय में कमी आई थी:

(i) मुख्य शीर्ष 'विद्युत परियोजनाओं' में मुख्य रूप से 'बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की परियोजना और हर खेत तक सिंचाई का पानी सात निश्चय-2' पर व्यय में कमी के कारण (ii) मुख्य शीर्ष 'चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य' में मुख्य रूप से 'डेंटल महाविद्यालय एवं अस्पताल' तथा 'प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन' पर व्यय में कमी के कारण और (iii) मुख्य शीर्ष 'ग्रामीण और लघु उद्योग' में मुख्य रूप से 'औद्योगिक पार्क के विकास' पर व्यय में कमी के कारण।

2.5.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है, जिनकी कुल निवल मूल्य का क्षरण हो गया है, तो निवेश पर प्रतिफल की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार, अनुभव ने घाटे में चल रहे निगमों और वित्तीय निगमों आदि जैसे अन्य निकायों को दिए गए ऋणों को बड़े लेखे में डालने की अनिवार्यता को दर्शाया है। ऐसे वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे। यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0)

एस0पी0एस0ई0 में निवेश की गई शेयर पूँजी पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। 2019–20 से 2023–24 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की प्रवृत्ति तालिका 2.32 में दी गई है।

तालिका 2.32: निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0)

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	31,667.39	32,870.61	35,436.02	39,024.62	41,512.97
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	1.62	603.01	6.54	1.49	9.51
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	1.83	0.02	0.00	0.02
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.07	5.94	5.70	5.51	5.62
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.06	4.11	5.68	5.51	5.60
सरकारी उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर (₹ करोड़ में) [#]	1,919.04	1,350.98	2,012.77	2,150.26	2,324.72

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[#] (वर्ष के अंत में निवेश X ब्याज दर और प्रतिफल की दर के बीच का अंतर)/100

जैसा कि तालिका 2.32 से देखा जा सकता है:

- i. 31 मार्च 2024 तक, सरकार ने 46 सरकारी कंपनियों (₹ 38,271.59 करोड़), तीन वैधानिक निगमों (₹ 105.63 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹ 30.19 करोड़), 12 संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹ 2,462.76 करोड़) और 17 सहकारी संस्थानों/समितियों (₹ 642.80 करोड़) में कुल ₹ 41,512.97 करोड़ का निवेश किया था। 46 सरकारी कंपनियों में से 22 कार्यरत कंपनियाँ हैं जहाँ ₹ 38,100.21 करोड़ का निवेश किया गया था और 24 अकार्यशील कंपनियाँ थीं जिनमें ₹ 171.38 करोड़ का निवेश किया गया था।
- ii. चालू वर्ष के दौरान, बिहार सरकार ने अपनी पाँच संस्थाओं⁶ में ₹ 2,488.35 करोड़ का निवेश किया, जिसमें से 73.07 प्रतिशत निवेश ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में किया गया, इसके बाद पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बिहार सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान किए गए कुल निवेश का 23.71 प्रतिशत) का स्थान रहा।
- iii. 2023–24 के दौरान, चार संस्थाओं⁷ द्वारा ₹ 9.51 करोड़ का लाभांश जारी करने के कारण, विगत वर्ष की तुलना में आर0ओ0आई0 में ₹ 8.02 करोड़ की वृद्धि हुई।
- iv. सरकार की उधारी लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण विभिन्न संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल (विगत पाँच वर्षों में अधिकतम) पर राज्य सरकार को ₹ 2,324.72 करोड़ की काल्पनिक हानि हुई।
- v. 2019–20 से 2023–24 तक, एस0पी0एस0ई0 में निवेश में ₹ 9,845.58 करोड़ की वृद्धि हुई और इस पाँच साल की अवधि के दौरान ₹ 622.17 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ। यह लाभांश विगत पाँच वर्षों के दौरान किए गए कुल निवेश का केवल 6.32 प्रतिशत था।

⁶ बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड (₹ 65.00 करोड़), बिहार स्टार्टअप नीति 2016 के तहत निवेश उद्यम पूँजी (₹ 10.00 करोड़), पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (₹ 590.00 करोड़), अन्य सहकारी समितियाँ (₹ 5.04 करोड़) और बिहार राज्य पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड (₹ 1,818.31 करोड़)।

⁷ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 2.10 करोड़); राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 0.01 करोड़); डेयरी को-ऑपरेटिव (₹ 5.76 करोड़) और अन्य सहकारी समितियाँ (₹ 1.64 करोड़)।

राज्य ने घाटे में चल रहे दो एस0पी0एस0ई0 को शेयर/इक्विटी के रूप में 2023–24 तक ₹ 37,791.46 करोड़ की बजटीय सहायता दी, जैसा कि तालिका 2.33 में दिखाया गया है।

तालिका 2.33: घाटे में चल रही कंपनियों में किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी	समेकित हानि	वर्ष में किया गया निवेश	31 मार्च 2023 को समेकित निवेश	31 मार्च 2024 को समेकित निवेश
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	15.32	65.00	634.59	699.59
2	बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लिमिटेड	20,015.68	1,818.31	35,273.56	37,091.87
कुल		20,031.00	1,883.31	35,908.15	37,791.46

(स्रोत: वित्त लेखे 2023–24)

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन (दिसंबर 2024) पर कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की।

राज्य द्वारा ऋण और अग्रिम

सरकार ने कई सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों को ऋण और अग्रिम प्रदान किए हैं। विवरण तालिका 2.34 में दिया गया है।

तालिका 2.34: 2019–20 से 2023–24 के दौरान वितरित और वसूल किए गए ऋण

(₹ करोड़ में)

वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
लंबित ऋणों का प्रारंभिक शेष	20,814.33	21,450.23	21,743.77	23,194.36	25,209.64
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	666.30	1,113.97	1,478.51	2,056.77	2,135.86
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	30.40	820.43	27.92	41.49	95.93
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	21,450.23	21,743.77	23,194.36	25,209.64	27,249.57
निवल योग	635.90	293.54	1,450.59	2,015.28	2,039.92
प्राप्त ब्याज	0.88	3.90	5.68	8.65	269.41
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	पता नहीं लगाया जा सकता				
सरकार की बकाया उधारियों पर चुकाई गई ब्याज दर	7.58	7.12	6.56	6.20	6.31
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	पता नहीं लगाया जा सकता				

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.34 से यह देखा जा सकता है कि:

- विगत पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम ने बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित की और 2019–20 में ₹ 666.30 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 2,135.86 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों में से ₹ 1,689.82 करोड़ सरकारी कंपनियों को दिए गए, जो इस वर्ष के दौरान वितरित कुल ऋणों का 79.11 प्रतिशत है।
- वर्ष के दौरान, विभिन्न ऋणी समूहों को दिए गए ₹ 2,135.86 करोड़ के ऋणों और अग्रिमों में से ₹ 95.93 करोड़ ऋणों की चुकौती की गई है।

- iv. ₹ 95.93 करोड़ की राशि के ऋणों के पुनर्भुगतान में से 56.22 प्रतिशत (₹ 53.94 करोड़) सरकारी कंपनियों द्वारा किया गया था।
- v. 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के विरुद्ध राज्य सरकार को प्राप्त ब्याज ₹ 269.41 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 260.76 करोड़ अधिक था।

राज्य सरकार के वित्त लेखे के **विवरण 18** के अनुसार, इसने 2023–24 के दौरान ऋण प्राप्तकर्ता से 10.50 प्रतिशत से 11.36 प्रतिशत तक की दर से ब्याज लिया। तथापि, सरकार ने सभी मामलों में ऋण प्राप्तकर्ता को प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर (दरों) का खुलासा नहीं किया।

विगत पाँच वर्षों के दौरान ऋणी समूह-वार कुल संवितरण और ऋणों की पुनर्भुगतान **तालिका 2.35** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.35: विगत पाँच वर्षों (2019–20 से 2023–24) के दौरान ऋणी समूह-वार कुल संवितरण और ऋणों का पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	कुल	
	संवितरण	पुनर्भुगतान
विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान	0.00	0.00
नगर पालिकाएँ/नगर परिषदें/नगर निगम	0.00	0.00
आवास बोर्ड	0.00	0.00
सरकारी कंपनियाँ	5,444.47	72.13
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	328.71	831.59
पंचायती राज संस्थाएँ	5.97	0.00
सांविधिक निगम	615.85	6.05
सरकारी कर्मचारी	116.98	100.79
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	0.00	0.00
अन्य	939.43	5.61
कुल	7,448.41	1,016.17

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.35 दिखाता है कि:

- i. 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान वितरित ₹ 7,448.41 करोड़ के ऋणों के मुकाबले, केवल ₹ 1,016.17 करोड़ का भुगतान किया गया।
- ii. सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों/सहकारी निगमों, बैंकों, सांविधिक निगमों और सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण दिए गए।
- iii. विगत पाँच वर्षों के दौरान, सहकारी समितियों/सहकारी निगमों/बैंकों और सांविधिक निगमों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान की गति उनकी संवितरण की गति से अधिक थी। तथापि, सरकारी कंपनियों के मामले में, जिन्हें विगत पाँच वर्षों के दौरान 73.07 प्रतिशत ऋण संवितरित किए गए थे, वें संवितरित ऋणों का केवल 1.32 प्रतिशत ही विगत पाँच वर्षों के दौरान चुकाए।
- iv. सरकारी कंपनियों से वसूली विगत पाँच वर्षों के दौरान ऋणी संस्थाओं से कुल वसूली का केवल 7.09 प्रतिशत है।

विभिन्न ऋणी समूहों से ब्याज बकाया की राशि तालिका 2.36 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.36: 2019–24 की अवधि के लिए बकाया ब्याज भुगतान का ऋणी समूह-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नगर पालिकाएँ/नगर परिषदें/नगर निगम	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40
आवास बोर्ड	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
सरकारी कंपनियाँ	4,186.71	5,118.51	6,054.40	6,996.90	7,944.64
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	718.02	801.88	887.48	973.13	1,058.78
पंचायती राज संस्थाएँ	26.77	30.00	33.23	36.46	39.69
सांविधिक निगम	4,576.75	4,677.63	4,768.52	4,869.33	4,970.14
सरकारी कर्मचारी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	685.14	817.04	948.94	1,079.65	1,210.36
कुल	10,263.19	11,514.86	12,762.37	14,025.27	15,293.41

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि तालिका 2.36 से देखा जा सकता है:

- बकाया ब्याज भुगतान की कुल राशि बढ़ती प्रवृत्ति पर थी और 2019–20 से 2023–24 के बीच 49.01 प्रतिशत (₹ 5,030.22 करोड़) की वृद्धि हुई।
- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों और आवास बोर्डों से बकाया ब्याज भुगतान की राशि विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थिर रही है।
- सरकारी कंपनियों से प्राप्य ब्याज 51.95 प्रतिशत है, इसके बाद सांविधिक निगम (कुल वसूली योग्य ब्याज का 32.50 प्रतिशत) है। इन दोनों पर ऋणी समूह से कुल वसूली योग्य ब्याज का 84.45 प्रतिशत बकाया थे।

ब्याज का भुगतान न करने से न केवल ब्याज का संचय होगा बल्कि राज्य इन ऋणकर्ताओं को दिए गए ऋणों पर ब्याज के अपने राजस्व से भी वंचित हो जाएगा।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन (दिसंबर 2024) पर कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की।

2.5.3.3 निष्क्रिय ऋण लेखे

कुछ मुख्य शीर्षों के तहत, विगत वर्षों के दौरान विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित ₹ 1,915.99 करोड़ की राशि के ऋणों की बकाया शेष राशि (₹ 50 करोड़ और उससे अधिक) निष्क्रिय रही, अर्थात्, विगत नौ वर्षों (वित्त वर्ष 2014–15 से 2023–24) के लिए न तो मूलधन और न ही किसी ब्याज का भुगतान किया गया। निष्क्रिय ऋण लेखों को तालिका 2.37 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.37: निष्क्रिय ऋण खाता

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लेखा शीर्ष	2015-24
6215	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण	70.04
6216	आवास के लिए ऋण	136.73
6217	शहरी विकास के लिए ऋण	260.47
6408	खाद्य भंडारण और भंडारगृह के लिए ऋण	1,448.75
कुल		1,915.99

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा इन बकाया ऋणों की उपयुक्त स्तरों पर समीक्षा की जाए और वसूली अथवा बट्टे लेखे में डालने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो कदम उठाए जाएँ।

उपर्युक्त के अलावा, चार मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुछ अन्य बकाया ऋण जहाँ बकाया राशियों में केवल मामूली परिवर्तन हुआ था और उसके अंतर्गत पर्याप्त राशियाँ अभी भी निष्क्रिय थीं, तालिका 2.38 में दी गई हैं।

तालिका 2.38: बकाया राशि में मामूली परिवर्तन के साथ ऋण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष ^a	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
6515	57.64	57.64	57.64	57.64	57.64	57.64	57.64	57.64	63.61
6801	15,445.86	15,520.91	15,745.26	15,571.40	15,622.97	15,865.97	15,943.10	16,034.13	16,118.02
6860	468.78	469.88	469.88	469.88	469.88	469.88	474.13	474.13	474.13
6885	314.08	314.08	314.07	314.06	314.05	314.05	334.05	334.05	334.04

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.38 दर्शाती है कि विगत आठ वित्तीय वर्षों के दौरान ऋणों की महत्वपूर्ण राशियाँ यथावत रहीं। इन राशियों का एक बड़ा हिस्सा विद्युत परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋणों से संबंधित था। वर्ष के दौरान, विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में ₹ 86.73 करोड़ दिए गए और केवल ₹ 2.85 करोड़ की वसूली की गई। राशि पर मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए ₹ 86.73 करोड़ में से डिस्काम को मुख्य शीर्ष 6801 के अंतर्गत (एन0बी0पी0डी0सी0एल0 और एस0बी0पी0डी0सी0एल0) ₹ 67.64 करोड़ प्रदान किए गए।

इसके अलावा, विभिन्न ऋण शीर्षों के अंतर्गत ₹ 610.00 करोड़ की राशि ऋणात्मक शेष के रूप में पाई गई, जिसका समाधान आवश्यक है (परिशिष्ट-2.2)। ये शेष राशि 2003-04 से आगे बढ़ाई जा रही थी। ऋणों के ऋणात्मक शेष की उचित स्तर पर समीक्षा की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो इस शेष राशि को बट्टे खाते में डालने/समाशोधन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जा सकते हैं।

एस0एफ0ए0आर0 के लिए प्रवेश सम्मेलन के दौरान, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार सरकार ने आश्वासन दिया कि इन राशियों का मिलान जल्द से जल्द किया जाएगा।

2.5.3.4 अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अधूरी पूँजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों को अवरुद्ध करने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और राज्य को लम्बे समय के लिए परियोजनाओं के इच्छित लाभों से

^a 6515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण, 6801-विद्युत परियोजना के लिए ऋण, 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण और 6885-उद्योगों एवं खनिजों के लिए अन्य ऋण।

वंचित रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियों पर ऋण और ब्याज देयताओं की अदायगी के संदर्भ में अतिरिक्त भार पड़ेगा। अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण तालिका 2.39 में दिखाया गया है (वित्त लेखा 2023–24 के परिशिष्ट–IX के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर)।

तालिका 2.39: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक अपूर्ण परियोजनाओं की वर्षवार रूपरेखा			
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय हुआ
2013–14	1	2.37	—
2014–15	0	—	—
2015–16	0	—	—
2016–17	5	411.86	14.26
2017–18	3	12.71	—
2018–19	10	217.11	2.57
2019–20	23	637.64	45.96
2020–21	37	890.07	115.17
2021–22	32	1,215.09	334.40
2022–23	34	2,747.29	613.29
2023–24	209	3,519.84	886.83
कुल	354	9,653.97	2,012.48

31 मार्च 2024 तक अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा		
विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (व्यय हुआ)
जल संसाधन	167	4,861.89
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	52	241.40
भवन निर्माण	70	2,901.94
सड़क निर्माण	46	1,611.74
ग्रामीण कार्य	15	28.64
स्थानीय क्षेत्र अभियांत्रिकी संगठन (योजना एवं विकास)	4	8.36
कुल	354	9,653.97

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इन 354 चालू परियोजनाओं पर ₹ 9,653.97 करोड़ की अनुमानित लागत में से 2023–24 तक ₹ 2,012.48 करोड़ खर्च किए गए। इसलिए, इन 354 परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹ 2,012.48 करोड़ का पूँजीगत व्यय अवरुद्ध रहा।

वित्त लेखे 2023–24 (राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त) के परिशिष्ट–IX (सरकार की प्रतिबद्धताएँ—अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की सूची) में अधूरी जानकारी के कारण, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2024 तक वास्तविक प्रगतिशील व्यय, कार्य की भौतिक प्रगति, लंबित भुगतान की स्थिति (भविष्य की देयता) और संशोधित लागत, यदि कोई हो, को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.5.3.5 राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में या इसके विपरीत गलत वर्गीकरण

पूँजीगत व्यय मोटे तौर पर एक यथार्थपूर्ण और स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण/वृद्धि करने या स्थायी देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किया गया व्यय है। स्थापना एवं प्रशासनिक इकाई के संचालन सहित और इसकी परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए किए गए अन्य सभी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2023–24 के दौरान, पूँजीगत खण्ड के बजाय राजस्व खण्ड के तहत ₹ 0.21 करोड़ और राजस्व खण्ड के बजाय पूँजीगत खण्ड के तहत ₹ 22.53 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था।

राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय के गलत वर्गीकरण के कारण पूँजीगत व्यय में ₹ 22.32 करोड़ की वृद्धि हुई और राजस्व व्यय में ₹ 22.32 करोड़ की कमी आई। इसके अलावा, इसने राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला।

2.5.4 व्यय प्राथमिकताएँ

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। निम्न वित्तीय प्राथमिकता (कुल व्यय एक श्रेणी के तहत के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है। कुल व्यय के लिए इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी बेहतर मानी जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय (सी0ई0) के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकताओं का विश्लेषण तालिका 2.40 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.40: 2023–24 में स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

	ए0ई0* / जी0एस0डी0पी0	सी0ई0 / ए0ई0	शिक्षा / ए0ई0	स्वास्थ्य / ए0ई0
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2018–19)	16.38	14.04	14.76	5.07
राज्य	27.92	14.28	19.31	4.96
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2023–24)	15.66	15.38	14.36	5.71
राज्य	26.81	15.91	19.07	5.68


(स्रोत: सी0ए0जी0 के आर्थिक सलाहकार और वित्त लेखे)
* ए0ई0—कुल व्यय

तालिका 2.40 से यह देखा जा सकता है कि 2023–24 के दौरान, स्वास्थ्य पर व्यय को छोड़कर राज्य की व्यय प्राथमिकताएँ सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ऊपर थीं।

2.5.5 विषय शीर्षवार व्यय

2023–24 के लिए वस्तु शीर्ष-वार व्यय को चार्ट 2.14 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.14: विषय शीर्षवार व्यय



(स्रोत: वर्ष 2023–24 के लिए वित्त लेखे)

2.6 लोक लेखा

प्राप्तियों और संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा

में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सरकार इन मामलों में बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध निधि होती है।

2.6.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखे में संबंधित पाँच वर्षों के मार्च के अंत में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.41 में दिया गया है।

तालिका 2.41: संबंधित वर्षों के लोक लेखे में घटक-वार निवल शेष (₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आई.-लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	190.40	166.29	76.28	(-) 124.77	(-) 255.76
जे.- आरक्षित निधि	(अ) ब्याज वाली आरक्षित निधि	522.95	378.12	140.42	1,585.11	1,222.72
	(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि	0.00	(-) 26.32	0.00	0.00	0.00
के.- जमा और अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	202.65	(-) 75.05	(-) 57.17	40.52	(-) 247.91
	(ब) ब्याज रहित जमा	1,509.34	4,336.01	(-) 1,543.24	363.64	1,476.52
	(स) अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एल.- उचंत और विविध	(अ) उचंत (सिविल)	(-) 5,773.58	(-) 4,879.88	(-) 238.38	1,199.82	8,804.89
	(ब) अन्य लेखे	(-) 2,735.55	(-) 191.23	(-) 4,148.08	7,961.19	(-) 12,655.59
	(स) विदेशी सरकारों के साथ खोले गये खाते	(-) 0.01	(-) 0.01	(-) 0.01	0.00	0.00
एम.- प्रेषण	(अ) धनादेश, और अन्य प्रेषण	(-) 2.44	4.37	(-) 7.53	0.00	(-) 2.36
	(ब) अंतर्संरकारी समायोजन लेखा	(-) 794.07	794.07	0.00	0.00	(-) 0.01
कुल		(-) 6,880.31	506.37	(-) 5,777.71	11,025.51	(-) 1,657.51

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2023-24 के दौरान, ₹ (-) 1,657.51 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियों का राज्य के कुल संसाधनों में नकारात्मक योगदान था। निवल लोक लेखा भुगतान में प्रमुख घाटा उचंत और विविध के अंतर्गत अन्य लेखे में ₹ (-)12,655.59 करोड़ देखा गया जिसकी वजह 'नकद शेष निवेश लेखा' के अंतर्गत प्राप्तियों की तुलना में अधिक संवितरण ₹ (-)12,692.26 करोड़ थी।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन (दिसंबर 2024) पर कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की।

2.6.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। इन निधियों को राज्य की समेकित निधि से अंशदान या अनुदान द्वारा पूरा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य सरकार के पास चार आरक्षित निधियाँ (तीन ब्याज वाली और एक ब्याज रहित) थी। 31 मार्च 2024 के अंत में, इन निधियों के तहत कुल समेकित शेष राशि ₹ 12,343.97 करोड़ थी। आरक्षित निधियों का विवरण तालिका 2.42 में दिया गया है।

तालिका 2.42: आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2024 को शेष
अ	ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	3,849.31
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2,800.04
2	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि	289.47
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	759.80
ब	बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि	8,494.66
1	निक्षेप निधि	8,494.66
कुल योग		12,343.97

(स्रोत: 2023-24 के वित्त लेखे)

आरक्षित निधि के तहत ₹ 3,863.26 करोड़ की कुल प्राप्तियों के मुकाबले, केवल ₹ 1,174.01 करोड़ का वितरण किया गया, जिससे विगत वर्ष की तुलना में आरक्षित निधि में ₹ 2,689.25 की वृद्धि हुई।

2.6.2.1 समेकित निक्षेप निधि (सी0एस0एफ0)

बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर देनदारियों आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए, और इन निधियों का उपयोग ऋणों के मोचन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) के दिशा-निर्देश, जो निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इस निधि के लिए वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत वार्षिक योगदान निर्धारित करते हैं। निधि का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और निवेश का ब्यौरा वित्त लेखे के विवरण-22 में दिया गया है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 में केवल बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए एक समेकित निक्षेप निधि (सी0एस0एफ0) की स्थापना की और वर्ष 2014-15 से इसका उपयोग सरकार की बकाया देनदारियों के मोचन के लिए किया जाना था। 2023-24 के दौरान, बिहार सरकार ने आवश्यक ₹ 1,292.80 करोड़ (आंतरिक ऋण ₹ 2,08,098.10 करोड़ + विगत वर्ष का लोक लेखा: ₹ 50,461.44 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) के मुकाबले सी0एस0एफ0 में ₹ 1,466.54 करोड़ (वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों का 0.57 प्रतिशत) का योगदान दिया।

31 मार्च 2024 तक निधि के तहत ₹ 10,486.99 करोड़ (मूलधन: ₹ 8,494.66 करोड़ + ब्याज: ₹ 1,992.33 करोड़) की कुल राशि थी, जो विगत वर्ष के ₹ 8,320.73 करोड़ के संचित शेष से 26.03 प्रतिशत अधिक थी।

2.6.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस0डी0आर0एफ0) से बदल दिया। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र और राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान करें। अंशदान को लोक लेखा के मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है और व्यय का संचालन मुख्य शीर्ष-2245 से किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एस0डी0आर0एफ0 को राज्य सरकारों द्वारा ब्याज का भुगतान करना होता है। ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एस0डी0आर0एफ0 के निवेश पर अर्जित आय के साथ एस0डी0आर0एफ0 में वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जक जमा में निवेश किया जाना है।

एस0डी0आर0एफ0 का उपयोग केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना है और आपदा तैयारी, बहाली, पुनर्निर्माण और न्यूनीकरण के प्रावधान को एस0डी0आर0एफ0 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यय को सामान्य बजटीय शीर्षो/राज्य योजना निधियों, एस0डी0एम0एफ0 आदि से किया जाना होता है।

भारत सरकार ने ₹ 1,248.80 करोड़ का योगदान दिया और राज्य सरकार ने 2023-24 में एस0डी0आर0एफ0 को ₹ 416.00 करोड़ का अपना हिस्सा जारी किया। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एस0डी0आर0एफ0 के अंतर्गत ₹ 1,698.57 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा ₹ 1,248.80 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 416.00 करोड़ और एस0डी0आर0एफ0 की निवेशित राशि से प्राप्त ब्याज ₹ 33.77 करोड़) निधि को हस्तांतरित किए। इस ₹ 1,698.57 करोड़ में से ₹ 586.40 करोड़ की राशि एस0डी0आर0एफ0 से खर्च की गई और उसमें से ₹ 1,000.00 करोड़ की राशि का निवेश किया गया। 31 मार्च 2024 तक एस0डी0आर0एफ0 के तहत शेष राशि ₹ 2,800.04 करोड़ थी।

राज्य सरकार को 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन0डी0आर0एफ0) के लिये भारत सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

2.6.2.3 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस0डी0एम0एफ0)

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस0डी0एम0एफ0) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1)(सी) के तहत किया जाना था। यह निधि विशेष रूप से एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 दिशा-निर्देशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदा के संबंध में न्यूनीकरण परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए है।

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत जुलाई 2022 में एस0डी0एम0एफ0 बनाया। केन्द्र और राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपात में अंशदान करना है। वर्ष 2023-24 के दौरान एस0डी0एम0एफ0 के तहत केंद्र सरकार से ₹ 304.80 करोड़ प्राप्त हुए और राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 101.60 करोड़ था।

राज्य सरकार ने ₹ 611.30 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा: ₹ 453.50 करोड़ जिसमें विगत वर्ष 2022-23 का ₹ 148.70 करोड़ शामिल हैं; राज्य का हिस्सा: ₹ 151.20 करोड़ जिसमें विगत वर्ष 2022-23 का ₹ 49.60 करोड़ शामिल हैं और एस0डी0एम0एफ0 में निवेशित राशि से प्राप्त ब्याज ₹ 6.60 करोड़) एस0डी0एम0एफ0 के मुख्य शीर्ष 8121-130 तहत निधि में अंतरित किया। निधि से क्रमशः ₹ 223.52 करोड़ और ₹ 200.00 करोड़ की राशि खर्च और निवेश की गई, जिसमें 31 मार्च 2024 को ₹ 759.80 करोड़ का अंतशेष बचा था।

2.6.2.4 गारंटी मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार को गारंटी मोचन निधि (जी0आर0एफ0) का सृजन करना था और चालू वित्तीय वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों, जैसा कि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा निर्धारित लेखा बही में दर्शाया गया है, के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान करना था। निधि में जमा राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान के लिए किया जाना है। राज्य जी0आर0एफ0 में निवेश की गई वृद्धिशील निधियों के बदले आर0बी0आई0 से रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा भी प्राप्त कर सकता है।

राज्य सरकार ने न तो जी0आर0एफ0 का गठन किया और न ही उसने गारंटियों पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कोई नियम बनाए थे। इस प्रकार, राज्य सरकार ने जी0आर0एफ0 में ₹ 129.70 करोड़ का न्यूनतम वार्षिक योगदान नहीं दिया (वर्ष 2023-24 की शुरुआत में ₹ 25,939.25 करोड़ की बकाया गारंटी का 0.5 प्रतिशत)। जी0आर0एफ0 में अंशदान न करने से राज्य को भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करने से वंचित होना पड़ा साथ ही राज्य का राजस्व अधिशेष उस सीमा तक बढ़ गया।

2.6.2.5 राज्य की समेकित निधि/लोक लेखे से बाहर की निधि

भारत का संविधान के अनुच्छेद 266(1) तथा अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन प्रावधान है, कि किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राजकोषीय बिल, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम जारी करके उस सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों कि एक समेकित निधि बनेगी जो “राज्य की समेकित निधि” होंगी। अनुच्छेद 266(2) में प्रावधान है कि सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धनराशि, जैसा भी मामला हो, राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी।

राज्य सरकार ने विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यय को पूरा करने हेतु विभिन्न उपकर/लेवी लगाई। लेखापरीक्षा संबंधित विभागों द्वारा लगाए जा रहे उपकरणों के संबंध में सूचना/ऑकड़ें एकत्र किए जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

असंगठित क्षेत्र के सन्निर्माण कामगारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 तैयार किए हैं, जिनका अनुसरण करते हुए बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 और नियम (संशोधन) 2016 राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के आलोक में, बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए फरवरी 2008 के महीने में बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया है।

बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत निधि प्रदान करना है। बोर्ड राज्य में भारत सरकार, बिहार सरकार, अर्ध-सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों पर किए गए कुल व्यय के एक प्रतिशत की दर से निधियाँ एकत्र करता है।

विभागों ने उपकर की वसूली मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-108-लोक निर्माण जमा के अंतर्गत दर्ज की, जिसमें उपकर के अलावा कई अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिणामस्वरूप, विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित श्रम उपकर की राशि का पता नहीं लगाया जा सका। इसलिए, श्रमिकों से जुड़ी परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा एकत्र किए गए उपकर की बुकिंग के लिए जून 2019 में सरकार द्वारा एक अलग उप-शीर्ष (8443-00-108-0004) खोला गया। हालाँकि, खोला गया उप-शीर्ष, 31 मार्च 2024 तक कार्यरत नहीं था।

वित्त लेखे के अनुसार, 2019-20 से 2023-24 के दौरान उपकर के संग्रह और बी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 बोर्ड को इसके हस्तांतरण की राशि तालिका 2.43 में नीचे दर्शायी गयी है।

तालिका 2.43: बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रम उपकर का संग्रहण एवं अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एकत्रित	अंतरित	गैर-अंतरित राशि
2019-20	89.9	0.14	89.76
2020-21	116.97	31.44	85.53
2021-22	122.23	51.41	70.82
2022-23	104.95	92.91	12.04
2023-24	119.61	153.98	(-) 34.37
कुल	553.66	329.88	223.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.43 से पता चलता है कि सरकार ने बी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 बोर्ड को ₹ 153.98 करोड़ अंतरित किए, जिसमें विगत वर्षों की अंतरित नहीं की गई राशि भी शामिल थी, जबकि चालू वर्ष के दौरान ₹ 119.61 करोड़ एकत्र किए गए थे। मार्च 2024 तक ₹ 223.78 करोड़ का अंतरित नहीं की गई शेष, राज्य की देयता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, इस अंतरित नहीं की गई राशि के कारण राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक बढ़ गया।

सड़क सुरक्षा उपकर

बिहार मोटर वाहन (एम0वी0) कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 6 ए के प्रावधानों के तहत, अधिनियम में निर्दिष्ट दर के अनुसार सड़क सुरक्षा उपकर लगाया और एकत्र किया जाना है। अधिनियम की धारा 6 बी के प्रावधानों के तहत, सड़क सुरक्षा उपकर के प्रबंधन और प्रशासन के लिए, राज्य सरकार ने (मार्च 2017) "बिहार सड़क सुरक्षा निधि" की स्थापना की है।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने (03/2017), 0041-00-102-0002- उपकर की प्राप्ति के लिए मुख्य लेखा शीर्ष के रूप में 'सड़क सुरक्षा उपकर लगाने से प्राप्तियों' और 2041-00-101-0005- नामित मुख्य शीर्षों के तहत व्यय करने के लिए मुख्य लेखा शीर्ष के रूप में 'सड़क सुरक्षा उपकर (आर0एस0सी0) से प्राप्तियों का योगदान' अधिसूचित किया।

2019-2024 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 733.01 करोड़ (0041-00-102-0002-सड़क सुरक्षा उपकर) का सड़क सुरक्षा उपकर एकत्र किया। इस अवधि के दौरान इसमें से केवल ₹ 63.47 करोड़ का व्यय किया गया (2041-00-101-0005-सड़क सुरक्षा उपकर की प्राप्तियों का अंशदान) जिसके परिणामस्वरूप निधियाँ एकत्र हो गईं। इसके अलावा, 2023-24 में ₹ 164.35 करोड़ अंतरित नहीं किये जाने के कारण राजस्व अधिशेष का अतिकथन और राजकोषीय घाटा का अवकथन उस सीमा तक था।

अन्य उपकर

2023-24 के दौरान, सरकार ने ₹ 1.49 करोड़ (2022-23: ₹ 1.26 करोड़ और 2021-22: ₹ 1.28 करोड़) का भूमि उपकर एकत्र किया। हालाँकि, सरकार ने उपकर एकत्र किया, लेकिन उसने 31 मार्च 2024 तक इसके लिए एक कोष स्थापित नहीं किया है।

इसके अलावा, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, लगान पर लगाए गए चार उपकर अर्थात् स्वास्थ्य (50 प्रतिशत), शिक्षा (50 प्रतिशत), सड़क (25 प्रतिशत) और कृषि (20 प्रतिशत) वसूल कर रहा था।

यद्यपि उपर्युक्त उपकर राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए जा रहे थे, इन उपकरों के लिए कोई अलग से लेखा शीर्ष संचालित नहीं किए जा रहे थे, जिसके अभाव में, वास्तविक संग्रह के ब्यौरे और इन उपकरों के उपयोग का पता नहीं लगाया जा सका।

राज्य में लगाए जा रहे और संग्रहित किए जा रहे उपकरों की कुल संख्या के ब्यौरे के लिए अनुरोध किया गया लेकिन संबंधित सूचना सरकार से प्राप्त नहीं हुई।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एन0एम0ई0टी0)

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एन0एम0ई0टी0) की स्थापना अगस्त 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) – एम0एम0डी0आर0 अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी(1) (2015 में संशोधन के माध्यम से सम्मिलित) के तहत की गई। अधिनियम की धारा 9 सी(4) में कहा गया है कि खनन पट्टा या खनिज रियायत धारक ट्रस्ट को दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से करेगा।

एन0एम0ई0टी0 नियम, 2015 के नियम 7(6) में कहा गया है कि न्यास निधि में एकत्र की गई राशि को इकट्ठा करने और जमा करने और केंद्र सरकार के साथ साझा किए जाने वाले आवश्यक लेखों को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा, नियम 7(7) में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 9सी की उप-धारा (4) के अनुसरण में भुगतान की गई राशि और मासिक आधार पर भारतीय खान ब्यूरो को रॉयल्टी भुगतान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी।

लेखा प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार रॉयल्टी प्राप्त होने पर संपूर्ण प्राप्ति को मुख्य शीर्ष 0853–102–खनिज रियायतें, शुल्क और रॉयल्टी के अंतर्गत वर्गीकृत करती है। इसके बाद अपेक्षित राशि राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8449–123–एन0एम0ई0टी0 की अंतर्गत अंतरित की जाती है। तत्पश्चात् भारत के लोक लेखा के अंतर्गत एन0एम0ई0टी0 अभिवृद्धि को आवधिक रूप से अंतरित की जाती है। एन0एम0ई0टी0 निधि, जो गैर-व्यपगत और गैर-ब्याज वाला निधि है, भारत के लोक लेखे के तहत बनाया गया।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने खनिज रियायतों, शुल्क और रॉयल्टी के माध्यम से ₹ 3,117.85 करोड़ (एम0एच0 0853–102) की रॉयल्टी एकत्र की। इस प्रकार, इस राशि का दो प्रतिशत अर्थात् ₹ 62.36 करोड़ एन0एम0ई0टी0 में जमा किया जाना था। तथापि, सरकार ने मुख्य शीर्ष 8449–अन्य जमा–123–राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास जमाओं के अंतर्गत ₹ 0.36 करोड़ जमा कराए हैं।

राज्य के समेकित निधि से लोक लेखा में ₹ 62.00 करोड़ के अल्प अंतरण के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय और नकदी शेष, राजस्व अधिशेष के साथ-साथ राजकोषीय घाटे प्रत्येक इस सीमा तक कम हो गया।


2.7 लोक दायित्व प्रबंधन

लोक दायित्व प्रबंधन सरकार की देनदारियों के प्रबंधन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है ताकि आवश्यक धन राशि जुटाई जा सके, इसके जोखिमों और लागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके जो सरकार ने अधिनियमन या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किए हैं।

31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार की बकाया देनदारियाँ (आंतरिक देनदारियाँ, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम तथा लोक लेखा देनदारियाँ) ₹ 3,32,740.90 करोड़ हैं। सकल राजकोषीय घाटा (₹ 35,659.88 करोड़) 2023–24 में बजट अनुमानों (₹ 25,567.83 करोड़) के मुकाबले ₹ 10,092.05 करोड़ बढ़ गया। इसी अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा (₹ 18,054.08 करोड़) बजट अनुमानों (₹ 7,213.39 करोड़) से ₹ 10,840.69 करोड़ बढ़ गया। बढ़े हुए घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था। परिणामस्वरूप, 2023–24 में बकाया देनदारियाँ ₹ 2,93,307.17 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,32,740.90 करोड़ हो गईं।

विगत वर्ष की तुलना में बकाया देनदारियों में 13.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि (14.47 प्रतिशत) से कम थी। राज्य की बकाया देनदारियों का प्रवृत्ति विश्लेषण चार्ट 2.15 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.15: जी0एस0डी0पी0 की तुलना में बकाया देनदारियाँ



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं एम0ओ0एस0पी0आई0)

चार्ट 2.15 से पता चलता है कि 2019–20 से 2023–24 के दौरान राज्य की बकाया देनदारियों में 72.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, राज्य के जी0एस0डी0पी0 में 46.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात, राज्य की बकाया देनदारियों की वृद्धि दर इसकी जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से अधिक है, हालाँकि चालू वर्ष के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में ऋण में 0.36 प्रतिशत अंक की कमी आई।

2.7.1 दायित्व की रूपरेखा: घटक

राज्य के कुल दायित्व में शामिल आंतरिक दायित्व (बाजार ऋण, भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा को तालिका 2.44 में बताया गया है।

तालिका 2.44: घटक-वार दायित्व प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
बकाया कुल दायित्व	1,93,381.85	2,27,195.51	2,57,510.21	2,93,307.17	3,32,740.90
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	1,36,082.09	1,59,557.50	1,82,855.32	2,08,098.10
	भारत सरकार से ऋण	12,098.16	17,657.35	26,057.96	34,747.63
लोक लेखे पर देयताएँ	45,201.60	49,980.66	48,596.93	50,461.44	52,657.01
लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	9,279.09	9,445.38	9,521.65	9,396.88	9,141.12
ब्याज सहित आरक्षित निधि	522.95	901.07	1,041.49	2,626.60	3,849.32
ब्याज रहित आरक्षित निधि	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्याज सहित जमा	349.33	274.29	217.11	257.63	9.72
ब्याज रहित जमा	35,023.91	39,359.92	37,816.68	38,180.33	39,656.85
गैर बजट उधारी \$	—	—	1,482.50	686.77	53.48
बकाया समग्र दायित्व की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	14.48	17.49	13.34	13.90	13.44

	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
देयताएँ/जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत) [#]	33.24	40.01	39.78	39.30	38.94
कुल ऋण प्राप्तियाँ	94,193.12	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58	1,62,725.19
कुल ऋण पुनर्भुगतान	69,732.59	74,618.65	87,212.86	94,153.62	1,23,291.46
कुल ऋण उपलब्ध	24,460.53	33,813.64	30,314.71	35,796.96	39,433.73
ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	74.03	68.82	74.21	72.45	75.77

(स्रोत: वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0 से प्राप्त आँकड़े)

\$ बकाया समग्र देयताओं में गैर-बजट उधारों को शामिल नहीं किया गया।


जी0एस0डी0पी0 की तुलना में देयता अनुपात 38.94 प्रतिशत है, जिसकी गणना गैर-बजट उधारों को छोड़कर की गई है।

तालिका 2.44 से यह देखा जा सकता है कि:

- जी0एस0डी0पी0 की तुलना में बकाया देनदारियाँ अनुपात 2019–24 के दौरान 33.24 प्रतिशत से 40.01 प्रतिशत के बीच थीं। विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य की समग्र देनदारियाँ बढ़ रही हैं। समग्र देनदारियों का प्रमुख घटक आंतरिक ऋण था जो चालू वर्ष के दौरान 70.99 प्रतिशत था। समग्र देनदारियों में ₹ 2,14,418.05 करोड़ का बाजार ऋण एक मुख्य घटक (90.78 प्रतिशत) था जो यह दर्शाता है कि सरकार अपने ऋणों के वित्तपोषण के लिए बाजार ऋण पर निर्भर है।
- राज्य की जी0एस0डी0पी0 की तुलना में देनदारियाँ अनुपात (38.94 प्रतिशत) पंद्रहवें वित्त आयोग की सीमा (40.40 प्रतिशत) के भीतर थीं।
- लोक लेखे की बकाया देनदारियों में विगत वर्ष की तुलना में 4.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जी0एस0डी0पी0 का 6.16 प्रतिशत और बकाया समग्र देनदारियों का 15.83 प्रतिशत था। लोक लेखा देनदारियों में 2019–20 से 2023–24 तक 16.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और विगत पाँच वर्षों की अवधि में 2023–24 में सबसे अधिक थी। लोक लेखा देनदारियों के प्रमुख घटक 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि' और 'ब्याज रहित जमा' थी, क्योंकि दोनों ही कुल लोक लेखा देनदारियों का 92.67 प्रतिशत और बकाया समग्र देनदारियों का 14.67 प्रतिशत थे।
- बकाया समग्र देनदारियाँ 13.44 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थीं। परिणामस्वरूप, बकाया समग्र देनदारियाँ 2022–23 में ₹ 2,93,307.17 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 3,32,740.90 करोड़ हो गईं।
- चालू वर्ष के दौरान, बिहार सरकार ने ₹ 1,62,725.19 करोड़ का ऋण लिया और ₹ 1,23,291.46 करोड़ ऋण का पुनर्भुगतान किया, अर्थात्, चालू वर्ष की 75 प्रतिशत से अधिक उधारी का उपयोग पहले के उधार के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था। विगत पाँच वर्षों के दौरान लिए गए ऋणों में से औसतन 73 प्रतिशत से अधिक का उपयोग पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया गया। पहले की देनदारियों के पुनर्भुगतान पर व्यय करने के लिए पुनः ऋण लेना लंबे समय में बोझ बन सकता है क्योंकि यह मूलधन और उस पर ब्याज की पुनर्भुगतान की देनदारियाँ बनाता है।

चार्ट 2.16 2019–20 से 2023–24 के दौरान लिए गए आंतरिक ऋण की मात्रा की तुलना में चुकाए गए आंतरिक ऋण की मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 2.16: लिए गए आंतरिक ऋण की तुलना में अदायगी



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.16 2019–24 के दौरान आंतरिक ऋण की नियमित वृद्धि को दर्शाता है। 2023–24 के दौरान, हालाँकि आंतरिक ऋण की अदायगी में 66.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह विगत वर्ष की तुलना में 2.75 प्रतिशत अंक कम था। आंतरिक ऋण की राशि विगत वर्ष की तुलना में 29.94 प्रतिशत अधिक थी, और यह विगत वर्ष की तुलना में 6.61 प्रतिशत अंक अधिक थी। 2019–20 से 2023–24 तक आंतरिक ऋण प्राप्तियों में 77.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसी अवधि के दौरान आंतरिक ऋण अदायगी में 248.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चालू वर्ष के उधारियों में से 43.27 प्रतिशत का उपयोग पूर्व के वर्षों में लिए गए आंतरिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया गया है। आंतरिक ऋण में से पूर्ववर्ती ऋण के अधिक पुनर्भुगतान के कारण उत्पादक व्यय में संकुचन हुआ।

2.7.1.1 राजकोषीय घाटे के घटकों के वित्तीय स्वरूप

सरकारी लेखों में घाटा इसकी प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा राजस्व और पूँजीगत व्यय ऋण एवं अग्रिम सहित राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों का अधिक होना है। राजकोषीय घाटा सरकार की निवल वृद्धिशील देनदारियों या इसके अतिरिक्त उधारों को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे के ब्यौरे से पता चलता है कि राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों के अलावा निधियों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा सीमा तक विभिन्न उधार लिए गए हैं।

2019–20 से 2023–24 की अवधि के लिए राजकोषीय घाटे की संरचना और वित्तपोषण तालिका 2.45 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.45: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तीय स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटे की संरचना						
1	राजस्व अधिशेष(+)/ घाटा (-)	(-) 1784.13	(-) 11,325.11	(-) 422.38	(-) 11,288.20	2,833.06
2	निवल पूँजीगत व्यय	12,303.90	18,208.60	23,678.29	31,519.82	36,453.02
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	635.9	293.54	1,450.59	2,015.28	2,039.93
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिरूप						
1	बाजार उधारी	22,572.54	24,684.91	24,517.46	27,700.00	30,142.94
2	भारत सरकार से ऋण	312.79	5,559.19	8,400.61	8,689.67	9,131.11
3	एन0एस0एस0एफ0 को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 1,888.35	(-) 1,888.35	(-) 1,888.35	(-) 1,888.35	(-) 1,888.35
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,038.22	678.85	668.71	(-) 568.87	(-) 147.54
5	लघु बचत, पी0एफ0, आदि।	190.4	166.29	76.28	(-) 124.77	(-) 255.76
6	जमा एवं अग्रिम	1,711.99	4,260.96	(-) 1,600.41	404.16	1,228.61
7	उचंत और विविध	(-) 5,709.73	(-) 4,832.74	(-) 141.89	1,163.65	8,840.22
8	प्रेषण	(-) 796.50	798.44	(-) 7.53	—	(-) 2.38
9	आरक्षित निधि	1,367.94	351.8	140.42	2,873.11	2,689.26
10	समग्र घाटा	18,799.30	29,779.35	30,165.30	38,248.60	49,738.11
11	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद शेष में वृद्धि/कमी	(-) 4,075.37	47.90	(-) 4,614.02	6,574.70	(-) 14,078.23
12	राजकोषीय घाटा	14,723.93	29,827.25	25,551.28	44,823.30	35,659.88

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य ने ₹ 35,659.88 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जिसे मुख्य रूप से बाजार उधारी और भारत सरकार से प्राप्त ऋण के माध्यम से वित्तपोषण किया गया।

2.7.2 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों, डोमर दृष्टिकोण और संबंधित एफ0आर0बी0एम0 लक्ष्यों के लिए वृहत्-राजकोषीय मापदंडों के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण का परिणाम निम्नलिखित कंडिकाओं में दिया गया है:

(अ) ऋण स्थिरता सूचक

ऋण स्थिरता भविष्य में अपने ऋणों को चुकाने के लिए राज्य की क्षमता को इंगित करता है। इसलिए ऋण की स्थिरता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे उधार से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी इंगित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं।

तालिका 2.46 2019–24 की अवधि के लिए ऋण स्थिरता के संकेतक प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.46: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)

क्र० सं०	ऋण स्थिरता संकेतक	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	समग्र देनदारियाँ या समग्र ऋण	1,93,381.85	2,27,189.51	2,57,510.23	2,93,307.16	3,32,740.90
1अ	बिना ब्याज वाले ऋण (आरक्षित निधि और जमा)	35,050.23	39,359.92	37,816.68	38,180.33	39,656.85
1ब	समग्र देयता या समग्र ऋण (बिना ब्याज वाले ऋण को छोड़कर)	1,58,331.62	1,87,829.59	2,19,693.55	2,55,126.83	2,93,084.05
2	समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.48	17.48	13.35	13.90	13.44
3	जी०एस०डी०पी० (सांकेतिक)	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
4	सांकेतिक जी०एस०डी०पी० वृद्धि (प्रतिशत)	10.20	(-) 2.41	14.02	15.30	14.47
5	समग्र ऋण/ जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत)	33.24	40.01	39.78	39.30	38.94
6	सभी प्रकार के उधारों की परिपक्वता रूपरेखा (लोकलेखा के तहत देनदारियों को छोड़कर, यदि कोई हो)	1,48,130.14	1,73,097.61	1,98,259.56	2,32,204.75	2,69,450.10
6अ	0–2 वर्ष	15,455.99	22,132.78	36,011.24	43,536.45	43,394.54
6ब	2–5 वर्ष	36,502.65	63,975.81	63,928.72	64,344.71	64,346.68
6स	5–10 वर्ष	86,138.74	76,311.33	87,803.98	1,05,820.84	1,07,359.39
6द	10 वर्षों से अधिक	10,032.76	10,677.69	10,515.62	18,502.75	54,349.49
7	सकल उधार (क्रम संख्या 1 के अनुसार समग्र ऋण के लिए जिम्मेदार मदों के अनुरूप)	94,193.12	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58	1,62,725.19
8	उधार की अदायगी (मूलधन और ब्याज भुगतान सहित समग्र ऋण के लिए जिम्मेदार मदों के अनुरूप)	80,724.01	87,102.68	1,01,034.79	1,09,337.17	1,40,897.26
9	सकल उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत) (8 / 7 × 100)	85.70	80.33	85.97	84.14	86.59
10	सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	14.30	19.67	14.03	15.86	13.41
11	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	10,991.42	12,484.03	13,821.93	15,183.54	17,605.80
12	समग्र ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर (प्रतिशत)	6.94	6.65	6.29	5.95	6.01
13	राजस्व प्राप्तियाँ (आर०आर०)	1,24,233	1,28,168	1,58,797	1,72,688	1,93,347
14	राजस्व व्यय (आर०ई०)	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976	1,90,514
15	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	8.85	9.74	8.70	8.79	9.11

क्र० सं०	ऋण स्थिरता संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
16	प्राथमिक राजस्व शेष (पी0आर0बी0) (13-14+11)	9,207.42	1,159.03	13,398.93	3,895.54	20,438.80
17	राजकोषीय शेष	(-) 14,723.93	(-) 29,827.25	(-) 25,551.26	(-) 44,823.30	(-) 35,659.88
18	प्राथमिक शेष (पी0बी0) (17+11)	(-) 3,732.51	(-) 17,343.22	(-) 11,729.33	(-) 29,639.76	(-) 18,054.08
19	प्राथमिक शेष / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	(-) 0.64	(-) 3.05	(-) 1.81	(-) 3.97	(-) 2.11
20	बकाया ऋण एवं अग्रिम वितरित	666.30	1,113.97	1,478.51	2,056.77	2,135.86
21	बकाया ऋण और अग्रिमों संवितरित पर ब्याज प्राप्तियाँ	0.88	3.90	5.68	8.65	269.41
22	निवेश पर प्रतिफल	0.08	0.44	0.44	0.49	12.85
23	समग्र देनदारियों पर ब्याज की प्रभावी दर और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर	(-) 6.86	(-) 6.21	(-) 5.85	(-) 5.46	6.84
24	तरलता प्रबंधन (भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय साधनों का उपयोग) (अवसरों की संख्या में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	ब्याज / दर स्प्रेड (जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर - ब्याज दर)	3.26	(-) 9.06	7.73	9.35	8.46
26	क्वांटम स्प्रेड (ऋण × ब्याज स्प्रेड)	5,161.61	(-) 17,017.36	16,982.31	23,854.36	24,794.91
27	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष)	1,429.10	(-) 34,360.58	5,252.98	(-) 5,785.40	6,740.83

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वितरित ऋण एवं अग्रिमों की वसूली के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

तालिका 2.46 से देखा जा सकता है कि:

- विगत तीन वर्षों के दौरान, समग्र ऋण की वृद्धि दर जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से कम रही है। जी0एस0डी0पी0 अनुपात में राज्य का समग्र ऋण (देयता) 2020-21 में 40.01 प्रतिशत से गिरकर 2023-24 में 38.94 प्रतिशत हो गया था, जो इस अवधि के दौरान घटती प्रवृत्ति को दर्शाता है और पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के भीतर था। जी0एस0डी0पी0 अनुपात में घटते ऋण को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। राज्य ने कभी भी आर0बी0आई0 से अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू0एम0ए0) और ओवरड्राफ्ट (ओ0डी0) सुविधाओं का सहारा नहीं लिया है, जो इसके कुशल वित्तीय तरलता प्रबंधन को दर्शाता है।
- प्राथमिक शेष (पी0बी0) विगत वर्ष की तुलना में सकारात्मक पथ पर था। 2023-24 के दौरान, प्राथमिक राजस्व शेष अधिशेष था और ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। सकारात्मक प्राथमिक राजस्व शेष और विगत वर्ष की तुलना में घटते ऋणात्मक प्राथमिक शेष ने संकेत दिया कि ऋण एक सतत स्थिर पथ पर है।
- राजस्व प्राप्तियों के संबंध में ब्याज भुगतान 2019-20 से 2023-24 के दौरान 8.70 प्रतिशत से 9.74 प्रतिशत के बीच था। चालू वर्ष के दौरान वे विगत वर्ष की तुलना में 0.32 प्रतिशत

अंक से बढ़ गया। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान समय के साथ कम होना चाहिए ताकि अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए अधिक संसाधन बचे रहें। प्रभावी लागत वित्तपोषण ढाँचा राज्य को अधिक संसाधन जुटाने में सक्षम बनाता है, बेहतर वित्तीय प्रबंधन से ब्याज भुगतान का बोझ कम होता है।

ऋण स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त में कहा गया है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर अथवा उधार की लागत से अधिक हो जाती है तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा धनात्मक हो अथवा मामूली रूप से नकारात्मक हो।

ऋण स्थिरता की स्थिति यह बताती है कि (i) यदि प्राथमिक शेष के साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। (ii) यदि प्राथमिक शेष के साथ क्वांटम स्प्रेड नकारात्मक हो तो ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात बढ़ रहा होगा (iii) यदि प्राथमिक शेष के साथ क्वांटम स्प्रेड सकारात्मक हो, तो ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात अंततः गिर जाएगा।

तालिका 2.46 के अनुसार, 2023–24 के दौरान, क्वांटम स्प्रेड सकारात्मक था जबकि प्राथमिक शेष नकारात्मक था, हालाँकि विगत वर्ष की तुलना में सुधार हुआ था। विगत पाँच वर्षों के दौरान, 2020–21 को छोड़कर, जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक ब्याज/दर स्प्रेड हुआ। इसने इस अवधि के दौरान (2020–21 को छोड़कर) क्वांटम स्प्रेड को सकारात्मक बना दिया। तथापि, विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राथमिक शेष नकारात्मक रहा। नकारात्मक प्राथमिक शेष और नकारात्मक क्वांटम स्प्रेड (2020–21 के दौरान) के परिणामस्वरूप 2020–21 और 2022–23 के दौरान ऋण स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त को पूरा नहीं किया गया है। शेष अवधि के लिए, ये दोनों संकेतक, समग्र रूप से, सकारात्मक रहे, जिससे ऋण स्थिरीकरण की शर्तों को पूरा किया गया।

विगत पाँच वर्षों के दौरान, राज्य ने पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अपने ऋण के 80 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया। ऋण का अधिक अनुपात उत्पादकता की अपेक्षा ऋण को चुकाने के लिए उपयोग किया जाना उपयुक्त नहीं है।

(ब) डोमर मॉडल पर ऋण स्थिरता विश्लेषण

ई0डी0 डोमर (डोमर सिद्धांत 1944 में प्रकाशित हुआ था) के एक अध्ययन के आधार पर ऋण स्थिरता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल कहता है कि सरकारी ऋणों के लिए ब्याज दर जी0डी0पी0 की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राजकोषीय देनदारियों को वहनीय माना जाता है यदि सरकार निकट भविष्य में इन देनदारियों को चुकाने में सक्षम है और ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात अप्रबंधनीय अनुपात तक नहीं बढ़ता है। डोमर मॉडल लोक ऋण के विश्लेषण के मॉडलों में से एक है, जो यह निर्धारित करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण पर ब्याज दर से अधिक हो जाती है तो ऋण-जी0डी0पी0 अनुपात स्थिर होने की संभावना है। **तालिका 2.47** डोमर स्थिरता की स्थिति प्रदान करती है।

तालिका 2.47: डोमर मॉडल के तहत ऋण स्थिरता मानदंड

जी-आर (जी: वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर: वास्तविक ब्याज दर), जिसे डोमर गैप कहा जाता है	एस < 0 (प्राथमिक घाटा)	एस > 0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर > 0 (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से अधिक है बशर्ते कि दर्ज प्राथमिक घाटा स्थिर हो और ऋण/जी0एस0डी0पी0 के अनुरूप हो तो ऋण टिकाऊ होता है।	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से अधिक है बशर्ते कि प्राथमिक अधिशेष तब ऋण/जी0एस0डी0पी0 अनुपात कम हो जाएगा, और ऋण स्थिर स्तर की ओर जाता है इसलिए टिकाऊ होता है।
जी-आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से कम है और प्राथमिक घाटा दर्ज करता है। फिर ऋण सीमाओं के बिना बढ़ता है और अस्थिर हो जाता है।	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से कम है और प्राथमिक अधिशेष दर्ज करती है। तब ऋण अब टिकाऊ नहीं है बशर्ते कि यह मध्यम या लंबे समय में कम न हो।

जी0एस0डी0पी0 के अनुपात के रूप में राज्य का राजकोषीय घाटा विगत पाँच वर्षों के दौरान 2019-20 में 2.53 से बढ़कर 2023-24 में 4.17 हो गया है (तालिका 1.5 (अ))। राज्य ने विगत पाँच वर्षों में पहली बार राजस्व अधिशेष (₹ 2,833.06 करोड़) दर्ज किया। हालाँकि, 2019-20 से 2023-24 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 3,733 करोड़ से ₹ 29,640 करोड़ तक था। डोमर लागू करने के बाद, विश्लेषण से पता चला कि राजकोषीय देनदारियों को स्थिर स्तर पर अभिसरण करना चाहिए, जैसा कि तालिका 2.48 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.48: डोमर मॉडल के अनुसार राज्य का ऋण स्थिरता मूल्य

क्र0 सं0	डोमर मानदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
क	जी0एस0डी0पी0 (स्थिर मूल्यों में) (₹ करोड़ में)	3,98,329	3,68,970	3,87,256	4,25,384	4,64,540
ख	वास्तविक विकास (स्थिर मूल्यों में)	4.44	(-) 7.37	4.96	9.85	9.20
ग	सी0पी0आई0 पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	2.20	6.59	4.67	5.72	5.83
घ	प्रभावी ब्याज दर*	6.94	6.65	6.29	5.95	6.01
च	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति)	4.74	0.06	1.62	0.23	0.18
छ	ब्याज वृद्धि अंतर (वास्तविक वृद्धि वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) अर्थात् डोमर गैप (जी-आर)	(-) 0.30	(-) 7.43	3.34	9.62	9.02
ज	प्राथमिक शेष (₹ करोड़ में)	(-) 3,733	(-) 17,343	(-) 11,729	(-) 29,640	(-) 18,054

(स्रोत: एम0ओ0एस0पी0आई0)

* प्रभावी ब्याज दर: ब्याज भुगतान/विगत और चालू वित्त वर्ष के औसत बकाया ऋण (गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियों और जमा राशियों को छोड़कर)।

बिहार 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए एक उतार-चढ़ाव वाला (प्राथमिक घाटा (-) प्राथमिक शेष) राज्य रहा है। डोमर गैप (जी-आर) 2021-22 से 2023-24 तक विगत तीन वर्षों के दौरान सकारात्मक रहा और 2019-21 की अवधि के दौरान नकारात्मक था। डोमर मॉडल के तहत ऋण स्थिरता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की राजकोषीय देनदारियों ने 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर ऋण स्थिरता (जी-आर > 0) की शर्त को पूरा किया। डोमर गैप (जी-आर) ने 2020-21 से 2022-23 तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज की है, हालाँकि चालू वर्ष के दौरान यह घटकर 9.02 हो गई है। ऋण/जी0एस0डी0पी0 2020-21 से 2023-24 के दौरान सुधार की प्रवृत्ति पर रहा है, लेकिन प्राथमिक घाटा न तो स्थिर है और न ही यह ऋण/जी0एस0डी0पी0 के अनुरूप रहा है।

राजकोषीय उपलब्धता का यह विश्लेषण अप्रत्याशित देनदारियों के प्रभाव के अधीन भी है, जो अप्रत्याशित घटनाओं और राजस्व के किसी अन्य गैर-सूचीबद्ध घाटा के कारण है। चूंकि इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है या सांख्यिकीय रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है। राज्य सरकार को अपने ऋण और नए उधारों का प्रबंधन करते समय इन आकस्मिक देयताओं को ध्यान में रखना होगा।

राज्य को उधार लेने मुख्य रूप से निवेश उद्देश्यों के लिए और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर राजस्व व्यय का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए, जो भविष्य के विकास और जी0एस0डी0पी0 विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही, राज्य को सकारात्मक प्राथमिक शेष प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार करने के लिए राजस्व खातों पर अपने अनुत्पादक व्यय, विशेष रूप से सब्सिडी, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

(स) राजकोषीय घाटा और ऋण स्थिरता

वित्त आयोग की प्रतिवेदन (एफ0सी0आर0) में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का विवरण तालिका 2.49 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.49: एफ0सी0आर0 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि (प्रतिशत में)

राजकोषीय मानदण्ड		एफ0सी0आर0 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा (+)/अधिशेष (-)	लक्ष्य	3.00	(-) 0.1	(-) 0.5	(-) 0.8	(-) 1.20
	उपलब्धि	0.31	1.99	0.07	1.51	(-) 0.33
राजकोषीय घाटा (+)/अधिशेष (-)	लक्ष्य	3.00 [§]	5.0 [*]	4.5 [#]	4.0 [#]	3.5 [#]
	उपलब्धि	2.53	5.25	3.95	6.01	4.17
कुल बकाया देनदारी का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात	लक्ष्य	25	41.20	40.20	40.80	40.40
	उपलब्धि	33.24	40.01	39.78	39.30	38.94
पिछले वर्ष के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के संदर्भ में गारंटी	लक्ष्य	कोई लक्ष्य नहीं				
	उपलब्धि	4.16	13.21	19.56	16.33	16.24

(स्रोत: चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग और संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
[§] 0.25 प्रतिशत सशर्त है। ^{*}2.0 प्रतिशत सशर्त है। [#]0.5 प्रतिशत सशर्त है।

राजकोषीय संकेतकों की सीमाओं के लगातार उल्लंघन से राजकोषीय स्थिति के अप्रबंधनीय होने का जोखिम हो सकता है, खासकर तब जब राज्य को गारंटी मोचन निधि और अन्य जैसी सलाहकार आरक्षित निधियों की स्थापना करनी बाकी है।

(द) ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूपरेखा

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूपरेखा ऋण चुकौती या ऋण सेवा के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को इंगित करता है जैसा कि तालिका 2.50 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.50: लोक ऋण की अदायगी की ऋण परिपक्वता की रूपरेखा

ऋण पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	ऋण की श्रेणी (₹ करोड़ में)			बकाया लोक ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (प्रतिशत में)		
	बाजार ऋण	भारत सरकार से ऋण	कुल	बाजार ऋण	भारत सरकार से ऋण	कुल
0 - 1	20,613.55	780.22	21,393.77	8.73	2.35	7.94
1 - 3	42,102.00	1,357.63	43,459.63	17.83	4.08	16.13
3 - 5	41,459.99	1,427.83	42,887.82	17.55	4.29	15.92
5 - 7	42,583.49	1,565.35	44,148.84	18.03	4.71	16.38
7 से उपर	89,421.41	28,138.65	1,17,560.06	37.86	84.58	43.63
कुल	2,36,180.44	33,269.68	2,69,450.12	100.00	100.00	100.00

(स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 2.50** से देखा जा सकता है, लोक ऋण का 60.01 प्रतिशत पाँच वर्ष बाद से देय है। राज्यों के ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा 3–5 वर्षों की चुकौती अवधि को छोड़कर इसके पुनर्भुगतान बोझ में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि का संकेत देती है।

ऋण परिपक्वता की रूपरेखा से पता चलता है कि अगले पाँच वर्षों के दौरान ₹ 1,07,741.22 करोड़ की राशि देय है (₹ 1,04,175.54 करोड़ : बाजार ऋण और ₹ 3,565.68 करोड़ भारत सरकार से ऋण) और सरकार को तदनुसार इसके पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान करना होगा। इसके अलावा, 37.86 प्रतिशत बाजार ऋण और 84.58 प्रतिशत भारत सरकार से ऋण सात वर्षों के बाद परिपक्व हो रहे हैं।

कुल परिपक्वता राशि के तहत पर्याप्त राशि (87.65 प्रतिशत) राज्य के आंतरिक ऋण से बनी है। आंतरिक ऋण का 90.79 प्रतिशत बाजार ऋणों से बना है जिसमें मुख्य रूप से राज्य विकास ऋण/बिहार सरकार स्टॉक⁹ शामिल हैं।

2.7.3 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की चुकौती के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना स्वीकार्य नहीं है। 2019–20 से 2023–24 के दौरान उधार ली गई निधियों का उपयोग **तालिका 2.51** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.51: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	कुल उधारी	94,193.12	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58	1,62,725.19
2	पूर्व के उधारी का पुनर्भुगतान (मूलधन*)	69,732.59	74,618.65	87,212.86	94,153.62	1,23,291.48
3	निवल पूँजीगत व्यय	12,303.90	18,208.60	23,678.29	31,519.82	36,453.02
4	निवल ऋण एवं अग्रिम	635.90	293.54	1,450.59	2,015.28	2,039.93
5	शेष उधार ली गई निधि (1–2–3–4)	11,520.73	15,311.52	5,185.83	2,261.86	940.76

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


* उधार का केवल मूलधन वाला मुख्य हिस्सा लिया गया है क्योंकि उधार पर ब्याज का हिस्सा राज्य की राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से चुकाया जा रहा था।

तालिका 2.51 दर्शाती है कि राज्य के कुल उधार का ज्यादातर हिस्सा (98 प्रतिशत से अधिक) पूर्व के उधार के पुनर्भुगतान और वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय पर खर्च किया गया है। ₹ 940.76 करोड़ की राशि (वर्ष के दौरान कुल उधार का 0.58 प्रतिशत) खर्च नहीं की गई और राज्य के नकदी शेष को उस सीमा तक बढ़ा दिया गया। उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियाँ **चार्ट 2.17** में दर्शायी गयी हैं।

⁹ राज्य सरकार द्वारा लिए गये ब्याज सहित बाजार ऋण को संदर्भित करता है।

चार्ट 2.17: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.17 से पता चलता है कि विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य उधार का 68 प्रतिशत से अधिक पिछली देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए खर्च किया जा रहा है और चालू वर्ष के दौरान यह विगत वर्ष की तुलना में 3.32 प्रतिशत अंक से बढ़ गया है। पिछली देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए उधार का उपयोग, पूँजीगत व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि के उपयोग के लिए बहुत कम जगह रिक्त करता है। उधार ली गई निधियों का केवल 22.40 प्रतिशत उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया गया है और उधार ली गई निधियों का 0.58 प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि राज्य के नकद शेष के हिस्से के रूप में ₹ 940.76 करोड़ की उधार ली गई निधियाँ उपलब्ध थीं, बावजूद ₹ 53.48 करोड़ खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाते हुए गैर-बजट उधार के रूप में लिया गया है।

2.7.4 गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएँ

उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में जिसके लिए गारंटी दी गई है, गारंटी राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देनदारियाँ हैं। एस0पी0एस0ई0 को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत निर्धारित सीमाओं के अधीन गारंटी देती है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार को गारंटी मोचन निधि का सृजन करना था और चालू वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का कम से कम 0.5 प्रतिशत के समतुल्य राशि का अंशदान करना था।

एस0पी0एस0ई0 ₹ 10 लाख से अधिक की गारंटी राशि पर प्रति वर्ष 1/8 प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। विगत पाँच वर्षों के दौरान बिहार सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ तालिका 2.52 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.52: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

गारंटियाँ	2019—20	2020—21	2021—22	2022—23	2023—24
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	21,181.52	25,113.74	37,631.92	40,897.18	51,682.79
जी0एस0डी0पी0	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
राजस्व प्राप्तियाँ	1,24,233	1,28,168	1,58,798	1,72,688	1,93,347
राजस्व प्राप्ति के अनुसार गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत	17.05	19.59	23.70	23.68	26.73
जी0एस0डी0पी0 से गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत	3.64	4.42	5.81	5.48	6.05
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि	5,484.56	16,407.71	25,069.78	25,939.25	28,040.96
राजस्व प्राप्ति से ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	4.41	12.80	15.79	15.02	14.50
जी0एस0डी0पी0 से ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	0.94	2.89	3.87	3.48	3.28

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2023—24 के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि ₹ 51,682.79 करोड़ (मूलधन: ₹ 50,424.66 करोड़ और ब्याज: ₹ 1,258.13 करोड़) थी। इसके अलावा, राज्य ने वर्ष 2023—24 के लिए अपने बजट अनुमानों में ₹ 21,501.95 करोड़ की सरकारी गारंटी का अनुमान लगाया है।


2023—24 के दौरान, राज्य ने ₹ 28,040.96 करोड़ (मूलधन: ₹ 26,715.26 करोड़ और ब्याज: ₹ 1,325. 70 करोड़) की गारंटी विस्तारित की, जो ₹ 21,501.95 करोड़ के बजट अनुमानों से अधिक थी।

वर्ष 2023—24 में ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि ₹ 28,040.96 करोड़ थी, जिसमें उर्जा (₹ 18,164.73 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 303.89 करोड़), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (₹ 9,417.62 करोड़), बिहार राज्य भंडारण निगम (₹ 89.47 करोड़), बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (₹ 34.42 करोड़) और बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम (₹ 30.83 करोड़) शामिल थे। 31 मार्च 2024 तक कुल बकाया गारंटी का 64.78 प्रतिशत हिस्सा उर्जा क्षेत्र की थी, और विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान गारंटी का एक बड़ा हिस्सा भी बनाया।

चार्ट 2.18 2023—24 के लिए बकाया गारंटी का प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

चार्ट 2.18: गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत हिस्सा

(प्रतिशत में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने डिस्कॉम को वित्तीय संस्थानों से उधार के लिए पर्याप्त गारंटी प्रदान की। यह देखते हुए कि राज्य सरकार गारंटर है, ये परिणामी आकस्मिक देनदारियाँ बड़े बकाया ऋण और डिस्कॉम के बढ़ते/निरंतर घाटे के कारण राज्य वित्त के लिए जोखिम है।

आई0जी0ए0एस0-1 के खंड 2 के अनुसार, कंपनियों को सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के लिए गारंटी कमीशन या शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए अधिकतम गारंटियाँ प्रदान की हैं। तथापि, बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को छोड़कर उर्जा क्षेत्र के सी0पी0एस0ई0 अथवा गैर-उर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 से कोई शुल्क/कमीशन प्राप्त नहीं हुआ। विगत पाँच वर्षों के दौरान सरकार ने गारंटी शुल्क की प्राप्य राशि ₹ 100.77 करोड़ (1/8 प्रतिशत की दर से) के मुकाबले केवल ₹ 3.17 करोड़ की गारंटी शुल्क प्राप्त की। वर्ष 2023-24 के दौरान, बिहार खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से ₹ 7.75 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्य था।

2.8 नकद शेष राशि का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य को ₹ 1.73 करोड़ का न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना है। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम से कम हो जाती है तो समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू0एम0ए0)/ओवरड्राफ्ट (ओ0डी0) लेकर इस कमी को पूरा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार के लिए डब्ल्यू0एम0ए0 की सीमा को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। 1 अप्रैल 2022 से, यह सीमा ₹ 2,272.00 करोड़ है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकदी शेष को भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में लघु और दीर्घकालिक निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभों को मुख्य शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद शेष को समेकित निक्षेप निधि और गारंटी मोचन निधि में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार बढ़ी नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा ले, जिससे उपलब्ध नकदी को उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकद शेष में और वृद्धि हो। नकद शेष और नकद शेष निवेश खातों में उनके निवेश का विवरण क्रमशः तालिका 2.53 तथा तालिका 2.54 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.53: नकद शेष और उनका निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	आरंभिक शेष	अंत शेष
	01 अप्रैल 2023	31 मार्च 2024
अ. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकदी	0	0
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाराशियाँ	805.90	726.68
अन्य बैंकों के साथ जमाराशियाँ	0	0
पारगमन में प्रेषण – स्थानीय	0	0
नकद शेष निवेश लेखे में धारित निवेश	14,069.82	26,762.09
कुल (अ)	14,875.72	27,488.77

विवरण	आरंभिक शेष	अंत शेष
	01 अप्रैल 2023	31 मार्च 2024
ब. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों अर्थात लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास नकद	234.65	233.22
विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	765.46	765.53
निर्धारित निधियों में निवेश	7,028.12	8,494.66
कुल (ब)	8,028.23	9,493.41
कुल (अ+ब)	22,903.95	36,982.18
ब्याज प्राप्तियाँ	276.23	264.34

(स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखे)

‘भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा’ शीर्ष के तहत शेष राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेनदेन से संबंधित अंतर-सरकारी मौद्रिक निपटान को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को 11 अप्रैल 2024 तक की सलाह दी गई है।

तालिका 2.53 इंगित करता है कि:

- i. राज्य ने नियमित आधार पर एक बड़ा नकद शेष बनाए रखा, जबकि उसी समय यह राजकोषीय घाटा वाला राज्य था।
- ii. 2023-24 के दौरान, राज्य ने भारत सरकार और अन्य राज्यों की प्रतिभूतियों में किए गए ₹ 26,762.09 करोड़ के निवेश पर ₹ 264.34 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।
- iii. सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई अग्रिम लिए बिना भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹ 1.73 करोड़ का आवश्यक नकद शेष बनाए रखा।
- iv. विगत वर्ष की तुलना में आर0बी0आई0 के साथ जमा राशि में ₹ 79.22 करोड़ की कमी आई। 2019-20 से 2023-24 के दौरान नकद शेष निवेश लेखे का विवरण तालिका 2.54 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.54: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2019-20	14,791.80	17,588.74	2,796.94	938.84
2020-21	17,588.74	17,826.65	237.91	174.57
2021-22	17,826.65	22,070.25	4,243.60	189.70
2022-23	22,070.25	14,069.82	(-) 8,000.43	276.23
2023-24	14,069.82	26,762.09	12,692.27	264.34


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2023-24 के दौरान, नकद शेष निवेश लेखे के शेष राशि में ₹ 12,692.27 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2019-20 से 2023-24 तक के वर्षों के लिए नकद शेष निवेश लेखे में उपलब्ध नकद शेष के साथ जुटाए गए वर्षवार बाजार ऋणों की तुलना चार्ट 2.19 में की गई है।

चार्ट 2.19: बाजार ऋण की तुलना में नकद शेष

(₹ करोड़ में)




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य नकद शेष (₹ 36,982.18 करोड़) की सीमा तक बाजार उधार से बच सकता था। ₹ 36,982.18 करोड़ के नकद शेष में ₹ 26,762.09 करोड़ का नकद शेष निवेश शामिल था। 2023-24 के दौरान इन निवेशों पर ₹ 264.34 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया।

रोकड़ शेष निवेश लेखे में माह-वार निवेशित रोकड़ शेष की तुलना में उपलब्ध रोकड़ शेष चार्ट 2.20 में दर्शाये गये हैं।

चार्ट 2.20: वर्ष के दौरान नकद शेष राशि और निवल नकद शेष निवेश का माह-वार संचालन

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए मासिक सिविल लेखे)

एक सकारात्मक 'निवल नकद शेष निवेश' ट्रेजरी बिल (टी0बी0) (एमएच 8673) में निवेश को दर्शाता है, जबकि एक नकारात्मक 'निवल नकद शेष निवेश' इंगित करता है कि सरकार ने महीने के दौरान परिपक्वता या छूट के माध्यम से टी0बी0 से सरकारी लेखे में वापस जमा किया था।

चार्ट 2.20 दर्शाता है:

- i. मई 2023, अगस्त 2023, अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के महीनों के दौरान नकद शेष निवेश खाते से महत्वपूर्ण बड़ी निकासी हुई, जिसके परिणामस्वरूप खाते में ऋणात्मक शेष हो गया। इन महीनों के दौरान कुल ₹ 23,463.98 करोड़ की राशि सरकारी लेखे में वापस जमा की गई थी।
- ii. जून 2023, दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 के महीनों में केंद्रीय करों/शुल्कों के हिस्से और भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में निधियों का प्रमुख हिस्सा (₹ 32,154.63 करोड़) प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप इन महीनों में नकद शेष निवेश खाता एक सकारात्मक बन गया।

2.9 निष्कर्ष

- i. जी0एस0डी0पी0 के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2022–23 में (–) 0.57 से बढ़कर 2023–24 में 0.83 हो गया। जी0एस0डी0पी0 के संदर्भ में राज्य का अपना राजस्व उत्प्लावकता भी 2019–20 में 0.09 से बढ़कर 2023–24 में 0.78 हो गया। ओ0टी0आर0 जुटाने में राज्य का प्रदर्शन पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के अनुमानों से बेहतर था और बजट अनुमानों के करीब था।
- ii. राज्य की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 20,659 करोड़ (11.96 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में ₹ 6,537.95 करोड़ (3.55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य ने स्व–राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में 11.35 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
- iii. विगत वर्ष की तुलना में कुल प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 7,174.89 करोड़ (11.37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। ब्याज भुगतान (9.11 प्रतिशत) बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2022 में निर्धारित राजस्व प्राप्तियों के 8.64 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर था, लेकिन पंद्रहवें वित्त आयोग (₹ 16,724 करोड़) के अनुमान से नीचे था।
- iv. सब्सिडी राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.40 प्रतिशत, राज्य के स्व–राजस्व का 30.30 प्रतिशत और जी0एस0डी0पी0 का 1.90 प्रतिशत थी। यह भी विगत वर्ष की तुलना में 9.70 प्रतिशत अधिक था।
- v. पूँजीगत व्यय (₹ 36,453.02 करोड़) बजट अनुमान (₹ 29,257.31 करोड़) से 24.59 प्रतिशत अधिक था।
- vi. बकाया समग्र देनदारियाँ 13.44 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थीं और 2022–23 से 2023–24 तक ₹ 2,93,307.17 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,32,740.90 करोड़ हो गईं। विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र बकाया देयताओं में 14.53 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई है।

घाटे के संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन, जो सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आंकने के लिए प्रमुख मानदंड हैं, नीचे दर्शाए गए हैं

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
राजकोषीय घाटा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान की सीमा के भीतर था	गारंटी मोचन निधि का सृजन न करना
	‘राजस्व के बकाया’ के लंबित मामले
	उपकरणों का कम हस्तांतरण
	वित्त आयोग की सिफारिश से परे आकस्मिक देनदारियों का सृजन

2.10 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग:

- i. बजट तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है ताकि बजट अनुमानों और वास्तविक आँकड़ों के बीच लगातार बन रहे अंतर को पाटा जा सके।
- ii. राजस्व की बकाया राशि का शीघ्रता से संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है ताकि राजकोषीय घाटे के कारण राज्यों पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सके।
- iii. यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है जो यह सुनिश्चित करे कि अधूरी परियोजनाओं से संबंधित संपूर्ण सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हक0), बिहार को उपलब्ध कराई जाए ताकि इस संबंध में राज्य के वित्त लेखे के माध्यम से एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- iv. ऋणों की पुनर्संरचना कर सकती है, ताकि ब्याज भुगतान बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के भीतर आ जाए।
- v. बोर्ड को श्रम उपकर का पूर्ण अंतरण सुनिश्चित कर सकती है ताकि कामगारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके।

અધ્યાય–III

બજટીય પ્રબંધન

यह अध्याय, निधियों का विचलन किए बिना नीतिगत निर्णयों के प्रशासनिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की प्रामाणिकता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता तथा अनुषंगिक वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है। यह विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं विनियोग के अनुदान-वार विवरणी एवं सेवा प्रदायी विभागों द्वारा इन आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की शैली को प्रदर्शित करता है।


3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी किये जाने के साथ ही बजट प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें शामिल निर्देशों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों की तैयारी हेतु सभी विभागों द्वारा अनुपालन करना होता है। यह सामान्य रूप से हर वर्ष अगस्त-सितंबर में होता है जैसा कि बिहार बजट संहिता में निर्धारित है। अनुपूरक बजट के साथ मूल बजट (मू0ब0) बढ़ाया जाता है। 01 अप्रैल 2019 से राज्य की वित्तीय गतिविधियों को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) में एकीकृत किया गया है।

विधायी प्राधिकार, राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के व्यय हेतु अनिवार्य शर्त है। राज्य सरकार ने वित्तीय नियमों का निर्माण करते हुए प्रतिबंधित सीमा के अधीन व्यय के विनियोग/पुनर्विनियोग की स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकार के निर्धारण के क्रम में वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है। अनुपूरक अनुदान के अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन का उपयोग, अनुदान के अन्दर राशि का पुनः आवंटन करने के लिए भी किया जाता है।

राज्य के बजट में शामिल दस्तावेजों को चार्ट 3.1 में दिखाया गया हैं।

चार्ट 3.1: बजटीय प्रक्रिया



3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधानों, कुल बजटीय प्रावधान संवितरण एवं बचत की सारभूत स्थिति को दत्तमत और भारित घटकों के रूप में विभाजित करते हुए नीचे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।


तालिका 3.1: 2023–24 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत (₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		कुल संवितरण		बचत	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
राजस्व	2,35,829.40	20,364.25	1,78,642.05	19,538.08	57,187.35	826.17
पूँजीगत	44,105.37	0.00	37,422.70	0.00	6,682.67	0.00
लोक ऋण	0.00	23,558.69	0.00	22,979.38	0.00	579.31
ऋण एवं अग्रिम	2,372.41	0.00	2,135.86	0.00	236.55	0.00
कुल	2,82,307.18	43,922.94	2,18,200.61	42,517.46	64,106.57	1,405.48
	3,26,230.12		2,60,718.07		65,512.05	

(स्रोत: वर्ष 2023–24 के विस्तृत विनियोग लेखे)

बजट के विभिन्न घटकों को नीचे दिए गए चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: बजट के घटक (₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2023–24 के विस्तृत विनियोग लेखे)

राज्य का बजट अनुमान (ब0अ0) ₹ 2,61,885.40 करोड़ का तैयार किया गया था। इसके बाद ₹ 64,344.72 करोड़¹ का अनुपूरक बजट का प्रावधान किया गया। इस प्रकार, वर्ष 2023–24 में राज्य का कुल बजट ₹ 3,26,230.12 करोड़ का हो गया था। तथापि, इसके विरुद्ध, राज्य द्वारा मूल बजट की भी पूरी राशि व्यय नहीं किया गया। राज्य का व्यय ₹ 2,60,718.07 करोड़ (अर्थात् मूल बजट का 99.55 प्रतिशत) था और बचत के रूप में ₹ 65,512.05 करोड़ शेष थे।

चार्ट 3.2 से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023–24 के दौरान कुल बजट (मूल+अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष 79.92 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2022–23 से 1.97 प्रतिशतता अंक अधिक) व्यय किया था, जिसके परिणामस्वरूप 20.08 प्रतिशत की बचत हुई।

¹ प्रथम अनुपूरक बजट: ₹ 34,124.76 करोड़, द्वितीय अनुपूरक बजट: ₹ 26,086.36 करोड़ एवं तृतीय अनुपूरक बजट: ₹ 4,133.60 करोड़

3.1.2 भारित एवं दत्तमत बजट एवं संवितरण

विगत पाँच वर्षों (2019–20 से 2023–24 तक) के दौरान 'भारित'² और 'दत्तमत'³ में कुल बजट एवं संवितरण का विवरण तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2019–20 से 2023–24 के दौरान भारित और दत्तमत बजट एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट		संवितरण		बचत/आधिक्य		कुल बजट के विरुद्ध बचत (प्रतिशत में)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2019–20	2,08,629.14	19,858.04	1,30,506.24	19,135.68	78,122.90	722.36	37.45	3.64
2020–21	2,24,274.43	21,248.16	1,48,348.42	19,566.98	75,926.04	1,681.18	33.85	7.91
2021–22	2,41,479.13	23,917.74	1,71,395.87	22,806.33	70,083.26	1,111.41	29.02	4.65
2022–23	2,69,053.83	32,632.63	2,04,037.83	31,139.01	65,016.00	1,493.62	24.16	4.58
2023–24	2,82,307.18	43,922.94	2,18,200.61	42,517.46	64,106.57	1,405.48	22.70	3.20

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

3.1.3 बजट कार्यकुशलता

3.1.3.1 समग्र बजट उत्पादकता

समग्र बजट उत्पादकता, यह मापती है कि समग्र बजटीय व्यय की उत्पादकता/वास्तविक व्यय मूल अनुमोदित राशि से कितनी अधिक अथवा कितनी कम है। इसका सारांश तालिका 3.3(अ) में दिया गया है।

तालिका 3.3(अ): वित्तीय वर्ष 2023–24 का समग्र बजट उत्पादकता

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (ब0अ0)	वास्तविक उत्पादकता	वास्तविक और ब0अ0 के बीच अंतर* (3)–(2)	प्रतिशत विचलन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व	2,07,848.00	1,98,180.13	(–) 9,667.87	(–) 4.65
पूँजीगत	54,037.40	62,537.94	8,500.54	15.73
कुल	2,61,885.40	2,60,718.07	(–) 1,167.33	(–) 0.45

(स्रोत: वर्ष 2023–24 के विस्तृत विनियोग लेखे)

* मूल प्रावधान से वास्तविकी की अधिकता को (+) चिन्ह के रूप में और मूल प्रावधान से कमी को (–) चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है।

सभी 52 अनुदानों के अंतर्गत बजट अनुमान (ब0अ0) की तुलना में वास्तविक उत्पादकता (प्रतिशत में) का विचलन राजस्व खण्ड ((–) 4.65 प्रतिशत) और पूँजीगत खण्ड ((+) 15.73 प्रतिशत), तालिका 3.3 (ब) में वर्णित है।

² व्यय की कुछ श्रेणियाँ (उदाहरण के लिए संवैधानिक अधिकारियों का वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की समेकित निधि पर भारित होती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं।
³ अन्य सभी व्यय विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन होते हैं।

तालिका 3.3(ब) : वास्तविक उत्पादकता का प्रतिशत विचलन

विचलन की सीमा (±) (प्रतिशत में)	अनुदानों की संख्या (राजस्व खण्ड)	अनुदानों की संख्या (पूँजीगत खण्ड)	कुल
25 तक	29	8	37
>25 से 50 तक	18	7	25
>50 से 100 तक	2	13	15
100 और अधिक	1	5	06
कोई विचलन नहीं *	2	19	21
	52	52	104

(स्रोत: वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे)

* 21 अनुदानों (राजस्व खंड में दो और पूँजीगत खंड में 19) में कोई भी विचलन दर्ज नहीं किया गया क्योंकि उनमें कोई भी बजटीय प्रावधान नहीं किया गया था।

3.1.3.2 व्यय संरचना की उत्पादकता

व्यय संरचना की उत्पादकता यह निर्धारित करती है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य निधियों का पुनर्आवंटन ने व्यय की संरचना को किस स्तर तक प्रभावित किया है, जैसा कि तालिका 3.4(अ) में वर्णित है।

तालिका 3.4 (अ): व्यय संरचना की उत्पादकता (वित्त वर्ष 2023-24)

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (ब0अ0)	पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0)	वास्तविक उत्पादकता	वास्तविक उत्पादकता एवं पुन0अ0 के बीच अंतर	पुन0अ0 के संबंध में कॉलम 5 का प्रतिशत विचलन
1	2	3	4	5 (4-3)	6
राजस्व	2,07,848.00	2,50,023.84	1,98,180.13	(-) 51,843.71	(-) 20.74
पूँजीगत	54,037.40	64,926.70	62,537.94	(-) 2,388.77	(-) 3.68
कुल	2,61,885.40	3,14,950.54	2,60,718.07	(-) 54,232.48	(-) 17.22

(स्रोत: वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे)

* मूल प्रावधान से वास्तविकी की अधिकता को (+) चिन्ह के रूप में और मूल प्रावधान से कमी को (-) चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है।

सभी 52 अनुदानों का राजस्व खण्ड ((-) 20.74 प्रतिशत) और पूँजीगत खण्ड ((-) 3.68 प्रतिशत) के अंतर्गत पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0) की तुलना में वास्तविक उत्पादकता (प्रतिशत में) का विचलन तालिका 3.4(ब) में वर्णित है।

तालिका 3.4 (ब): पुनरीक्षित अनुमान से वास्तविक उत्पादकता का प्रतिशत विचलन

विचलन की सीमा (±) (प्रतिशत में)	अनुदानों की संख्या (राजस्व खण्ड)	अनुदानों की संख्या (पूँजीगत खण्ड)	कुल
25 तक	33	14	47
>25 से 50 तक	13	11	24
>50 से 100 तक	4	8	12
100 और अधिक	0	1	1
कोई विचलन नहीं *	2	18	20
	52	52	104

(स्रोत: 2023-24 के विनियोग लेखे)

* 20 अनुदानों (राजस्व खंड में दो और पूँजीगत खंड में 18) में कोई भी विचलन दर्ज नहीं किया गया क्योंकि उनमें कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम द्वारा बजट के दोनों मदों, भारित एवं दत्तमत के रूप में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण, बचत तथा पुनर्विनियोगों को अलग-अलग दर्शाते हैं

और विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत और राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधि के उपयोग, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझना सुगम करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा से यह सुनिश्चित करते हैं कि 52 अनुदानों के तहत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप हैं अथवा नहीं एवं ऐसे व्यय जिसे संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने की आवश्यकता है उसे निर्दिष्ट प्रकार से प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

बजटीय संपूर्णता का अर्थ लोक निधि को जनहित के अनुसार उपयुक्त रूप से व्यय किया जाना है। बजट विश्वसनीय होना चाहिए एवं राजकोषीय और वित्तीय प्रतिवेदन में निहित सूचनाएँ भरोसेमंद होनी चाहिए। बजट की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता अंततः व्यय को वास्तविक रूप से नियोजित करने, अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को ससमय और कुशलतापूर्वक लागू करने की विभाग की क्षमता पर निर्भर करती है।

3.3.1 विनियोग अधिनियम द्वारा अधिदिष्टि के बिना (लोक लेखे में) अंतरण

यह देखा गया कि निधियों को बजट में प्रावधान के पश्चात, व्यय हेतु, वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभागों को भेजा जाता है। तत्पश्चात संबंधित विभाग द्वारा प्रावधानित राशि का आहरण कर आगे भुगतान के लिए इसे लोक लेखे में अंशतः या पूर्णतः जमा करा दिया जाता है, भले ही इसकी तत्काल आवश्यकता न हो।

लोक लेखा में अंतरित निधियों का शीर्ष-वार विवरण तालिका 3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5: मुख्य शीर्ष 8443 और 8448 में अंतरित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	मुख्य शीर्ष-8448 में अंतरण				मुख्य शीर्ष-8443 में अंतरण			
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्राप्तियाँ	276.69	325.57	438.83	338.92	0	0.05	0.59	2.64
राजस्व व्यय	11,876.36	12,454.01	8,780.60	12,295.37	538.88	435.82	228.14	320.86
पूँजीगत व्यय	9,166.60	10,564.51	9,965.26	11,072.28	1,330.20	1,394.31	1,307.33	1,364.00
ऋण और अग्रिम	605.79	731.48	1,406.50	1,619.09	0	0	0	0
कुल	21,925.44	24,075.57	20,591.19	25,325.66	1,869.08	1,830.18	1,536.06	1,687.50

(स्रोत: 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 2023-24 के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े)

यह देखा गया कि 21 अनुदानों की 131 उप-शीर्ष/योजनाओं के तहत ₹ 6,777.10 करोड़, जो वर्ष के लिए इन योजनाओं के तहत कुल व्यय के बराबर था, की राशि लोक लेखे के अंतर्गत दो लेखाशीर्षों में अंतरित की गई थी।

इन 131 उप-शीर्ष/योजनाओं में से पाँच उप-शीर्ष/योजनाओं, जिनमें 100 प्रतिशत व्यय लोक लेखे में धनराशि अंतरित करके किया गया था, को तालिका 3.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: मुख्य शीर्ष 8443 और 8448 में 100 प्रतिशत निधियों का अंतरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष-योजना	बजट	व्यय	अंतरित राशि
1	48	5075-60-190-0101-पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	620.00	590.00	590.00
2	20	4210-03-789-0101- मेडिकल कॉलेज के लिए	538.14	538.12	538.12
3	10	4801-05-190-0107-उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) का प्रोजेक्ट	503.00	503.00	503.00
4	20	2210-05-105-0017-इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	500.00	491.47	491.47
5	37	4515-00-103-0519-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एन0डी0बी0) (ब्रिक्स बैंक सहायता प्राप्त)	700.00	455.00	455.00
कुल			2,861.14	2,577.59	2,577.59

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

कुछ अन्य योजनाओं का विवरण, जिनमें 2023-24 के दौरान महत्वपूर्ण धनराशि (₹ 750 करोड़ या अधिक) लोक लेखे में अंतरित/जमा की गई, तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: मुख्य शीर्ष 8443 और 8448 में निधियों का अंतरण

(₹ 750 करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या-योजना	कुल बजट	कुल व्यय	लोक लेखे में अंतरित
1	22-4055-00-051-0101- पुलिस भवनों का निर्माण एवं रख-रखाव	865.63	913.96	798.76
2	35-4070-00-051-0107- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	1,114.48	1,069.91	1,068.48
3	12-6202-01-190-0101- बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम	1,600.00	1,603.09	1,600.00
4	37-4515-00-789-0104- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	2,400.00	1,900.00	1,146.00
5	48-2215-02-105-0101- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन-सात निश्चय-2	4,121.00	4,049.01	4,000.00
6	37-3054-04-105-0001- ग्रामीण सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय	4,000.00	3,821.57	3,577.48
कुल		14,101.11	13,357.54	12,190.72

(स्रोत: विनियोग लेखे एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),बिहार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

3.3.2 अनावश्यक /अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, विनियोग अधिनियम द्वारा वर्ष के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है।

जब ऐसे अतिरिक्त व्यय, जो कि अपरिहार्य हो, और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उस अनुदान में अतिरिक्त राशि के बचत होने की कोई संभावना न हो जिसे पुनर्विनियोग के माध्यम से पूरा किया जा सके, तब संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन के लिए प्रस्ताव रखते हैं जिसे बाद में अनुपूरक बजट के माध्यम से विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2023-24 के दौरान, 13 विभिन्न अनुदानों, के 13 मामलों में, ₹ 11,042.66 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) की राशि के अनुपूरक बजट अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुए और पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे, क्योंकि इन अनुदानों में व्यय (₹ 50,659.58 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 68,728.26 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में वर्णित है।

3.3.3 अनावश्यक एवं अधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन का अर्थ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विनियोग की एक इकाई से बचत का उसी अनुदान अथवा भारित विनियोग के अंतर्गत किसी अन्य इकाई में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया गया अंतरण है। इस प्रकार सरकार को निर्धारित सीमाओं और प्रतिबंधों के अधीन, एक उद्देश्य के लिए मूल प्रावधान को एक ही अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में पुनर्विनियोजन की अनुमति है।

वर्ष 2023-24 के विस्तृत विनियोग लेख से यह परिलक्षित हुआ कि:

- i. चार अनुदानों के अंतर्गत 14 मामलों में ₹ 216.97 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंचा और ₹ 566.65 करोड़ की अंतिम बचत (प्रत्येक मामले में ₹ पाँच करोड़ या अधिक) हुई **(परिशिष्ट 3.2)**।
- ii. यद्यपि पुनर्विनियोजन के माध्यम से चार अनुदानों के अंतर्गत सात मामलों में ₹ 877.71 करोड़ की राशि प्रदान की गई, ₹ 190.56 करोड़ की अंतिम बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) हुई **(परिशिष्ट 3.3)**।

निधियों का पुनर्विनियोजन अनावश्यक/अधिक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल/कुल बजट प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। यह संकेत करता है कि वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना इनमें पुनर्विनियोजन किया गया।

3.3.4 अव्ययित राशि, अभ्यर्पित विनियोग और/या वृहत् बचत/अभ्यर्पण

2023-24 के दौरान, 42 मामले (32 अनुदानों से संबंधित) ऐसे थे, जहां प्रत्येक मामले में दत्तमत और भारित व्यय के तहत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई। यह कुल ₹ 66,461.86 करोड़ (₹ 2,77,249.71 करोड़ के कुल प्रावधान का 23.97 प्रतिशत) की बचत थी, जैसा कि **(परिशिष्ट 3.4)** में वर्णित है।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान आठ अनुदानों में ₹ 500 करोड़ से अधिक एवं 30 प्रतिशत और उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत के मामले थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27,852.39 करोड़ (₹ 69,341.24 करोड़ के कुल प्रावधान का 40.17 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण बचत हुई **(परिशिष्ट 3.5)**।


विगत पाँच वर्षों के दौरान 12 अनुदानों में प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की सतत् बचत हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष ₹ 51,187.57 करोड़ की न्यूनतम बचत हुई, जैसा कि **(परिशिष्ट 3.6)** में बताया गया है।

सतत् बचत से संकेत मिलता है कि विगत वर्षों में व्यय की प्रवृत्तियों पर विचार किए बिना बजट प्रावधान किए गए थे।

बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोजनों की संख्या, वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी कुल बचत के साथ **चार्ट 3.3** में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट 3.3: बचत की राशि के साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे)

चार्ट 3.3 दर्शाता है कि 52 में से 17 अनुदानों में 30 प्रतिशत से अधिक की बचत थी, जो ₹ 29,609.31 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि है। ₹ 29,609.31 करोड़ की बचत ₹ 65,512.05 करोड़ की कुल बचत का 45.20 प्रतिशत थी।


बिहार बजट संहिता, 2016 की कंडिका 104 के अनुसार, अतिरिक्त व्यय, जो निश्चित रूप से पूर्वानुमानित नहीं हों अथवा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदित नहीं हों, को पूरा करने के लिए बचत में से कोई राशि आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए।

बचत का अभ्यर्पण संबंधित वित्तीय वर्ष के 15 फरवरी तक राज्य के वित्त विभाग को कर दिया जाना चाहिए। असाधारण मामलों में अभ्यर्पण संबंधित वर्ष के 31 मार्च तक समर्पित किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बचत और अभ्यर्पण को चार्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे)

जैसा कि चार्ट 3.4 से स्पष्ट है कि बिहार बजट संहिता के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 15 फरवरी के बाद ₹ 13,563.55 करोड़ (कुल अभ्यर्पित राशि का 56.81 प्रतिशत) की राशि अभ्यर्पित की गई। इन अभ्यर्पणों के अलावा, मार्च महीने में ₹ 12,436.82 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई। इसमें से ₹ 9,613.37 करोड़ मार्च महीने के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए। नौ अनुदानों के तहत ₹ 21,586.93 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 500 करोड़ या अधिक) के अभ्यर्पण के महत्वपूर्ण मामलों का विवरण परिशिष्ट 3.7 में दिया गया है।

3.3.5 अधिकाई व्यय और उसका नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ख) में यह प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर उस सेवा और उस वर्ष के लिए स्वीकृत राशि से अधिक राशि व्यय की गई है, तो राज्यपाल उस वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिए विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें अधिकाई व्यय किया गया था।

यद्यपि, अनुच्छेद के तहत अधिकाई व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अत्यधिक व्यय का नियमितीकरण लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूरी होने के बाद किया जाता है।

3.3.5.1 अधिकाई व्यय

वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायी अनुमोदन की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि खराब योजना का भी संकेत है, जिसे बजट के उद्देश्य के साथ व्यय प्रगति पर नजर रखकर रोका जा सकता है। वित्तीय वर्ष के प्रावधान से अधिक व्यय के मामलों की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा बजट प्रावधान से अधिक व्यय के कुछ मामलों को देखा गया। विवरण तालिका 3.8 में दिया गया है।

तालिका 3.8 : बजटीय प्रावधानों से अधिक व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

राजस्व/पूँजीगत	दत्तमत/भारित	विभाग/अनुदान का नाम	
		सड़क निर्माण (अनुदान संख्या 41)	ग्रामीण विकास (अनुदान संख्या 42)
पूँजीगत	दत्तमत	3,942.96	1.40
राजस्व	दत्तमत	—	2.53
कुल		3,942.96	3.93
महायोग		3,946.89 (₹ 39.47 करोड़)	

(स्रोत: वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

तालिका 3.8 में दो अनुदानों (अनुदान संख्या 41 और 42) में बजट प्रावधानों से ₹ 39.47 करोड़ अधिक व्यय दर्शाया गया है। यह अधिकाई व्यय बजट प्रावधानों के विपरीत है और इसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।

3.3.5.2 पिछले वित्तीय वर्षों के अधिकाई व्यय का विनियमन

पिछले वर्षों से संबंधित अधिकाई व्यय के मामलों जिनको नियमित करने की आवश्यकता है, उनका विवरण तालिका 3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9 : नियमितीकरण की आवश्यकता वाले पिछले वर्षों से संबंधित व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिकाई व्यय	वर्ष	अधिकाई व्यय
पशुपालन विभाग			
1987-88	6.92	1992-93	87.77
1988-89	6.13	1993-94	125.03
1989-90	8.65	1994-95	170.61
1990-91	29.29	1995-96	146.49
1991-92	70.72	1996-97	6.37
विधानमंडल			
2019-20	2.30		
कुल	660.28		

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, कार्यालय के लोक लेखा समिति अनुभाग द्वारा दी गई सूचना)

नियमितीकरण किये जाने वाले कुल ₹ 660.28 करोड़ के अधिकाई व्यय में से ₹ 657.98 करोड़ का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता

3.4.1 बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकी के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए निर्णायक कारक हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति तालिका 3.10 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.10: वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति

(₹ करोड़ में)

Q ; dhç-fr		vunpku@dh l l q ; k	ey vunpku@ fotu; lk	vunpku@ fotu; lk	dy vunpku@ fotu; lk	ollrfod Q ;	Qpr	vH iZk	elpZ2024 eavH fiZ: dh xbzjfr k	elpZ2024 eavH fiZ: cprbck çfr'lk kaywe ts@dywe , p ×100%
, ch	lh	Mh	bZ	, Q	th	, p	vHbZ	ts	ds	
nür	i. राजस्व	47	1,87,677.27	48,152.13	2,35,829.40	1,78,642.05	57,187.35	19,457.21	11,187.37	19.56
	ii. पूँजीगत	33	29,257.31	14,848.05	44,105.36	37,422.70	6,682.66	4,335.07	1,249.45	18.70
	iii. ऋण और अग्रिम	7	1,221.40	1,151.02	2,372.42	2,135.86	236.56	83.27	0	.
dy nür			2 18 155-98	64 151-20	2 82 307-18	2 18 200-61	64 106-57	23 875-55	12 436-82	19-41
Hfjr	iv. राजस्व	8	20,170.73	193.52	20,364.25	19,538.08	826.17	.	0	.
	v पूँजीगत		0	.
	vi लोक ऋण अदायगी	1	23,558.69	.	23,558.69	22,979.38	579.31	.	0	.
dy Hfjr			43 729-42	193-52	43 922-94	42 517-46	1 405-48	-	0	-
dy ; lk			2 61 885-40	64 344-72	3 26 230-12	2 60 718-07	65 512-05	23 875-55	12 436-82	19-00

(स्रोत: वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे)

नोट: व्यय में राजस्व व्यय की वसूली/वापसी की राशि ₹ 7,301.87 करोड़ और पूँजीगत व्यय की वसूली/वापसी की राशि ₹ 969.68 करोड़ है जो व्यय में कमी के रूप में समायोजित की गई है।

जैसा कि तालिका 3.10 से स्पष्ट है, वर्ष के दौरान कुल ₹ 3,26,230.12 करोड़ के प्रावधानों के सापेक्ष केवल ₹ 2,60,718.07 करोड़ (79.92 प्रतिशत) व्यय हुआ। यह द्योतक है कि ₹ 64,344.72 करोड़


के अनुपूरक बजट परिहार्य थे, क्योंकि अंतिम व्यय मूल प्रावधानों (₹ 2,61,885.40 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

राजस्व खण्ड के अन्तर्गत 47 अनुदानों और आठ विनियोगों में ₹ 58,013.52 करोड़ की बचत और पूँजीगत खण्ड के अन्तर्गत 33 अनुदानों और एक विनियोग में ₹ 7,498.53 करोड़ की बचत से कुल ₹ 65,512.05 करोड़ की बचत हुई।

वर्ष के दौरान ₹ 65,512.05 करोड़ की कुल बचत में से केवल 36.44 प्रतिशत (₹ 23,875.55 करोड़) ही अभ्यर्पित की गई। इसके परिणामस्वरूप कुल बचत में से ₹ 41,636.50 करोड़ (63.56 प्रतिशत) बचत अभ्यर्पित नहीं की गई। कुल बचत अनुपूरक बजट से अधिक थी।

बजट में कुल प्रावधानों के मुकाबले कुल बचत के प्रतिशत के रूप में चार्ट 3.5 में दिखाए गए हैं।

चार्ट 3.5: 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट का उपयोग



(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

बचत के प्रवृत्ति विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विगत पाँच वर्षों के दौरान, कुल बजट के सापेक्ष कुल बचत 20.08 प्रतिशत से 34.51 प्रतिशत तक थी। यह दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए थे और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने 11 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 20 योजना लेखा शीर्षों में ₹ 7,567.93 करोड़ राशि के संपूर्ण बजट प्रावधान (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) के उपयोग न किए जाने के कुछ प्रमुख मामलों का विश्लेषण किया, जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में वर्णित है।

3.4.2 बजट और उसके क्रियान्वयन का प्रवृत्ति विश्लेषण

3.4.2.1 बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और व्यय की प्रवृत्ति

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: 2019–20 से 2023–24 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित बजट एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	मूल बजट	2,00,501.01	2,11,761.50	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40
2	अनुपूरक बजट	27,986.17	33,761.12	47,094.17	63,995.25	64,344.72
3	कुल बजट (1+2)	2,28,487.18	2,45,522.62	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12
4	पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0)	2,18,729.55	2,29,716.91	2,58,632.52	2,89,734.83	3,14,950.54
5	वास्तविक व्यय	1,49,641.92	1,67,915.40	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07
6	बचत (3–5)	78,845.26	77,607.22	71,194.67	66,509.62	65,512.05
7	मूल प्रावधान के सापेक्ष अनुपूरक प्रावधान का प्रतिशत	13.96	15.94	21.57	26.92	24.57
8	समग्र प्रावधान के सापेक्ष समग्र बचत / आधिक्य का प्रतिशत	34.51	31.61	26.83	22.05	20.08
9	कुल बजट – पुन0अ0	9,757.63	15,805.71	6,764.35	11,951.63	11,279.58
10	पुन0अ0 – वास्तविक व्यय	69,087.63	61,801.51	64,430.32	54,557.99	54,232.47
11	(कुल बजट – पुन0अ0) कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में	4.27	6.44	2.55	3.96	3.46
12	(पुन0अ0 – वास्तविक व्यय) कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में	30.24	25.17	24.28	18.08	16.62

(स्रोत: संबंधित वित्तीय वर्षों के वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे)

विगत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, राज्य का मूल बजट (बजट अनुमान) उसके तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के कुल बजट से कम था। हालाँकि, इन मूल बजटों को बाद में अनुपूरक बजटों से अतिरिक्त प्रावधान करके बढ़ा दिया गया था। ये अनुपूरक बजट एक वित्तीय वर्ष के मूल बजट के 13.96 प्रतिशत से 26.92 प्रतिशत तक थे। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बनाए गए अनुपूरक बजट, मूल बजट के 20 प्रतिशत से अधिक थे। हालाँकि, प्रत्येक वर्ष, वास्तविक व्यय उस वर्ष के मूल बजट से कम था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कुल बजटीय प्रावधानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक व्यय मूल बजटीय प्रावधानों से कम रहा।

3.4.2.2 विभिन्न योजना श्रेणियों में बचत की प्रवृत्ति

राज्य के बजट को आम तौर पर छह भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें बिल कोड के चार अंकों वाले उपशीर्ष के पहले दो अंकों के आधार पर पहचाना जा सकता है। उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 का बजट तालिका 3.12 में दर्शाया/प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.12: वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए श्रेणीवार बजट प्रावधान और उसके विरुद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का प्रकार	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	कुल बचत	बचत प्रतिशत में
1	स्थापना और प्रतिबद्ध	1,61,855.67	19,017.34	1,80,873.01	1,54,381.74	26,491.27	40.44
2	केंद्रांश (सी0एस0एस0)	44,712.64	3,397.09	48,109.73	21,480.17	26,629.56	40.65
3	राज्यांश (सी0एस0एस0)	14,613.02	15,791.29	30,404.31	25,370.19	5,034.12	7.68
4	राज्य योजनाएं	37,941.34	25,674.70	63,616.04	57,439.07	6,176.97	9.43

क्र. सं.	योजना का प्रकार	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	कुल बचत	बचत प्रतिशत में
5	केंद्रीय क्षेत्र योजना	29.73	64.30	94.03	88.67	5.36	0.01
6	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	2,733.00	400.00	3,133.00	1,958.23	1,174.77	1.79
कुल		2,61,885.40	64,344.72	3,26,230.12	2,60,718.07	65,512.05	100

(स्रोत: वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे)

तालिका 3.12 से स्पष्ट है कि 2023-24 के दौरान कुल ₹ 65,512.05 करोड़ की बचत हुई। ₹ 65,512.05 करोड़ की इन कुल बचतों में से ₹ 31,663.68 करोड़ (48.33 प्रतिशत) केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित था।

इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का वित्त पोषण, केंद्र और राज्य द्वारा संबंधित योजना दिशानिर्देशों के तहत उल्लिखित पूर्व निर्धारित अनुपात में किया जाता है। इस संदर्भ में, बजट, व्यय और बचत में केंद्र और राज्य के हिस्से का अनुपात स्थिर होना चाहिए। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पिछले पाँच वर्षों में बजट, व्यय और बचत में केंद्र और राज्य के हिस्से के अनुपात की समीक्षा की, जिसे तालिका 3.13 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.13: 2019-24 के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत बजट, व्यय और बचत के विभिन्न चरणों में केन्द्रांश और राज्यांश का अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजनाएँ एवं घटक		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	मूल बजट	सी0एस0एस0 के लिए केन्द्रांश	37,407.69	39,236.09	42,026.28	46,019.44	44,712.64
2		केन्द्रांश का प्रतिशत	67.05	70.22	74.28	76.94	75.37
3		सी0एस0एस0 के लिए राज्यांश	18,380.03	16,638.17	14,551.68	13,789.55	14,613.02
4		राज्यांश का प्रतिशत	32.95	29.78	25.72	23.06	24.63
5		कुल (1+3)	55,787.72	55,874.26	56,577.96	59,808.99	59,325.66
6	अनुपूरक बजट	सी0एस0एस0 के लिए केंद्रांश	2,291.70	1,808.07	2,355.57	3,502.91	3,397.09
7		केन्द्रांश का प्रतिशत	28.00	23.50	13.15	11.98	17.70
8		सी0एस0एस0 के लिए राज्यांश	5,893.53	5,886.15	15,553.97	25,725.78	15,791.29
9		राज्यांश का प्रतिशत	72.00	76.50	86.85	88.02	82.30
10		कुल (6+8)	8,185.23	7,694.22	17,909.54	29,228.69	19,188.38
11	कुल बजट	सी0एस0एस0 के लिए केंद्रांश	39,699.39	41,044.16	44,381.85	49,522.35	48,109.73
12		केन्द्रांश का प्रतिशत	62.06	64.57	59.58	55.62	61.28
13		सी0एस0एस0 के लिए राज्यांश	24,273.56	22,524.32	30,105.65	39,515.33	30,404.31
14		राज्यांश का प्रतिशत	37.94	35.43	40.42	44.38	38.72
15		कुल (11+13)	63,972.95	63,568.48	74,487.50	89,037.68	78,514.04
16	वास्तविक व्यय	सी0एस0एस0 के लिए केंद्रांश	14,988.13	16,766.59	19,683.43	25,985.02	21,480.17
17		केन्द्रांश का प्रतिशत	45.13	48.25	46.13	45.06	45.85
18		सी0एस0एस0 के लिए राज्यांश	18,221.28	17,981.57	22,989.93	31,685.20	25,370.19
19		राज्यांश का प्रतिशत	54.87	51.75	53.87	54.94	54.15
20		कुल (16+18)	33,209.41	34,748.16	42,673.36	57,670.22	46,850.36

क्र.सं.	योजनाएँ एवं घटक		2019—20	2020—21	2021—22	2022—23	2023—24
21	बजट	सी0एस0एस0 के लिए केंद्रांश	24,711.26	24,277.57	24,698.42	23,533.38	26,629.56
22		केन्द्रांश का प्रतिशत	80.33	84.24	77.63	75.03	84.10
23		सी0एस0एस0 के लिए राज्यांश	6,052.28	4,542.75	7,115.72	7,830.13	5,034.12
24		राज्यांश का प्रतिशत	19.67	15.76	22.37	24.97	15.90
25		कुल (21+23)	30,763.54	28,820.32	31,814.14	31,363.51	31,663.68

(स्रोत: वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे)

जैसा कि तालिका 3.13 से देखा जा सकता है:

- i. सी0एस0एस0 के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बजट प्रावधानों का अनुपात मूल बजट, अनुपूरक बजट और कुल बजट के लिए तय किया गया है। तदनुसार, राज्य सरकार को बजट के प्रत्येक चरण में अपना हिस्सा आवंटित करना था। हालांकि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान, सी0एस0एस0 के लिए राज्य के बजट प्रावधानों का अनुपात तय अनुपात के अनुसार नहीं था, प्रत्येक वर्ष बजट के प्रत्येक चरण में इनमें भिन्नता थी। राज्य सरकार ने इन योजनाओं के लिए मूल बजट में, केंद्रांश का हिस्सा बजट प्रावधानों का अपेक्षाकृत उच्च प्रतिशत (यानी तय अनुपात से अधिक) में रखा। समानांतर रूप से, सरकार ने इन योजनाओं के मूल बजट में योगदान के परिभाषित अनुपात की तुलना में इन योजनाओं के लिए राज्य का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रखा। तत्पश्चात, अनुपूरक बजट के माध्यम से राज्य के हिस्से में वृद्धि की गई।
- ii. पिछले पाँच वर्षों के दौरान, केंद्र और राज्य के हिस्से का व्यय अनुपात, योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। सी0एस0एस0 के मानदंडों के अनुसार, केंद्रीय हिस्सा आमतौर पर राज्य के हिस्से से अधिक होता है। हालांकि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य के हिस्से में किया गया व्यय केंद्रीय हिस्से से अधिक है।
- iii. केंद्रीय हिस्से में बचत की राशि बहुत बड़ी थी और सी0एस0एस0 योजनाओं के बजट में समग्र बचत का योगदान 75.03 प्रतिशत से 84.24 प्रतिशत के बीच था।

उपरोक्त द्योतक है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी0एस0एस0) पर बजट और व्यय, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार नहीं किया गया है और इससे इन योजनाओं के केंद्रीय हिस्से में बचत हुई है।

3.4.3 बजट से भिन्नता के संबंध में अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

बिहार राज्य के लिए विनियोग लेखे (उप-शीर्ष स्तर पर) पर टिप्पणियों के लिए अपनाए गए मानदंड तालिका 3.14 में वर्णित हैं।

तालिका 3.14: विनियोग लेखे पर टिप्पणियों के लिए मानदंड

क्रम. सं.	अनुदानवार बजट प्रावधान	बचत(-)/ आधिक्य (+)	उप-शीर्षवार मानदंड
1	2	3	4
1	₹ 5.00 करोड़ तक	₹ 5.00 लाख	उप-शीर्ष स्तर पर प्रत्येक मामले में कॉलम संख्या 3 में दर्शाई गई राशि या उप-शीर्षवार प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
2	₹ 5.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 50.00 करोड़ से कम	₹ 10.00 लाख	
3	₹ 50.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 100.00 करोड़ से कम	₹ 15.00 लाख	
4	₹ 100.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 500.00 करोड़ से कम	₹ 20.00 लाख	
5	₹ 500.00 करोड़ से अधिक	₹ 25.00 लाख	


(स्रोत: वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे)

वर्ष के लिए व्यय आँकड़ों के संकलन के बाद, सभी अनुदान नियंत्रण अधिकारियों को बिहार राज्य के अंतिम विनियोग लेखे में शामिल करने के लिए आधिक्य या बचत के कारण उल्लिखित करना

आवश्यक है। इसके लिए, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार द्वारा विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को विनियोग लेखे का मसौदा उपलब्ध कराया गया था, जिसमें लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के लिए कारण/स्पष्टीकरण मांगे गए थे।

हालांकि, 2023–24 के विनियोग लेखे के लिए, नियंत्रण अधिकारियों ने कुल मामलों के केवल 8.81 प्रतिशत में बजटीय आवंटन की तुलना में व्यय में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया। सभी 52 अनुदानों/विनियोगों के तहत 1,793 मामलों के संबंध में भिन्नताओं के कारण मांगे गए थे। हालांकि, सरकारी विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा 24 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत केवल 158 मामलों के संबंध में भिन्नताओं के कारण प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले विनियोग लेखे में भिन्नताओं के मामले में प्राप्त स्पष्टीकरणों की स्थिति चार्ट 3.6 में दिखाई गई है।

चार्ट 3.6: विनियोग लेखे में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश



(स्रोत: वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

1,635 लेखा शीर्ष ऐसे हैं जिनमें ₹ 39,770.24 करोड़ की बचत और अधिकता का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

बजटीय आवंटन और उनकी उपयोग सीमाओं के बीच भिन्नताओं के स्पष्टीकरण के अभाव में, सरकार की वित्तीय जवाबदेही और बजट पर विधायी नियंत्रण को सक्षम बनाने के लिए विनियोग लेखे की सूचनात्मक उपयोगिता निरर्थक रही।

3.4.4 सघन व्यय

बिहार बजट संहिता, 2016 का नियम 125 यह निर्धारित करता है कि जब तक कि अपरिहार्य न हो विलम्ब से होने वाले आवंटनों से परहेज किया जाए। बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए व्यय का एकसमान प्रवाह आवश्यक है।

2023–24 के दौरान नौ⁴ विभागों में, कुल व्यय ₹ 1,20,104.48 करोड़ में से ₹ 50,470.05 करोड़ (42.02 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया। साथ ही, मार्च 2024 में ₹ 28,321.95 करोड़ (23.58 प्रतिशत) का व्यय किया गया (परिशिष्ट 3.9)।


⁴ अनुदान संख्या 13 (ब्याज भुगतान) और 14 (ऋण की अदायगी) को छोड़कर।

परिशिष्ट 3.9 से यह भी देखा जा सकता है कि मार्च 2024 के दौरान प्रतिशतवार (83.09 प्रतिशत) सबसे अधिक व्यय (₹ 2,494.51 करोड़) अनुदान संख्या 39—आपदा प्रबंधन विभाग में किया गया, लेकिन अनुदान संख्या 21—शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल मिलाकर सबसे अधिक व्यय ₹ 7,434.09 करोड़ किया गया।

परिशिष्ट 3.10 में विस्तृत रूप से दर्शाए गए 16 अनुदानों के 30 उप-शीर्षों (योजनाओं) के अंतर्गत मार्च 2024 के महीने में ₹ 5,475.30 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक) का शत-प्रतिशत व्यय, हुआ।

इसके अलावा, ₹ 3,26,230.12 करोड़ के समग्र विनियोग के लिए, मार्च 2024 में व्यय (₹ 40,353.67 करोड़) कुल व्यय (₹ 2,60,718.07 करोड़) का 15.48 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए माहवार व्यय **चार्ट 3.7** में दिखाया गया है।

चार्ट 3.7: वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान मासिक व्यय



(स्रोत: मासिक व्यय प्रतिवेदन 2023–24)

वर्ष के अंतिम भाग/महीने में विभागों द्वारा किया गया महत्वपूर्ण व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और अप्रभावी व्यय नियंत्रण को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय, व्यय निगरानी पर अपर्याप्त नियंत्रण का द्योतक है।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

अनुदान संख्या-03 'भवन निर्माण विभाग' और अनुदान संख्या-21 'शिक्षा विभाग' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा, 2023–24 की अवधि के दौरान अनुदान और अनुपूरक मांगों की बचत/आधिक्य और परिमाण के आधार पर की गई। समीक्षा के परिणाम आगे की कड़िकाओं में विस्तृत रूप से दिए गए हैं:

3.5.1 अनुदान संख्या-03 'भवन निर्माण विभाग'

भवन निर्माण विभाग (भ0नि0वि0) बिहार में आवासीय और गैर-आवासीय सरकारी भवनों के निर्माण, नवीनीकरण, उन्नयन और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। विभाग, सचिव की अध्यक्षता में, अपने प्रमंडलों और एक निगम यथा 'बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड'

(बि0रा0भ0नि0नि0लि0) एवं इनके परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों (प0का0इ0) के माध्यम से कार्य करता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 18 मुख्य शीर्ष, यथा 2052, 2059, 2216, 2235, 3053, 3055, 4047, 4055, 4059, 4202, 4210, 4216, 4225, 4235, 4250, 4406, 4408 एवं 5452 संचालित किये गए थे।

3.5.1.1 बजट और व्यय

विगत तीन वित्तीय वर्षों (2021–22 से 2023–24) के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों और अनुदान में बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका 3.15 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.15: 2021–24 की अवधि के दौरान बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व (दत्तमत)/ पूँजीगत (दत्तमत)	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	विभाग के अभिलेख के अनुसार व्यय	अनुपयोगित प्रावधान (बजट के साथ प्रतिशत)
2021–22	राजस्व (दत्तमत)	835.02	3.01	838.03	700.54	137.49 (16.41)
	पूँजीगत (दत्तमत)	4,486.38	927.91	5,414.29	2,939.12	2,475.17 (45.72)
2022–23	राजस्व (दत्तमत)	859.13	46.63	905.76	753.11	152.65 (16.85)
	पूँजीगत (दत्तमत)	4,101.99	1,518.89	5,620.88	3,589.30	2,031.58 (36.14)
2023–24	राजस्व (दत्तमत)	965.28	35.13	1,000.41	851.12	149.29 (14.92)
	पूँजीगत (दत्तमत)	3,756.20	1,810.18	5,566.38	3,548.14	2,018.24 (36.26)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए विनियोग लेखे और भ0नि0वि0 के अभिलेख)
कोष्ठक में आंकड़े कुल बजट प्रावधानों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

तालिका 3.15 दर्शाती है कि वर्ष 2021–24 के दौरान राजस्व (दत्तमत) और पूँजीगत (दत्तमत) के तहत अनुपयोगित बजट प्रावधान की सीमा 14.92 प्रतिशत से 45.72 प्रतिशत था। वर्ष 2021–24 के दौरान पूँजीगत खंड में सतत् अनुपयोगिता (36 प्रतिशत से अधिक) थी।

3.5.1.2 बचत का अनभ्यर्पण

वर्ष 2023–24 के दौरान, विभाग ने ₹ 4,721.48 करोड़ का मूल बजट का प्रावधान और ₹ 1,845.31 करोड़ का अनुपूरक बजट का प्रावधान किया, जिससे कि कुल बजट प्रावधान ₹ 6,566.79 करोड़ का हो गया। इसमें से विभाग ने 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ₹ 4,399.26 करोड़ का व्यय किया और ₹ 2,167.53 करोड़ का बचत हुआ। विभाग ने इस वर्ष के दौरान राजस्व खंड में बचत का 100 प्रतिशत और पूँजीगत खंड के अंतर्गत बचत का 92.67 प्रतिशत का अभ्यर्पण नहीं किया। बचत का अभ्यर्पण नहीं किए गए राशि का विवरण तालिका 3.16 में दिखाया गया है।

तालिका 3.16: बचत का अनभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			अनभ्यर्पण का कुल प्रतिशतता
	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	
2021–22	137.49	—	100	2,475.17	35.00	98.59	98.66
2022–23	152.65	8.00	94.76	2,031.58	224.29	88.96	89.37
2023–24	149.29	—	100	2,018.24	148.00	92.67	93.17
कुल	439.43	8.00	98.18	6,524.99	407.29	93.76	94.06

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे एवं विभाग का अभिलेख)

जैसा कि तालिका 3.16 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021–24 के दौरान विभाग द्वारा महत्वपूर्ण बचत और तुलनात्मक रूप से कम अभ्यर्पण किया गया है।

3.5.1.3 सतत् बचत

लेखापरीक्षा ने भ0नि0वि0 की कुछ योजनाओं में पिछले तीन वर्षों में सतत् बचत देखी। 2023–24 में ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक की बचत वाले आठ मामलों का विवरण तालिका 3.17 में दिया गया है।

तालिका 3.17: ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक की सतत् बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना का नाम	2021–22	2022–23	2023–24
1	4059–80–051–0220 – ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास	81.25 (82.93)	79.00 (79.00)	105.91 (75.65)
2	4216–01–700–0206 – ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास	52.97 (88.28)	31.04 (52.57)	183.48 (84.62)
3	4059–60–051–0112–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन	1.34 (0.88)	38.96 (12.93)	128.41 (57.84)
4	4059–80–051–0123 – डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साइंस सिटी	60.81 (40.54)	35.67 (44.59)	101.60 (50.80)
5	4059–60–051–0121 – पटना उच्च न्यायालय का विस्तार	40.46 (80.92)	107.19 (89.33)	100.68 (88.32)
6	4059–01–789–0101 – अनुसूचित जाति के लिए भवन	55.35 (27.68)	43.10 (18.74)	174.18 (58.06)
7	4055–00–051–0105 – पुलिस एवं अन्य भवन का निर्माण–गृह विभाग	3.97 (35.04)	5.37 (59.67)	219.86 (99.94)
8	4216–01–700–0306 – ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास	13.99 (77.72)	0.60 (3.07)	122.32 (84.62)

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

कोष्ठक में आँकड़ों कुल बजट प्रावधानों के प्रतिशत को दर्शाता है।

वर्षों से सतत् बचत इन योजनाओं के अंतर्गत अनुचित आकलन या संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति को दर्शाता है।

3.5.1.4 समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

यह पाया गया कि 2023–24 के दौरान भ0नि0वि0 में 48 लेखा शीर्षों के तहत ₹ 63.98 करोड़ की समग्र बजटीय प्रावधानित राशि अनुपयोगित रही थी। मामलें, जिनमें ₹ 5 करोड़ के बराबर या उससे अधिक बजटीय प्रावधान था और अनुपयोगित रहे, तालिका 3.18 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.18: 2023–24 के दौरान समग्र बजट प्रावधान पूर्णरूपेण अनुपयोगित रह जाना (₹ 5.00 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना का नाम	2021–22	2022–23	2023–24
1	4055–00–051–0103 – नए पुलिस मुख्यालय भवन का निर्माण– गृह विभाग	18.00	—	5.00
2	4059–80–051–0324 – अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, विशेष राज्य अंश (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम)	5.00	5.00	5.00
3	4059–01–796–0106 – संयुक्त श्रमिक भवन निर्माण	—	—	6.28
4	4059–01–051–0130 – नगर विकास भवन	—	20.00	10.00

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना का नाम	2021–22	2022–23	2023–24
5	4059–60–051–0144 – बिहार भवन, नई दिल्ली	—	—	10.00
6	4059–80–051–0125 – समेकित चेक पोस्ट	—	—	10.00
कुल		23.00	25.00	46.28

(स्रोत: विनियोग लेखे एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

जैसा कि तालिका 3.18 से देखा जा सकता है, लेखा शीर्ष “03–4059–80–051–0324” में, विभाग ने वर्षों से शून्य उपयोगिता होने के बावजूद लगातार बजट प्रावधान किया।

3.5.1.5 अनावश्यक अनुपूरक बजट

वर्ष 2023–24 के लिए बजट दस्तावेज और विनियोग लेखे की जांच में पाया गया कि विभाग ने कुल अनुदान में ₹ 1,845.31 करोड़ का अनुपूरक बजट बनाया। इसमें, पाँच योजना शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 335.81 करोड़ के मूल प्रावधानों के विरुद्ध, विभाग द्वारा केवल ₹ 201.54 करोड़ (60.01 प्रतिशत) व्यय किया गया एवं ₹ 467.74 करोड़ के अनुपूरक बजट अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुँच सका। विस्तृत तालिका 3.19 में दी गई है।

तालिका 3.19: मामले जहां अनुपूरक बजट अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)					
क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	व्यय (सी0एफ0 एम0एस0 के अनुसार)
1	2059–80–001–0004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध (क्रियान्वयन)	234.81	0.90	154.00
2	4216–01–700–0206	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास	60.00	156.84	33.36
3	4055–00–051–0105	पुलिस एवं अन्य भवन का निर्माण— गृह विभाग	20.00	200.00	0.14
4	4059–80–051–0109	बिहार राज्य न्यायिक सेवा, प्रशिक्षण संस्थान (विधि विभाग) के लिए छात्रावास का निर्माण	7.00	10.00	0.72
5	4059–60–051–0121	पटना उच्च न्यायालय का विस्तार	14.00	100.00	13.32
कुल			335.81	467.74	201.54

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सी0एफ0एम0एस0 प्रतिवेदन)

आगे, पाँच⁵ लेखा शीर्षों में, केवल ₹ 23.46 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया था। तथापि, इन प्रावधानों के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया और इसलिए ₹ 23.46 करोड़ का अनुपूरक बजट अनावश्यक साबित हुआ।

3.5.1.6 निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

यह देखा गया कि यद्यपि 14 लेखा शीर्षों (एच0ओ0ए0) में ₹ 97.49 करोड़ के पुनर्विनियोजन का प्रावधान किया गया था, तीन एच0ओ0ए0 में पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया, जैसा कि तालिका 3.20 में दिखाया गया है।

⁵ 4059–60–051–0144; 4059–80–051–0125; 4059–60–051–0420; 2059–80–053–0019 एवं 4059–60–051–0425.

तालिका 3.20: निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक बजट	पुनर्विनियोजन	व्यय
1	2052-00-090-0020	भवन निर्माण	3.84	0.00	0.11	3.32
2	2059-80-001-0001	निर्देशन	25.78	0.00	0.34	22.94
3	2059-80-001-0004	क्रियान्वयन	234.81	0.90	0.81	154.00
कुल			264.43	0.90	1.26	180.26

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सी०एफ०एम०एस० प्रतिवेदन)

अनावश्यक पुनर्विनियोजन द्योतक है कि विभाग ने इन मामलों में धन की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना पुनर्विनियोजन के प्रावधान का उपयोग किया था।

3.5.1.7 अन्य मामले

यह भी पाया गया कि:

- i वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 4,399.26 करोड़ के कुल व्यय में से, भ०नि०वि० ने ₹ 941.48 करोड़ (21.40 प्रतिशत) की राशि का व्यय मार्च 2024 के महीने में किया है। सात^६ पूँजीगत लेखा शीर्षों में, मार्च 2024 के महीने में किया गया व्यय (₹ 214.79 करोड़) कुल व्यय (₹ 273.69 करोड़) का 63 प्रतिशत से अधिक था।
- ii ₹ 26.73 करोड़ के 77 ए०सी० विपत्रों का समायोजन (नवंबर 2023 तक) लंबित था। ये सभी विपत्र वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2022-23 तक लंबित थे।
- iii भवन निर्माण प्रमंडल-II, पटना, ने पाइपलाइनों के स्थानांतरण, पहुँच पथ के निर्माण और विद्युतीकरण कार्य के लिए अन्य विभागों को ₹ 11.58 करोड़ का अंतरण किया लेकिन इस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी तक अप्राप्त था।

3.5.2 अनुदान संख्या-21 “शिक्षा विभाग”

शिक्षा विभाग (अनुदान संख्या-21) राज्य भर में शिक्षा प्रदान करने और संबंधित आधारभूत संरचना की स्थापना से संबंधित है।

शिक्षा अनुदान संख्या 21 – शिक्षा में केवल दत्तमत अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्षों 2202- सामान्य शिक्षा, 2205- कला एवं संस्कृति, 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवायें, 2204- खेल एवं युवा सेवाएँ, 4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत व्यय, 2059- लोक निर्माण और 4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत व्यय शामिल है।

3.5.2.1 बजट और व्यय

विगत तीन वित्तीय वर्षों (2021-24) के लिए, अनुदान के अंतर्गत बजट, व्यय और बचत की समग्र स्थिति, तालिका 3.21 में दी गई है।

तालिका 3.21: 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशतता
2021-22	राजस्व	36,971.29	8,943.67	45,914.96	33,279.81	12,635.15	27.52
2021-22	पूँजीगत	1,064.64	—	1,064.64	704.88	359.76	33.79

⁶ 4059-01-051-0105; 4059-01-051-0110; 4059-01-789-0104; 4059-01-796-0107; 4202-02-104-0111; 4202-02-789-0102 एवं 4210-01-110-0116.

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशतता
2022-23	राजस्व	38,482.26	16,398.54	54,880.80	40,904.52	13,976.28	25.47
2022-23	पूँजीगत	709.61	301.96	1,011.57	515.27	496.30	49.06
2023-24	राजस्व	39,929.24	15,061.82	54,991.06	42,157.67	12,833.39	23.34
2023-24	पूँजीगत	521.67	959.17	1,480.84	1,360.82	120.02	8.10

(स्रोत: शिक्षा विभाग एवं अनुदान की माँग की प्रति)

तालिका 3.21 से यह स्पष्ट है कि राजस्व और पूँजीगत खंड के अंतर्गत अनुपयोगित बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-24 के दौरान क्रमशः 23.34 से 27.52 प्रतिशत एवं 8.10 से 49.06 प्रतिशत के बीच था।

3.5.2.2 बचत का अभ्यर्पण

विभाग ने 2021-22 से 2023-24 के दौरान बचत का 54.84 प्रतिशत से 99.92 प्रतिशत अभ्यर्पण नहीं किया, जैसा कि तालिका 3.22 में दिखाया गया।

तालिका 3.22: बचत का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			अभ्यर्पण का कुल प्रतिशतता
	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का प्रतिशतता	
2021-22	12,635.15	52.77	0.42	359.76	—	—	0.41
2022-23	13,976.28	6,376.74	45.63	496.30	159.30	32.10	45.16
2023-24	12,833.39	10.00	0.08	120.02	—	—	0.08
कुल	39,444.82	6,439.51	16.33	976.08	159.30	16.32	16.33

(स्रोत: शिक्षा विभाग एवं विनियोग लेखे)

3.5.2.3 सतत् बचत

2021-22 से 2023-24 के दौरान बजटीय प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक), पाँच लेखा शीर्षों के अंतर्गत, अनुपयोगित पाया गया, जैसा कि तालिका 3.23 में दिखाया गया।

तालिका 3.23: ₹ 50 करोड़ से अधिक की सतत् बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	2202-01-101-0001	राजकीय प्राथमिक और मध्य विद्यालय	408.99 (9.14)	514.69 (11.33)	896.37 (14.45)
2	2202-01-789-0203	सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा)	517.54 (43.13)	1193.91 (57.79)	1054.77 (57.08)
3	2202-01-789-0308	सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा)	345.02 (43.13)	146.46 (24.51)	118.59 (18.32)
4	2202-02-001-0002	जिला शिक्षा अधिकारी एवं अनुमंडलीय शिक्षा अधिकारी	77.92 (27.06)	84.39 (28.8)	77.54 (25.29)
5	2202-02-109-0001	अन्य विद्यालय	87.93 (10.31)	85.71 (9.65)	214.91 (11.44)
6	2202-02-109-0207	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा)	330.35 (86.63)	166.52 (51.12)	249.77 (44.08)
7	2202-02-109-0307	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा)	62.19 (64.67)	220.65 (67.52)	240.39 (53.22)
8	2202-03-102-0011	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	112.37 (16.01)	91.29 (14.28)	141.46 (19.79)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

कोष्ठक में आँकड़े कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

वर्षों से हो रहे सतत् बचत इन योजनाओं के अंतर्गत अनुचित आकलन या संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परित्यय के प्राप्त नहीं होने का द्योतक है।

3.5.2.4 समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

यह पाया गया कि 2023-24 के दौरान सात योजनाओ (तीन केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ (कें0प्रा0यो0) और चार राज्य योजनाएँ) के अंतर्गत समग्र बजटीय प्रावधान अनुपयोगित रहे थे जैसा कि तालिका 3.24 में दिखाया गया।

तालिका 3.24: 2023-24 के दौरान समग्र बजट प्रावधान अनुपयोगित रह जाना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष- योजना	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1	2202-02-110-0007 गैर-सरकारी विद्यालयों को सहायता	616.61	—	342.00
2	2202-03-102-0323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	—	63.20	18.00
3	2202-04-200-0205 नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	—	8.99	18.83
4	2202-04-200-0305 नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	—	5.99	12.27
5	4202-01-203-0207 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	—	158.00	15.20
6	2202-01-001-0105 शैक्षिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	—	—	20.00
7	2202-03-104-0003 वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय	—	—	507.84
कुल		616.61	236.18	934.14

(स्रोत: 2021-22 से 2023-24 के विनियोग लेखे)

तालिका 3.24 से यह देखा जा सकता है कि शीर्ष 2202-02-110-0007 “गैर-सरकारी विद्यालयों को सहायता” के अंतर्गत ₹ 616.61 करोड़ (2021-22) और ₹ 342.00 करोड़ (2023-24) का समग्र बजट प्रावधान अनुपयोगित रहा।

3.5.2.5 अनावश्यक अनुपूरक बजट

2023-24 के दौरान, पाँच योजना शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 7,599.46 करोड़ मूल बजट प्रावधानों के विरुद्ध, विभाग द्वारा केवल ₹ 6,696.41 करोड़ (88.12 प्रतिशत) का व्यय किया गया और इस प्रकार इन सभी योजनाओं के अंतर्गत ₹ 1,777.54 करोड़ का अनुपूरक बजट अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि तालिका 3.25 में विवरणी दिया गया।

तालिका 3.25: अनावश्यक अनुपूरक बजट

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट प्रावधान	व्यय	मूल बजट के विरुद्ध व्यय प्रतिशतता
1	2202-01-197-0002- प्रखंड शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	2,829.22	2.00	2,831.22	2,457.29	86.85
2	2202-01-111-0301- सर्व शिक्षा अभियान (स0शि0अ0) (समग्र शिक्षा)	2,233.38	423.61	2,656.99	2,003.23	89.69

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट प्रावधान	व्यय	मूल बजट के विरुद्ध व्यय प्रतिशतता
3	2202-02-196-0001- जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान	1,782.63	2.00	1,784.63	1,658.50	93.04
4	2202-05-103-0003- गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय	200.00	869.93	1,069.93	161.14	80.57
5	2202-03-102-0002-मगध विश्वविद्यालय	554.23	480.00	1,034.23	416.25	75.10
कुल		7,599.46	1,777.54	9,377.00	6,696.41	88.12

(स्रोत: विनियोग लेखे 2023-24)

इसके अतिरिक्त, आठ लेखा शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 47 करोड़ के मूल बजट प्रावधानों के विरुद्ध, अनुपूरक बजट में ₹ 13.90 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तथापि, इन प्रावधानों के विरुद्ध शून्य व्यय किया गया और अनुपूरक बजट अनावश्यक सिद्ध हुए। इन आठ योजनाओं की विवरणी तालिका 3.26 में दिया गया है।

तालिका 3.26: शून्य व्यय योजनाओं के विरुद्ध अनावश्यक अनुपूरक बजट

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना	मूल बजट	अनुपूरक बजट	व्यय
1	2202-01-001-0105- शैक्षिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक उत्सवों का आयोजन	10.00	10.00	0.00
2	2202-04-200-0205- नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	17.61	1.22	0.00
3	2202-04-200-0305- नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	11.99	0.28	0.00
4	2202-04-789-0204- नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	2.04	0.28	0.00
5	2202-04-789-0303 - नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	1.78	0.06	0.00
6	2202-04-796-0205- नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	0.35	0.05	0.00
7	2202-04-796-0303- नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन0आई0एल0पी0)	0.23	0.01	0.00
8	4202-01-202-0115- जल जीवन हरियाली	3.00	2.00	0.00
कुल		47.00	13.90	0.00

(स्रोत: विनियोग लेखे 2023-24)

3.5.2.6 निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

यह पाया गया कि आठ योजना शीर्षों में पुनर्विनियोजन द्वारा किए गए प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँचा। कुछ उदाहरण तालिका 3.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.27: निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन (2023-24)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष – योजना	मूल बजट	अनुपूरक बजट	पुनर्विनियोजन	किया गया व्यय
1	21-2202-01-001-0001- प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	11.13	2.95	0.72	9.20
2	21-2202-02-001-0003- क्षेत्रीय उप निदेशक एवं अन्य अधिकारी	17.21	2.00	0.20	13.93
3	21-2202-03-102-0008-बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा	318.00	2.00	22.20	290.46
4	21-2202-03-102-0011-ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	621.31	14.00	79.60	573.46
5	21-2202-03-102-0027- मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	88.12	6.00	8.00	81.14
6	21-2202-80-001-0001- मुख्यालय स्थापना	11.13	1.50	0.40	8.26
7	21-2202-80-001-0002- राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	2.06	0.48	0.10	1.87
8.	21-2251-00-090-0002- शिक्षा विभाग	14.14	1.77	0.50	9.42
कुल		1,083.10	30.70	111.72	987.74

(स्रोत: विनियोग लेखे 2023-24)

3.5.2.7 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत

विगत तीन वर्षों के दौरान विभाग में दो कें0प्रा0यो0 अर्थात सर्व (समग्र) शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री पोषण योजना/मध्याह्न भोजन के बजट प्रावधानों के उपयोग की विवरणी तालिका 3.28 में दी गई है।

तालिका 3.28: बजट प्रस्ताव और अनुपयोगिता (बचत)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	कुल बजट	बचत (प्रतिशत में)	कुल बजट	बचत (प्रतिशत में)	कुल बजट	बचत (प्रतिशत में)
सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)						
21-2202-01-111-0201	6,638.63	3,897.39 (58.71)	6,515.76	3,870.98 (59.41)	6,858.79	3,859.74 (56.27)
21-2202-01-111-0301	1,883.21	55.72 (2.96)	2,304.70	541.50 (23.50)	2,656.99	653.76 (24.61)
21-2202-01-789-0203	1,200.00	517.54 (43.13)	2,065.94	1,389.29 (67.25)	1,848.16	1,055.03 (57.09)
21-2202-01-789-0308	800.00	345.02 (43.13)	597.56	146.46 (24.51)	673.88	145.13 (21.54)
21-2202-01-796-0309	48.00	3.36 (7.00)	51.71	22.62 (43.74)	96.50	62.41 (64.67)
कुल	10,569.84	4,819.03 (45.59)	11,535.67	5,970.85 (51.76)	12,134.32	5,776.07 (47.60)
मध्याह्न भोजन (एम0डी0एम0)						
21-2202-01-112-0002	1.56	1.22 (78.21)	1.70	1.47 (86.47)	9.35	8.96 (95.83)
21-2202-01-112-0104	460.00	216.43 (47.05)	506.00	142.81 (28.22)	535.00	500.00 (93.46)

शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	कुल बजट	बचत (प्रतिशत में)	कुल बजट	बचत (प्रतिशत में)	कुल बजट	बचत (प्रतिशत में)
21-2202-01-112-0203	1,155.78	466.59 (40.37)	1975.00	1,224.75 (62.01)	2,002.00	1,278.09 (63.84)
21-2202-01-789-0209	245.67	71.99 (29.30)	450.00	299.04 (66.45)	450.00	267.57 (59.46)
21-2202-01-796-0210	32.63	16.55 (50.72)	75.00	63.02 (84.03)	48.00	31.10 (64.79)
21-2202-01-796-0310	21.76	6.18 (28.40)	18.00	4.68 (26.00)	24.43	8.43 (34.51)
कुल	1,917.40	778.96 (40.63)	3025.70	1,735.77 (57.37)	3,068.78	2,094.15 (68.24)

(स्रोत: विनियोग लेखे)

जैसा कि तालिका 3.28 से देखा जा सकता है, विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा इन दो योजनाओं के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों के 2.96 प्रतिशत से 95.83 प्रतिशत तक उपयोग नहीं किया गया है।

3.6 विशिष्ट बजट की समीक्षा

बजट और व्यय के कुछ पहलुओं जैसे महिलाओं, बच्चों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर सरकारी व्यय पर विशेष ध्यान देने और अधिक पारदर्शी एवं तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बिहार ने 2023-24 के दौरान जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट एवं हरित बजट तैयार किया है।

3.6.1 जेंडर बजट की समीक्षा

जेंडर बजट के प्रदर्शन का विश्लेषण विभिन्न विभागों में योजनाओं की विभिन्न श्रेणियों पर किए गए व्यय के आधार पर किया जाता है।

3.6.1.1 बजट प्रावधान और व्यय

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने बजटीय संसाधनों का 14.50 से 15.80 प्रतिशत हिस्सा जेंडर बजट के लिए कर्णांकित किया है। विगत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के लिए राज्य बजट के संबंध में जेंडर बजट की योजना और क्रियान्वयन का अवलोकन तालिका 3.29 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका 3.29: बजट के विभिन्न चरणों में जेंडर बजट के लिए कर्णांकित बजटीय संसाधन एवं उनका क्रियान्वयन

विवरण		(₹ करोड़ में)		
		2021-22	2022-23	2023-24
बजट अनुमान*	मूल बजट (ब0अ0)	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40
	महिलाओं के लिए प्रावधान (ब0अ0)	34,490.56	36,657.03	37,948.71
	बिहार राज्य के बजट (ब0अ0) में महिलाओं के लिए हिस्सा (प्रतिशत)	15.80	15.42	14.50
कुल बजट	राज्य बजट का कुल आकार	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12
	जेंडर बजट योजना में कुल बजट	95,103.97	1,04,543.15	94,394.65
	बिहार राज्य के बजट में महिलाओं के लिए हिस्सा (प्रतिशत)	35.83	34.65	28.93
व्यय	राज्य का कुल व्यय	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07
	जेंडर बजट योजना में कुल व्यय	64,648.33	78,041.75	64,316.15
	राज्य के व्यय में हिस्सा (प्रतिशत)	33.29	33.18	24.67

(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के जेंडर बजट (बजट अनुमान) और विनियोग लेखे)

* नोट: बजट अनुमान राशि जेंडर बजट से ली गई है तथा कुछ योजनाओं को आंकड़ों के दोहराव तथा योजना के प्रत्येक शीर्ष के लिए बजट का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।

जैसा कि तालिका 3.29 से देखा जा सकता है:

- i विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान, जेंडर बजट के तहत कुल बजट राशि और कुल व्यय उसके बजट अनुमानों (मूल बजट) से काफी बढ़ा है।
- ii विगत दो वित्तीय वर्षों में, बजट अनुमानों, कुल बजट और जेंडर बजट के तहत किए गए कुल व्यय का प्रतिशत हिस्सा राज्य के बजट अनुमानों, कुल बजट और कुल व्यय के मुकाबले कम हुआ है।

जेंडर बजट योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात श्रेणी 'ए' (केवल महिलाओं के लिए शत-प्रतिशत बजट वाली योजना) और 'बी' (बजट का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए कर्णांकित)। राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा श्रेणी 'ए' में 94 योजनाएं और श्रेणी 'बी' में 491 योजनाएँ चलाई गई हैं।

जेंडर बजट के संबंध में योजनाओं की इन दो श्रेणियों में बजट प्रावधानों और व्यय का अवलोकन तालिका 3.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.30: जेंडर बजट के तहत योजनाओं की श्रेणियों में बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

विवरण		2021-22	2022-23	2023-24
बजट अनुमान	जेंडर बजट में बजट प्रावधान	34,490.56	36,657.03	37,948.71
	योजना 'ए'	12,084.29	13,069.64	10,536.37
	योजना 'ए' प्रावधान का प्रतिशत	35.04	35.65	27.76
	योजना 'बी'	22,406.27	23,587.39	27,412.34
	योजना 'बी' प्रावधान का प्रतिशत	64.96	64.35	72.24
कुल बजट	महिलाओं के लिए कुल बजट	95,103.97	1,04,543.15	94,394.65
	योजना 'ए'	18,457.03	20,788.68	13,016.77
	योजना 'ए' प्रावधान का प्रतिशत	19.41	19.89	13.79
	योजना 'बी'	76,646.94	83,754.47	81,377.87
	योजना 'बी' प्रावधान का प्रतिशत	80.59	80.11	86.21
व्यय	जेंडर बजट योजनाओं में कुल व्यय	64,648.33	78,041.75	64,316.15
	श्रेणी 'ए' योजनाओं के अंतर्गत व्यय	11,240.74	18,261.32	4,985.01
	श्रेणी 'ए' योजनाओं के अंतर्गत व्यय का प्रतिशत	17.39	23.40	7.75
	श्रेणी 'बी' योजनाओं के अंतर्गत व्यय	53,407.59	59,780.43	59,331.14
	श्रेणी 'बी' योजनाओं के अंतर्गत व्यय का प्रतिशत	82.61	76.60	92.25

(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के जेंडर बजट और विनियोग लेखे)

जैसा कि तालिका 3.30 से देखा जा सकता है कि चालू वर्ष के दौरान:

- i. श्रेणी 'ए' योजनाओं के लिए बजट अनुमान 2021-22 के जेंडर बजट अनुमानों की तुलना में 2023-24 में 7.28 प्रतिशत अंक कम था।
- ii. यद्यपि मूल बजट को अनुपूरक बजटों के माध्यम से काफी बढ़ाया गया एवं अधिकांश बजट प्रावधान श्रेणी 'बी' योजनाओं को आवंटित किए गए और श्रेणी 'ए' योजनाओं का हिस्सा प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक हिस्से का लगभग आधा (14 प्रतिशत) ही रह गया।
- iii. कार्यान्वयन के संदर्भ में, श्रेणी 'ए' योजनाओं के तहत किया गया व्यय मूल बजट में नियोजित मानक हिस्से की तुलना में कम (आठ प्रतिशत) था।

- iv. बजट अनुमानों, कुल बजट और जेंडर बजट के तहत व्यय में श्रेणी 'ए' योजनाओं का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ और श्रेणी 'ए' योजनाओं पर किया गया प्रतिशत व्यय पिछले तीन वर्षों में सबसे कम (7.75 प्रतिशत) था।

3.6.2 बाल कल्याण बजट की समीक्षा

राष्ट्रीय बाल नीति (एन0पी0सी0)–2013, के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बाल कल्याण बजट तैयार किया गया। एन0पी0सी0 के अनुपालन में राज्य सरकार ने बाल कल्याण बजट तैयार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और बाल बजट संहिता जारी किया। इसके अनुसार सरकार ने राज्य में 2013–14 से बाल कल्याण बजट तैयार करना शुरू किया।

राज्य के बाल कल्याण बजट के तहत कुल 234 योजनाएँ हैं। बजटीय प्रावधानों और व्यय के संदर्भ में इस बजट के तहत प्रमुख योजनाओं में समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ और पीएम पोषण शक्ति निर्माण आदि शामिल हैं।

3.6.2.1 बजट प्रावधान और व्यय

विगत तीन वर्षों (2021–22 से 2023–24) के लिए राज्य बजट के संबंध में बाल कल्याण बजट की योजना और क्रियान्वयन का अवलोकन तालिका 3.31 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.31: 2021–22 से 2023–24 के लिए बाल कल्याण बजट का अवलोकन
(₹ करोड़ में)

विवरण		2021–22	2022–23	2023–24
मूल बजट (ब0अ0)	राज्य का बजट	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40
	बाल कल्याण बजट के लिए बजट प्रावधान	38,863.99	44,917.07	46,066.29
	बाल कल्याण बजट का प्रतिशत हिस्सा	17.80	18.90	17.59
कुल बजट (मूल बजट + अनुपूरक बजट)	राज्य का कुल बजट प्रावधान	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12
	बाल कल्याण बजट के लिए कुल बजट	52,016.72	73,414.14	74,604.90
	बाल कल्याण बजट का प्रतिशत हिस्सा	19.59	24.33	22.87
व्यय	राज्य का कुल व्यय	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07
	बाल कल्याण बजट के लिए कुल व्यय	39,296.12	54,069.87	56,496.61
	बाल कल्याण बजट के लिए व्यय का प्रतिशत हिस्सा	20.23	22.99	21.67

(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 के बाल कल्याण बजट और विनियोग लेखे)

बाल कल्याण बजट का मूल बजट (बजट अनुमान) ₹ 46,066.29 करोड़ था। पूरक बजट प्रदान करके बाल कल्याण बजट के तहत कुल बजट को बढ़ाकर ₹ 74,604.90 करोड़ किया गया। बाल कल्याण बजट के तहत कुल व्यय ₹ 56,496.61 करोड़ किया गया, एवं ₹ 18,108.29 करोड़ का बचत था जो कुल बजट प्रावधानों का 24 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा ने बाल कल्याण बजट की चार प्रमुख योजनाओं में बजट और व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया। इन योजनाओं के बजटीय प्रावधानों और उनमें किए गए व्यय के आधार पर विश्लेषण किया गया है। विस्तृत विवरण तालिका 3.32 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.32: चार प्रमुख योजनाओं (एच0ओ0ए0) में बजट प्रबंधन का अवलोकन
(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष एवं योजना का नाम	बजट, व्यय और बचत	वित्तीय वर्ष			
		2021-22	2022-23	2023-24	कुल
21-2202-01-111-0201- सर्व शिक्षा अभियान	बाल कल्याण बजट (बजट अनुमान)	6,638.63	6,515.76	6,858.79	20,013.18
	कुल बजट	6,638.63	6,515.76	6,858.79	20,013.18
	व्यय	2,741.23	2,644.79	2,999.05	8,385.07
	बचत (प्रतिशत बचत)	3,897.40	3,870.97	3,859.74	11,628.11 (58.10)
21-2202-01-112-0104- मध्याह्न भोजन योजना	बाल कल्याण बजट (बजट अनुमान)	460.00	300.00	300.00	1,060.00
	कुल बजट	460.00	506.00	535.00	1,501.00
	व्यय	243.57	363.19	535.00	1,141.76
	बचत (प्रतिशत बचत)	216.43	142.81	0.00	359.24 (23.93)
51-2236-02-101-0203 - एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (सक्षम आँगनवाड़ी पोषण 2.0)	बाल कल्याण बजट (बजट अनुमान)	819.48	1,020.98	989.89	2,830.35
	कुल बजट	854.49	1,020.98	989.89	2,865.36
	व्यय	701.77	754.87	761.14	2,217.78
	बचत (प्रतिशत बचत)	152.72	266.11	228.75	647.58 (22.60)
21-2202-01-112-0203 - प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण	बाल कल्याण बजट (बजट अनुमान)	1,155.78	1,975.00	2,002.00	5,132.78
	कुल बजट	1,155.78	1,975.00	2,002.00	5,132.78
	व्यय	689.19	750.25	723.91	2,163.35
	बचत (प्रतिशत बचत)	466.59	1,224.75	1,278.09	2,969.43 (57.85)

(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक के बजट अनुमान के लिए बाल कल्याण बजट और कुल बजट एवं व्यय के लिए विस्तृत विनियोग लेखें)

तालिका 3.32 से पता चलता है कि विगत तीन वर्षों की अवधि के दौरान दो योजनाओं (समग्र शिक्षा अभियान और पीएम पोषण शक्ति निर्माण) में उपलब्ध कराए गए कुल बजट के मुकाबले महत्वपूर्ण बचत देखी जा सकती है। विगत तीन वर्षों के दौरान पीएम पोषण शक्ति निर्माण के तहत कुल बचत ₹ 2,969.43 करोड़ थी, जो इसके कुल बजट प्रावधानों ₹ 5,132.78 करोड़ का 57.85 प्रतिशत थी। इसी तरह, समग्र शिक्षा अभियान के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान कुल बचत ₹ 11,628.11 करोड़ थी, जो इसके कुल बजट प्रावधानों ₹ 20,013.18 करोड़ का 58.10 प्रतिशत थी।

3.6.3 हरित बजट की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2020-21 से राज्य सरकार हरित बजट तैयार कर रही है और विगत तीन वर्षों के दौरान अपने मूल बजटीय संसाधनों का कम से कम तीन प्रतिशत हरित बजट के लिए कर्णांकित किया है।

विगत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के लिए राज्य बजट की तुलना में हरित बजट में बजट अनुमान, कुल बजट और व्यय का अवलोकन तालिका 3.33 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.33: राज्य बजट के सापेक्ष हरित बजट
(₹ करोड़ में)

विवरण		2021-22	2022-23	2023-24
बजट अनुमान	राज्य का बजट	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40
	हरित बजट के लिए बजट प्रावधान	7,682.91	7710.25	9,920.77
	हरित बजट का प्रतिशत हिस्सा	3.52	3.24	3.79

विवरण		2021-22	2022-23	2023-24
कुल बजट (मूल बजट + अनुपूरक बजट)	राज्य का कुल बजट प्रावधान	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12
	हरित बजट के लिए बजट प्रावधान	36,368.58	28,366.70	44,331.56
	हरित बजट का प्रतिशत हिस्सा	13.70	9.40	13.59
व्यय	राज्य का कुल व्यय	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07
	हरित बजट के लिए बजट प्रावधान	22,000.07	17,936.63	37,048.61
	हरित बजट का प्रतिशत हिस्सा	11.33	7.63	14.21

(स्रोत: बजट अनुमानों के लिए हरित बजट और कुल बजट और व्यय के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के विस्तृत विनियोग लेख)

जैसा कि तालिका 3.33 से देखा जा सकता है कि 2023-24 के दौरान हरित बजट पर व्यय का प्रतिशत हिस्सा 2021-22 में 11.33 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 14.21 प्रतिशत हो गया है।

हरित बजट के तहत शामिल योजनाओं को योजना के तहत हरित बजट घटक के लिए प्रावधानित प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर छह⁷ श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

हरित बजट योजना के छह श्रेणियों में बजट और व्यय का अवलोकन तालिका 3.34 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.34: हरित बजट के अंतर्गत श्रेणीवार बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	श्रेणी	हरित बजट अनुमान	कुल बजट अनुमान का प्रतिशत	कुल बजट	कुल बजट का प्रतिशत	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2021-22	ए	2,274.08	29.60	2,283.87	6.28	797.10	3.62
	बी	342.55	4.46	441.04	1.21	85.47	0.39
	सी	3,360.15	43.74	5,747.21	15.80	3,784.67	17.20
	डी	604.18	7.86	2,996.69	8.24	1,650.93	7.50
	ई	619.38	8.06	8,567.95	23.56	6,036.68	27.44
	एफ	482.57	6.28	16,331.82	44.91	9,645.22	43.84
	कुल	7,682.91	100.00	36,368.58	100.00	22,000.07	100.00
2022-23	ए	3,344.44	43.38	3,868.32	13.64	2,443.74	13.62
	बी	283.93	3.68	504.16	1.78	112.55	0.63
	सी	2,009.92	26.07	3,517.62	12.40	1,988.58	11.09
	डी	663.37	8.60	3,956.93	13.95	2,116.83	11.80
	ई	920.71	11.94	7,203.39	25.39	3,172.82	17.69
	एफ	487.88	6.33	9,316.28	32.84	8,102.11	45.17
	कुल	7,710.25	100.00	28,366.70	100.00	17,936.63	100.00
2023-24	ए	4,306.85	43.41	8,555.31	19.30	6,898.08	18.62
	बी	190.02	1.92	306.71	0.69	66.92	0.18
	सी	3,587.16	36.16	5,246.24	11.83	3,336.99	9.01
	डी	530.33	5.35	2,095.94	4.73	1,662.10	4.49
	ई	872.28	8.79	7,640.75	17.24	8,077.03	21.80
	एफ	434.13	4.38	20,486.61	46.21	17,007.49	45.91
	कुल	9,920.77	100.00	44,331.56	100.00	37,048.61	100.00

(स्रोत: वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक का हरित बजट और विस्तृत विनियोग लेख)

नोट: हरित बजट के आंकड़ों की विश्लेषण के दौरान, कुछ योजनाओं को दोहराव और योजना शीर्षों के विरुद्ध गैर-विशिष्ट बजट राशि के कारण बाहर रखा गया है। इसलिए, बजट अनुमानों की राशि हरित बजट के समय बजट अनुमानों की तुलना में थोड़ी भिन्न हो सकती है।

⁷ (ए) पूर्णतः समर्पित (> 90-100 प्रतिशत), (बी) बहुत उच्च महत्व (> 75-90 प्रतिशत), (सी) उच्च महत्व (> 50-75 प्रतिशत), (डी) मध्यम महत्व (> 25-50 प्रतिशत), (ई) कम महत्व (> 05-25 प्रतिशत) और (एफ) सीमांत महत्व (05 प्रतिशत या उससे कम)

जैसा कि तालिका 3.34 से देखा जा सकता है:

- i. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, श्रेणी 'ए', 'बी' और 'सी' योजनाओं के लिए प्रावधानित राशि का कुल प्रतिशत हिस्सा मूल हरित बजट (₹ 9,920.77 करोड़) का 81.49 प्रतिशत (₹ 8,084.03 करोड़) था, जो महत्वपूर्ण था। हालाँकि, इन श्रेणियों की योजनाओं के तहत व्यय का प्रतिशत हिस्सा हरित बजट के तहत कुल व्यय (₹ 37,048.61 करोड़) का केवल 27.81 प्रतिशत (₹ 10,301.99 करोड़) था।
- ii. 2021–24 की अवधि के दौरान योजनाओं की 'डी', 'ई' और 'एफ' श्रेणियों के तहत बजट अनुमान उनके कुल बजट की तुलना में काफी कम थे।
- iii. अधिकांश व्यय कम महत्वपूर्ण योजनाओं (श्रेणी ई और एफ) पर किया गया है।

3.7 निष्कर्ष

बजट और विनियोग लेखों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्राप्त कुछ निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	कंडिका संख्या	निष्कर्ष
1	3.4.2	वर्ष 2023–24 के लिए राज्य के बजटीय प्रावधानों में तीन अनुपूरक बजटों को शामिल करने से 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, वास्तविक व्यय मूल बजट के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया।
2	3.3.1	कुल व्यय (₹ 2,60,718.07 करोड़) का लगभग 10 प्रतिशत लोक लेखों में अंतरित किया गया।
3	3.3.2 एवं 3.3.3	अनुपूरक बजट और पुनर्विनियोजन आवश्यकता के उचित आकलन के बिना किए गए क्योंकि या तो ये अनुपयोगित रहे अथवा वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक पाए गए।
4	3.3.4	₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की महत्वपूर्ण और सतत् बचत हुई। इनमें वर्ष के दौरान आठ अनुदानों के तहत ₹ 27,852.39 करोड़ की बचत और पिछले पाँच वर्षों के दौरान 12 अनुदानों के तहत ₹ 51,187.57 करोड़ की सतत् बचत शामिल है।
5	3.3.5.1	दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 39.47 करोड़ का अधिकाई व्यय किया गया, जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।
6	3.4.3	1,793 मामलों में बजट से विचलन के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन केवल 158 मामलों (8.81 प्रतिशत) में ही स्पष्टीकरण दिया गया।
7	3.4.4	राज्य के कुल व्यय का 15 प्रतिशत व्यय माह मार्च 2024 में किया गया, जिससे वे 30 योजनाएँ (₹ 10 करोड़ या अधिक) शामिल थे जिनमें 100 प्रतिशत व्यय इसी माह के दौरान किए गए थे।

3.8 अनुशंसाएँ

सरकार:

- i. एक ऐसी प्रणाली विकसित कर सकती है, जिससे अधिकाई व्यय के मामले न हों और पहले से किए गए अधिकाई व्यय को नियमित करने के लिए कदम उठा सकती है।
- ii. यह सुनिश्चित कर सकती है कि सभी प्रत्याशित बचतें समय पर अभ्यर्पित कर दी जाएं, ताकि निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

- iii. यह सुनिश्चित कर सकती है कि बजट यथार्थवादी तरीके से तैयार किए जाएँ, ताकि बचत/अभ्यर्पण को न्यूनतम किया जा सके।
- iv. सतत बचत के कारणों की समीक्षा कर सकती है और ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है, ताकि आवंटित राशियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- v. वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण के दौरान व्यय अधिकता की निगरानी और नियंत्रण कर सकती है।

अध्याय—IV
लेखे की गुणवत्ता एवं वित्तीय
प्रतिवेदन संव्यवहार

लेखे की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय, लेखे की गुणवत्ता तथा राज्य सरकार के वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं, और पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के संबंध में निर्देशों के अनुपालन का अवलोकन करता है।

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना पर आधारित एक बेहतर आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालनों की स्थिति प्रतिवेदन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता, सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो यह राज्य सरकार को उनके आधारभूत उत्तरदायित्व के निर्वहन, रणनीतिक योजना का निर्माण एवं निर्णय लेने में सहायक होता है।

लेखे की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

4.1 राज्य सरकार के ऋण (गैर-बजट उधारी) को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (1) के अनुसार, राज्य सरकार भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर, राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर, यदि कोई हो, ऐसी सीमाओं के भीतर उधार ले सकती है, जो समय-समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाए और सरकार संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है, यदि कोई हो, जैसा निर्धारित किया गया हो।

राज्य सरकार को प्रतिभूति के रूप में सृजित आकस्मिक देयताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और एस0पी0वी0 तथा अन्य समकक्ष उपकरणों द्वारा उधारों से उत्पन्न वास्तविक देयता जहाँ पुनर्भुगतान की देयता राज्य सरकार के आवंटनों की है, का खुलासा करके जनहित में अपने राजकोषीय प्रचलनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

राज्य ने एस0पी0एस0ई0 के माध्यम से अतिरिक्त बजट उधारी का सहारा लिया। इन उधारियों को राज्य के समेकित निधि में जमा नहीं किया जा रहा था, जिसका राज्य के ऋण मानदंडों पर प्रभाव पड़ा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (एस0पी0एस0ई0) के माध्यम से गैर-बजट उधारी लिया, जैसा कि तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: वर्ष 2023-24 के दौरान गैर-बजट उधारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्थान/इकाई	राशि
1	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0आर0डी0सी0एल0) (पथ निर्माण विभाग)	53.48
कुल		53.48

(स्रोत: वित्त लेखे, 2023-24)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि गैर-बजट उधारी को लेखे में शामिल करने के बाद, वर्ष 2023-24 में ऋण-शेष ₹ 53.48 करोड़ से अधिक होगा। तदनुसार, जी0एस0डी0पी0 अनुपात में कुल बकाया देनदारियों का 38.95 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

राज्य सरकार के वित्त लेखे, 2023-24 के अनुसार, राज्य ने ₹ 268.61 करोड़ (मुख्य शीर्ष 2425-00-190-0011 अंतर्गत) का सहायता/अनुदान, गैर-बजट उधारी (अर्थात् गैर-बजट उधारी के ब्याज भुगतान हेतु) के रूप में प्रदान किया।

राज्य ने संबंधित वित्तीय वर्ष के अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में गैर-बजट उधारी देयताओं को प्रदर्शित नहीं किया। ऐसी देयताओं के बजट दस्तावेजों में अप्रदर्शित होने से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति अपारदर्शी रह जाती है। यदि, राज्य सरकार अपने व्यय का वित्तपोषण करने के लिए, बिना विधायी अनुमोदन के गैर-बजट उधारी का सहारा लेती है, तो एक समयावधि में राज्य की देयताएं काफी बढ़ सकती है और राज्य में पूँजीगत परिसंपत्तियों/आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रमों के लिए निधियों के आवंटन हेतु राज्य सरकार की क्षमता सीमित हो सकती हैं।

4.2 ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना

राज्य सरकार ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि पर ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ब्याज सहित आरक्षित निधि/जमा पर देयताओं के निर्वहन नहीं किए जाने का विवरण तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि के संबंध में ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्याज सहित जमा का नाम	01 अप्रैल 2023 को शेष राशि	देय ब्याज		ब्याज भुगतान	कम ब्याज भुगतान
			दर (प्रतिशत)	बकाया		
1	सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना	258.16	7.10	18.33	29.84	(-) 11.51
2	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एस0सी0ए0एफ0)	566.71	3.35	16.66	7.07	9.59
3	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	1,687.87	8.50	133.22	33.77	99.45
4	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	372.02	8.50	53.36	6.60	46.76
कुल				221.57	77.28	144.29

(स्रोत: बिहार सरकार के वित्त लेखे, 2023-24)


सरकार द्वारा ब्याज सहित जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान के लिए ₹ 144.29 करोड़ की राशि का प्रावधान नहीं किया था। ब्याज देनदारी का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष के अतिकथन तथा राजकोषीय घाटा को उस सीमा तक कम बताया गया था।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा अंतरण

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को पर्याप्त धनराशि सीधे अंतरित करती है। चूँकि, इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से नहीं दिया जाता है, अतः यह राज्य सरकार के लेखे में परिलक्षित नहीं होते हैं। ऐसे अंतरण संबंधित वर्षों के वित्त लेखे के खंड-II के परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित होते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 18,617.17 करोड़ अंतरित किये गये जो विगत वर्ष (₹ 24,302.19 करोड़) की तुलना में 23.39 प्रतिशत कम था। विगत पाँच वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण की प्रवृत्ति को चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा निधि का सीधा अंतरण



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुछ प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, जहाँ वर्ष 2023–24 के दौरान अधिकतम धनराशि राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई, वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न के विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी (₹ 6,557.64 करोड़), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (₹ 4,907.05 करोड़), और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम— केंद्रीय घटक (₹ 4,322.10 करोड़) थे।

वर्ष 2023–24 के दौरान, केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के अंतर्गत ₹ 18,617.17 करोड़ का केंद्रांश, राज्य की समेकित निधि को दरकिनार करते हुए सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित किया गया। राज्य सरकार के बजट और व्यय को ₹ 18,617.17 करोड़ तक संकुचित करने के अलावा, सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित किये जाने से सृजित परिसंपत्तियाँ राज्य लेखे में परिलक्षित नहीं हो पाई, जिससे लेखे अपूर्ण रहे।

4.4 स्थानीय जमा निधि

राज्य पंचायती राज अधिनियम प्रावधान करता है कि जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत (मुख्य शीर्ष 8448—स्थानीय जमा निधि—109—पंचायत निकाय कोष के अंतर्गत) संधारण कर सकेंगे। जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी निधि तथा पंचायती राज्य संस्थानों (पी0आर0आई0) द्वारा प्राप्त सभी निधि जैसे कि राज्य वित्त आयोग से हिस्से के रूप में केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ—साथ अपने स्वयं के राजस्व (कर एवं करेतर प्राप्तियों सहित) शामिल होंगे। नगरपालिका अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गयी है कि नगरपालिका निधि, नगर निकाय द्वारा धारित होगा। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी निधि के साथ—साथ नगर निकाय द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी निधि मुख्य शीर्ष 8448—स्थानीय जमा निधि—102—नगर पालिका निधि में रखा जाता है।

स्थानीय जमा निधि अंतर्गत नगर पालिका निधि एवं पंचायत निकाय कोष का विवरण तालिका 4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: स्थानीय जमा निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष				2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
नगर निकाय कोष	(8448–102)	प्रारंभिक शेष	1	3,307.66	3,743.56	5,033.79	6,225.03	6,019.66
		प्राप्तियाँ	2	2,469.66	3,913.13	4,066.75	2,600.45	4,545.47
		व्यय	3	2,033.77	2,622.90	2,875.51	2,805.82	4,522.02
		अंत शेष	4	3,743.56	5,033.79	6,225.03	6,019.66	6,043.11
पंचायत निकाय कोष*	(8448–109)	प्रारंभिक शेष	5	650.49	754.98	852.58	756.29	710.29
		प्राप्तियाँ	6	374.78	556.49	228.82	143.34	20.43
		व्यय	7	270.29	458.89	325.11	189.34	264.97
		अंत शेष	8	754.98	852.58	756.29	710.29	465.75

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे) *जिला परिषद और पंचायत समिति निधि शामिल

जैसा कि तालिका 4.3 से देखा जा सकता है कि बिहार सरकार विगत पाँच वर्षों से राजस्व एवं पूँजीगत मुख्य शीर्ष लेखे को डेबिट करके समेकित निधि से राशि को लोक लेखे अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8448 (स्थानीय जमा निधि) में अंतरित करती रही है। वर्ष के दौरान राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के रूप में नामित राशि राज्य के लोक लेखे के अंतर्गत “स्थानीय जमा निधि” में व्यक्तिगत बही खाता¹ में अवरुद्ध कर दी जाती है।

पिछले कुछ वर्षों में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत तक जमा लेखे (मुख्य शीर्ष 8448) में ₹ 30,017.64 करोड़ (तालिका 4.4 में वर्णित) संग्रहित किया गया है। जिसे संबंधित वर्षों में राजस्व या पूँजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जा चुका है, लेकिन जमा शीर्ष में अव्ययित पड़ा है।

तालिका 4.4: स्थानीय जमा निधि की अंतरित राशि का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			योग	8448 का अंतशेष राशि
	वित्त लेखे के अनुसार राजस्व व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में हस्तांतरित राशि जो व्यय के रूप में नामित	राजस्व व्यय की प्रतिशतता (कॉलम 2)	वित्त लेखे के अनुसार पूँजीगत व्यय	8448 में हस्तांतरित राशि जो व्यय के रूप में नामित	पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता (कॉलम 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+6)	9
2019–20	1,26,017	14,531	11.53	12,304	11,314	91.95	25,845	24,942.26
2020–21	1,39,493	11,876	8.51	18,209	9,167	50.34	21,043	28,573.60
2021–22	1,59,220	12,454	7.82	23,678	10,565	44.62	23,019	26,561.64
2022–23	1,83,976	8,781	4.77	31,520	9,965	31.61	18,746	26,927.43
2023–24	1,90,514	12,295	6.45	36,453	11,072	30.37	23,367	30,017.64

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और वीओएलसीओ ऑकड़ें)

जैसा कि तालिका 4.4 में वर्णित है, वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक की अवधि के दौरान, राशि को राजस्व और पूँजीगत व्यय के रूप में नामित किया गया था लेकिन लोक लेखे के मुख्य शीर्ष 8448 में अंतरित कर दिया गया। इसके बाद, निधि को इस खाता शीर्ष के अंतर्गत अव्यवहृत रखा गया। लोक लेखे में अंतरित एवं अव्यवहृत राशि, वास्तविक व्यय के अतिकथन को इंगित करता है।

व्यक्तिगत बही खातों के विस्तृत विवरणी तथा उसमें रखी गयी राशियों के जानकारी के अभाव में, लेखा परीक्षा द्वारा उनके प्रबंधन एवं उपयोग के बारे में पता नहीं लगाया जा सका। स्थानीय जमा निधि लेखे में निधि को अंतरित कर अवरुद्ध किए जाने के कारण प्रतीक्षित थे।

¹ राज्य सरकार द्वारा गठित वैसे विशेष प्रयोजन उपक्रमों, बोर्ड, प्राधिकरणों, एजेंसी और सोसायटी आदि जिन्हें किसी रूप में निधि प्राप्त करनी हैं (उदाहरणार्थ, अनुदान ऋण, सेंटेंज आधार पर किए जाने वाले कार्य इत्यादि) के लिए व्यक्तिगत बही खाते खोले जाते हैं। यह खातों कोषागार में खोले जाते हैं तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस खातों में अप्रयुक्त धनराशि लगातार पाँच वर्षों के अंत में व्ययगत हो जाती है।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

4.5 उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति में विलंब

बिहार वित्तीय नियमावली (बी0एफ0आर0), 2005 के नियम 341 (2) के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय होने कि संभावना हो। मार्च महीने में इन अनुदानों के सघन भुगतान के कोई भी अवसर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011 के नियम 271(ई) के तहत सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) के विमुक्त किये जाने के तारीख से 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किए जाएंगे। 18 माह पूर्व आहरित सहायक अनुदान विपत्रों के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र के मामले में, कोषागार द्वारा बिना वित्त विभाग के विशेष आदेश के अगला अनुदान पारित नहीं किया जाएगा।


31 मार्च 2024 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विवरणी तालिका 4.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5: 31 मार्च 2024 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की वर्षवार विवरणी (₹ करोड़ में)

वर्ष*	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
2016-17 तक	2,647	14,452.38
2017-18	525	3,746.64
2018-19	542	5,870.67
2019-20 और 2020-21	27,041	17,980.24
2021-22	15,348	16,014.34
2022-23	3,546	12,813.34
कुल	49,649	70,877.61

(स्रोत: वित्त लेखे, 2023-24)
'उल्लेखित वर्ष "लंबित वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 माह बाद।
कुल ₹ 70,877.61 करोड़ में से, 14,452.38 करोड़ वर्ष 2016-17 तक की अवधि से संबंधित था। पाँच मुख्य चूककर्ता विभागों में पंचायती राज विभाग (₹ 28,154.10 करोड़), शिक्षा विभाग (₹ 12,623.67 करोड़), शहरी विकास विभाग (₹ 11,065.50 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹ 7,800.48 करोड़) और कृषि विभाग (₹ 2,107.63 करोड़) शामिल थे। शीर्ष दस चूककर्ता विभागों को चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), को 2023-24 तक अप्राप्त विभागवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र (₹ करोड़ में)



(स्रोत: महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

इसके अलावा, वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक की अवधि में, लंबित श्रेणीवार सहायता–अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को तालिका 4.6 में दर्शाया गया है: –

तालिका 4.6: वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक की अवधि में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), को अप्राप्त श्रेणीवार सहायता–अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र (₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन			परिसंपत्ति सृजन			वेतन और परिसंपत्ति के अलावा*		
	आहरित	समायोजित	शेष	आहरित	समायोजित	शेष	आहरित	समायोजित	शेष
2020–21	17,788.65	17,261.86	526.79	10,358.02	8,251.49	2,106.53	29,577.33	22,487.19	7,090.14
2021–22	23,813.12	22,325.48	1,487.64	14,103.45	8,673.33	5,430.12	33,307.41	24,210.90	9,096.51
2022–23 (09/2022 तक देय)	11,309.42	10,399.84	909.58	7,771.53	290.29	7,481.24	10,701.65	6,279.10	4,422.55
कुल	52,911.19	49,987.18	2,924.01	32,233.00	17,215.11	15,017.89	73,586.39	52,977.19	20,609.20

(स्रोत: ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

*छात्रवृत्ति/वजीफा शामिल


उपयोगिता प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में यह सुनिश्चित नहीं है कि वितरित निधि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया था। इसके अलावा, भारी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्रों का लंबित रहना गबन, दुर्विनियोजन और निधियों के विचलन के जोखिम को बढ़ाता है।

4.5.1 अनुदेयी संस्थाओं को “अन्य” अभिलेखित किया जाना

चूंकि, जी0 आई0 ए0 राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने वार्षिक लेखों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों का विवरण और स्वरूप प्रदान करे, जिन्हें निधि प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड निर्दिष्ट करने के लिए एक तंत्र है। राज्य सरकार ने सभी संस्थानों को संस्था कोड निर्दिष्ट नहीं किया था, जिससे इन अनुदानों को “अन्य” के रूप में दर्ज किया गया था, जिससे लेखे की पारदर्शिता प्रभावित हुई।

वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल सहायता अनुदान ₹ 77,600.47 करोड़ में से ₹ 46,522.00 करोड़ (59.95 प्रतिशत) ‘अन्य’ के रूप में दर्ज किया गया (वित्त लेखे के परिशिष्ट–III)। विगत तीन वर्षों में “अन्य” के रूप में सहायता अनुदान का कुल सहायता अनुदान की प्रतिशत प्रवृत्ति चार्ट 4.3 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 4.3: अनुदेयी संस्थानों का “अन्य” के रूप में अभिलेखन



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों/निकायों/प्राधिकरणों को समुचित कोड निर्धारित नहीं किए जाने के कारण सभी संस्थाओं के विरुद्ध लंबित राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका, जिससे लेखे की पारदर्शिता प्रभावित हुई।

4.6 सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011 के नियम 177 में यह प्रावधान है कि आहरण और संवितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित निधि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और अव्ययित राशि को उसी वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार में जमा करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बी0टी0सी0, 2011 के नियम 194 के अनुसार, जिस महीने में ए0सी0 विपत्र आहरित कि गई हो उसके अगले छः माह के बाद, किसी भी मामले में, प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी0सी0) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी सार आकस्मिक विपत्र का आहरण उक्त अवधि के बाद तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विस्तृत आकस्मिक विपत्र समर्पित नहीं कर दिया जाता। छः माह पहले आहरित ए0सी0 विपत्रों के विरुद्ध डी0सी0 विपत्रों के लंबित होने के मामले में, आगे ए0सी0 विपत्र वित्त विभाग के विशेष आदेश के बिना कोषागारों द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

आहरित ए0सी0 विपत्रों के विरुद्ध डी0सी0 विपत्रों के समायोजन की वर्षवार प्रगति **तालिका 4.7** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.7: ए0सी0 विपत्रों के विरुद्ध डी0सी0 विपत्रों के प्रस्तुत किए जाने की वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान जोड़े गए		वर्ष के दौरान समायोजित किए गए		अंतशेष	
	समायोजन के लिए लंबित ए0सी0 विपत्रों की संख्या	राशि	आहरित ए0सी0 विपत्रों की संख्या	राशि	समर्पित डी0सी0 विपत्रों की संख्या	राशि	समायोजन के लिए लंबित ए0सी0 विपत्रों की संख्या	राशि
2021–22 तक	17,882	3,905.78	3,607	2,480.88	1,903	1,848.50	19,586	4,538.16
2022–23	19,586	4,538.16	4,382	6,149.30	2,322	3,567.44	21,646	7,120.02
2023–24 [#]	21,646	7,120.02	844	2,296.33	360	210.59	22,130	9,205.76

(स्रोत: महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त ऑकड़ें और वित्त लेखें, 2023–24)


[#] सितंबर 2023 तक आहरित ए0सी0 विपत्रों पर आधारित।

जैसा कि **तालिका 4.7** में देखा जा सकता है, पिछले तीन वर्षों के दौरान, ₹ 10,926.51 करोड़ के कुल 8,833 ए0सी0 विपत्र आहरित किए गए थे और ₹ 5,626.53 करोड़ के 4,585 डी0सी0 विपत्र समर्पित किए गए थे। 31 मार्च 2024 तक, ₹ 9,205.76 करोड़ के 22,130 ए0सी0 विपत्र के विरुद्ध डी0सी0 विपत्र समर्पित किए जाने के लिए लंबित थे। कुल राशि ₹ 9,205.76 करोड़ में से ₹ 5,577.91 करोड़ (कुल बकाया का 60.59 प्रतिशत) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण से संबंधित है।

माह मार्च 2024 के दौरान ₹ 1,041.12 करोड़ (वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल आहरित 5,088 ए0सी0 विपत्रों की राशि ₹ 4,718.24 करोड़ का 22.06 प्रतिशत) के 1,648 ए0सी0 विपत्र आहरित किए गए। शीर्ष 10 मुख्य शीर्ष-वार लंबित डी0सी0 विपत्रों को **चार्ट 4.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4: मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0 विपत्र

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

जैसा कि चार्ट 4.4 में उल्लिखित, लंबित डी0सी0 विपत्र विभिन्न मुख्य शीर्ष- 4059, 4202, 4210, 4515, 4851 और 5054 के अंतर्गत पूँजीगत व्यय से संबंधित थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में ए0सी0 विपत्रों के माध्यम से पूँजीगत परिसम्पत्ति निर्माण पर व्यय, लोक व्यय के कमजोर प्रबंधन को इंगित करता है। इससे यह भी इंगित होता है कि आहरण मुख्यतः बजटीय प्रावधानों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए किया जा रहा था। अग्रिमों का लंबी अवधि तक असमायोजित रहना दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है। निर्धारित समय के भीतर डी0सी0 विपत्र जमा न करना वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाता है।

4.7 व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता

बी0टी0सी0 2011 के नियम 339 में वर्णित है कि महालेखाकार को सूचना देते हुए, वित्त विभाग के लिखित प्राधिकार के बिना, कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता कोषागार में नहीं खोला जाएगा। नियम 340(बी) में कहा गया है कि इस खाते का उपयोग केवल उन विशेष मामलों के लिए किया जाएगा, जहाँ सार्वजनिक हित में व्यय का प्रवाह सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव नहीं होता है या बड़ी संख्या में छोटे लाभार्थी होते हैं जो कि दूर-दराज बिखरे हुए हों जिन्हें कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष संवितरण व्यवहारिक नहीं हो। पी0डी0 खातों में समेकित निधि से किया गया हस्तांतरण संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। पी0डी0 प्रशासकों को वित्तीय वर्ष के अंत में सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करने और लगातार पाँच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष, जिसमें धन आहरण किया गया था को मिलाकर)² तक अव्ययित राशि को सेवा शीर्ष के व्यय में कमी कर समेकित निधि को हस्तांतरित करना आवश्यक है।

² बिहार सरकार की अधिसूचना सं0 6679 दिनांक 23.08.2016।


वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना³ के अनुसार, “दिनांक 01.04.2019 से पहले खोले गए सभी पी0डी0/व्यक्तिगत बही (पी0एल0) खाता, दिनांक 01.04.2019 को सी0एफ0एम0एस0 में खोला हुआ माना जाएगा और पी0डी0/पी0एल0 खातों में अप्रयुक्त राशि बाद के पाँच वर्षों में व्यपगत हो जाएगा।” वर्तमान में, निष्क्रिय पी0डी0 खातों की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। मार्च 2024 के अंत में 252 प्रशासकों के पास ₹ 2,180.46 करोड़ की राशि पड़ी थी, जैसा कि तालिका 4.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार वर्ष 2023–24 के दौरान पी0डी0 खातों की विवरणी

01.04.2023 को आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान जोड़		वर्ष के दौरान समापन		31.03.2024 को अंतशेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
242	3,858.07	12	1,160.67	02	2,838.28	252	2,180.46

(स्रोत: वित्त लेखे, 2023–24)
टिप्पणी—₹ 1.54 करोड़ की शेष राशि वाले चार पी0डी0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित किया जाना बाकी था। विगत पाँच वर्षों के अंत में पी0डी0 खातों में अंतशेष की राशि की प्रवृत्ति चार्ट 4.5 में विस्तृत है।

चार्ट 4.5: 2019–20 से 2023–24 के दौरान पी0डी0 खातों में अंतशेष



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पी0डी0 खातों के प्रशासकों को कोषागार आँकड़े के साथ अपने शेष राशि का समाशोधन एवं सत्यापन करना आवश्यक था। इसके अलावा, प्रशासकों को इस संबंध में महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक था। हालांकि, वर्ष 2023–24 के दौरान, पी0डी0 खातों के 252 प्रशासकों में से केवल 44 प्रशासकों ने कोषागार आँकड़े के साथ अपने शेष राशि का समाशोधन एवं सत्यापन किया है। इसके अलावा, माह मार्च 2024 में पी0डी0 खातों में ₹ 230.75 करोड़ के हस्तांतरण ने इन खातों में अवरुद्ध धनराशि को उस सीमा तक बढ़ा दिया।

³ अधिसूचना सं०. एम0-4-02/2020-2916/एफ0 दिनांक: 03.06.2020।

पी0डी0 खातों में अवरुद्ध धनराशि का हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह विधायी संवीक्षा को सीमित करता है।

4.8 लघु शीर्ष "800" का अनुचित प्रयोग

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरुत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह शीर्ष, संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को नहीं दर्शाता है फलतः लेखे के पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 2,26,967.19 करोड़ के कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय में से लघु शीर्ष "800" के माध्यम से ₹ 148.77 करोड़ (0.07 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इसके अलावा, कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 1,93,347.23 करोड़ में से ₹ 1,051.31 करोड़ (0.54 प्रतिशत) की प्राप्ति लघु शीर्ष "800" में नामित की गई थी।

लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यय और प्राप्तियाँ (संबंधित मुख्य शीर्ष का 50 प्रतिशत एवं अधिक) क्रमशः तालिका 4.9 और तालिका 4.10 में उल्लिखित हैं।

तालिका 4.9: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष 800- "अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय (50 प्रतिशत एवं अधिक और वृहत प्राप्तियाँ नामित)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में व्यय का प्रतिशत
1	2270	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	1,315.26	12.37	0.94
2	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	46.14	43.98	95.31
3	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	109.32	84.87	77.63

(स्रोत: महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

तालिका 4.10: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष 800 - "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ (50 प्रतिशत एवं अधिक और वृहत प्राप्तियाँ नामित)

(₹ करोड़ में)


क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0029	भू-राजस्व	580.19	118.35	20.40
2	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	897.00	630.26	70.26
3	0055	पुलिस	217.10	108.80	50.12
4	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	196.03	91.91	46.89
5	0071	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वसूली का योगदान	8.42	5.43	64.49
6	0230	श्रम एवं रोजगार	9.50	5.95	62.63
7	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.19	0.19	100.00
8	0401	फसल कृषि कर्म	4.59	3.33	72.55
9	0851	ग्राम और लघु उद्योग	0.02	0.02	100.00

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में प्राप्तियों का प्रतिशत
10	1053	नागरिक उड्डयन	0.33	0.33	100.00
11	1056	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.01	0.01	100.00
12	1456	सिविल आपूर्ति	0.03	0.03	100.00

(स्रोत: वित्त लेखे, 2023–24, महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)


इसके अलावा, वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत व्यय ₹ 640.26 करोड़ से घटकर ₹ 148.77 करोड़ तथा प्राप्तियाँ ₹ 948.22 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,051.31 करोड़ हो गई थी, जैसा कि चार्ट 4.6 और चार्ट 4.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.6 वित्त वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान लघु शीर्ष 800 –“अन्य व्यय” का संचालन



(स्रोत: वित्त लेखे, 2019–20 से 2023–24)

चार्ट 4.7: वित्त वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान लघु शीर्ष 800–“अन्य प्राप्तियाँ” का संचालन



(स्रोत: वित्त लेखे, 2019–20 से 2023–24)

वर्ष 2023-24 के दौरान, लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत वृहत व्यय, मुख्य शीर्ष 5475- अन्य सामाजिक आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 84.87 करोड़) और 2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ (₹ 43.98 करोड़) और वृहत प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष 0049- ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 630.26 करोड़) के अंतर्गत नामित की गयी थी।

राजकोषीय प्रबंधन के अनुसार, लघु शीर्ष "800" का उपयोग केवल उन्हीं प्राप्तियों और व्यय के लिए किया जाना है जो अनावर्ती हों और तत्काल लेखा शीर्ष, जिसके तहत इसे नामित किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध नहीं हों।

लघु शीर्ष 800-"अन्य प्राप्तियाँ" एवं "अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियों तथा व्यय का काल-क्रम आँकड़ा तालिका 4.11 और तालिका 4.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.11: काल-क्रम आँकड़े जहाँ लघु शीर्ष '800' "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ नामित की गई थीं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	478.10	3,063.65	531.27	363.98	630.26
2.	0230	श्रम और रोजगार	7.76	7.98	10.14	6.75	5.95
3.	0401	फसल कृषि कर्म	5.97	4.71	4.42	3.93	3.33
4.	1053	नागरिक उड्डयन	1.58	3.13	2.24	1.42	0.33

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 4.12: काल-क्रम आँकड़े जहाँ महत्वपूर्ण व्यय लघु शीर्ष 800-"अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित किए गए थे

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	21.25	17.01	49.26	23.84	43.98

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिमाणात्मक मामले

4.9 मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

कतिपय मध्यवर्गी/समायोजन लेखा शीर्ष जो 8658- उचंत शीर्ष के नाम से जाना जाता है, सरकारी लेखे में प्राप्तियों एवं व्यय के वैसे लेन देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित होता है जिसे उसकी प्रकृति की जानकारी न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से सुनिश्चित लेखा शीर्ष में अंकित नहीं किया जा सकता है।

वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल राशि तालिका 4.13 में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.13: उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2021—22		2022—23		2023—24	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
मुख्य शीर्ष 8658—उचंत						
101—पी0ए0ओ0 उचंत	365.08	0.00	641.14	280.41	345.49	35.42
निवल	नामे 365.08		नामे 360.73		नामे 310.07	
102— उचंत लेखा सिविल	16,195.57	1,409.66	14,109.96	277.76	4,943.34	71.22
निवल	नामे 14,785.91		नामे 13,832.20		नामे 4,872.12	
107—नकदी सामंजन उचंत लेखा	0	32.29	0	32.29	0	32.29
निवल	जमा 32.29		जमा 32.29		जमा 32.29	
109—रिजर्व बैंक उचंत मुख्यालय	261.71	(—) 0.01	257.16	(—) 0.24	67.19	63.86
निवल	नामे 261.72		नामे 257.40		नामे 3.33	
110—रिजर्व बैंक उचंत सी0ए0ओ0	1,249.60	894.62	358.24	(—) 0.02	1,254.37	898.86
निवल	नामे 354.98		नामे 358.26		नामे 355.51	
112—स्रोत पर कर कटौती उचंत (टी0डी0एस0)	1,572.73	1,857.17	1,279.66	1,805.05	0	62.88
निवल	जमा 284.44		जमा 525.39		जमा 62.88	
123—अ0भा0से0 ऑफिसर्स समूह बीमा योजना	0.44	6.04	0.32	5.66	0	5.19
निवल	जमा 5.60		जमा 5.34		जमा 5.19	
मुख्य शीर्ष 8782—नकद प्रेषण						
102—पी0 डब्ल्यू0 प्रेषण	16,754.96	15,835.85	919.11	0	16,754.96	15,833.47
निवल	नामे 919.11		नामे 919.11		नामे 921.49	
103—वन प्रेषण	3,147.44	2,943.90	203.54	0	203.54	0
निवल	नामे 203.54		नामे 203.54		नामे 203.54	

(स्रोत: वित्त लेखे 2021-22 से 2023-24)

वेतन और लेखा कार्यालय उचंत (पी0ए0ओ0 उचंत) – यह शीर्ष महालेखाकार (ले0 एवं हक0) और भारत सरकार के विभिन्न पी0ए0ओ0 कार्यालयों के बीच लेनदेन के निपटान के लिए है। इस मद के अंतर्गत बकाया नामे शेष राशि का मतलब होगा कि पी0ए0ओ0 की ओर से महालेखाकार द्वारा किए गए भुगतान अभी तक वसूल नहीं किए गए थे। बकाया जमा कोष का मतलब होगा कि पी0ए0ओ0 की ओर से महालेखाकार द्वारा प्राप्त राशि का भुगतान किया जाना बाकी था। यह लेन-देन मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली के साथ दावों से संबंधित हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में इस मद में ₹ 310.07 करोड़ का नामे शेष था। इसकी स्वीकृति/निपटान होने पर राज्य सरकार का नकद शेष बढ़ जाएगा।

उचंत लेखा (सिविल) – इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया आँकड़ों का एक बड़ा भाग ऐसे लेन-देन जहाँ वर्गीकरण का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है या जहाँ उसके समर्थन में प्रासंगिक अभिश्रव/अनुसूचियाँ उपलब्ध नहीं हैं या जहाँ भुगतान/नकद खातों की कोषागार अनुसूची में रिपोर्ट किए गए आँकड़ों और सहायक अभिश्रव, अनुसूची आदि में दिखाई देने वाले आँकड़ों के बीच कुछ विसंगति हैं। रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार विभागों इन प्राधिकरणों द्वारा दावों का निपटान निलंबित रहने के कारण होने वाले लेनदेन को भी शुरू में इस मद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा ₹ 771.07 करोड़ का व्यय (राजस्व ₹ 448.88 करोड़ और पूँजीगत ₹ 322.19 करोड़) एवं ₹ 0.18 करोड़ की प्राप्तियों को दस्तावेजों जैसे उप-अभिश्रवों/चालानों/स्वीकृति पत्रों इत्यादि के अभाव में उचंत

लेखे के अंतर्गत रखा गया। सरकार के कुल व्यय/प्राप्ति को उस सीमा तक कम करके आँका गया।

इस मद के अंतर्गत बकाया नामे शेष राशि का मतलब वैसे भुगतान से है जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम व्यय मद में नामे नहीं किया जा सकता था। बकाया जमा शेष का मतलब वैसी प्राप्तियों से है जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम रूप से प्राप्ति मद में जमा नहीं किया जा सकता था।

31 मार्च 2024 को इस मद में ₹ 4,872.12 करोड़ का नामे शेष था।

नकदी सामंजन उचंत लेखे – एक ही वेतन और लेखा अधिकारी को लेखा समर्पित करने वाले लोक निर्माण प्रमंडलों के बीच लेन-देनों के निपटान के लिए लघु शीर्षों का उपयोग किया जाता है एवं इनका संचालन संकलित लेखा प्राप्त करने वाले वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किया जाता है। शीर्ष को तब जमा किया जाता है जब एक प्रमंडल दूसरे प्रमंडल की ओर से कुछ प्राप्तियों/राजस्व को स्वीकार करता है। बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होने या चेक/बैंक ड्राफ्ट जारी होने पर शीर्ष को नामे/जमा किया जाता है या चेक/बैंक ड्राफ्ट किसी अन्य प्रमंडल को/से जारी किया जाता है, जैसा भी मामला हो। 31 मार्च 2024 तक इस मद में जमा शेष ₹ 32.29 करोड़ जो काफी लंबी अवधि से पड़े थे।

रिजर्व बैंक उचंत, केंद्रीय लेखा कार्यालय – जहाँ दो सरकारों के बीच नकद शेषों का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) के केंद्रीय लेखा अनुभाग को एडवाइस प्रेषित किया जाता है, वहाँ इस शीर्ष का उपयोग इस प्रकार के लेन-देनों को लेखांकित करने के लिए किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनके मौद्रिक निपटान कर दिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित शीर्ष में राशि का अंतरण कर इस शीर्ष का समाशोधन/सामंजन किया जाता है। भारत सरकार के प्राप्त अनुदान/ऋण एवं उनके पुनर्भुगतान, आर0बी0आई0 के लोक ऋण कार्यालयों द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूतियों एवं उनपर देय ब्याज तथा आपूर्ति और निपटान महानिदेशक द्वारा सरकारी कार्यालयों को की गई आपूर्तियों के विरुद्ध किए गए भुगतान इस उचंत शीर्ष के माध्यम से निपटाए जाने वाले मुख्य लेनदेन हैं।

वर्ष 2023-24 के अंत में, इस मद के अंतर्गत नामे शेष ₹ 355.51 करोड़ था। इस नामे शेष में पिछले वर्ष के ₹ 358.26 करोड़ से ₹ 2.75 करोड़ की कमी आई है।

लोक निर्माण प्रेषण – यह शीर्ष लोक निर्माण कार्यों के संभागीय अधिकारियों द्वारा कोषागार को प्रेषित राशि को स्वीकार किया जाता है या नहीं इसकी निगरानी के लिए संचालित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के अंत में प्रमंडल कार्यालयों और कोषागारों के बीच समाशोधन नहीं होने के कारण ₹ 921.49 करोड़ की नामे शेष थी।

वन प्रेषण – वन प्रमंडलों द्वारा वन राजस्व के संग्रहण और राजकोष में उनका प्रेषण प्रारंभ में इस शीर्ष के अंतर्गत होता है। इस शीर्ष के अंतर्गत नामे शेष राशि का कोषागार खातों में दिखाई देने वाले जमा द्वारा निपटान किया जाता है जब प्रेषण को कोषागार अधिकारियों द्वारा स्वीकृत एवं लेखांकित किए जाते हैं। राजस्व की वास्तविक प्राप्ति और राजकोष में इसके प्रेषण के बीच समय अंतराल के कारण, इस शीर्ष के अंतर्गत प्रमंडलीय लेखे में दिखाई देने वाले जमा तब तक दिखाई देते रहेंगे जब तक कि किए गए प्रेषण का अंतिम रूप से कोषागार खातों में निपटान नहीं हो जाता है। 31 मार्च 2024 तक, इस शीर्ष में ₹ 203.54 करोड़ की नामे शेष थी।

उचंत और प्रेषण मदों का सामंजन/निपटान राज्य कोषागारों (कार्य और वन प्रभागों आदि सहित) द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरे पर निर्भर करती है। यदि ये असामंजित रह जाती है, तो उचंत शीर्ष

के अंतर्गत राशि का संचयन हो जाएगा और यह राजकीय व्यय की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रतिबिंबित नहीं कर पाएगी।


4.10 विभागीय संव्यवहारों का असमाशोधन

बिहार बजट संहिता, 2016 के कंडिका 96 के अनुसार, नियंत्री अधिकारियों को महालेखाकार के लेखे में दर्ज आँकड़े के साथ अपने मासिक/त्रैमासिक आँकड़े का मिलान करना आवश्यक है।

सी0एफ0एम0एस0 में ऑनलाइन समाशोधन मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया हैं। इसलिए, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखे के संव्यवहार को राज्य सरकार के अनुदान नियंत्री अधिकारियों द्वारा किए गए संव्यवहार के लेखे के साथ समाशोधन करने के लिए, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय मासिक लेखे में शामिल संव्यवहार से संबंधित डंप डाटा फाइल सुरक्षित फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल (एस0एफ0टी0पी0⁴), उपयोगिता का उपयोग करके सी0एफ0एम0एस0 मुख्य सर्वर में अपलोड करता है। यहाँ, महालेखाकार के संव्यवहार के आँकड़े का मिलान सी0एफ0एम0एस0 के आँकड़े से की जाती है, और विभागवार समाशोधन प्रतिवेदन (सी0एफ0एम0एस0 में) तैयार की जाती हैं। यह प्रतिवेदन सारे विभागों के एडमिन उपयोगकर्ता के साथ-साथ महालेखाकार (ले0 एवं हक0) एडमिन उपयोगकर्ता के लिए भी उपलब्ध रहता है। सभी विभागों के एडमिन उपयोगकर्ता समाशोधन प्रतिवेदन तैयार कर महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को भेजते हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान विभागीय संव्यवहारों के असमाशोधन की स्थिति को चार्ट 4.8 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.8: विगत तीन वर्षों के दौरान विभागीय संव्यवहारों के असमाशोधन की स्थिति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

जैसा कि चार्ट 4.8 में देखा जा सकता हैं, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के प्राप्तियों का 100 प्रतिशत और व्यय का 98.94 प्रतिशत का समाशोधन किया गया।

4.11 नकद शेष का समाशोधन

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखे में दर्ज राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) द्वारा प्रतिवेदित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

⁴ एस0एफ0टी0पी0— यह एक सुरक्षित फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल है, जो फाइल स्थानांतरण भेजने और प्राप्त करने के एक उच्च स्तर के सुरक्षित शेल एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है।

हालांकि, महालेखाकार (ले० एवं हक०) के अभिलेख के अनुसार, 31 मार्च 2024 को नकद शेष ₹ 726.68 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 19.94 करोड़ (नामे) था। इस प्रकार, ₹ 746.62 करोड़ का शुद्ध अंतर था, जिसका मुख्य कारण कोषागार/आर०बी०आई०/एजेंसी बैंकों और कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) के बीच लंबित समाशोधन था। यह अंतर समाशोधन के अधीन था।

4.12 लोक लेखे के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष (नामे शीर्ष में जमा शेष तथा जमा शीर्ष में नामे शेष) लेखे के उन शीर्ष के तहत दिखाई देने वाले नकारात्मक शेष हैं जहां नकारात्मक शेष नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी ऋण या अग्रिम शीर्ष के लेखांकन में एक नकारात्मक शेष, अग्रिम की मूल राशि की तुलना में अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

प्रतिकूल शेष तब उत्पन्न होता है जब लेन-देन को नामे के बजाय गलती से जमा किया जाता है तथा जमा के बजाय गलती से नामे किया जाता है। वित्त लेखे, 2023-24 के अनुसार, विभिन्न 15 लेखा शीर्षों के तहत ₹ (-) 1,212.41 करोड़ का संचयी प्रतिकूल शेष **(परिशिष्ट-4.1)** था। वर्ष 2023-24 में, मुख्य शीर्ष 7610 में ₹ 0.26 करोड़ का एक नया प्रतिकूल शेष था।

यह प्रतिकूल शेष महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार कार्यालय और राज्य सरकार के बीच समाशोधन के अधीन था।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

4.13 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि०म०ले०प०) के सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखे का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त भारत के नि०म०ले०प० ने जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करने एवं सरकारी लेखा और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने के लिए (2002) में एक सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जी०ए०एस०बी०) की स्थापना की थी। नि०म०ले०प० के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई०जी०ए०एस०) अधिसूचित किए हैं। लेखांकन मानकों का अनुपालन **तालिका 4.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.14: लेखांकन मानकों का अनुपालन

लेखांकन मानक	आई0जी0ए0एस0 का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
आई0जी0ए0एस0-1:			
सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूति-प्रकटीकरण आवश्यकता	प्रतिभूतियों का एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना, वर्गवार एवं प्रक्षेत्रवार प्रकटीकरण	वित्त लेखे में विवरणी 9 एवं 20 तैयार किये गये हैं। चूंकि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विवरण वर्गवार एवं क्षेत्रवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, फलतः प्रकटीकरण अपूर्ण रहा। कुछ महत्वपूर्ण सूचना जैसे, वर्ष के दौरान लागू प्रतिभूति, ब्याज, कमीशन शुल्क आदि सूचना राज्य सरकार द्वारा वित्त लेखे में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपूर्ण रही।	सभी प्रत्याभूतिदाता, राज्य सरकार के विभागों और वर्ष के दौरान दी गयी प्रतिभूति, कमीशन की राशि, प्राप्त शुल्क का पता नहीं लगाया जा सका।
आई0जी0ए0एस0-2:			
सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	प्रदाता अथवा अनुदेयी दोनों के रूप में सहायता अनुदान का वर्गीकरण और लेखांकन	वित्त लेखे में विवरणी 10 तैयार की गयी थी। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान की विस्तृत सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।	वस्तु के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका। गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व घाटा कम तथा पूँजीगत व्यय को अधिक बताया गया।
आई0जी0ए0एस0-3:			
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	ऋण एवं अग्रिम के संबंध में मान्यता, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग पूर्ण, सटीक और एकसमान लेखांकन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए, ऋणों एवं अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए	वित्त लेखे में विवरणी 7 और 18 तैयार किये गये हैं। हालाकि, "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "शाश्वत रूप से ऋण के रूप में स्वीकृत किए गए ऋण के मामले", वर्ष के दौरान उन ऋणी संस्थाओं को नए ऋण और अग्रिम जिनसे पूर्व के ऋणों की अदायगी बकाया हैं, के संबंध में प्रकटीकरण अपूर्ण है।	राज्य सरकार द्वारा संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी फलतः "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "शाश्वत रूप से ऋण के रूप में स्वीकृत किए गए ऋण के मामले", वर्ष के दौरान उन ऋणी संस्थाओं को नए ऋण और अग्रिम जिनसे पूर्व के ऋणों की अदायगी बकाया हैं, जिससे ऋण और अग्रिम के वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

(स्रोत: वित्त लेखे, 2023-24)

लेखा मानकों का गैर-अनुपालन वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता को बाधित करने के अलावा वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह की एक सच्ची और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य को प्रभावित करेगा।

4.14 एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता, जिनके लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया गया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 और 395 में प्रावधान है कि किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट उसके वार्षिक आम बैठक के तीन महीने के अंदर तैयार

की जानी हैं। ऐसे प्रतिवेदन तैयार हो जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधायिका के समक्ष, नि०म०ले०प० के द्वारा लेखापरीक्षा के पूरक पर की गयी टिप्पणी तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। उपरोक्त तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों और निगमों में निवेश किये गये लोक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता हैं।

राज्य सरकार ने 19 कार्यशील एस०पी०एस०ई०, एक सांविधिक निगम और 15 अकार्यशील एस०पी०एस०ई०, जिनके लेखे 31 मार्च 2024 तक (30 सितम्बर 2024 तक) अंतिमीकृत नहीं किये गये थे, को ₹ 58,896.62 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूँजी, ऋण, प्रतिभूति, पूँजीगत अनुदान और अन्य) प्रदान की। इन एस०पी०एस०ई० ने कंपनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों/एस०पी०एस०ई० के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 47 वर्षों तक अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया था (परिशिष्ट 4.2)।

लेखों के अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि०म०ले०प०), कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं वैसे निगमों की सांविधिक लेखापरीक्षा, जैसा कि उनके अधिनियम में वर्णित है, करने में असमर्थ हैं। लेखों को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य विधायिका के दायरे से बाहर रहते हैं और लेखापरीक्षा की जांच से बच जाते हैं। परिणामस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, समय पर नहीं किए जा सकते हैं। धोखाधड़ी और लोक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता हैं।

4.15 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नि०म०ले०प० (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें विधान सभा हो, का प्रशासक, जब उसकी यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तब नि०म०ले०प० से अनुरोध करेगा कि वह यथास्थिति, राज्य के या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करे और जब ऐसा अनुरोध किया गया हो तब, नि०म०ले०प० ऐसे निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उसे निगम के लेखे और बहियों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा नि०म०ले०प० को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहाँ यदि, उससे, यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा हो, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया हो तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा ऐसे नियम एवं शर्तों के अधीन करेगा जिसपर उसके और संबंधित सरकार के बीच सहमति हो और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखे तक उसे पहुँच का अधिकार होगा (डी०पी०सी० एक्ट, धारा 20)।

राज्य के 63 निकायों/प्राधिकरणों में से 53 निकायों/प्राधिकरणों (परिशिष्ट 4.3) ने लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं करायी थी। शेष नौ निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखे की विवरणी (बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग को छोड़कर) तालिका 4.15 में दर्शाया गया है :—

तालिका 4.15: प्राधिकरणों और निगमों के बकाया लेखे

क्रम सं.	निकाय अथवा प्राधिकरण के नाम	लंबित लेखे का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24 तक लंबित लेखे की सं०
1.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2022-23 से 2023-24	02
2.	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2010-11 से 2023-24	14
3.	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2016-17 से 2023-24	08
4.	बिहार विद्युत विनियामक आयोग	2023-24	01
5.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बी०एस०एल०एस०ए०)	2023-24	01
6.	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	2020-21 से 2023-24	04
7.	बिहार भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण	2019-20 से 2023-24	05
8.	बिहार राज्य जैव-विविधता बोर्ड पटना	2017-18 से 2023-24	07
9.	बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	2022-23 से 2023-24	02

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़े)

लेखें को अंतिम रूप न देने के कारण हितधारक इन निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा, लेखे को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब से संबंधित विधायी प्रावधान, जिनके अंतर्गत इन निकायों का गठन किया गया था, के उल्लंघन के अलावा वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं चलने का जोखिम भी रहता हैं। लेखापरीक्षा चूककर्ता निकायों के लेखें को प्रस्तुत न किये जाने के मामलें को समय-समय पर संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उजागर करती रही है लेकिन इसमे कोई अपेक्षित सुधार नहीं होता है।

अन्य मुद्दे

4.16 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति (लो०ले०स०) को यह अपेक्षित होता है कि राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन की प्रस्तुति के बाद संबंधित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा में वर्णित कंडिकाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर टिप्पणी उपस्थापित की जाए। संबंधित विभागों से यह भी अपेक्षित होता है कि वे महालेखाकार को (पुष्टि के उपरांत लो०ले०स० को अग्रेषण के लिए) विभागों द्वारा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन (ए०टी०एन०) उपलब्ध कराएंगे।

वर्ष 2023-24 के दौरान, लो०ले०स० द्वारा राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए कोई भी बैठक नहीं की गयी। वर्ष 2008-09 से 2021-22 तक के वर्षों से संबंधित 388 कंडिकाओं में से केवल तीन कंडिकाओं पर चर्चा की गई, और 385 कंडिकाएँ मार्च 2024 तक, चर्चा के लिए लंबित थे। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लो०ले०स० द्वारा की गई बैठक की विवरणी तालिका 4.16 में वर्णित हैं।

तालिका 4.16 लो०ले०स० द्वारा आयोजित बैठकों की स्थिति

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	लो०ले०स० द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या
1.	2018-19	03
2.	2019-20	01
3.	2020-21	02
4.	2021-22, 2022-23 एवं 2023-24	शून्य

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

आगे, विधायिका के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद, वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को निर्देश जारी करने चाहिए थे कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी कंडिकाओं पर स्वतः समीक्षा एवं कार्रवाई प्रारंभ कर दें, भले ही इन मामलों की जाँच लो0ले0स0 द्वारा प्रारंभ की गई हो अथवा नहीं।

4.17 अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 177 के अनुसार, माँगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदान की समाप्ति को रोकने के लिए कोषागार से कोई भी निधि की निकासी नहीं की जाएगी। यदि विशेष परिस्थिति में अग्रिम के रूप में धनराशि का आहरण सक्षम प्राधिकार के आदेश के तहत किया जाता है, तो इस प्रकार आहरित राशि का अव्ययित शेष, अगले विपत्र में कम आहरण द्वारा अथवा चालान द्वारा यथाशीघ्र एवं किसी भी स्थिति में उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धनराशि का आहरण किया गया हो, की समाप्ति के पूर्व कोषागार में वापस जमा करा दिया जाना चाहिए।

31 मार्च 2024 तक ₹ 184.52 करोड़ की असमायोजित अस्थायी अग्रिम और ₹ 25.46 करोड़ के असमायोजित अग्रिम थे। इन असमायोजित राशियों को समायोजित करके संबंधित कोषागार में जमा करना आपेक्षित था।

असमायोजित अस्थायी अग्रिम और असमायोजित अग्रिम की राशि का विवरण तालिका 4.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.17: 31 मार्च 2024 को असमायोजित अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय (₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	असमायोजित अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.45	7.08	12.53
2	सिंचाई	25.25	1.65	26.90
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.15	0.48	8.63
4	पथ निर्माण (राष्ट्रीय राजमार्ग)	0.78	0.09	0.87
5	ग्रामीण कार्य	5.96	10.31	16.27
6	लघु सिंचाई	12.02	0.23	12.25
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	59.48	5.33	64.81
8	पथ निर्माण	67.43	0.29	67.72
कुल		184.52	25.46	209.98

(स्रोत: महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

4.18 चेक एवं विपत्र

यह शीर्ष संव्यवहार के प्रारंभिक अभिलेखन के लिए एक मध्यस्थ लेखा उपकरण है, जिन्हें अंततः समायोजन/वापस कर दिया जाना है। लेखे के विभागीयकरण करने की योजना के अंतर्गत सरकार के दावों का भुगतान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पी०ए०ओ०) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के शाखाओं अथवा मंत्रालय/विभाग से मान्यता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से चेक आहरण द्वारा किया जाता है। जब दावों को उपयुक्त विपत्र फॉर्म में पी०ए०ओ०/विभागीय अधिकारी को दी जाती है, तो पी०ए०ओ०/विभागीय अधिकारी द्वारा वेतन आदेश की अभिलेखन एवं निर्धारित जाँच के उपरांत चेक निर्गत कर भुगतान किया जाता है। शीर्ष “चेक एवं विपत्र” सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी

किए गए भुगतान आदेशों (चेक आदि के माध्यम से) और इस तरह के भुगतान वास्तव में किए गए थे और सही ढंग से नामित किए गए थे, के बीच अंतर को दर्शाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत असमाशोधित शेष राशियों का निरंतर अस्तित्व सरकार के लेखे में दर्शाए गए नकद शेष को विकृत कर सकता है।

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखे में, मुख्य शीर्ष 8670 "चेक एवं विपत्र" के अंतर्गत नकद शेष दर्शाता है कि चेक निर्गत हुए लेकिन, उनका नकदीकरण नहीं हुआ। 01 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष ₹ 171.31 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 1,94,189.97 करोड़ के चेक निर्गत किए गए जिसमें से ₹ 1,94,154.66 करोड़ का नकदीकरण किया गया, जिससे समापन शेष ₹ 206.62 करोड़ (जमा) 31 मार्च 2024 तक रहा।

इसके अलावा, डिजिटल भुगतान के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दिए गए आदेश को संव्यवहार पुरा होने पर व्यय के रूप में माना जाता है। हालांकि, असमायोजित अग्रिम "ई-कुबेर (ई-भुगतान) विफल" संव्यवहार के मामले में, विफल संव्यवहार को 8658 में उचित लेखे में नामित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, ई-कुबेर (ई-भुगतान) विफल संव्यवहार के कारण ₹ 31.63 करोड़ की राशि को उचित लेखे में नामित किया गया। समापन शेष, विभिन्न मुख्य कार्यकारी शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में मूल रूप से नामित व्यय जो परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 तक बिहार सरकार का कोई नकद प्रवाह नहीं हुआ, को दर्शाता है।

"चेक एवं विपत्र" के अंतर्गत बकाया राशि, सरकार के नकद शेष को उस सीमा तक अतिकथन को दर्शाता है।

4.19 एकल नोडल लेखांकन (एस0एन0ए0)

केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर नकदी प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार (जुलाई 2023) में पी0एफ0एम0एस0, राज्य आई0एफ0एम0एस0 और आर0बी0आई0 का ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के एकीकृत ढाँचे के माध्यम से सी0एस0एस0 फंड के लिए एस0एन0ए0-एस0पी0ए0आर0एस0एच0 (रियल टाइम सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड क्विक ट्रांसफर) नामक निधि प्रवाह संरचना शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत, राज्य सरकार को सी0एस0एस0 के अनुरूप प्रत्येक स्टेट लिंकड स्कीम (एस0एल0एस0) को लागू करने के लिए एकल नोडल एजेंसी (एस0एन0ए0) नामित करना था।

पी0एफ0एम0एस0 के आँकड़ों (26.08.2024 तक) के अनुसार, निम्नलिखित पाया गया:-

- मार्च 2024 तक एस0एन0ए0-एस0पी0ए0आर0एस0एच0 मॉडल के माध्यम से बिहार में छः योजनाएँ लागू की जा रही थी और एस0एन0ए0 के रूप में पंजीकृत 142 एजेंसियों को पी0एफ0एम0एस0 में 1,75,494 बाल एजेंसियों के साथ मैप किया गया था।
- राज्य सरकार को केन्द्रीय अंश की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर केन्द्रीय अंश और तदनु रूप राज्य अंश को एस0एन0ए0 को अंतरित करना था, लेकिन केन्द्रीय और राज्य अंश को कोषागार से एस0एन0ए0 को अंतरित करने में 172 दिनों का विलंब हुआ।
- निधियों के विलंबित अंतरण (01.04.2023 से प्रभावी) के लिए सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भारत की समेकित निधि में जमा नहीं किया गया था। ब्याज की यह राशि, निधि के अनुचित लेखांकन के गणना नहीं किए जाने के कारण, जमा नहीं की गयी।

- iv. 31 मार्च 2024 तक, ₹ 389.20 का ब्याज करोड़ (प्राप्त निधि पर अर्जित) अभी तक द्विविभाजित नहीं किया गया था और न ही संबंधित समेकित निधियों में जमा किया गया था। इसके अलावा, एस0एन0ए0 खातों में पड़ी अव्ययित राशि ₹ 14,738.13 करोड़ को संबंधित सरकारी खातों में वापस किया जाना था। ये वृहत् शेष राशि वर्ष 2024–25 में निधि जारी करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- v. वर्ष 2023–24 के दौरान, कोषागार द्वारा एस0एन0ए0 को कुल राशि ₹ 31,145.19 करोड़ विमुक्त की गयी। इसमें से, केवल ₹ 29,130.11 करोड़ व्यय के रूप में तथा ₹ 3,355.09 करोड़ अग्रिम के रूप में लेखांकित किया गया।
- vi. सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार 2023–24 में, कुल हस्तांतरित राशि ₹ 31,145.19 करोड़ में से, राज्य सरकार ने केंद्रीय हिस्से के रूप में 18,231.24 करोड़ प्राप्त किए। हालांकि, पी0एफ0एम0एस0 के अनुसार, कुल प्राप्ति ₹ 30,847.49 करोड़ में से सरकार ने केन्द्रांश ₹ 18,173.89 करोड़ और राज्यांश ₹ 12,673.60 करोड़ एस0एन0ए0 को हस्तांतरित किया। सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार, ₹ 22,470.94 करोड़ सहायक अनुदान विपत्र के माध्यम से तथा ₹ 8,674.25 करोड़ पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक विपत्र के माध्यम से हस्तांतरित किये गये। महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय में एस0एन0ए0 से वास्तविक व्यय के सहायक दस्तावेज और विस्तृत अभिश्रव प्राप्त नहीं हुए।

मार्च 2024 के माह में 50 प्रतिशत से ज्यादा निधि विमुक्त हो गयी जिससे राज्य के पास अव्ययित राशि जमा हो गयी।

4.20 निष्कर्ष

- i. राशि ₹ 70,877.61 करोड़ के 49,649 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू0सी0), और राशि ₹ 9,205.76 करोड़ के 22,130 ए0सी0 विपत्र के विरुद्ध डी0सी0 विपत्र लंबित थे। यह प्रशासनिक विभागों में आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता हैं।
- ii. राज्य सरकार ने वर्ष 2023–24 के दौरान, ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज का प्रावधान एवं भुगतान करने की ₹ 144.29 करोड़ की देनदारी का निर्वहन नहीं किया।
- iii. राज्य सरकार ने 19 कार्यशील एस0पी0एस0ई0, एक सांविधिक निगम और 15 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे 31 मार्च 2024 तक (30 सितम्बर 2024 तक) अंतिमीकृत नहीं किये गये थे, को ₹ 58,896.62 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूँजी, ऋण, प्रतिभूति, पूँजीगत अनुदान और अन्य) प्रदान की।
- iv. राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ₹ 53.48 करोड़ की गैर-बजट उधारी देयताओं को प्रदर्शित नहीं किया।


सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में सुधार	जमाराशियों पर ब्याज के संबंध में देयता के गैर-निर्वहन में वृद्धि
विभागीय संव्यवहार का समाशोधन	वार्षिक लेखे के साथ पी0डी0 खातों का असमाशोधन
	निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखे

4.21 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग:


- i. लघु शीर्ष "800 प्राप्तियाँ" एवं "800 व्यय" के अंतर्गत वर्तमान में प्रदर्शित सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसी प्राप्तियाँ और व्यय, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार के परामर्श से उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की जाए।
- ii. यह सुनिश्चित कर सकता है कि (क) सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि से परे लंबित सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्रों को समायोजित करे (ख) सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र को केवल बजट के व्यपगत हो जाने से बचने के लिए तो नहीं निकाले गए हैं।
- iii. वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (एस0पी0एस0ई0) के प्रबंधन पर दबाव डाल सकता है।

पटना
दिनांक : 28 मार्च 2025


(डॉ. संदीप रॉय)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 02 अप्रैल 2025


(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका 1.1)

राज्य का परिचय

अ. सामान्य आँकड़े

क्रम संख्या	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		94,163 वर्ग कि० मी०
2	जनगणना (2023 के अनुसार)		12.86 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 426 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०)		1,365.63
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बी०पी०एल०) (राष्ट्रीय औसत = 21.92 प्रतिशत)		33.74
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)		61.80
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म पर)		27
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 70 वर्ष)		69.5
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) 2023–24 के चालू मूल्य पर (₹ करोड़ में)		8,54,429
9	प्रति व्यक्ति जी०एस०डी०पी० ¹ का सी०ए०जी०आर० ² (2023–24)	बिहार	8.85
		सामान्य कोटि के राज्य	9.56
10	जी०एस०डी०पी० का सी०ए०जी०आर० (2023–24)	बिहार	10.67
		सामान्य कोटि के राज्य	10.76
11	जनसंख्या दशकीय वृद्धि	बिहार	16.75
		सामान्य कोटि के राज्य	10.33

ब. वित्तीय आँकड़े

(प्रतिशत में)

क्रम सं०	विवरण	2014-15 से 2017-18		2022-23 से 2023-24	
	सी०ए०जी०आर०	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार
क	राजस्व प्राप्तियों का	12.61	14.41	8.19	11.96
ख	स्व-कर राजस्व का	7.17	3.69	10.58	9.87
ग	गैर-कर राजस्व का	6.52	31.06	14.62	27.14
घ	कुल व्यय का	12.05	13.09	10.56	5.31
ङ	पूँजीगत व्यय का	12.53	16.78	26.16	15.65
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	9.33	12.77	5.11	(-) 1.94
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	14.09	19.54	10.34	16.90
ज	वेतन	9.86	6.94	7.52	14.38
झ	पेंशन का	14.24	8.00	6.27	5.12

(स्रोत: एम०ओ०एस०पी०आई० और सी०ए०जी० के आर्थिक सलाहकार)

1. जी०एस०डी०पी० = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।
2. सी०ए०जी०आर० = चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर।

परिशिष्ट-1.2		
(संदर्भ: कंडिका 1.3.2)		
बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश		
(₹ करोड़ में)		
विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक
देयताएँ		
आंतरिक ऋण	2,08,098.10	2,36,205.16
ब्याज सहित बाज़ार ऋण	1,84,275.00	21,4418.00
ब्याज रहित बाज़ार ऋण	0.11	0.05
बॉण्ड	1,962.07	1,728.89
वित्तीय संस्थानों से ऋण	9,776.22	9,861.86
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	12,077.25	10,188.91
अन्य ऋण	7.45	7.45
भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00
केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	34,747.63	43,878.73
गैर-योजना ऋण	0.58	0.58
राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	191.29	191.29
1984-85 से पहले के ऋण	3.91	3.91
राज्य के लिए अन्य ऋण	34,551.85	43,682.95
आकस्मिकता निधि	350.00	350.00
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,396.88	9,141.12
जमा	38,437.96	39,666.57
आरक्षित निधि	9,654.72	12,343.98
उच्चत और विविध शेष	171.31	206.63
प्रेषण शेष	0.00	0.00
अंतर्राज्यीय निपटान	74.01	74.01
व्यय पर प्राप्तियों का संचित आधिक्य (सरकारी लेखों पर अधिशेष)	53,861.71	56,694.77
कुल	3,54,792.32	3,98,560.98
परिसंपत्तियाँ		
अचल संपत्तियों पर सकल पूँजी परिव्यय	2,90,886.03	3,27,339.05
कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश।	39,024.62	41,512.97
अन्य पूँजीगत व्यय	2,51,861.41	2,85,826.08
ऋण एवं अग्रिम	25,209.64	27,249.57
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	16,034.13	16,118.02
अन्य विकास ऋण	9,060.25	11,026.06
सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	115.26	105.49
सिविल अग्रिम	249.96	249.96
प्रेषण शेष	1,125.96	1,128.33
नकद	22,903.95	36,982.18
कोषागारों में नकदी और स्थानीय प्रेषण	0.00	0.00
विभागीय शेष	234.65	233.22
स्थायी अग्रदाय/रकम	765.46	765.53
नकद शेष निवेश	14,069.82	26,762.09
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा	805.90	726.68
निर्धारित निधियों से निवेश	7,028.12	8,494.66
उच्चत और विविध शेष	14,416.78	5,611.89
कुल	3,54,792.32	3,98,560.98

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट— 2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.3)

राज्य सरकार के वित्त पर कालश्रृंखला आँकड़ें

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरणी	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
खण्ड अ – प्राप्तियाँ						
1	राजस्व प्राप्तियाँ	1,24,233	1,28,168	1,58,798	1,72,688	1,93,347
	(i) स्व-कर राजस्व	30,158 (24)	30,342 (24)	34,855 (22)	44,018 (25)	48,361 (25)
	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	6,121 (20)	6,032 (20)	6,872 (20)	9,881 (22)	9,371 (19)
	राज्य उत्पाद	(-)4.00 (0)	(-)4 (0)	(-)1 (0)	1 (0)	1 (0)
	वाहनों पर कर	2,713 (9)	2,268 (7)	2,475 (7)	2,936 (7)	3,358 (7)
	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	4,661 (16)	4,206 (14)	5,224 (15)	6,451 (15)	6,348 (13)
	भू-राजस्व	275 (1)	302 (1)	284 (1)	361 (1)	580 (1)
	माल एवं यात्री पर कर	23 (0)	6 (0)	0 (0)	1 (0)	(-) 1 (0)
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	1,5800 (52)	16,050 (53)	19,264 (55)	23,243 (53)	27,678 (57)
	अन्य कर	568 (2)	1,482 (5)	737 (2)	1,144 (3)	1,026 (2)
	(ii) गैर-कर राजस्व	3,700 (3)	6,201 (5)	3,984 (2)	4,135 (2)	5,257 (3)
	(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	63,406 (51)	59,861 (47)	91,353 (58)	95,510 (55)	1,13,604 (59)
	(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	26,969 (22)	31,764 (25)	28,606 (18)	29,025 (17)	26,125 (14)
2	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	30	820	28	41	96
4	कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,24,263	1,28,988	1,58,826	1,72,729	1,93,443
5	लोक ऋण प्राप्तियाँ	29,145	35,915	40,445	48,284	60,218
	(i) आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	27,866	29,412	30,918	38,129	49,546
	(ii) अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	—	—	—	—	—
	(iii) भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,279	6,503	9,527	10,155	10,672
6	अंतर्राज्यीय समाशोधन	—	—	—	—	—
7	संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	1,53,408	1,64,903	1,99,271	2,21,013	2,53,661
8	आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—
9	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,94,512	2,17,837	2,46,840	2,72,287	2,99,113
10	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	3,47,920	3,82,740	4,46,111	4,93,300	5,52,774

क्रम सं०	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
खण्ड ब – व्यय/संवितरण						
11	राजस्व व्यय	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976	1,90,514
	(i) योजनाएँ	44,576 (35)	44,201 (32)	58,487 (37)	71,730 (39)	63,466 (33)
	(ii) स्थापना और प्रतिबद्ध	81,441 (65)	95,292 (68)	1,00,733 (63)	1,12,246 (61)	1,27,048 (67)
	(क) सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	41,628 (33)	46,239 (33)	48,939 (31)	56,029 (30)	59,218 (31)
	(ख) सामाजिक सेवाएँ	57,816 (46)	63,807 (46)	76,115 (48)	88,349 (48)	83,225 (44)
	(ग) आर्थिक सेवाएँ	26,571 (21)	29,445 (21)	34,165 (21)	39,598 (22)	48,071 (25)
	(घ) सहायता अनुदान एवं अंशदान	2	2	1	0	0
12	पूँजीगत व्यय	12304	18209	23,678	31,520	36,453
	(i) योजनाएँ	12,253 (100)	18,194 (100)	23,650 (100)	31,496 (100)	36,320 (100)
	(ii) स्थापना और प्रतिबद्ध	51 (0)	15 (0)	28 (0)	24 (0)	133 (0)
	(क) सामान्य सेवाएँ	2,388 (19)	1,387 (8)	3,507 (15)	3,255 (10)	5,664 (16)
	(ख) सामाजिक सेवाएँ	2,803 (23)	6,331 (35)	5,154 (22)	5,967 (19)	7,001 (19)
	(ग) आर्थिक सेवाएँ	7,113 (58)	10,491 (57)	15,017 (63)	22,298 (71)	23,788 (65)
13	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	666	1,114	1,479	2,057	2,136
14	कुल (11+12+13)	1,38,987	1,58,816	1,84,377	2,17,553	2,29,103
15	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	7,110	6,880	8,746	14,351	22,979
	(i) आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	6,143	5,937	7,619	12,886	21,439
	(ii) अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	—	—	—	—	—
	(iii) भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	967	943	1,127	1,465	1,541
16	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	—	—	—	—	—
17	अंतर्राज्यीय समाशोधन	—	—	—	—	—
18	संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	1,46,097	1,65,696	1,93,123	2,31,904	2,52,082
19	आकस्मिकता निधि संवितरण	—	—	—	—	—
20	लोक लेखा संवितरण	1,97,747	2,17,092	2,48,373	2,67,970	2,86,613
21	राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	3,43,844	3,82,788	4,41,496	4,99,874	5,38,695

क्रम सं०	विवरणी	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
खंड स.- घाटा						
22	राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-11)	(-) 1,784	(-) 11,325	(-) 422	(-) 11,288	2,833
23	राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष(+) (4+14)	(-) 14,724	(-) 29,827	(-) 25,551	(-) 44,824	(-) 35,660
24	प्रारंभिक घाटा(-)/प्रारंभिक अधिशेष (+) (23+25)	(-) 3,733	(-) 17,343	(-) 11,729	(-)29,640	(-) 18,054
खंड द.- अन्य आँकड़ें						
25	ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	10,991	12,484	13,822	15,184	17,606
26	स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता आदि	46,582	54,929	65,015	79,941	77,600
27	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) [@]	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
28	लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	1,93,382	2,27,195	2,57,510*	2,93,307	3,32,741
29	अधिकतम दी गई प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	20,834	24,972	37,632	40,897	51,683
30	लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	5,380	16,080	25,070	25,939	28,041
31	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	143	157	146	252	354
32	अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	1,001	1,654	890	1,047	9,654
खंड ई.- राजकोषीय स्थिति का संकेतक						
I	संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
	कर राजस्व/जी०एस०डी०पी०	5.18	5.34	5.38	5.90	5.66
	गैर-कर राजस्व/जी०एस०डी०पी०	0.64	1.09	0.62	0.55	0.62
	केंद्रीय अंतरण/जी०एस०डी०पी०	15.53	16.14	18.53	16.68	16.35
II	व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
	कुल व्यय/जी०एस०डी०पी०	23.89	27.97	28.48	29.15	26.81
	कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	111.88	123.91	116.11	125.98	118.49
	राजस्व व्यय/कुल व्यय	90.67	87.83	86.36	84.57	83.16
	सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	41.60	40.18	41.28	40.61	36.33
	आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	19.12	18.54	18.53	18.20	20.98
	पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	8.85	11.47	12.84	14.49	15.91
	सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	7.13	10.59	10.94	12.99	13.44

क्रम सं०	विवरणी	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
III	राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
	राजस्व अधिशेष / जी०एस०डी०पी०	(-)0.31	(-)1.99	(-)0.07	(-)1.51	0.33
	राजकोषीय घाटा / जी०एस०डी०पी०	2.53	5.25	3.95	6.01	4.17
	प्राथमिक घाटा / जी०एस०डी०पी०	0.64	3.05	1.81	3.97	2.11
	राजस्व अधिशेष / राजकोषीय घाटा	12.12	37.97	1.65	25.18	7.94
IV	राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
	राजकोषीय दायित्व / जी०एस०डी०पी०	33.24	40.01	39.78 [#]	39.30	38.94
	राजकोषीय दायित्व / राजस्व प्राप्तियाँ	153.66	177.26	162.16	169.85	172.10
	राजकोषीय दायित्व / राज्य के स्व-संसाधन	563.82	621.72	663.02	609.11	620.58

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्षों की कुल प्रतिशतता (निकटतम) दर्शाते हैं।
@जी०एस०डी०पी०:- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
* प्रभावी बकाया राजकोषीय देनदारियाँ ₹ 2,50,398.57 करोड़ होंगी क्योंकि ऋण प्राप्तियों के तहत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दिए गए ₹ 7,111.43 करोड़ के जी०एस०टी० मुआवजे को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के तहत राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा।
कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 7,111.43 करोड़ के जी०एस०टी० मुआवजे को अलग रखने के बाद यह आँकड़े सामने आए हैं।

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: कंडिका 2.5.3.3)

ऋणों की नकारात्मक शेष राशि

क्र० सं०	शीर्ष का विवरण	ऋणों का उद्देश्य	वित्तीय वर्ष 2023-24 में चुकाई गई राशि (₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक अनंतिम प्रतिकूल शेष राशि (₹ लाख में)	वह वित्तीय वर्ष जिससे आगे बढ़ाया गया
1	6215-01-190-0001	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए ऋण-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रम	—	(-) 7.9	2006-07
2	6216-02-201-0012 (अन्य योजनाएँ)	आवास के लिए ऋण-अन्य योजनाएँ — प्रत्येक के अंतर्गत शेष राशि ₹ 25 लाख या उससे कम	—	(-) 8.8	2006-07
3	6216-02-800-0001	आवास के लिए ऋण-अन्य ऋण	—	(-) 4.25	2004-05
4	6216-80-190-0001	आवास के लिए ऋण-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रम	—	(-) 0.44	2006-07
5	6245-02-101-0001	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण- निःशुल्क राहत	—	(-) 244.14	2003-04
6	6245-02-117-0001	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण- पशुधन की खरीद के लिए किसानों को ऋण	—	(-) 0.01	2003-04
7	6245-02-800-0011	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण- प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिला बोर्ड प्राधिकरण को ऋण	—	(-) 39.22	2003-04
8	6401-00-911-0002	फसल पालन के लिए ऋण- अतिरिक्त भुगतान की वसूली	—	(-) 0.74	2010-11
9	6425-00-106-0003	सहकारिता के लिए ऋण- कृषि सहकारी समितियों को ऋण	—	(-) 55.89	2004-05
10	6425-00-107-0001	सहकारिता के लिए ऋण- नाबार्ड के बकाया भुगतान के लिए बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को ऋण	—	(-) 45,945.86	2006-07
11	6425-00-108-0005	सहकारिता के लिए ऋण- अन्य सहकारी समितियों को ऋण	66.51	(-) 12,817.25	2007-08
12	6425-00-108-0013	सहकारिता के लिए ऋण- बिहार राज्य सहकारी संघ लिमिटेड को ऋण	—	(-) 1.5	2019-20
13	6851-00-101-0001	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण- बिहार राज्य औद्योगिक सहायता अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उद्योग एवं कंपनियों को ऋण	—	(-) 136.77	2003-04
14	6851-00-102-0001ए	ऋण ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए-बिहार उद्योग सहायता अधिनियम के तहत उद्यमियों को ऋण	—	(-) 0.2	2004-05
15	6851-00-200-0002	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण-ग्रामीण उद्योग परियोजना के तहत व्यक्ति एवं कंपनियों को ऋण	0.56	(-) 0.56	2023-24

क्र० सं०	शीर्ष का विवरण	ऋणों का उद्देश्य	वित्तीय वर्ष 2023-24 में चुकाई गई राशि (₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक अनंतिम प्रतिकूल शेष राशि (₹ लाख में)	वह वित्तीय वर्ष जिससे आगे बढ़ाया गया
16	6885-01-190-0004	उद्योगों एवं खनिजों के लिए अन्य ऋण-अन्य ऋण	0.03	(-) 0.83	2019-20
17	6885-02-800-0001	उद्योगों एवं खनिजों के लिए अन्य ऋण-पिछड़े क्षेत्रों का विकास-अन्य ऋण	—	(-) 2.5	2004-05
18	7610-00-202-0001	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-मोटर वाहन खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम राशि	88.71	(-) 433.41	2021-22
19	7610-00-202-0002	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-मोटर साइकिल खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम राशि	0.97	(-) 0.97	2023-24
20	7610-00-202-0003	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-मंत्रियों आदि को मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम राशि	182.05	(-) 25.15	2023-24
21	7610-00-203-0001	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-साइकिल खरीदने के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों को अग्रिम राशि	—	(-) 82.51	2003-04
22	7610-00-204-0001	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-कंप्यूटर खरीदने के लिए अधिकारियों को अग्रिम राशि	13.5	(-) 31.02	2003-04
23	7610-00-800-0001	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-सरकारी कर्मचारियों को विवाह के लिए अग्रिम राशि	—	(-) 0.11	2020-21
24	7610-00-800-0004	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-सरकारी कर्मचारी पारितोषिक विदेश में अध्ययन और भारत में अध्ययन के लिए अग्रिम, विवाह और अन्य अग्रिम	—	(-) 1,159.99	2009-10
कुल				(-) 61,000.02	

(स्रोत: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार कार्यालय से प्राप्त आँकड़े)

परिशिष्ट – 3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.3.2)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए
(प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम. संख्या	अनुदान संख्या और विभाग का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	व्यय	बचत (मूल बजट-व्यय)
1	2	3	4	4	5
राजस्व-दत्तमत					
1	01-कृषि	3,414.56	600.66	2,175.66	1,238.90
2	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन	1,509.02	155.41	1,330.79	178.23
3	04-मंत्रिमंडल सचिवालय	311.74	211.52	223.67	88.07
4	09-सहकारिता	1,165.62	145.60	1,103.19	62.43
5	20-स्वास्थ्य	15,137.05	2,016.49	11,250.79	3,886.26
6	22-गृह	13,684.15	892.85	12,701.92	982.23
7	39-आपदा प्रबंधन	5,125.53	395.88	2,936.57	2,188.96
8	40-राजस्व एवं भूमि सुधार	1,528.51	263.39	1,157.11	371.40
9	42-ग्रामीण विकास	15,401.18	2,601.72	8,568.50	6,832.68
10	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी	488.38	104.37	481.32	7.06
11	44-एस0सी0 एवं एस0टी0 कल्याण	1,805.60	104.77	1,536.92	268.68
कुल राजस्व		59,571.34	7,492.66	43,466.44	16,104.90
पूँजीगत – दत्तमत					
1	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	1,486.65	150.00	1,012.92	473.73
2	37-ग्रामीण कार्य	7,670.27	3,400.00	6,180.22	1,490.05
कुल पूँजीगत		9,156.92	3,550.00	7,193.14	1,963.78
महायोग		68,728.26	11,042.66	50,659.58	18,068.68

(स्रोत: वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट – 3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.3.3)

निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष-योजना	कुल बजट	पुनर्विनियोजन (+)	व्यय	अंतिम बचत
1	03-4059-01-051-0104- सामान्य प्रशासन विभाग के लिए समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण	138.01	6.00	111.09	32.92
2	20-2202-03-102-0029- बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	21.00	8.53	15.68	13.85
3	20-2210-01-200-0005- अन्य औषधालय स्थानीय औषधालय	72.19	10.46	58.83	23.82
4	20-2210-03-101-0003- स्वास्थ्य उपकेंद्र	147.46	8.62	50.26	105.82
5	20-2210-05-105-0003- दरभंगा मेडिकल कॉलेज	118.76	6.69	116.92	8.53
6	20-2210-05-105-0028- जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा	42.86	5.00	28.42	19.45
7	20-2210-05-105-0029- नर्सिंग कॉलेज	13.59	8.00	8.98	12.61
8	20-2210-06-101-0003- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	37.27	7.23	29.94	14.56
9	21-2202-03-001-0001- निदेशन एवं प्रशासन	6.50	5.10	5.46	6.14
10	21-2202-03-102-0003- बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर (बिहार विश्वविद्यालय)	622.77	26.00	549.61	99.15
11	21-2202-03-102-0008- बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा	320.00	22.20	290.46	51.74
12	21-2202-03-102-0011- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	635.31	79.60	573.46	141.46
13	21-2202-03-102-0027- मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	94.12	8.00	81.14	20.97
14	48-2215-02-191-0102- नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	2.00	15.53	1.90	15.64
कुल		2,271.85	216.97	1,922.16	566.65

(स्रोत: अनुदान लेखापरीक्षा पंजी एवं विस्तृत विनियोग लेखे, 2023-24)

परिशिष्ट –3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.3.3)

निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल बजट	पुनर्विनियोजन (+)	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)
1	13	2049-03-117-0001- सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	10.00	30.00	29.84	(-) 10.16
2		2049-04-112-0001-बाह्य संपोषित योजनाओं पर लिए गए ऋण पर ब्याज	578.00	400.00	963.68	(-) 14.32
3	15	2071-01-115-0002- 15/11/2000 के उपरांत सेवानिवृत्त/ मृत कर्मचारी/ पदाधिकारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि	1,187.99	100.00	1,245.51	(-) 42.49
4	21	2202-01-053-0001- प्राथमिक और मध्य विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार	145.15	170.00	290.61	(-) 24.54
5		2202-02-053-0001- माध्यमिक विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार	23.84	95.51	86.15	(-) 33.20
6		2202-03-102-0005- वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	299.64	57.20	309.24	(-) 47.60
7	22	2055-00-001-0003- केन्द्रीय स्तर पर सामग्री की खरीद	623.00	25.00	629.75	(-) 18.25
कुल			2,867.62	877.71	3,554.78	190.56

(स्रोत: अनुदान लेखापरीक्षा पंजी एवं विस्तृत विनियोग लेखे, 2023-24)

परिशिष्ट –3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.3.4)

बड़ी बचत वाले अनुदान/विनियोजन (₹ 100 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या और अनुदान/ विनियोग का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
(ए) राजस्व-दत्तमत							
1	01-कृषि	3,414.56	600.66	4,015.22	2,175.66	1,839.56	45.81
2	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन	1,509.02	155.41	1,664.43	1,330.79	333.64	20.05
3	04-मंत्रिमंडल सचिवालय	311.74	211.52	523.26	223.67	299.59	57.25
4	08-कला, संस्कृति एवं युवा	331.05	39.08	370.13	171.17	198.96	53.75
5	09-सहकारिता	1,165.62	145.60	1,311.22	1,103.19	208.03	15.87
6	11-बी0सी0 एवं एम0बी0सी0 कल्याण	1,769.60	0.36	1,769.96	1,220.49	549.47	31.04
7	15-पेंशन	29,418.67	—	29,418.67	24,308.75	5,109.92	17.37
8	16-पंचायती राज	10,079.20	4,825.43	14,904.63	11,546.33	3,358.30	22.53
9	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,078.38	959.75	2,038.13	1,423.32	614.81	30.17
10	19-पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन	741.75	139.35	881.10	743.77	137.33	15.59
11	20-स्वास्थ्य	15,137.05	2,016.49	17,153.54	11,250.79	5,902.75	34.41
12	21-शिक्षा	39,929.24	15,061.82	54,991.06	40,923.02	14,068.04	25.58
13	22-गृह	13,684.15	892.85	14,577.00	12,701.92	1,875.08	12.86
14	23-उद्योग	1,118.70	645.17	1,763.87	1,632.24	131.63	7.46
15	26-श्रम संसाधन	834.69	20.38	855.07	642.49	212.58	24.86
16	30-अल्पसंख्यक कल्याण	288.90	63.08	351.98	205.38	146.60	41.65
17	33-सामान्य प्रशासन	874.77	63.39	938.16	743.03	195.13	20.80
18	35-योजना एवं विकास	868.47	2.45	870.92	645.51	225.41	25.88
19	39-आपदा प्रबंधन	5,125.53	395.88	5,521.41	2,936.57	2,584.84	46.81
20	40-राजस्व एवं भूमि सुधार	1,528.51	263.39	1,791.90	1,157.11	634.79	35.43
21	37-ग्रामीण कार्य	3,898.64	500.07	4,398.71	4,126.54	272.17	6.19
22	38-मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन	582.61	91.67	674.28	426.64	247.64	36.73
23	42-ग्रामीण विकास	15,401.18	2,601.72	18,002.90	8,568.50	9,434.40	52.40

क्रम संख्या	अनुदान संख्या और अनुदान / विनियोग का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
24	43—विज्ञान एवं प्रावैधिकी	488.38	104.37	592.75	481.32	111.43	18.80
25	44—एस0सी0 एवं एस0टी0 कल्याण	1,805.60	104.77	1,910.37	1,536.92	373.45	19.55
26	47—परिवहन	414.60	39.08	453.68	258.76	194.92	42.96
27	48—नगर विकास एवं आवास	9,594.15	10,119.93	19,714.08	14,123.88	5,590.20	28.36
28	51—सामाजिक कल्याण	8,204.20	2,978.18	11,182.38	8,847.89	2,334.49	20.88
कुल राजस्व—दत्तमत		1,69,598.96	43,041.85	2,12,640.81	1,55,455.65	57,185.16	26.89
(बी) राजस्व भारित							
29	13—ब्याज भुगतान	18,354.44	—	18,354.44	17,605.80	748.64	4.08
कुल राजस्व—भारित		18,354.44	—	18,354.44	17,605.80	748.64	4.08
कुल राजस्व (ए+बी)		1,87,953.40	43,041.85	2,30,995.25	1,73,061.45	57,933.80	25.08
(सी) पूँजीगत—दत्तमत							
30	01—कृषि	225.22	—	225.22	113.62	111.60	49.55
31	04—मंत्रिमंडल सचिवालय	190.50	161.00	351.50	220.38	131.12	37.30
32	16—पंचायती राज	340.00	665.97	1,005.97	880.35	125.62	12.49
33	18—खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	163.66	—	163.66	35.19	128.47	78.50
34	20—स्वास्थ्य	1,829.37	1,132.50	2,961.87	2,232.77	729.10	24.62
35	22—गृह	582.37	618.53	1,200.90	973.67	227.23	18.92
36	23—उद्योग	530.12	727.10	1,257.22	950.00	307.22	24.44
37	30—अल्पसंख्यक कल्याण	347.00	—	347.00	83.28	263.72	76.00
38	35—योजना एवं विकास	1,348.51	318.00	1,666.51	1,444.62	221.89	13.31
39	36—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	1,486.65	150.00	1,636.65	1,012.92	623.73	38.11
40	37—ग्रामीण कार्य	7,670.27	3,400.00	11,070.27	6,180.22	4,890.05	44.17
41	48—नगर विकास एवं आवास	115.00	694.00	809.00	620.00	189.00	23.36
कुल पूँजीगत—दत्तमत		14,828.67	7,867.10	22,695.77	14,747.02	7,948.75	35.02
(डी) पूँजीगत— भारित							
42	14—ऋण की अदायगियाँ	23,558.69	—	23,558.69	22,979.38	579.31	2.46
कुल पूँजीगत—भारित		23,558.69	—	23,558.69	22,979.38	579.31	2.46
कुल पूँजीगत (सी+डी)		38,387.36	7,867.10	46,254.46	37,726.40	8,528.06	18.44
कुल योग (ए+बी+सी+डी)		2,26,340.76	50,908.95	2,77,249.71	2,10,787.85	66,461.86	23.97

(स्रोत: वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट –3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.3.4)

₹ 500 करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या (विभाग का नाम)	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	कुल बजट में बचत की प्रतिशतता
1	01-कृषि	3,639.78	600.66	4,240.44	2,289.28	1,951.16	46.01
2	11-बी0सी0 और एम0बी0सी0 कल्याण	1,787.05	0.36	1,787.41	1,220.49	566.92	31.72
3	18-खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण	1,242.04	959.75	2,201.79	1,458.51	743.28	33.76
4	20-स्वास्थ्य	16,966.42	3,148.99	20,115.41	13,483.56	6,631.85	32.97
5	37-ग्रामीण कार्य	11,568.91	3,900.07	15,468.98	10,306.76	5,162.22	33.37
6	39-आपदा प्रबंधन	5,265.53	395.88	5,661.41	3,002.16	2,659.25	46.97
7	40-राजस्व और भूमि सुधार	1,548.51	263.39	1,811.90	1,157.45	654.45	36.12
8	42-ग्रामीण विकास	15,452.18	2,601.72	18,053.90	8,570.64	9,483.26	52.53
कुल		57,470.42	11,870.82	69,341.24	41,488.85	27,852.39	40.17

(स्रोत: वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट –3.6

(संदर्भ: कड़िका 3.3.4)

2019–20 से 2023–24 के दौरान सतत् बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदान
(₹ 500 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	कुल बचत (प्रतिशत)				
		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	01–कृषि	1,466.35 (40.52)	1,936.48 (56.37)	2,148.45 (52.70)	1,808.18 (41.29)	1,951.16 (46.01)
2	15–पेंशन	1,414.68 (7.63)	796.52 (3.89)	1,527.51 (7.00)	2,324.24 (9.13)	5,116.34 (17.38)
3	16–पंचायती राज	4,891.61 (35.90)	4,675.44 (35.75)	5,367.03 (39.62)	4,910.47 (36.18)	3,483.92 (21.90)
4	18–खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	699.17 (49.75)	1,523.83 (67.67)	629.19 (40.75)	1,041.05 (42.92)	743.28 (33.76)
5	20–स्वास्थ्य	3,582.55 (31.44)	4,056.44 (30.68)	6,085.46 (34.19)	8,543.32 (41.56)	6,631.85 (32.97)
6	21–शिक्षा	12,140.68 (31.76)	11,784.91 (30.53)	12,877.72 (27.41)	13,796.59 (24.68)	14,140.24 (25.04)
7	22–गृह	2,133.09 (18.32)	2,643.70 (21.57)	4,192.63 (27.96)	3,258.08 (21.62)	2,102.32 (13.32)
8	37–ग्रामीण कार्य	8,518.95 (70.59)	6,439.24 (55.33)	4,841.88 (44.70)	4,463 (32.01)	5,162.22 (33.37)
9	39–आपदा प्रबंधन	3,736.49 (50.78)	2,622.83 (28.01)	1,900.32 (32.79)	1,734.33 (35.73)	2,659.25 (46.97)
10	42–ग्रामीण विकास	8,900.63 (47.87)	8,531.88 (47.81)	9,206.77 (39.65)	3,318.65 (15.27)	9,483.26 (52.53)
11	48–नगर विकास एवं आवास	3,250.51 (50.83)	3,952.81 (41.20)	4,640.19 (40.07)	4,394.35 (40.17)	5,779.20 (28.16)
12	51–सामाजिक कल्याण	2,339.23 (24.08)	2,223.49 (20.18)	2,244.40 (19.97)	2,295.38 (17.02)	2,355.08 (21.00)
कुल		53,073.94 (34.79)	51,187.57 (31.45)	55,661.55 (30.54)	51,887.64 (25.65)	59,608.12 (27.71)

(स्रोत: वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट –3.7

(संदर्भ: कड़िका 3.3.4)

2023–24 में ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या और विभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	अभ्यर्पण
1	01–कृषि	3,639.78	600.66	4,240.44	2,289.28	1,951.16	779.90
2	11–बी0सी0 और एम0बी0सी0 कल्याण	1,787.05	0.36	1,787.41	1,220.49	566.92	538.44
3	20–स्वास्थ्य	16,966.42	3,148.99	20,115.41	13,483.56	6,631.85	1,444.94
4	37–ग्रामीण कार्य	11,568.91	3,900.07	15,468.98	10,306.76	5,162.22	2,330.29
5	39–आपदा प्रबंधन	5,265.53	395.88	5,661.41	3,002.16	2,659.25	2,556.50
6	41–सड़क निर्माण	5,918.87	2,850.00	8,768.87	9,308.02	(–) 539.15	616.22
7	42–ग्रामीण विकास	15,452.18	2,601.72	18,053.90	8,570.64	9,483.26	9,965.98
8	48–नगर विकास और आवास	9,709.15	10,813.93	20,523.08	14,743.88	5,779.20	1,260.84
9	51–समाज कल्याण	8,210.86	3,002.32	11,213.18	8,858.11	2,355.07	2,093.82
कुल		78,518.75	27,313.93	1,05,832.68	71,782.90	34,049.78	21,586.93

(स्रोत: वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ: कड़िका 3.4.1)

अनुदानों/विनियोगों का शत-प्रतिशत अनुपयोगित रहना (₹100 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या-लेखा शीर्ष – विवरण	कुल अनुपयोगित बजट
1	16-2515-00-196-0008-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए सहायता अनुदान	949.52
2	18-2408-01-101-0202- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना	226.64
3	20-4210-02-051-0101- स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवनों का निर्माण (नाबार्ड संपोषित योजना)	200.00
4	20-2210-01-200-0211- आधारभूत संरचना एवं रखरखाव (एन0एच0एम0) केन्द्रांश	132.00
5	20-2210-03-103-0103- स्वास्थ्य केंद्रों का जीर्णोद्धार-सात निश्चय-2	106.00
6	21-2202-03-104-0003- वित्तपोषित महाविद्यालय	507.84
7	21-2202-02-110-0007- गैर-सरकारी विद्यालयों को सहायता	342.00
8	30-4250-00-051-0207- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	120.00
9	36-4215-01-102-0230- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	336.00
10	37-4515-00-789-0201- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	600.00
11	37-4515-00-103-0121- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना	500.00
12	39-2245-01-101-0006- अन्य कार्य (कृषि विभाग के लिए कृषि इनपुट अनुदान)	100.00
13	41-5054-03-337-0211- विशेष सहायता (बी0आर0जी0 पथ)	195.73
14	42-2216-03-789-0202- इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)	1,500.00
15	48-2217-03-051-0311- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में राज्य अंश (उपयोग किए गए जल का प्रबंधन)	533.20
16	48-2217-03-051-0201- स्वच्छ भारत अभियान	481.98
17	48-2217-03-051-0310- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में राज्य अंश (ठोस अवशिष्ट प्रबंधन)	272.88
18	48-2217-03-051-0214- स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र अंश 2.0 (उपयोग किए गए जल का प्रबंधन)	213.60
19	48-2217-03-051-0213- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (ठोस अवशिष्ट प्रबंधन) में केंद्रीय हिस्सेदारी	126.54
20	48-7075-60-190-0101- पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	124.00
कुल		7,567.93

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख, 2023-24)

परिशिष्ट –3.9

(संदर्भ: कड़िका 3.4.4)

मार्च 2024 माह में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या (विभाग)	किया गया व्यय						कुल व्यय का प्रतिशत	
	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	2023-24 के दौरान कुल व्यय	मार्च 2024 में किया गया व्यय	जनवरी-मार्च 2024	मार्च 2024
21-शिक्षा	6,845.48	9,561.28	10,584.01	15,340.89	42,331.66	7,434.09	36.24	17.56
48-नगर विकास एवं आवास	2,115.77	6,031.19	2,799.68	3,797.25	14,743.89	3,257.28	25.75	22.09
37-ग्रामीण कार्य	1,326.16	3,817.01	621.70	4,541.89	10,306.76	2,782.10	44.07	26.99
16-पंचायती राज	96.05	2,313.38	1,651.53	8,365.73	12,426.69	2,547.64	67.32	20.50
42-ग्रामीण विकास	1,964.41	892.45	1,492.07	4,221.72	8,570.65	2,508.26	49.26	29.27
39-आपदा प्रबंधन	310.30	279.06	188.96	2,223.84	3,002.16	2,494.51	74.07	83.09
49-जल संसाधन	1,159.97	838.85	952.60	3,429.56	6,380.98	2,481.68	53.75	38.89
51- समाज कल्याण	662.55	1,907.23	2,724.84	3,563.51	8,858.13	2,448.28	40.23	27.64
20- स्वास्थ्य	2,412.85	2,346.89	3,738.16	4,985.66	13,483.56	2,368.11	36.98	17.56
कुल व्यय	16,893.54	27,987.34	24,753.55	50,470.05	1,20,104.48	28,321.95	42.02	23.58
कुल व्यय का प्रतिशत	14.07	23.30	20.61	42.02	100	23.58		

(स्रोत: महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट –3.10

(संदर्भ: कड़िका 3.4.4)

शत-प्रतिशत व्यय मार्च 2024 में किया जाना
(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या-लेखा शीर्ष	विवरण	कुल व्यय
1	02-2403-00-101-0109	पशु संसाधनों का विकास (नाबार्ड पोषित योजना)	40.09
2	02-4403-00-051-0102	पशु एवं मत्स्य संसाधन हेतु भवन का निर्माण (नाबार्ड पोषित योजना)	84.91
3	03-4406-01-051-0101	वानिकी महाविद्यालय- मुंगेर	12.74
4	09-2425-00-108-0116	सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	15.12
5	09-2425-00-108-0419	प्राथमिक कृषि साख समितियों (पी0ए0सी0एस0) के अंतर्गत कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना	10.73
6	10-4810-00-190-0102	बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	36.00
7	13-2049-03-104-0001	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	612.32
8	13-2049-03-104-0002	अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	20.74
9	13-2049-03-108-0001	बीमा एवं पेंशन निधि पर ब्याज	430.00
10	14-6003-00-101-एम0145	5.28 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2023	2,000.00
11	14-6003-00-101-एम0154	5.43 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2024	969.00
12	16-2515-00-198-0215	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	21.00
13	16-2515-00-198-0315	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	13.89
14	19-2406-01-003-0006	वानिकी महाविद्यालय	18.50
15	19-2406-04-103-0101	प्रतिपूरक वानिकीकरण	18.41
16	20-2210-02-200-0202	राष्ट्रीय आयुष मिशन सहित औषधीय पौधों से संबंधित मिशन	11.61
17	20-4210-01-051-0104	शहरी क्षेत्र में सरकारी औषधालय का निर्माण	22.00
18	20-4210-03-105-0119	बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	10.00
19	22-4070-00-051-0101	बिहार फायर-ब्रिगेड सेवा भवन निर्माण के लिए	19.50
20	23-2851-00-102-0110	बिहार लघु उद्यम योजना	182.50
21	23-2851-00-789-0111	लघु उद्यम योजना	62.50
22	35-2235-01-202-0505	आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक से सहायता प्राप्त)	158.49
23	35-2235-01-789-0501	आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक से सहायता प्राप्त)	66.51
24	39-2245-01-282-0002	पानी की आपूर्ति के लिए कुओं आदि की मरम्मत	11.54
25	39-2245-05-101-0002	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की निवेशित राशि से ब्याज का हस्तांतरण	33.77
26	41-3054-80-797-0101	केंद्रीय सड़क निधि में अंतरण	258.43
27	42-2501-06-102-0202	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान	15.00
28	48-2215-02-106-0302	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन0आर0सी0पी0)	40.00
29	48-2217-80-191-0003	बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए नगर निगमों को सहायता अनुदान	250.00
30	48-5054-05-337-0101	बिहार सचिवालय और पटना सचिवालय के बीच भूमिगत पथ	30.00
कुल			5,475.30

(स्रोत: विनियोग लेखे, 2023-24)

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: कंडिका 4.12)

प्रतिकूल शेषों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	मदों की संख्या	शेष
1.	6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	5	(-) 2.95
2.	6215	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण	1	(-) 0.08
3.	6216	गृह ऋण	3	(-) 0.13
4.	6245	प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए ऋण	3	(-) 2.83
5.	6401	फसलकर्म के लिए ऋण	1	(-) 0.01
6.	6425	सहकारिता के लिए ऋण	4	(-) 588.21
7.	6851	ग्राम एवं लघु उद्योग के लिए ऋण	3	(-) 1.38
8.	6885	उद्योग एवं खनिज को अन्य ऋण	2	(-) 0.03
9.	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	7	(-) 17.33
10.	8009	राज्य भविष्य निधि	3	(-) 593.95
11.	8336	सिविल जमा (ब्याज सहित)	1	(-) 0.55
12.	8443	सिविल जमा (ब्याज रहित)	3	(-) 0.54
13.	8448	स्थानीय जमा निधि	1	(-) 1.00
14.	8550	सिविल अग्रिम	1	(-) 3.41
15.	8793	अंतर्राज्यीय उचंत लेखा	1	(-) 0.01
कुल			39	(-) 1,212.41

(स्रोत: वित्त लेखे, 2023-24)

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: कंडिका 4.14)

एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता, जिनके लेखे मार्च 2024 तक बकाया थे

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	एस०पी०एस०ई० का नाम	राज्य सरकार द्वारा मार्च 2024 तक अंश पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति जिनके लेखे बकाया थे						वर्ष जहाँ से लेखे बकाया है	बकाया लेखे की संख्या	यदि घाटे में चल रही हो (अद्यतन लेखे पर आधारित)	
		अंश पूँजी	ऋण	प्रत्याभूति	पूँजीगत अनुदान	अन्य	कुल				
अ. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ											
1.	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	212.75	0.00	212.75	2021-22	3	नहीं	
2.	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	159.25	0.00	159.25	2023-24	1	हाँ	
3.	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2023-24	1	नहीं	
4.	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	139.50	0.00	139.50	2023-24	1	नहीं	
5.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	8.28	0.00	8.28	2020-21	4	हाँ	
6.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	8.85	0.00	8.85	2018-19	6	नहीं	
7.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	2017-18	7	हाँ	
8.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2011-12	13	नहीं	
9.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	40.42	1,545.60	1,586.02	2017-18	7	हाँ	
10.	बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,222.93	16,222.93	2015-16	9	हाँ	
11.	बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.00	72.44	0.00	0.00	0.00	72.44	2018-19	6	हाँ	
12.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34	2019-20	5	नहीं	
13.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	53.48	0.00	0.00	53.48	2023-24	1	नहीं	

क्रम सं०	एस०पी०एस०ई० का नाम	राज्य सरकार द्वारा मार्च 2024 तक अंश पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति जिनके लेखे बकाया थे							यदि घाटे में चल रही हो (अद्यतन लेखे पर आधारित)	
		अंश पूँजी	ऋण	प्रत्याभूति	पूँजीगत अनुदान	अन्य	कुल	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया है		बकाया लेखे की संख्या
14.	बिहार राज्य पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड	10,246.75	0.00	0.00	0.00	2,272.89	12,519.64	2021-22*	3	नहीं
15.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	39.26	3,729.18	0.00	6,288.23	10,056.67	2023-24	1	हाँ
16.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	27.50	2,167.06	0.00	7,013.00	9,207.56	2023-24	1	नहीं
17.	बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	6,271.23	0.00	0.00	6,271.23	2023-24	1	नहीं
18.	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	2023-24	1	नहीं
19.	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2023-24	1	नहीं
कुल (अ)		11,312.09	139.20	22,220.95	677.55	23,342.65	57,692.44			
ब कार्यशील सांविधिक निगम										
1.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	0.00	0.00	0.00	79.45	48.59	128.04	2021-22	3	नहीं
कुल (ब)		0.00	0.00	0.00	79.45	48.59	128.04			
स अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
1.	बिहार राज्य फल और सब्जी विकास निगम लिमिटेड	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2015-16	9	हाँ
2.	बिहार राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2011-12	13	
3.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	2003-04	21	
4.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0.00	3.12	0.00	38.05	0.00	41.17	2007-08	17	हाँ
5.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.25	6.52	0.00	0.26	0.00	8.03	1993-94	31	हाँ
6.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	0.00	2.21	0.00	0.00	0.08	2.29	1992-93	32	हाँ
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.00	1.66	0.00	0.00	2.47	4.13	1991-92	33	हाँ
8.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	5.79	6.99	0.00	0.00	0.00	12.78	1988-89	36	हाँ

क्रम सं०	एस०पी०एस०ई० का नाम	राज्य सरकार द्वारा मार्च 2024 तक अंश पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति जिनके लेखे बकाया थे						यदि घाटे में चल रही हो (अद्यतन लेखे पर आधारित)	
		अंश पूँजी	ऋण	प्रत्याभूति	पूँजीगत अनुदान	अन्य	कुल	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया है	बकाया लेखे की संख्या
9.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	12.92	52.95	0.00	0.00	0.00	65.87	1986-87	38
10.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	11.21	365.32	0.00	1.40	197.93	575.86	1985-86	39
11.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	3.72	56.26	0.00	0.00	0.48	60.46	1984-85	40
12.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	5.22	18.78	0.00	0.00	55.41	79.41	1983-84	41
13.	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	12.26	43.18	0.00	0.00	0.00	55.44	1983-84	41
14.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	5.00	154.33	0.00	0.00	0.00	159.33	1979-80	45
15.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09	1977-78	47
कुल (स)		57.37	722.69	0.00	39.71	256.37	1,076.14		
कुल (अ+ब+स)		11,369.46	861.89	22,220.95	796.71	23,647.61	58,896.62		

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़े)

* बिहार राज्य पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड ने 2020-21 तक एकल वित्तीय विवरणी तैयार किया है।

निर्दिष्ट तारीख 30 सितम्बर 2024 लिया गया है।

टिप्पणी : क्रम संख्या 1, 3, 6 एवं 7 पर वर्णित अकार्यशील कम्पनियाँ क्रमशः 02.05.2023, 04.10.2014 और 04.10.2012 से समापन के अधीन है।

परिशिष्ट-4.3			
(संदर्भ: कंडिका 4.15)			
निकायों/प्राधिकरणों की सूची, जिनके वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं कराए गए थे			
क्रम सं०	विभाग का नाम	निकायों/प्राधिकरणों के नाम	जिला
1.	बी०सी० एवं ई०बी०सी० कल्याण	बिहार राज्य बी०सी० आयोग	पटना
2.	आपदा प्रबंधन	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार (बी०एस०डी०एम०ए०)	पटना
3.	शिक्षा	टी०एम० विश्वविद्यालय	भागलपुर
4.		बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय	भोजपुर
5.		एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय	दरभंगा
6.		कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	दरभंगा
7.		मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	गया
8.		सिमुलतल्ला शिक्षण संस्थान	जमुई
9.		भुपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय	मधेपुरा
10.		मुंगेर विश्वविद्यालय	मुंगेर
11.		बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
12.		बी०एस०बी०ए० बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	पटना
13.		एल० एन० मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान	
14.		ए० एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान	
15.		बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (एस०एस०)	
16.		बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	
17.		पटना विश्वविद्यालय	
18.		आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय	
19.		बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड	
20.		बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड	
21.		बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षण बोर्ड	
22.		पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय	
23.		मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय	
24.		नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय	
25.		जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) पटना	
26.		बिहार अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय	
27.		पूर्णिया विश्वविद्यालय	पूर्णिया
28.		जयप्रकाश विश्वविद्यालय	सारण
29.	ऊर्जा	बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी	पटना
30.	सामान्य प्रशासन	श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति	पटना
31.	स्वास्थ्य	आई०जी०आई०एम०एस०	
32.		बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	
33.		बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा बोर्ड	
34.		बिहार परिचारिका निबंधन परिषद् पटना	
35.		बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड	

क्रम सं०	विभाग का नाम	निकायों / प्राधिकरणों के नाम	जिला
36.	उद्योग	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बी०आई०ए०डी०ए०)	पटना
37.		अवसंरचना विकास प्राधिकरण	
38.	अल्पसंख्यक कल्याण	बिहार वक्फ न्यायाधिकरण	पटना
39.		बिहार राज्य हज आयोग	
40.		बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड	
41.		बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड	
42.		सैयद शहीद सफेदार पीर	
43.	एस०सी० एवं एस०टी० कल्याण	बिहार महादलित विकास मिशन	पटना
44.		राज्य महादलित आयोग	
45.		राज्य एस०सी० आयोग	
46.		राज्य एस०टी० आयोग	
47.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्	पटना
48.	समाज कल्याण	महिला विकास निगम	पटना
49.		राज्य महिला आयोग	
50.		बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड	
51.		बिहार बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	
52.	शहरी विकास और आवास	बिहार परियोजना प्रबंधन इकाई सोसायटी	पटना
53.	कृषि	बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी	पटना

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़े)

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

क्र० सं०	संकेताक्षर	पूर्ण रूप
1	ए० एंड ई०	लेखा एवं हकदारी
2	ए०सी०	सार आकस्मिक
3	ए०ई०	समग्र व्यय
4	ए०जी०	महालेखाकार
5	ए०एस०	लेखा मानक
6	बी०बी०एम०	बिहार बजट संहिता
7	ब०अ०	बजट अनुमान
8	बी०एफ०आर०	बिहार वित्तीय नियम
9	बी०एफ०आर०बी०एम०	बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
10	बी०ओ०सी०डब्ल्यू०	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार
11	बी०टी०सी०	बिहार कोषागार संहिता
12	सी०ए०जी०आर०	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
13	सी०ई०	पूँजीगत व्यय
14	डी०सी०	विस्तृत आकस्मिक
15	डी०डी०ओ०	आहरण और संवितरण अधिकारी
16	डी०ई०	विकास व्यय
17	डिस्कॉम	वितरण कंपनियाँ
18	वी०ए०टी०	मूल्य संवर्धित कर
19	वी०एल०सी०	वाउचर स्तरीय कम्प्यूटरीकरण
20	ई०एस०	आर्थिक सेवाएँ
21	एफ०सी०	वित्त आयोग
22	जी०डी०पी०	सकल घरेलू उत्पाद
23	जी०आई०ए०	सहायता अनुदान
24	जी०ओ०बी०	बिहार सरकार
25	जी०ओ०आई०	भारत सरकार
26	जी०एस०	सामान्य सेवाएँ
27	जी०एस०डी०पी०	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
28	जी०एस०टी०	वस्तु एवं सेवा कर
29	एन०पी०एस०	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
30	एन०एस०डी०एल०	नेशनल सिक्थोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
31	एन०एस०एस०एफ०	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
32	एन०टी०आर०	गैर-कर राजस्व
33	नि०म०ले०प०	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
34	पी०ए०सी०	लोक लेखा समिति
35	पी०डी०	व्यक्तिगत जमा

क्र० सं०	संकेताक्षर	पूर्ण रूप
36	पी०एफ०	भविष्य निधि
37	आर०बी०आई०	भारतीय रिजर्व बैंक
38	आर०ई०	राजस्व व्यय
39	एस०पी०एस०ई०	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
40	एस० एवं डब्ल्यू०	वेतन एवं मज़दूरी
41	एस०डी०आर०एफ०	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि
42	आर०ओ०आई०	निवेश पर प्रतिफल
43	आर०आर०	राजस्व प्राप्तियाँ
44	एस०बी०	अनुपूरक बजट
45	XV एफ०सी०	पंद्रहवाँ वित्त आयोग
46	एस०एस०	सामाजिक सेवाएँ
47	यू०सी०	उपयोगिता प्रमाणपत्र
48	उदय	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना